Tuesday, 04 August, 1953

अंक ३

संख्या १

सत्यमेव जयते

1st Lok Sabha

संसदीय वाद विवाद

लोक सभा

चौथा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

(अंक ३ में संख्या १ से संख्या २५ तक हैं)

——:o:——

भाग १——प्रश्न और उत्तर

Preservation Unit
13-3-9
Fumigated
Oct 11 83
Parliament Library

विषय-सूची

सदस्यों द्वारा शपथग्रहण [पृष्ठ भाग १]
प्रश्नों के मौखिक उत्तर [पृष्ठ भाग १—४६]
प्रश्नों के लिखित उत्तर [पृष्ठ भाग ४७—१८२]

पार्लियामेंट सैक्रेटेरियेट, नई दिल्ली ।

(मूल्य ६ आने)

305 PSD

संसदीय वाद विवाद

(भाग १—प्रश्न और उत्तर)

शासकीय वृत्तान्त

अंक ३ भारत की प्रथम संसद के चतुर्थ सत्र का द्वितीय दिवस संख्या २

लोक सभा

मंगलवार, ४ अगस्त, १९५३

सदन की बैठक सवा आठ बजे समवेत हुई

[उपाध्यक्ष महोदय : (श्री एम० अनन्तशयनम् अयंगार) अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण

(१) श्री जे० बी० कृपलानी—(भागलपुर व पुर्निया)

(२) श्री मुसहर (भागलपुर व पुर्निया—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

प्रशनों के मौखिक उत्तर

अमरीकी बन्दरगाहों में प्रवेश करने वाले भारतीय जहाजों की कठिनाइयां

*६२. **श्री एच० एन० मुकर्जी** : (क) क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मैक्करन वाल्टर आव्रजन अधिनियम के परिणामस्वरूप जिसे अमरीकी अधिकारियों ने दिसम्बर १९५२ से लागू किया है, भारतीय जहाज़ों तथा भारतीय नाविकों को जो अमरीकी बन्दरगाहों में प्रवेश करते हैं उन्हें क्या कठिनाइयां उठानी पड़ी हैं ?

(ख) क्या भारत सरकार को इन कठिनाइयों के सम्बन्ध में भारतीय जहाज़ों के मालिकों के संघ अथवा नाविकों के संघ की ओर से कोई अभ्यावेदन मिला है ?

(ग) क्या भारत सरकार का ध्यान अन्तर्राष्ट्रीय जहाज़रानी संघ की वार्षिक बैठक में जो ८ मई १९५३ को ब्रूसेल्स में हुई थी, पारित प्रस्ताव की ओर जिस में इस अधिनियम के बारे में आशंका प्रकट की गई है, दिलाया गया है ?

(घ) क्या इस बारे में भारत सरकार ने अमरीकी सरकार को कोई अभ्यावेदन किया है। यदि किया है तो उस का उत्तर क्या मिला, यदि नहीं किया है तो क्यों नहीं किया ?

(ङ) क्या अमरीकी जहाज़ों तथा नाविकों और राष्ट्रीय नाविकों को भी ऐसी ही कठिनाइयों में से होकर गुजरना पड़ता है जब कि वे भारतीय बन्दरगाहों में आते हैं ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क), (ख) तथा (घ). उन जहाजी कम्पनियों की ओर से जिन में भारतीय नाविक काम करते हैं कुछ अभ्यावेदन मिले थे जिन में अमरीकी बन्दरगाहों में जाने वाले भारतीय नाविकों की स्वतन्त्रता पर इस

अधिनियम के द्वारा प्रस्तावित प्रतिबन्ध लगाने के सम्बन्ध में आशंका प्रकट की थी ।

किन्तु इस प्रकार की कठिनाइयां वास्तव में नहीं होंगी । यद्यपि भारतस्थित अमरीकी वाणिज्यदूतिक अधिकारियों ने उन नाविकों के लिए जो भारतीय बन्दरगाहों पर काम करते हैं बहुबार यात्रा करने के लिए दो वर्ष के लिए अन-आव्रजक दृष्टांक देने के लिए विशेष प्रबन्ध कर दिया है । उन नाविकों की जिन के पास एसे दृष्टांक होंगे अमरीकी बन्दरगाहों में प्रवेश करने पर विशेष जांच नहीं की जायेगी ।

(ग) सरकार न इस प्रस्ताव को जो कि किसी जहाज़ी समाचार पत्र में छपा था, देखा है ।

(ङ) यह प्रश्न नहीं उठता ।

श्री एच० एन० मुकर्जी : क्या मैं यह जान सकता हूं कि क्या यह तथ्य है कि उस प्रस्ताव में जो कि ब्रूसेल्स में कुछ देशों के, जिन में भारत भी सम्मिलित था, जहाज़ के मालिकों के प्रतिनिधियों ने पास किया था, उस में अमरीकी सरकार द्वारा विदेशी नाविकों की अच्छी तरह राजनैतिक छानबीन हो इस का भी निर्देश था ?

श्री अलगेशन : जैसा कि मैं न अपने उत्तर में बताया था कि यह प्रस्ताव किसी जहाज़ी समाचार पत्र में छपा था ।

श्री एच० एन० मुकर्जी : भारतीय नाविकों की कठिनाइयों तथा कष्टों को दूर करने के लिए जो कि इस अधिनियम के अनुसार भारतीय नाविकों को अमरीका जाने पर पारपत्र तथा दृष्टांक लेन के कारण होंगी उन को दूर करने के लिए भारत सरकार ने क्या पग उठाया है ?

श्री अलगेशन : जैसा कि मैं ने अपने उत्तर में कहा है कि कठिनाइयां टाल दी गई हैं और वास्तविक स्थिति में कोई कठिनाई नहीं होगी । भारतस्थित वाणिज्यदूतिक अधिकारियों से हम न बातचीत कर ली है और उन्हों न इस प्रक्रिया को संशोधित करने के लिए मान लिया है और इस के द्वारा सभी कठिनाइयां दूर हो जायेंगी ।

श्री एच० एन० मुकर्जी : क्या मैं यह मान लूं किय कष्ट तथा कठिनाइयां जो कि भारतीय नाविक अमरीका में पा रहे हैं वे अन्तर्राष्ट्रीय कठिनाइयां नहीं हैं जो कि सभी देशों के नाविकों को मिल रही हों ?

श्री अलगेशन : मैं संसद् को यह बताना चाहता हूं कि यह अधिनियम सभी देशों के साथ लागू है । भारतवर्ष के साथ कोई विशष भदभाव नहीं किया गया है ।

श्री बी० एस० मूर्ति : क्या माननीय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या वाणिज्यदूतिक अधिकारियों ने इन विनियमों में संशोधन करना स्वीकार कर लिया है ? क्या उन्हों न संशोधन कर दिये हैं ? यदि नहीं तो इन के संशोधन करन में कितना समय लगगा ?

श्री अलगेशन : यह तो प्रचलन में है ।

विमान-चर्या के बारे में भारत अमरीकी समझौता

*६३. **श्री एच० एन० मुकर्जी** : (क) क्या संचरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या विमान-चर्या के बारे में प्रस्तावित भारत अमरीकी समझौते की बातचीत जो ११ मई, १९५३ को भारत सरकार तथा अमरीकी सरकार के प्रतिनिधियों के बीच हुई थी, समाप्त हो गई ?

(ख) यदि एसा है तो उस समझौते की प्रस्तावित शर्तें क्या हैं ?

(ग) यदि नहीं, तो वे बातें कौन सी हैं जिन पर मतभेद है ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) से (ग). बातचीत अभी तक चल रही है। इस समय गोपनीय आधार पर विचारों का आदान प्रदान हो रहा है।

श्री एच० एन० मुकर्जी : मैं समझता हूं कि इस विशेष प्रश्न पर नवम्बर १९५१ में ही बातचीत प्रारम्भ हो गई थी क्या सरकार इस अनुपयन्त देरी के कारणों के सम्बन्ध में कुछ बतायेगी ?

श्री राज बहादुर : यह सत्य है कि अनौपचारिक बातचीत नवम्बर १९५१ में प्रारम्भ हो गई थी। किन्तु आखिर वे अनौपचारिक ही थीं। औपचारिक बातचीत तो काफ़ी देर से प्रारम्भ हुई; और वादविवाद में कुछ बातें ऐसी भी थीं जो हमारी अन्तर्राष्ट्रीय हवाई लाइन तथा देश में नागरिक-उड्डयन के विकास के लिये तथा पान अमरीकन और टी० डब्लू० ए० द्वारा चलित यातायात के लिए अत्यधिक हित की हैं।

श्री एच० एन० मुकर्जी: क्या यह तथ्य है कि केवल ब्रिटेन, नीदरलैंड्स तथा अमरीका सरीखे देश अमरीका को छोड़कर अन्य देशों के लिए भारत से यात्रियों को स्वच्छन्द रूप से ले जा सकते हैं ?

श्री राज बहादुर : नहीं श्रीमान्। हम ने विभिन्न देशों से विभिन्न प्रकार के समझौते किये हैं। अमरीका से हम ने जो समझौता किया है वह बरमूदा ढंग का है जो कि यातायात की पंचम स्वतन्त्रता को उठाने की अनुमति देता है।

कुमारी एनी मस्करीन : क्या मैं जान सकती हूं कि कितने समय तक इन गोपनीय बातों को गुप्त बनाये रखेंगे ?

श्री राज बहादुर : जब तक कि वे गोपनीय है।

टिड्डी नियंत्रण की समन्वित योजना कर्मचारी

*६४. **श्री ईश्वर रेड्डी :** (क) क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्राविधिक सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत टिड्डी नियंत्रण की समन्वित योजना को कार्यान्वित करने के लिए कित ने पदाधिकारी तथा अन्य कर्मचारी कार्य करते हैं ?

(ख) भारतवर्ष में वे कहां पर नियुक्त हैं ?

(ग) अब तक उन के कार्य किस प्रकार के रहे हैं ?

(घ) कर्मचारियों में से कितने कर्मचारियों ने टिड्डी नियंत्रण के बारे में शोधकार्य अथवा अन्य प्राविधिक कार्य किया है ?

(ङ) उन के वेतन तथा अन्य भत्तों का क्रम क्या है ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा) : इस का उत्तर विवरण रूप में सदन पटल पर प्रस्तुत करता हूं। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ३]**

श्री वी० पी० नायर : इस की प्रतियां हम को नहीं मिली हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : इस का उत्तर काफ़ी लम्बा है, और साधारण रूप से सदन पटल पर प्रस्तुत करना चाहिए ताकि सदस्यों को पूर्व सूचना दी जा सके। यदि ऐसा नहीं किया गया है तो मैं इस बात की आज्ञा देता हूं कि इसे यहां सदन पटल पर प्रस्तुत किया जाय और जैसे ही माननीय सदस्य इस का अध्ययन कर चुकें तो वे अल्प सूचना प्रश्न पूछ सकते हैं और मैं उन को ये प्रश्न पूछने की आज्ञा दे दूंगा।

श्री एस० वी० रामास्वामी : क्या उस का सार देना सम्भव नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : उस का सार देना संभव नहीं है । प्रत्येक बात महत्व की हो सकती है ।

इजराइल में कृषि तथा विपणन की सहकारी व्यवस्था का अध्ययन

*६५. **डा० एम० एम० दास** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों के वे चार पदाधिकारी, जिन्हें इजराइल में वहां की कृषि तथा विपणन की सहकारी व्यवस्था का अध्ययन करने के लिए वहां की सरकार के निमंत्रण पर भेजा गया था, वापिस आ गये हैं और उन्हों ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ?

(ख) यदि यह ठीक है तो उस प्रतिवेदन की मुख्य मुख्य बातें क्या हैं ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा) : (क) पदाधिकारी वापिस लौट आये हैं । उन के प्रतिवेदन की प्रतीक्षा है ।

(ख) उन के प्रतिवेदन की मुख्य मुख्य बातें यथासमय सदन पटल पर प्रस्तुत की जायेंगी ।

डा० एम० एम० दास : क्या मैं जान सकता हूं कि ये पदाधिकारी किस दिनांक को इजराइल गये तथा किस दिनांक को भारत वापिस आये ।

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : उन को एक महीने के लिए जाने को कहा था । पहिला दल ५ माच को गया, तथा दूसरा दल ५ के बाद ।

डा० एम० एम० दास : मार्च १९५२ अथवा मार्च १९५३ ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : मार्च १९५३ ।

डा० एम० एम० दास : क्या मैं जान सकता हूं कि वह सहकारी व्यवस्था जिस की जांच इन पदाधिकारियों ने इजराइल में की थी हमारे देश के लिए भी लाभदायक है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : उन के प्रतिवेदन के प्रस्तुत करने के उपरान्त ही हम कह सकते हैं ।

श्री के० सुब्रह्मण्यम् : क्या मैं जान सकता हूं कि वे चार पदाधिकारी कौन हैं जो वहां गये थे ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : इस के लिए चार व्यक्तियों की प्रतियुक्ति की गई थी; जिन में से एक बिहार, एक बंगाल, एक बम्बई तथा एक कश्मीर के थे ।

श्री बी० एस० मूर्ति : दक्षिण से किसी की प्रतियुक्ति क्यों नहीं की गई ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : बम्बई दक्षिण का ही एक भाग है ।

डी० एम० ई० टी० के मुख्यालय का बम्बई से कलकत्ता के लिये स्थानान्तरण

*६६. **चौ० रघुवीर सिंह** : (क) क्या **यातायात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह तथ्य है कि समुद्रीय इंजीनियरिंग प्रशिक्षा संचालक का मुख्यालय बम्बई से कलकत्ता के लिए स्थानान्तरित कर दिया गया है ?

(ख) यदि यह ठीक है तो इस स्थानान्तरण का क्या कारण है ?

(ग) प्रति वर्ष सरकार इस पर कितना व्यय कर रही है ?

(घ) प्रति प्रशिक्षक पर औसतन कितना व्यय होता है ?

(ङ) वर्ष १९५३ में प्रशिक्षा के लिए कितने विद्यार्थियों का प्रवेश हुआ तथा वे कौन कौन से राज्य के हैं ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी हां।

(ख) यह निश्चित किया गया था कि समुद्रीय इंजीनियरिंग प्रशिक्षा संचालक कलकत्ता के समुद्रीय इंजीनियरिंग कालेज के भी अध्यक्ष बनें। अस्थायी तौर पर उन का मुख्यालय बम्बई बनाया गया क्योंकि कलकत्ता में स्थानाभाव था। और उन का मुख्यालय १९५२ में कलकत्ता समुद्रीय इंजीनियरिंग कालेज के प्रारम्भ होने से पूर्व ही स्थानान्तरित कर दिया गया।

(ग) से (ङ). पूछी गई जानकारी से सम्बन्धित वक्तव्य सदन पटल पर प्रस्तुत है **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ४]**

श्री बी० एस० मूर्ति : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार इस कालिज को कलकत्ता से हटाकर वालटेर में स्थानान्तरित करने का विचार कर रही है ?

श्री अलगेशन : नहीं। हम ने बड़ी भारी इमारत इस के लिए बनाई है; कालिज का कार्य वहीं होगा।

श्री ए० एम० टामस : क्या मैं जान सकता हूं कि प्रशिक्षा पाठ्यक्रम में प्रवेश पाने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है ?

श्री अलगेशन : निश्चित योग्यता है कि प्रशिक्षार्थी कम से कम विज्ञान तथा गणित में इंटरमीजीएट हो। लगभग ५० विद्यार्थी प्रतिवर्ष लिये जाते हैं। उन की मौखिक परीक्षा ली जाती है। तथा उन का चुनाव एक दम योग्यता के आधार पर किया जाता है।

श्री बी० एस० मूर्ति : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या वहां समुद्र-माप-विद्या भी पढ़ाई जाती है ?

श्री अलगेशन : मुझे इस के लिए पूर्व-सूचना चाहिए।

विदेशी जहाज़ों द्वारा ले जाया गया माल

*६७. **चौ० रघुबीर सिंह** : (क) क्या **यातायात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह तथ्य है कि वर्ष १९५२ में मद्रास, बम्बई तथा कोचीन में कुछ विदेशी जहाज़ माल से अत्यधिक भरे हुए पाये गये थे ?

(ख) यदि यह ठीक है तो वे जहाज़ कौन कौन से देश के थे ?

(ग) इन जहाज़ों के विरुद्ध सरकार ने क्या पग उठाया है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) वर्ष १९५२ में आठ विदेशी जहाज़ अत्यधिक भरी दशा में मद्रास, बम्बई, तथा कोचीन के बन्दरगाहों में आये थे।

(ख) इन में से तीन जहाज़ पनामा में पंजीबद्ध हुए थे, दो अमरीका में, तथा शेष तीन क्रमशः नार्वे, कोस्टरिका तथा साईबेरिया में पंजीबद्ध थे।

(ग) इन ६ जहाज़ों के मास्टरों पर भारतीय व्यापार नौपरिवहन अधिनियम १९२३ की धारा २२४–I के अन्तर्गत मुकद्दमा चलाया गया और १ हज़ार से ६ हज़ार तक जुर्माना किया गया अथवा इस के उल्लंघन पर विभिन्न समय के लिए साधारण कारावास दिया गया। यद्यपि शेष दो जहाज़ों के विरुद्ध (एक तो नार्वे का तथा दूसरा पनामा का) जो कि क्रमशः मद्रास तथा कोचीन के बन्दरगाह पर आये कोई कार्रवाही नहीं की गई क्योंकि उस समय इन बन्दरगाहों पर अधिकृत जांच करने वाला नहीं था जो कि इन जहाज़ों की भारतीय व्यापार नौपरिवहन अधिनियम, १९२३ की धारा २२४-एफ के अनुसार जांच करता।

विमान दुर्घटनायें

*६८. **श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा** : (क) क्या **संचरण मंत्री** यह बताने की कृपा

करेंगे कि जनवरी से मई १९५३ तक भारत में कितनी विमान दुर्घटनायें हुईं ?

(ख) कितनी मृत्युएं हुईं ?

(ग) क्या दुर्घटनाओं के कारणों की जांच की गई है ?

(घ) यदि हां तो क्या सरकार प्रत्येक मामले की जांच सम्बन्धी रिपोर्ट सदन के लिये उपलब्ध करेगी ?"

संचरण उप मंत्री (श्री राज बहादुर): (क) तथा (ख). मैं तीन विवरण जिन में अपेक्षित जानकारी दी गई है, सदन पटल पर रखता हूं। [देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ५]

(ग) तथा (घ). हां, एक मामले को छोड़ कर जो अब भी विचाराधीन है।

डा० लंका सुन्दरम्: मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार को विमानचालक-प्रशिक्षा आदि की जांच पड़ताल समिति की रिपोर्ट जिस के सभापति श्री मास्टर थे, प्राप्त हो गई है।

श्री राज बहादुर: यह प्राप्त हो गई है। परन्तु, यह इस प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता।

डा० लंका सुन्दरम्: यह विशेष जांच पड़ताल समिति प्रशिक्षा सुविधाओं तथा विमानचालकों के अनुभव, और क्या दोषयुक्त प्रशिक्षा इन दुर्घटनाओं का आधार है, कि जांच पड़ताल करने के लिये नियुक्त की गई थी।

श्री राज बहादुर: प्रश्न का सम्बन्ध एक विशेष काल में, जनवरी से मई १९५३ तक, घटित वायु दुर्घटनाओं से है। फिर भी माननीय सदस्य की सूचना के लिये मैं यह बता दूं कि समिति नियुक्ति की गई थी और उस ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। विलम्ब से आने वाले एक सदस्य के थोड़े से मतभेद के कारण, रिपोर्ट का परीक्षण अभी तक पूर्ण नहीं हुआ है।

डा० लंका सुन्दरम्: मैं निवेदन करता हूं कि इस समिति का उद्देश्य विमान चालकों की प्रशिक्षा-योग्यताओं प्रशिक्षा काल आदि की जांच पड़ताल करना है। क्या मैं पूछ सकता हूं कि सरकार उस रिपोर्ट को कितनी जल्दी सदन पटल पर रखेगी ?

संचरण मंत्री (श्री जगजीवन राम): रिपोर्ट पहिले से ही प्रेस में है। जैसे ही यह छप कर तैयार होगी वैसे ही इसे प्रकाशित कर दिया जायगा।

श्री आर० के० चौधरी: क्या यह सत्य नहीं है कि इन प्रशिक्षा विमानों में अधिक दुर्घटनायें होती हैं, विशेषकर उड्डयन क्लब के विमानों में।

श्री राज बहादुर: विवरण से विदित होता है कि दुर्घटनायें सिखाई की उड़ानों तथा निजी उड़ानों में घटित होती है।

श्री पुन्नूस: क्या मैं जान सकता हूं कि इन दुर्घटनाओं को रोकने या न्यूनतम करने के लिये सरकार ने क्या पग उठाये हैं।

श्री राज बहादुर: समय समय पर हम जांच पड़ताल समितियों की विभिन्न सिफारिशों को कार्यान्वित करते हैं और हम वे भी कार्यवाहियां करते हैं जो आई० सी० ए० ओ० तथा अन्य यथोचित संस्थाओं अथवा संघों द्वारा निश्चित की गई हैं।

श्री टी० सी० ए० चेट्टियार: इन दुर्घटनाओं में से कितनी मशीनों की खराबी से और कितनी मानवीय न्यूनताओं के कारण घटित हुईं ?

श्री राज बहादुर: यह तो स्वयं विवरण में ही दिया हुआ है। मेरा विचार है कि एक को छोड़ कर जहां त्रुटि वैयक्तिक न हो कर कुछ और थी, अन्य सारी दुर्घटनायें मानवीय त्रुटियों के कारण ही घटित हुई।

सेठ अचल सिंह: क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जो मुसाफिर हवाई

जहाज़ से सफर करते हैं उन का बीमा कराने का कोई तरीका है ।

कुछ माननीय सदस्य : है, है ?

श्लीपद तथा मुष्कवृद्धि

*६९. **श्री पुन्नूस** : (क) क्या स्वास्थ्य मंत्री राज्यानुसार यह बताने की कृपा करेंगी कि देश के कौन कौन से क्षेत्र विषम रूप में श्लीपद तथा मुष्कवृद्धि से प्रभावित हैं ?

(ख) इन रोगों की रोक थाम तथा नियन्त्रण में लाने के लिये भारत सरकार ने क्या पग उठाये हैं ?

(ग) क्या इस सम्बन्ध में भारत सरकार ने कोई अनुसन्धान कार्य आरम्भ किया है ?

(घ) यदि हां तो उस के परिणाम क्या हैं ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर) : (क) तनुसूत्र रुजा, श्लीपद तथा मुष्कवृद्धि जिस के प्रादुर्भाव हैं, सौराष्ट्र, त्रावनकोर कोचीन, मद्रास, उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल के तटीय जिलों में तथा बिहार और उत्तर प्रदेश के बड़े भागों में फैली हुई है। बम्बई, हैदराबाद, मध्य प्रदेश तथा, विन्ध्य प्रदेश के छोटे तथा इधर उधर फैले क्षेत्रों में भी यह रोग पाया जाता है ।

(ख) तथा (ग). गत चार वर्षों से भारतीय चिकित्सा अनुसन्धान परिषद् उड़ीसा सरकार के साथ पूछ ताछ कर रही है । यह पूछ ताछ त्रावनकोर-कोचीन में भी की जायेगी । सरकार ने यहां स्थित मलेरिया संस्था में एक अनुसूत्र रुजा विभाग स्थापित किया है ।

(घ) रोग की प्रकृति के सम्बन्ध में परिणाम प्राप्त हो रहे हैं । और रोग को नियन्त्रित करने तथा अन्त में पूर्णतः समाप्त करने के ढंगों की खोज हो रही है ।

श्री पुन्नूस : क्या सरकार तटीय क्षेत्रों में उस रोग को भड़काने वाले मुख्य कारणों को जानती है ?

राजकुमारी अमृत कौर : सरकार को विदित है कि रोग क्यों फैलता है। यह एक विशेष प्रकार के मच्छर के पैदा होने से फैलता है । इस की चिकित्सा के लिये हम रोगरोधक उपाय तथा विरुजालय ढंगों का पता लगाने का प्रयत्न कर रहे हैं ।

श्री पुन्नूस : क्या सरकार को विदित है कि इन तटीय क्षेत्रों में बहुत से अप्रवाहित जल के ताल हैं और वहां मच्छर पैदा होता है। क्या मैं जान सकता हूं कि स्वच्छ जल का प्रबन्ध करने और इन तालों को मिटाने के लिये कोई कार्यवाही की गई है ।

राजकुमारी अमृत कौर : आप जानते हैं कि यह उत्तरदायित्व वास्तव में राज्य सरकारों का है । हम राज्य सरकारों को मंत्रणा देते रहे हैं और उन्हें उन परिणामों से भी सूचित करते रहे हैं जो हमें अब तक अपने अनुसन्धानों से प्राप्त हुए हैं ।

श्री पुन्नूस : क्या सरकार को विदित है कि किसी प्रकार की कोई सहायता देने अथवा निरोधक उपाय अपनाने की आज तक इन क्षेत्रों में कोई कार्यवाही नहीं की गई है ?

राजकुमारी अमृतकौर : यदि माननीय सदस्य मुझे बतायेंगे तो मैं निश्चय ही सम्बन्धित राज्य सरकारों को चिट्ठी भेजूंगी ।

कुमारी एनी मस्करीन क्या मैं : जान सकती हूं कि कीड़े फैलाने वाले मच्छरों को नष्ट करने के लिये सरकार ने कोई कार्यवाही की है ।

राजकुमारी अमृत कौर : हां, रोगों के फैलने को रोकने के लिये मच्छरों तथा अन्य कीड़ों से छुटकारा पाने की दृष्टि से, राज्यों में बहुत कुछ किया जा रहा है ।

श्री ए० एम० टामस : इस तथ्य की दृष्टि से कि यह पता लगा है कि ये रोग मच्छरों से फैलते हैं, क्या सरकार ने मलेरिया विरोधी कार्यवाहियों के आधार पर कोई पग उठाये हैं ।

राजकुमारी अमृत कौर : जिन स्थानों में मलेरिया विरोधी कार्यवाहियां की गई थीं वहां उन से इस विशेष मच्छर के मारने में बड़ा लाभ हुआ है ।

श्री वी० पी० नायर : माननीय मन्त्री ने हमें बताया था कि यह रोग भारत के तटीय क्षेत्रों में फैलता है । मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार को विदित है कि यह क्षेत्रों में समान रूप से नहीं फैलता और त्रावनकोर कोचीन के विशेष ताल्लुकों में, जैसे अम्बाला-पूजा तथा चेरतला, यह रोग बड़े अनुपात में पाया जाता है ?

राजकुमारी अमृत कौर : हम जानते हैं । जहां कहीं ये मच्छर हैं, हम राज्य सरकारों से वे सब कुछ करने के लिये कह रहे हैं जो हमारे विचार से उन्हें करना चाहिये ।

डा० एम० एम० दास : क्या मैं इस देश के उन सरकारी संस्थाओं को जान सकता हूं जो इन रोगों के सम्बन्ध में खोज कर रही हैं, और क्या इन खोजों के परिणामों को एक दूसरे से मिलाने के लिये कोई यन्त्र है ?

राजकुमारी अमृत कौर : सारी खोजें राज्य सरकारों के साथ मिल कर भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् द्वारा की जाती हैं ।

श्री मुनिस्वामी : मैं जान सकता हूं कि क्या यह निश्चित रूप से पता लगा लिया गया है कि यह सांसर्गिक रोग है या नहीं ?

राजकुमारी अमृत कौर : यह सांसर्गिक रोग नहीं है ।

श्री राधे लाल व्यास : मैं जान सकता हूं कि क्या मच्छर अगणित रूप में बढ़ रहे हैं और क्या ये मच्छर उस प्रकार के नहीं हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : हम कोई दूसरा प्रश्न लेंगे । मच्छरों के बारे में हम ने बहुत बात चीत कर ली है ।

रूस से गेहूं का आयात

*७०. **श्री नाना दास :** (क) क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५१ में रूस के साथ एक लाख टन मैट्रिक गेहूं सम्बन्धी वस्तु-विनिमय-समझौते की शर्तें क्या थीं ?

(ख) उस समय प्रत्येक वस्तु विनियमित वस्तु का प्रचलित अधिकतम मूल्य क्या था ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा) : (क) रूस के एक लाख मैट्रिक टन गेहूं का वस्तु-विनिमय निम्न-लिखित भारतीय वस्तुओं से हुआ था :—

कच्चा जूट—५,००० मैट्रिक टन
लाख —२,५०० मेट्रिक टन
तम्बाकू—५,५०० मैट्रिक टन
चाय—१,८५० मैट्रिक टन

(ख) मूल्यों में समय समय पर परिवर्तन होता रहा । १९५१ में थोक के मूल्यों की विभिन्नता इस प्रकार थी :—

कच्चा जूट—२९० रुपये से ४२० रु० तक प्रति गांठ जिस की तोल ४०० पौंड थी

लाख—१४५ रु० से १६८ रु० तक प्रति मन

तम्बाकू—२ रु० ८ आने से २ रु० ११ आने ६ पाई तक प्रति पौंड

चाय—१ रु० १० आने ६ पाई से २ रु० ८ आने तक प्रति पौंड ।

श्री नानादास : क्या रूस से वस्तु-विनिमय के ढंग से गहूं प्राप्त करना लाभप्रद था और यदि था तो हमें इस से क्या लाभ हुआ है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : अपने वस्तु-विनिमय समझौते में, चाहे वह रूस से हो अथवा अर्जनटाईना से, हम सदैव ही लाभ में रहेंगे :

श्री नानादास : श्रीमान्, क्या यह सत्य है कि हमें रूस से गेहूं ११ रु० प्रति मन के भाव मिल सकता था जब कि हमें अमरीका को २० रुपये प्रति मन का मूल्य देना पड़ा ।

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : नहीं । यह सत्य नहीं है ।

श्री के० सुब्रह्मण्यम् : श्रीमान्, क्या मैं जान सकता हूं कि १९५१ में रूस सरकार के मूल्यों की संसार के अन्य देशों के मूल्यों के साथ क्या तुलना थी ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : इस विशेष वस्तु-विनिमय के सम्बन्ध में, रूस के साथ कुछ बातों पर झगड़ा खड़ा हो गया है जो अभी भी चल रहा है । अतः इन वस्तु-विनिमयों के सम्बन्ध में कुछ कहना कठिन है क्योंकि एक में हमें कुछ लाभ हुआ और दूसरे में हमें भारी हानि हुई ।

श्री टी० एन० सिंह : क्या उन्हों ने गहूं का मूल्य निश्चित कर दिया है ?

उपाध्यक्ष महोदय : हम इस विषय पर वार्ता नहीं कर रहे हैं ।

श्री किदवई : मैं बता चुका हूं कि कुछ बातों के कारण यह बताना संभव नहीं है कि हमें क्या लाभ या हानि हुई ?

श्री जी० पी० सिन्हा :क्या यह सत्य है कि भारत ने जिन वस्तुओं के बदले में सम्भरण किया उन में से अधिकतर के मूल्य बढ़ जाने के कारण, भारत को इस गेहूं के लिये अपेक्षतः अधिक मूल्य देना पड़ा ।

श्री किदवई : मैं ने बताया कि हमारे रूस के साथ दो वस्तु-विनिमय हुए थे । उन में से एक में हमें कुछ लाभ हुआ और दूसरे में कुछ हानि ।

श्री टी० एन० सिंह : अन्तिम परिणाम क्या था ?

श्री किदवई : एक में हमें हानि हुई ।

उपाध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न । मैं तीन या चार प्रश्नों की अनुमति दूंगा ।

श्री सारंगधर दास : मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार के लिये यह उचित है कि वह मोल तोल करने में पड़े ।

उपाध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : मैं निवेदन करता हूं कि प्रश्न ७२ तथा प्रश्न ७३ का उत्तर एक साथ दिया जा सकता है ।

उपाध्यक्ष महोदय : हां ।

मैसर्ज शलीरेन के साथ क़रार

* ७१. **श्री एम० एल० द्विवेदी** : (क) क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या रेल-वित्त निदेशक के स्विटज़रलैंड जाने के परिणामस्वरूप मैसर्ज शलीरेन के साथ भारत में सम्पूर्ण धातुमय हल्के भार की रेल गाड़ियों के डिब्बे बनाने के लिये करार को पुनरीक्षित किया गया और नवीन किया गया ?

(ख) अब तक समवाय को शिल्पिक और दूसरे प्रयोजनों के लिये कुल कितने रुपये की रकम दी गई है ?

(ग) क्या सरकार इस समवाय के साथ हुए नवीन करार की प्रति को सदन पटल पर रखने का विचार रखती है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) हां ।

(ख) (१) १९५१ तक मूल फीस ९·६८ लाख रुपये; और

(२) जो डिब्बे पहुंच चुके उन का मूल्य और जिन के आर्डर दिये गये हैं उन के लिये अग्रिम दी हुई राशि २२७·२८ लाख रुपये।

(ग) पूरक करार की प्रति, जो छप रही है, जब तैयार हो जायेगी, तो सदन पटल पर रख दी जायेगी।

सम्पूर्ण धातुमय हल्के भार के गाड़ियों के डिब्बे

*७२. **श्री एम० एल० द्विवेदी** : (क) क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि अब तक कितने सम्पूर्ण धातुमय हल्के भार के डिब्बे प्राप्त हो चुके हैं ?

(ख) इस दिशा में करार में की गई शर्तों के पूरा न होने के क्या कारण हैं ?

(ग) क्या हल्के भार के डिब्बे अब तक रेल पटरी पर चला कर परखे जा चुके हैं ?

(घ) यदि ऐसा है तो, क्या वे रेलों में प्रयुक्त दूसरे डिब्बों की तुलना में मजबूत और अधिक देरी तक चलने वाले हैं ?

(ङ) स्विस प्रकार के डिब्बों को बनाने का कार्य कब तक और किस स्थान पर भारत में प्रारम्भ होने की आशा है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जून १९५३ के अन्त तक ६८ डिब्बे।

(ख) डिब्बों के भेजने में देरी लगने के कारण ये थे कि बनावट को अन्तिम रूप देने में प्रत्याशित से अधिक समय लगा, फरनीचर विहीन डिब्बों के स्थान पर फरनीचर सहित डिब्बे भेजने के आर्डर दिये गये और अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के कारण कच्ची धातु प्राप्त करने में कठिनाई हुई।

(ग) हां।

(घ) अब तक इन डिब्बों का उपयोग संतोषजनक रहा है। तुलनात्मक स्थापित्व के सम्बन्ध में इतनी जल्दी निर्णायक निष्कर्ष निकालना कठिन है, परन्तु आशा है कि वे भी उतने ही चलाऊ होंगे, जितने भारत में प्रयुक्त होने वाले दूसरे डिब्बे।

(ङ) पेराम्बुर (मद्रास) में १९५५ के उत्तरार्ध में।

श्री एम० एल० द्विवेदी : मैं पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार ने करार में कुछ त्रुटियां देखी थीं, और यदि ऐसा है, तो क्या देश में इस के लिये उत्तरदायी व्यक्तियों पर कोई का दोष डाला गया है ?

श्री अलगेशन : श्रीमान्, इन डिब्बों को छुड़ाने में देरी होने के कारण करार में कुछ त्रुटियों का पता लगा, और इस कारण से पूरक करार के सम्बन्ध में बात की गई और उसे अन्तिम रूप दिया गया। उस व्यक्ति को, जो मूल करार के लिये उत्तरदायी हैं, दण्ड देने का कोई प्रश्न नहीं है।

श्री एम० एल द्विवेदी : प्रश्न ७१ के भाग (ग) के उत्तर के निदश से, क्या मैं पूछ सकता हूं कि क्या संशोधित करार में करार के भंग होने के मामले में विधिपूर्वक कार्यवाही करने के लिये कोई उपबन्ध रखा गया है ?

श्री अलगेशन : सम्पूर्ण करार सदन के सामने रखा जायगा। आर्डर के पूरा करने में देरी होने की अवस्था में करार में दण्ड के लिये एक खण्ड रखा गया है।

श्री वी० पी० नायर : मैं पूछना चाहता हूं कि क्या इस विशिष्ट समवाय को इसी प्रकार के डिब्बे बनाने में कुछ पूर्व अनुभव था ?

श्री अलगेशन : उन्हें बहुत अनुभव है ।

पंडित एस० सी० मिश्र : मैं पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार को यह पता है या जानकारी है कि ये धातु के डिब्बे भारत में ग्रीष्म ऋतु में बहुत गर्म हो जाते हैं और कष्टपूर्ण बन जाते हैं ?

श्री अलगेशन ऐसा देखा गया है कि इन डिब्बों और सम्पूर्ण धातुमय हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट समिति के डिब्बों में कोई अन्तर नहीं है ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : आयात किये गये डिब्बे की, जिसे आप ने दिखलाया था और जो भारत में बनाया जायगा, क्या लागत है ?

श्री अलगेशन : इन डिब्बों के मूल्य निश्चित हो चुके हैं और ये कारखाने से निकलते समय १.२ लाख रुपये है । और हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड द्वारा बनाये गये डिब्बों की लागत १.२४ लाख रुपय होती है ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : स्विस कम्पनी और स्विटजरलैंड के दूसरे विशेषज्ञों का वर्तमान विशाल-निर्माण-कार्यक्रम में क्या हित होगा ?

श्री अलगेशन : उन्हों ने हमारे साथ करार किया है, और उन्हें मूल फीस दे दी गई ह । हम तीन या चार किश्तें दे भी चुके हैं । बाकी मूल फीस उन को दे दी जायेगी, और उसे उत्पादन के वास्तविक लक्ष्य की पूर्ति पर आधारित कर दिया गया है ।

सेठ गोविन्द दास : इन गाड़ियों के पहले जो गाड़ियां हम बाहर से मंगाते थे, उन की कीमत में और इन गाड़ियों की कीमत में कितना अन्तर है ?

श्री अलगेशन : मैं पहले ही उत्तर दे चुका हूं ।

कलकत्ता की गोलाकार रेलवे जांच समिति का प्रतिवेदन

*७३. **श्री एम० एल० द्विवेदी** : (क) क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार द्वारा कलकत्ता की गोलाकार रेल जांच समिति के प्रतिवेदन पर विचार कर लिया गया है ?

(ख) समिति द्वारा प्रस्थापित रेखाकरण के सविस्तार परीक्षण और मात्रा तथा लागत के प्राक्कलनों का कार्य किस को सौंपा गया है ?

(ग) यदि समिति द्वारा सिपारिश की हुई गोलाकार रेल बनाने का निर्णय हो जाये, तो घनी जनसंख्या वाले क्षेत्र का कितना भाग है, जिसे सरकार अधिग्रहण करेगी ?

(घ) ऐसी स्थिति में जो प्रतिकर दिया जायगा, वह कितना होगा ?

रेल तथा यातायात मंत्री के सभा सचिव (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) उत्तर हां में है ।

(ख) कलकत्ता उपनगर विद्युतीकरण योजना के सम्बन्ध में परिमाप करने के लिये अधिकारियों का एक दल नियुक्त किया गया है और वही दल कलकत्ता गोलाकार रेल जांच समिति द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रस्तावों की बारीकियों का भी परीक्षण करेगा ।

(ग) तथा (घ). यह जानकारी सविस्तार परीक्षण हो चुकने पर मिल सकेगी ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : क्या इस प्रस्ताव के कार्य रूप में आने की आशा है ?

श्री शाहनवाज़ खां : इस के कार्य रूप में आने की आशा है । कलकत्ता के उपनगरों के विद्युतीकरण की विशाल योजना के सात आठ वर्ष में कार्यान्वित होने की आशा है ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : क्या प्रस्तावित निर्माण सम्बन्धी कोई प्राक्कलन तैयार किये जा चुके हैं ?

श्री शाहनवाज खां : इस के सम्बन्ध में कोई प्राक्कलन नहीं है । प्राधिकारियों के दल को जा कर परिमाप करने के आदेश दे दिये गये हैं और सारी योजना अभी विचाराधीन है ।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या मैं पूछ सकता हूं कि जांच समिति की रचना किस प्रकार की है और क्या उस में पश्चिमी बंगाल सरकार का कोई प्रतिनिधि है ?

श्री शाहनवाज खां : यदि माननीय सदस्य का आशय गोलाकार रेल जांच समिति से है, तो उस में गैर सरकारी प्रधान श्री एस० एन० राव बंगाल से थे, और रेल से सम्बद्ध सब हितों का उचित प्रतिनिधित्व समिति में था ।

पटसन-कर्मकरों का अभ्यावेदन

*७४. **श्री तुषार चटर्जी** : (क) क्या **श्रम** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार को पश्चिमी बंगाल के लगभग २०,००० पटसन कर्मकरों के हस्ताक्षरों सहित, एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है, जिस में पटसन उद्योग (जिस में व्यापार और श्रम भी सम्मिलित हैं) की दशा की जांच करने और अग्रेतर छंटनी के निलम्बन के लिये एक त्रिदलीय जांच समिति की मांग की गई है ?

(ख) यदि ऐसा है, तो क्या सरकार सदन पटल पर अभ्यावेदन की प्रति रखने का विचार करती है ?

(ग) अभ्यावेदन में की गई मांगों के बारे में सरकार ने क्या निर्णय किये हैं ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि) : (क) तथा (ख). पटसन कर्मकरों की ओर से एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था जिस की प्रति सदन पटल पर रखी जाती है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ६]**

(ग) क्योंकि अभ्यावेदन में दिया गया मुख्य मामला प्रधानतया पश्चिमी बंगाल की सरकार से सम्बन्धित था, इसलिये अभ्यावेदन उन को उचित कार्यवाही के लिये भेज दिया गया था । राज्य सरकार ने बतलाया है कि पटसन कर्मकरों की मांगों पर विचार भारतीय पटसन कारखाना संघ के प्रतिनिधियों के साथ किया गया और उस संघ के दृष्टिकोण पर विचार किया जा रहा है ।

श्री तुषार चटर्जी : मैं पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार उनकी शिकायतों की छानबीन करने के लिये एक विशेषज्ञ-आयोग नियुक्त करने का विचार रखती है ?

श्री वी० वी० गिरि : वह अभ्यावेदन माननीय प्रधान मंत्री को प्रस्तुत किये गये स्मृति-पत्र में किया गया था ।

श्री तुषार चटर्जी : श्रीमान्, मैं पूछना चाहता हूं कि क्या ऐसा आयोग स्थापित किया जा रहा है ?

श्री वी० वी० गिरि : यदि माननीय सदस्य का आशय इन मामलों पर विचार करने के लिये त्रिदलीय निकाय बनाने से है, तो मुझे ऐसा बतलाया गया है कि वह मामला भी पश्चिमी बंगाल सरकार के विचाराधीन है ।

श्री एच० एन० शास्त्री : यह प्रश्न संसद् की पिछली बैठक में भी उठाया गया था, जबकि माननीय मंत्री ने उत्तर दिया था कि इस प्रश्न पर पश्चिमी बंगाल सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है । गत सत्र में पटसन के कारखानों में छंटनी का यह प्रश्न उठा था अतः क्या भारत सरकार अथवा पश्चिमी बंगाल सरकार

ने पटसन के कारखानों में छंटनी की मात्रा के विषय में जांच करने के लिये कोई क्रियात्मक पग उठाये हैं, और कहां तक ऐसी छंटनी पर कार्य-भार में वृद्धि का प्रभाव पड़ा है, और कहां तक कारोबार की स्थिति को क्षति पहुंचा कर मशीनों को स्थान दिया गया है।

श्री वी० वी० गिरि : मुझे अभी तक पश्चिमी बंगाल सरकार से एक यथार्थ उत्तर की अपेक्षा है, और मैं निश्चय ही माननीय सदस्य के इस प्रश्न को पश्चिमी बंगाल सरकार के पास उनके निश्चित विचार प्रकट करने के लिये भेजूंगा।

श्री एच० एन० मुकर्जी : माननीय मंत्री ने हमें बतलाया कि पश्चिमी बंगाल की सरकार ने भारतीय पटसन कारखाना संघ के विचारों का पता लगा लिया है। क्या वह हमें यह बता सकते हैं कि क्या इस मामले में, कर्मकरों की उनके संघों द्वारा प्रकट हुई इच्छाओं का भी विचार किया गया है, और क्या वह यह भी बतला सकते हैं कि कब तक पश्चिमी बंगाल सरकार द्वारा जांच का काम पूरा होने की आशा है।

श्री वी० वी० गिरि : मैंने बतलाया कि सब विचार पश्चिमी बंगाल सरकार के सामने हैं। मैं विशेषतया नहीं जानता कि क्या कर्मकर संघ ने इन मामलों के बारे में पश्चिमी बंगाल सरकार के साथ विचार किया है, अथवा उनको अभ्यावेदन भेजे हैं। यदि उन्हों ने ऐसा नहीं किया, तो वे ऐसा करेंगे।

श्री बी० एस० मूर्त्ति : क्या मैं पूछ सकता हूं कि क्या कलकत्ता के प्रादेशिक श्रम आयुक्त को इस समस्या का हल करने के लिए विश्वास में लिया गया है ?

श्री वी० वी० गिरि : प्रादेशिक श्रम-आयुक्त का इस मामले में सीधा कोई सरोकार नहीं है, जब तक कि पश्चिमी बंगाल सरकार भी उसके साथ इस मामले का विचार नहीं करती।

श्री बी० एस० मूर्त्ति : यही तो मैं चाहता था।

श्री रामानन्द दास : पश्चिमी बंगाल सरकार पश्चिमी बंगाल के पटसन-कर्मकरों की छटनी और अधिक कार्य-भार को रोकने के लिए जांच आयोग को निर्णीत रूप में स्थापित करने के लिए कितना समय लगाएगी ?

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : क्या केन्द्रीय सरकार एक अन्तिम तिथि निर्धारित करने का विचार रखती है, जब तक कि पश्चिमी-बंगाल सरकार को उत्तर देना है ?

श्री वी० वी० गिरि : मैंने पहले ही बतलाया कि मैं पश्चिमी बंगाल सरकार से उनका उत्तर देने के लिये कहूंगा।

श्री रामानन्द दास : मैं पूछना चाहता हूं कि क्या पश्चिमी बंगाल सरकार ने इस मामले में अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की ?

श्री वी० वी० गिरि : मैं नहीं कह सकता कि उन्होंने कोई कार्यवाही नहीं की।

श्री बी० एस० मूर्ति : क्या मैं पूछ सकता हूं कि क्या केन्द्रीय सरकार के श्रम मंत्रालय को इसके सम्बन्ध में अपने प्रादेशिक-श्रम-आयुक्त से कोई विवरण प्राप्त हुआ है, कि आया पश्चिमी बंगाल सरकार ने उसे इस समस्या के हल करने के लिए विश्वास में लिया है ?

श्री वी० वी० गिरि : हम पश्चिमी बंगाल सरकार के साथ सीधे सम्पर्क में हैं हमें प्रादेशिक श्रम-आयुक्त से कोई विवरण प्राप्त नहीं हुआ।

पंजाब में नल-कूप (ट्यूबवैल)

*७७. **प्रो० डी० सी० शर्मा** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :—

(क) कुल रकम, जिसे भारत सरकार

पंजाब सरकार को कांगड़ा और होशियारपुर जिलों के कमी वाले क्षेत्रों में नल-कूप योजना के लिये ऋण स्वरूप देने के लिये सहमत हो गई है ?

(ख) नल-कूपों की संख्या, जिन्हें उस योजना के आधीन खोदने का प्रस्ताव है ; और

(ग) नल-कूपों की संख्या जो खोदे जा चुके हैं ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा) : (क) भारत सरकार ने पंजाब सरकार को कांगड़ा और होशियारपुर के जिलों में नल-कूप-निर्माण के लिए कोई ऋण मंजूर नहीं किया है।

(ख) तथा (ग). प्रश्न नहीं उठते।

प्रो० डी० सी० शर्मा : क्या मैं पूछ सकता हूं कि भारत सरकार ने इस बात को जानने के लिये कि कौन से अभाव वाले क्षेत्र हैं, क्या कसौटी रखी है ? उदाहरणार्थ, मैंने एक छोटी टिप्पणी प्रस्तुत की......

उपाध्यक्ष महोदय : कोई दलील नहीं होनी चाहिए। यदि कोई सदस्य प्रश्न पूछता है, तो उसका उत्तर दिया जायेगा।

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : यह प्रश्न कांगड़ा और होशियारपुर में नल-कूपों के सम्बन्ध में है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप अभाव वाले क्षेत्रों का निर्धारण कैसे करते हैं ?

प्रो० डी० सी० शर्मा : प्रश्न मुख्यतया अभाव वाले क्षेत्रों के बारे में है। अतः मेरा प्रश्न है कि भारत सरकार यह जानने के लिये, कि विशिष्ट क्षेत्र अभाव वाला क्षेत्र है, किस कसौटी को अपनाती है। श्रीमान्, मैं यही जानना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या माननीय सदस्य का यह कथन है कि ये अभाव-ग्रस्त क्षेत्र नहीं हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : यह उनका कथन है।

श्री टी० एन० सिंह : क्या मैं पूछ सकता हूं कि सरकार ने विभिन्न प्रान्तों में नल-कूपों के लिये सहायता कब दी ? क्या इस क्षेत्र के दावे पर भी विचार किया गया, अथवा इस क्षेत्र को नल-कूप निर्माण के लिए अनुपयुक्त समझा गया ? इन दो जिलों में नल-कूपों की मंजूरी न देने के यथार्थ कारण क्या थे ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : भिन्न भिन्न राज्यों के दावों पर विचार किया जायगा, और यह विभिन्न राज्यों पर छोड़ दिया गया है कि वे अपने अपने राज्यों में कहां पर नल-कूपों को लगाना चाहते हैं।

श्री टी० एन० सिंह : क्या यह सत्य है कि पंजाब सरकार ने इस वर्ष नल-कूपों के लिये मांग नहीं की है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा: उन्होंने मांग की है और हमने उनकी मंजूरी दे दी है। मेरा उत्तर है कि इन दो विशिष्ट जिलों के लिये कोई रकम मंजूर नहीं हुई है। हमने पंजाब के लिए मंजूरी दी है। मैं नल-कूपों की सूची प्रस्तुत कर सकता हूं, जिनकी हमने मंजूरी दी है। हमने इन दो विशिष्ट जिलों के लिए मंजूरी नहीं दी है।

लाला अचिन्त राम : क्या आप पंजाब के उन जिलों की सूची देंगे ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : हमने समराला, पानीपत, कांगड़ा और सोनीपत के लिये मंजूरी दी है। इन सब जिलों में नल-कूप प्रारम्भ हो चुके हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य इस प्रयोजन के लिये जान बूझ कर प्रश्न पर प्रश्न पूछते जा रहे हैं : अनुदान के लिये राज्य सरकार द्वारा प्रार्थना की जाती है, अथवा सिफारिश

की जाती है, और कुछ जिले चुन लिये जाते हैं। आप इन जिलों को दूसरे जिलों की अपेक्षा करके किस कसौटी के आधार पर चुनते हो? यदि माननीय मंत्री इस का उत्तर दे सकें......

श्री किदवई : राज्य सरकार क्षेत्र को चुनती है, और हम जहां इसे उपयुक्त समझते हैं, उनकी योजना को स्वीकार कर लेते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : वे भी प्राथमिकता निश्चित करते हैं?

श्री किदवई : अपने अनुमान के अनुसार।

श्री टी० एन० सिंह : इस प्रश्न के उत्तर में अभी कहा गया था कि राज्य सरकार ने इस क्षेत्र के लिए नल कूप भी मांगे थे। अतः राज्य सरकार ने यही क्षेत्र चुना था।

श्री किदवई : मैं समझता हूं माननीय सदस्य ने उत्तर ठीक तरह से नहीं सुना।

श्री सारंगधर दास : मंत्री महोदय ने कहा था कि इन जिलों के लिए राशियां मंजूर नहीं की गई थीं। इसका अर्थ यह है कि राज्य सरकार ने प्रार्थनापत्र दिया था, किन्तु यह मंजूर नहीं किया गया था।

श्री किदवई : इसका अर्थ यह नहीं था।

लाला अचिन्त राम : उठ --

प्रो० डी० सी० शर्मा : वर्तमान चर्चा को ध्यान में रखते हुए, मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार अब इन कमी वाले क्षेत्रों को कोई विशेष सहायता देगी।

श्री किदवई : राज्य सरकार की प्रार्थना प्राप्त हो जाने के बाद, हम अपने अगले कार्यक्रम में इस पर विचार करेंगे।

लाला अचिन्त राम : क्या ज़िला हिसार भी इस लिस्ट में शामिल है?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : कौन कौन से जिले इस में हैं वह मैंने पढ़ा है।

305 P.S.D.

कर्नल जैदी : क्या कांगड़ा ज़िला में नलकूप लगाना सफल रहेगा?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : यह विशेषज्ञ ही कह सकते हैं।

अनाज पर नियंत्रण

***७८. श्री दाभी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों में १ जनवरी १९५३ के बाद अनाज पर लगे हुए नियन्त्रण को किस प्रकार और किस हद तक ढीला किया गया था;

(ख) विभिन्न राज्यों में अनाजों पर अब किस हद तक और किस प्रकार का नियन्त्रण है;

(ग) क्या यह सत्य है कि सरकार नें राज्य सरकारों को गेहूं पर से नियन्त्रण हटा लेने का परामर्श दिया है;

(घ) यदि हां, तो किन राज्य सरकारों ने इस परामर्श पर अमल किया है; तथा

(ङ) चावल पर वर्तमान नियंत्रण को ढीला करने के सम्बन्ध में सरकार की नीति क्या है?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा) : (क) तथा (ख). दो विवरण सदन पटल पर रखे जाते हैं। पहले में यह बतलाया गया है कि १-१-५३ से अनाजों पर नियन्त्रण किस हद तक ढीला करने दिया गया है और दूसरे में यह कि विभिन्न राज्यों में इस समय किस प्रकार का और किस हद तक नियन्त्रण है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ७]**

(ग) जी हां, केवल दिल्ली को छोड़ कर।

(घ) बम्बई, मध्य प्रदेश, पंजाब, भोपाल, अजमेर, आसाम, विन्ध्य प्रदेश, मद्रास और पश्चिमी बंगाल।

(ङ) चावल पर वर्तमान नियन्त्रण को और ढीला करने के प्रश्न पर तब विचार किया जायेगा, जब १९५३-५४ की चावल की फसल की स्थिति का अनुमान तैयार हो जायेगा।

श्री दाभी : मैं जान सकता हूं कि क्या चावल के मामले में भारत अब आत्म-निर्भर है और यदि हां, तो अनुविहित नियन्त्रण हटाने और जहां आवश्यकता हो, वहां उचित मूल्य पर दुकानें खोलने में क्या कठिनाई है?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : भारत इस हद तक आत्म-निर्भर है कि विभिन्न राज्यों को जितना चावल दिया जा रहा है, वह अपने ही संसाधनों में से दिया जा रहा है, इस हद तक नहीं कि यदि चावल के लाने ले जाने पर और अन्य प्रतिबन्धों को हटा दिया जाय, तो सब लोगों को अपेक्षित मात्रा में चावल मिल सकेगा।

श्री दाभी : मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार का बम्बई राज्य सरकार को यह परामर्श देने का विचार है कि एक लाख से कम जनसंख्या वाले नगरों में अनाज पर नियन्त्रण ढीला कर दिया जाय?

श्री किदवई : बम्बई सरकार ने गत वर्ष ही नियन्त्रण कुछ ढीला कर दिया था। यदि महाराष्ट्र में वर्षा कम न होती, तो वह इसे और भी ढीला कर देती। इस वर्ष स्थिति में सुधार करने के लिये जो कुछ भी हो सकेगा किया जायेगा।

श्री वेलायुधन : मैं जान सकता हूं कि क्या उन राज्यों में जहां नियन्त्रण हटा लिया गया है, इसे हटाने के बाद, खाद्यान्न के मूल्यों में कुछ वृद्धि हुई थी?

श्री किदवई : कुछ क्षेत्रों में वृद्धि हुई थी; किन्तु अधिकतर क्षेत्रों में कमी हुई थी।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : क्या मैं जान सकती हूं कि हाल में पश्चिमी बंगाल में कितने क्षेत्रों को संशोधित राशनिंग के अधीन लाया गया है और इसका कारण क्या है?

श्री किदवई : मेरे पास जानकारी नहीं है किन्तु मैं इतना जानता हूं कि कुछ क्षेत्रों में संशोधित राशनिंग के लिए उन्होंने हम से कुछ गेहूं मांगा था।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : मेरा प्रश्न यह था कि अपनियन्त्रण करने के बदले कितने क्षेत्रों को संशोधित राशनिंग के अधीन लाया गया है और इसके कारण क्या हैं?

श्री किदवई : मैं ठीक ठीक नहीं जानता कि किन क्षेत्रों में संशोधित राशनिंग पुनः जारी की गई है।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : क्या मैं जान सकता हूं कि इस बात को ध्यान में रखते हुए कि नियन्त्रण क्रमशः ढीले किये जा रहे हैं, क्या सरकार का अगली फसल के मौसम में खाद्यान्न का समाहार करने का विचार है?

श्री किदवई : जब हमें यह ज्ञात हो जायेगा कि अगली फसल कैसी है, तब हम ठीक ठीक बता सकेंगे कि स्थिति कैसी है।

श्री नानादास : मैं जान सकता हूं कि मद्रास राज्य में चावल के बारे में क्या स्थिति है? क्या अपनियन्त्रण के बाद मूल्य बढ़े हैं या कम हो गये हैं?

श्री किदवई : यह तो इस बात पर निर्भर है कि तुलना कैसे की जाती है। यदि आप राशनिंग के मूल्यों के साथ इन की तुलना करें, तो इन में वृद्धि हुई है। किन्तु यदि आप उन क्षेत्रों में प्रचलित मूल्यों के साथ इन की तुलना

करें, जिन में राशनिंग नहीं थी, तब इन में कमी हुई है।

श्री अच्युतन : क्या यह सत्य नहीं है कि त्रावणकोर-कोचीन में नियन्त्रण के पश्चात् धान के मूल्य काले बाज़ार के मूल्यों से दो या तीन गुना बढ़ गये हैं ?

श्री किदवई : त्रावणकोर-कोचीन में नियन्त्रण ढीला हुआ ही नहीं। इस वर्ष एक क्षत्र में वर्षा नहीं हुई और चूंकि वहां मूल्य बहुत अधिक थे, इस लिए सरकार को पहली बार वहां राशनिंग शुरू करना पड़ा था।

श्री आर० के० चौधरी: नियन्त्रण हटाने के बाद किन क्षेत्रों में मूल्य वास्तव में बढ़ गये हैं ?

श्री किदवई : मद्रास राज्य के कुछ क्षेत्रों में।

श्री बी० एस० मूर्ति : मैं जान सकता हूं कि क्या मद्रास सरकार द्वारा किये गये समाहार के कारण सरकार ज़िलों के अतिरेक वाले क्षेत्रों में धान के मूल्य बढ़ गये हैं ?

श्री किदवई : माननीय सदस्य समाहार चाहते हैं। समाहार करने से खुले बाज़ार मूल्य स्वाभाविकतया बढ़ जायेंगे। यदि सरकार कम मूल्य पर बड़े पैमाने पर कुछ समाहार करे, तो शेष धान के मूल्य बढ़ जायेंगे।

बर्मा के साथ व्यापार-करार

*८०. **श्री के० पी० सिन्हा** : (क) क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि बर्मा की सरकार ने भारत के साथ एक दीर्घकालीन व्यापार समझौता करने के लिये एक व्यापार प्रतिनिधि मंडल यहां भेजा है ?

(ख) क्या भारत सरकार बर्मा से वस्तु विनिमय के आधार पर चावल लेने में सफल हुई है ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा) : (क) हां, श्रीमान्।

(ख) भारत को अब अधिक चावल की आवश्यकता नहीं है, परन्तु भविष्य में बर्मा सरकार भारत सरकार को उसकी आवश्यकता के अनुसार चावल देगी।

श्री के० पी० सिन्हा : मैं जान सकता हूं कि क्या विनिमय समझौते के अन्तर्गत चावल का परिमाण निश्चित किया गया है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : विनिमय की कोई व्यवस्था नहीं की गई।

श्री टी० एन० सिंह : समाचार पत्रों में पहले यह कहा गया था कि बर्मा और भारत के बीच एक समझौता हुआ है; बाद में ये समाचार छपे कि ऐसा कोई समझौता नहीं हुआ और बर्मा अब कोई चावल नहीं देगा। इन परस्पर विरोधी समाचारों में से सच्ची कौन सी है ?

श्री किदवई : कोई विनिमय समझौता नहीं हुआ। ऐसा कोई समझौता करने से पहले ही हम १,५०,००० टन चावल खरीद चुके थे। बर्मा सरकार हमारे आगे के क्रय के लिए विनिमय समझौता करने के लिए तैयार थी, परन्तु चूंकि इस वर्ष हमारा और चावल खरीदने का विचार नहीं था, इसलिए जो कुछ भी बर्मा सरकार चाहती थी, वह उसे बिना किसी विनिमय के दिया गया है। जहां तक भविष्य में किये जाने वाले संभरण का सम्बन्ध है, बर्मा सरकार ने हमें आश्वासन दिया है कि वह ५ लाख टन चावल सुरक्षित रखेगी और आवश्यकता के समय हम जितना चाहेंगे, उतना हमें देगी। मूल्यों का निर्णय उसी समय किया जायेगा।

श्री टी० एन० सिंह : क्या यह सत्य है कि भारत ने बर्मा को विनिमय में जो वस्तुएं पेश की थीं, उन के मूल्य अधिक थे ?

श्री किदवई : यह सत्य नहीं है।

श्री हेडा : क्या हम जान सकते हैं कि पिछली बार बर्मा किस लाभप्रद मूल्य पर हमें चावल देने के लिए तैयार था ?

श्री किदवई : मैंने कहा था कि बर्मा सरकार ने सरकारों के बीच व्यापार में, ६० पौंड प्रति टन का अन्तिम मूल्य बतलाया था।

श्री हेडा : क्या उसने यह मूल्य ६० पौंड से घटा कर ५० पौंड नहीं कर दिया था।

श्री किदवई : यह ५० पौंड कर दिया गया था; इसी मूल्य पर चीन ने भी हमें ५०,००० टन चावल देने की पेशकश की थी। चूंकि हमें तत्काल चावल की आवश्यकता नहीं थी, हम ने मूल्यों को कम करने के लिये कोई बातचीत नहीं की थी।

श्री बी० एस० मूर्त्ति : मैं जान सकता हूं कि क्या मद्रास राज्य की किन्हीं निजी फर्मों ने बर्मा और चीन से चावल संभरित करने की पेशकश की थी और यदि हां, तो इन निजी फर्मों ने जिन मूल्यों की पेशकश की थी, वे बर्मा सरकार द्वारा प्रस्तावित मूल्यों की तुलना में कैसे हैं ?

श्री किदवई : यह बार बार कहा गया था और मैंने कहा है कि जो भी इस से कम मूल्य पर चावल देने के लिये तैयार हो, वह दे सकता है। परन्तु वे बर्मा या चीन से कम मूल्य पर चावल नहीं ले सके। वास्तव में सरकार को बर्मा सरकार से जिस मूल्य पर चावल मिल सकता है, वह व्यापारियों द्वारा दिये जाने वाले मूल्य से कम है।

सिंगल चैनल कैरियर टेलीफोन व्यवस्था

***८१. सरदार ए० एस० सहगल** : (क) क्या **संचरण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या "सिंगल चैनल कैरियर टेलीफोन व्यवस्था" के निर्माण तथा विकास से संचार इंजीनियरिंग के क्षेत्र में प्रगति हुई है ?

(ख) क्या दुरावर्नी नगर, बंगलौर के टेलीफोन के कारखाने में बनाये जाने वाले इन उपकरणों में स्वदेश सामग्री का प्रयोग किया जायेगा ?

(ग) क्या कारखाने में इन उपकरणों का बड़े पैमाने पर निर्माण करने के लिए योजनाओं को अन्तिम रूप दे दिया गया है ?

(घ) जितने उपकरणों की हमें आवश्यकता है, उस की अधिक मात्रा कितने वर्षों में इस कारखाने में तैयार हो सकेगी ?

(ङ) देश की आवश्यकतायें पूरी करने के बाद, क्या सीलोन और बर्मा को टेलीफोन निर्यात करने की योजनायें हैं ?

(च) क्या ये उपकरण विश्व की अन्य मंडियों में भेजने का प्रयत्न किया जायेगा ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) हां, श्रीमान्।

(ख) जहां तक सम्भव है, स्वदेशी सामग्री का प्रयोग किया जाता है, किन्तु ५० से ६० प्रति शत तक कच्ची सामग्री आयात करनी पड़ती है।

(ग) जी हां, सिंगल चैनल कैरियर व्यवस्था का निर्माण शुरु हो चुका है और चालू वित्तीय वर्ष में ऐसे ३० उपकरणों के तैयार हो जाने की आशा है। ३ चैनल और १२ चैनल कैरियर व्यवस्था का उत्पादन शुरू करने के लिए आवश्यक मशीनरी तथा उपकरणों के आयात की योजनाएं तैयार कर ली गई हैं।

(घ) सिंगल चैनल कैरियर व्यवस्था अब तैयार की जा रही है। ३ चैनल कैरियर व्यवस्था का विकास हो रहा है। ३ से ४ वर्ष की अवधि में आवश्यकता पूरी हो सकेगी।

(ङ) भारत सरकार और आटोमैटिक टेलीफोन एंड इलैक्ट्रिक कम्पनी, लि० लिवर-पूल के बीच समझौते के अन्तर्गत, भारत में तैयार किये गये टेलीफोन उपकरण पाकिस्तान, बर्मा और सीलोन को बेचे जा सकते हैं। जो सामान भारत की आवश्यकताएं पूरा करने के बाद बच जायेगा उन देशों को निर्यात किया जायेगा, जो इसे हम से खरीदने के लिए तैयार होंगे ।

(च) अपनी आवश्यकताएं पूरी करने के बाद, पड़ोसी देशों को टेलीफोन का सामान निर्यात करने की संभाव्यता पर विचार किया जायेगा ।

सरदार ए० एस० सहगल: क्या मैं जान सकता हूं कि कितने देशों ने सिंगल चैनल कैरियर टेलीफोन व्यवस्था के लिए आर्डर दिए हैं ?

श्री राज बहादुर: इस का कोई प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि हमें अपनी आवश्यकताएं पूरी करनी हैं। माननीय सदस्य की जानकारी के लिए मैं यह भी बतला देना चाहूंगा कि गत फरवरी में इन्डोनीशियन प्रतिनिधिमंडल ने हमारे भारतीय टेलीफोन उद्योग का दौरा किया था और उस ने प्रार्थना की थी कि इन्डोनीशिया को टेलीफ़ोन निर्यात करने के लिए एक सौदा किया जाये । दी इंडियन टेलीफ़ोन उद्योग, लि०, बंगलोर ने कहा है कि उसे इस पर कोई आपत्ति नहीं है ।

सेठ गोविन्द दास: माननीय मंत्री जी ने अभी यह कहा कि ५० से ६० प्रतिशत सामान हम को अभी भी बाहर से मंगाना पड़ता है । क्या वह यह बतलाने की कृपा करेंगे कि कितने दिनों के अन्दर यह सारा सामान भारतवर्ष में बन जाने की आशा है ?

श्री राज बहादुर: रा मैटीरियल मंगाया जाता है, कच्चा सामान मंगाया जाता है और शेष जो बनता है वह यहीं फैक्टरी में बनता है ।

सेठ गोविन्द दास: जो कच्चा सामान मंगाया जाता है क्या वह हमेशा मंगाना पड़ेगा या वह यहीं भी बन सकेगा ?

श्री राज बहादुर: यह प्रश्न उद्योग तथा व्यवसाय के मंत्री से पूछा जा सकता है।

श्री टी० एन० सिंह: मैं जानना चाहता हूं कि कौन सा ऐसा कच्चा सामान है जो यहां हिन्दुस्तान में पैदा नहीं होता ?

श्री राज बहादुर: वह सामान जो यहां नहीं बन सकता है जैसे स्पेशल मैगनेटिक कोर्ज़ रैक्टीफाइर यूनिट, कार्बन रीसिस्टर, थिन गाज़ तारें, इलैक्ट्रोलिटिक और पेपर कन्डेन्सर इत्यादि ।

चाय बाग़ों में स्त्रियों की भर्ती

***८२. श्रीमती रेणु चक्रवर्ती:** (क) क्या श्रम मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का ध्यान श्री यू० के० गोहायन, आसाम औद्योगिक न्यायाधिकरण के न्यायाधीश के हाल के इस निर्णय की ओर दिलाया गया है कि यद्यपि चाय बाग में काम करने वाली किसी स्त्री ने स्वयं कोई गलत काम न किया हो फिर भी उस के पति के गलत कामों के कारण उस की नौकरी को समाप्त किया जा सकता है ?

(ख) यदि हां, तो क्या यह निर्णय संविधान में प्रत्याभूत मूल अधिकारों और स्त्री पुरुष में समानता के अनुकूल है ?

(ग) यदि नहीं, तो इस विषय में सरकार का क्या पग उठाने का विचार है ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि): (क) जी हां । श्री यू० के० गोहायन ने अपने पंचाटों में आसाम के चाय बागों में काम करने वाली स्त्रियों के पतियों के निकाले जाने के बाद

स्त्रियों को भी नौकरी से अलग कर देने को भी ठीक माना है।

(ख) तथा (ग). मैं माननीय सदस्य का ध्यान श्रम उपमंत्री द्वारा दिये गये उन अनुपूरक प्रश्नों के उत्तरों की ओर दिलाता हूं, जो कि १८ दिसम्बर, १९५२ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १२९१ के बाद पूछे गये थे।

श्रम संघों ने श्री गोहायन के पंचाटों के विरुद्ध अपीलें दायर की हैं और श्रम अपील न्यायाधिकरण के निर्णय की प्रतीक्षा की जा रही है। इस बीच, केन्द्रीय सरकार अपील न्यायाधिकरण के समक्ष उपस्थित अपील में हस्तक्षेप कर रही है।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : श्री आबिद अली ने १८ दिसम्बर, १९५२ को तारांकित प्रश्न संख्या १२९१ के उत्तर में कहा था कि मालिकों पर मुकद्दमा चलाने की आज्ञा जारी कर दी गई है। मैं यह जानना चाहती हूं कि इस सम्बन्ध में क्या किया गया है।

श्री वी० वी० गिरि : मालिकों पर किस बात के लिए मुकद्दमा चलाने की आज्ञा ?

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : मैं आप का ध्यान श्री आबिद अली के उस उत्तर की ओर दिलाती हूं जिस में.........

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य सदा अध्यक्ष को सम्बोधित करें।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : यह कहा गया है कि चाय उद्यानों के मालिकों पर मुकद्दमा चलाने की आज्ञा दे दी गई है। मैं यह जानना चाहती हूं कि इस सम्बन्ध में क्या किया गया है।

श्री वी० वी० गिरि : तो मुकद्दमा चलाने का काम शुरू हो गया होगा, मैं ठीक ठीक जानकारी प्राप्त करूंगा और माननीय सदस्या को बता दूंगा।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : श्रीमान्, क्या मैं यह पूछ सकती हूं कि इन भेदभावपूर्ण बातों के जारी रहते हुए सरकार ने उन्हें रोकने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

श्री वी० वी० गिरि : हम अपील के फल की प्रतीक्षा में हैं। अभी निर्णय नहीं दिया गया। हम उस की प्रतीक्षा कर रहे हैं और जैसी कार्यवाही आवश्यक होगी, की जायगी।

श्री वेलायुधन : श्रीमान्, क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि कितनी स्त्रियों को, उन के पतियों के गलत कामों के कारण नौकरी से जवाब दे दिया गया ?

श्री वी० वी० गिरि : बहुत ही कम।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : श्रीमान्, क्या मैं यह पूछ सकती हूं कि सरकार इस मामले में मूल अधिकारों का उल्लंघन कैसे करने देती है ?

श्री वी० वी० गिरि : सरकार चाहती है कि मूल अधिकारों का उल्लंघन बिल्कुल न हो।

श्री एच० एन० शास्त्री : श्रीमान्, क्या मैं यह पूछ सकता हूं..........

श्री आर० के० चौधरी : एक औचित्य प्रश्न है, श्रीमान्। एक महिला सदस्य ने प्रश्न पूछा और उस प्रश्न के पूरा होने से पहले ही एक अन्य सदस्य को प्रश्न पूछने की अनुमति दी गई।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न का उत्तर दिया गया था। माननीय सदस्य ने ध्यान नहीं दिया।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : श्रीमान्, क्या मेरे प्रश्न का उत्तर मिलेगा ?

श्री एच० एन० शास्त्री : श्रीमान्, क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि अपील न्यायाधिकरण द्वारा अपना निर्णय देने में इतनी अधिक

देर लगने का क्या कारण है और क्या सरकार इस सम्बन्ध में जल्दी निर्णय दिये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही करेगी ?

श्री वी० वी० गिरि : अवश्य हम अपील न्यायाधिकरण को सुझाव देंगे कि इस मामले को शीघ्र निपटाए ।

श्री एच० एन० मुकर्जी : मेरा एक औचित्य प्रश्न है, महोदय । मुझे याद है कि आप ने कहा था कि जब मंत्री गण आसानी से किसी प्रश्न का सार बता सकें तो उन्हें यह नहीं कहना चाहिए कि अमुक तिथि के अमुक प्रश्न के अमुक उत्तर की ओर निर्देश कीजिए । प्रधान मंत्री ने भी यही कहा था जब कि अध्यक्ष पद से यह निर्णय दिया गया था । क्या किसी मंत्री के लिए अमुक तिथि के अमुक प्रश्न के अमुक उत्तर की ओर निर्देश कर के सदन को भूल भुलयों में डालना उचित है ?

श्री वी० वी० गिरि : मूल प्रश्न तथा उत्तर सदन पटल पर रख दिए गए हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री मुकर्जी ने जो कुछ कहा है, उस के सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि साधारणतया ऐसे उत्तर को दोहराने का कोई लाभ नहीं जो उसी सत्र में दिया गया हो । परन्तु यदि यह प्रश्न किसी पहले सत्र में पूछा गया हो, तो जहां तक सम्भव हो––यदि यह उत्तर छोटा सा हो––उसे प्रस्तुत उत्तर में ही मिला दिया करें ; परन्तु यदि उत्तर लम्बा हो तो उसे सदन पटल पर रख दिया जाय ।

श्री वी० वी० गिरि : यह उत्तर लम्बा है, इसलिए इसे सदन पटल पर रख दिया गया है ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य इस बात का भी ध्यान रखें कि नोटिस बोर्ड पर यह पहले ही लिखा रहता है कि पहले क्या उत्तर दिये जा चुके हैं । वे माननीय सदस्यों को सूचना कार्यालय से मिल सकते हैं । वे वहां जाकर उन्हें देख सकते हैं ।

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : सामने बैठे माननीय सदस्य ने जो कुछ कहा है मैं उस से पूर्णतया सहमत हूं । माननीय सदस्य को यह अवश्य याद रखना चाहिए कि एक ऐसी सरकारी भाषा होती है जो कभी कभी हरेक के समझने की नहीं होती । उदाहरण के लिए कई बार पहला उत्तर दो पंक्तियों का होता है । इस की ओर निर्देश दस पंक्तियों में होगा । दो पंक्तियों में पहला उत्तर दोहरा देना अतीव सरल होगा परन्तु यह बड़ी पुरानी रुढ़ि चली आती है कि जो बात दो पंक्तियों में कही जा सकती हो, दस पंक्तियों में कही जायें ।

डा० एन० बी० खरे : इस लोकतन्त्रवादी सरकार को ऐसी नौकरशाही की रूढ़ियां बहुत पहिले छोड़ देनी चाहिए थीं ।

रायगुड़ा में चीनी का कारखाना

*८४. **श्री संगण्णा :** (क) क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि रायगुड़ा (उड़ीसा) में स्थित चीनी के कारखाने के प्रबन्धकों ने भारत सरकार से प्रार्थना की है कि उन्हें वहां पर अपना कारखाना बन्द करने और उसकी मशीनें प्रस्तावित आन्ध्र राज्य में किसी स्थान पर ले जाने की अनुमति दी जाय ?

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ?

(ग) क्या इस सम्बन्ध में उड़ीसा सरकार से सलाह ली गई है ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा) : (क) जी नहीं । परन्तु जयपुर शूगर, कम्पनी, लिमिटिड, रायगुड़ा की साथी कम्पनी मैसर्स चाल्लापल्ली शूगर्स, लिमिटिड, मद्रास ने वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय से प्रार्थना की है कि उन्हें रायगुड़ा से मशीनें ला कर चाल्लापल्ली में चीनी का कारखाना स्थापित करने का लाइसेंस दिया जाय ।

(ख) रायगुड़ा में कारखाने के प्रबन्धकों से पूछताछ करने पर पता चला है कि उन्हों ने अपनी सारी मशीनें मैसर्स चाल्लापल्ली शूगर्स लिमिटिड को बेचने का प्रबन्ध किया है क्योंकि कारखाना जहां पर स्थित है वहां गन्ना काफ़ी मात्रा में नहीं मिलता, अच्छे प्रकार का नहीं और वहां की मशीन से, जिस में केवल ३०० टन चीनी तैयार की जा सकती है, तब तक लाभ नहीं उठाया जा सकता जब तक कि वह किसी अन्य स्थान पर न ले जायी जाय और उस की उत्पादन शक्ति न बढ़ा दी जाय ।

(ग) जी हां ।

श्री संगण्णा : श्रीमान् । क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि इन मशीनों को ऐसी मशीनें बनाने की प्रस्थापना है जिन से ग्लूकोज़ तैयार किया जा सकता हो ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : ये मशीनें नहीं श्रीमान् । जिस कम्पनी ने अपनी मशीनें दूसरे स्थान पर ले जाने की अनुमति मांगी है, उस ने कहा है कि वर्तमान कारखाने में काम करने वालों को अन्य काम देने के लिए वह ग्लूकोज़ तैयार करने का कारखाना खोलने को तैयार है ।

श्री संगण्णा : श्रीमान्, क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि इस कारखाने को चालू होने के बाद से लाभ होता रहा है या हानि ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : यह मैं नहीं कह सकता परन्तु उन का कहना है कि इसे दूसरे स्थान पर ले जा कर ही आर्थिक ढंग से चलाया जा सकता है । उन का कहना है कि कारखाने के वर्तमान स्थान पर गन्ना पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलता, अच्छा गन्ना नहीं मिलता, इत्यादि ।

श्री संगण्णा : इस कारखाने की चालू पूंजी कितनी है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : यह आंकड़े मेरे पास नहीं हैं, परन्तु यदि माननीय सदस्य चाहें तो मैं उन्हें बता सकता हूं ।

श्री के० सुब्रह्मण्यम् : श्रीमान्, क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि उपरोक्त कारखाने के प्रबन्धकों ने यह आश्वासन दिया है कि सारे मज़दूरों को ग्लूकोज़ के प्रस्तावित कारखाने में काम पर लगा दिया जायगा ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : जी, हां । उनका कहना है कि वे वर्तमान स्थान पर काम करने वाले सभी मज़दूरों को काम पर लगा सकेंगे ।

श्री बी० सी० दास : क्या सरकार को मालूम है कि रायगुड़ा का चीनी का कारखाना उड़ीसा में केवल मात्र चीनी का कारखाना है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : इसी कारण से उस कम्पनी को कारखाना दूसरे स्थान पर ले जाने की अनुमति नहीं दी गई । उड़ीसा सरकार ने यह आपत्ति की थी कि राज्य में यह एक ही चीनी का कारखाना है ।

श्री बी० सी० दास : क्या सरकार ने इस बात का भी ध्यान रखा है कि इस कारखाने के वहां से दूसरे स्थान पर ले जाने के फलस्वरूप उस क्षेत्र में गन्ना उगाने वालों पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : जी, हां । हम ने यह सारी बातें सोच ली थीं ।

श्री वैलायुधन : श्रीमान्, क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि किसी अन्य राज्य द्वारा भी चीनी के कारखानों को हटाने की अनुमति इस आधार पर मांगी गई है कि उन के चालू रखने में लाभ नहीं होता ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : राज्य द्वारा नहीं वरन् चीनी के कई कारखानों द्वारा ।

चीनी के मूल्यों में वृद्धि

*८५. **श्री झूलन सिन्हा :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) मई १९५३ में केन्द्र सरकार ने भारत के चीनी निर्माताओं को, चीनी के मूल्यों में वृद्धि के सम्बन्ध में जो चेतावनी दी थी, उस का क्या फल हुआ और केन्द्रीय सरकार ने चीनी के दामों को बढ़ने से रोकने के लिए और क्या कार्यवाही की है ; और

(ख) मई १९५३ के पहले सप्ताह और जुलाई, १९५३ के अन्तिम सप्ताह में दिल्ली और पटना में चीनी का थोक भाव क्या था ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा) : (क) चीनी निर्माताओं को दी गई चेतावनी से जो फल निकलना चाहिए था, नहीं निकला। इसलिएं सरकार ने यह निश्चय किया कि (१) चीनी की विशेष गाड़ियां चलाने का प्रबन्ध कर के बड़ी बड़ी मण्डियों में चीनी अधिक मात्रा में भेजी जाय ; (२) राज्य सरकारों तथा दूसरी एजेंसियों को सस्ते दामों पर बेचने वाली दुकानों द्वारा बेचने के लिए कारखानों के रक्षित स्टाक में से, कारखाने से बाहर संविहित मूल्य अर्थात २७) प्रति मन के हिसाब से चीनी दी जाय; और (३) चीनी को अनुचित लाभ कमाने के उद्देश्य से छिपा रखने की प्रवृत्ति को रोकने के लिए विदेशों से चीनी मंगाई जाय। इस कार्यवाही के फलस्वरूप देश की विभिन्न मंडियों में चीनी के दामों में १ रुपये से २ रुपये प्रतिमन तक कमी हो गई।

(ख) दिल्ली तथा पटना में मई, १९५३ के पहले सप्ताह तथा जुलाई १९५३ के अन्तिम सप्ताह में चीनी के औसत थोक मूल्य क्रमानुसार ३३ रुपये चार आने प्रति मन ३२ रुपये प्रति मन, ३० रुपये ८ आने प्रति मन और २९ रुपये १२ आने प्रति मन थे।

श्री झूलन सिन्हा : श्रीमान्, क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि जो कुछ भी किया गया है, उस के बावजूद बाजार में दो मूल्य हैं और दोनों में दो रुपये प्रति मन तक का अन्तर है।

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : श्रीमान्, एक चीनी दूसरी से अच्छी किस्म की है तो उस का मूल्य अधिक होगा।

श्री झूलन सिन्हा : मैं उत्तर को समझ नहीं सका।

उपाध्यक्ष महोदय : भिन्न प्रकार की चीनी के मूल्य भिन्न हैं।

श्री नानादास : श्रीमान्, क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि हम चीनी की कमी के कारण विदेशों से चीनी मंगा रहे हैं या कि प्रस्तुत मूल्यों को गिराने के लिये ?

श्री किदवई : पिछले साल की काफी चीनी अर्थात् ५ लाख टन चीनी बची पड़ी है। इस वर्ष भी उत्पादन औसत से अधिक था; चाहे पिछले वर्ष की तुलना में कुछ कम ही था। इसलिए हमारा विचार था कि १८ लाख टन चीनी काफी से अधिक होगी। परन्तु दक्षिण में गुड़ का मूल्य बढ़ जाने से वहां गुड़ का मूल्य बढ़ कर २८ रुपये मन तक पहुंच गया —— चीनी की अधिक खपत हुई और हम ने देखा कि इस वर्ष चीनी में पिछले वर्ष की अपेक्षा कम पूंजी लगाई गई है। इसलिए हमारा विचार है कि चीनी की खपत बढ़ी है उसे लाभ के लिए छिपा रखने की प्रवृत्ति नहीं बढ़ी।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

मलाया प्रवेश पर निर्बन्धन

*१. **श्री एम० एल० द्विवेदी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या प्रव्रजन के उपनिवेश नियंत्रक श्री जे० एल० जे० हक्सवर्थ द्वारा दिनांक २७ मार्च, १९५३ को सिंगापुर में घोषित प्रव्रजन अध्यादेश के अनुसार राष्ट्र मंडलीय नागरिकों और विशेषतः भारतीयों पर मलाया प्रवेश के सम्बंध में लगाये जाने वाले निर्बन्धनों के विषय में भारत सरकार ने कोई कार्यवाही की है ; और

(ख) क्या सरकार उन कारणों से अवगत है जिनके आधार पर मलाया प्रवेश के विषय में मुख्य रूप से भारतीयों का उल्लेख करते हुए उक्त अध्यादेश निकालने की आवश्यकता अनुभव की गई है और यदि सरकार तथ्यों से परिचित है तो वे क्या हैं ?

वैदेशिक कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : (क) मलाया में रहने वाले भारतीयों के समुचित हितों की रक्षा के लिये समस्त सम्भव कार्यवाही की जा रही है । इस वर्ष एक अगस्त से सिंगापुर उपनिवेश और मलाया संघ सरकार द्वारा लागू किये जाने वाले प्रव्रजन अध्यादेश के अन्तर्गत नवीन प्रवेश करने वाले व्यक्तियों को जो कठिनाइयां अनुभव होने की सम्भावना है उनकी ओर भी मलाया के अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया गया है । स्थानीय भारतीय वाणिज्य परिषद् की विचार धारा मालूम करने के पश्चात इस विषय पर आगे कार्यवाही की जायेगी ।

(ख) यह अध्यादेश केवल भारतीय नागरिकों पर ही लागू नहीं है अपितु ब्रिटेन और अन्य उपनिवेशों के साथ ही सभी राष्ट्र मंडलीय देशों के समस्त नागरिक इसके अन्तर्गत हैं, जहां तक भारत सरकार को मालूम है प्रायद्वीप की उपनिवेश सरकार ने स्थायी निवासियों के हित की दृष्टि से यह व्यापक निर्बन्धन लागू करना आवश्यक समझा है । स्थायी निवासियों में भारतीय भी सम्मिलित हैं ।

भारत में से हो कर वैदेशिक व्यापार

*२. **डा० एम० एम० दास :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) वे देश जिनकी वैदेशिक व्यापार की वस्तुएं भारत में होकर जाती हैं ;

(ख) क्या उक्त पदार्थों का भारतीय राज्य क्षेत्र में से गुजरना सम्बंधित विदेशों से किसी करार द्वारा विनियंत्रित है ; और

(ग) क्या दूसरे देशों की व्यापार वस्तुओं को मार्ग देने के बदले भारत को वित्तीय अथवा अन्य किसी रूप में लाभ होता है ?

वैदेशिक कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : (क) से (ग). जानकारी संग्रहीत की जा रही है और जिस समय, जितनी सीमा तक वह उपलब्ध होगी, सदन पटल पर रख दी जायेगी ।

कर्टिस कमाडोस तथा पुर्जों का विक्रय

*३. **डा० एम० एम० दास :** क्या **निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सत्तर कर्टिस कमांडोस तथा उनके पुर्जों के विक्रय के सम्बन्ध में संविदे को अंतिम रूप दे दिया गया है ;

(ख) यदि उक्त तथ्य सही है तो क्या पुर्जों का निर्यात प्रारम्भ हो गया है ;

(ग) क्या यह सच है कि विक्रय के संविदे में वायुयान और उनके पुर्जों के निर्यात पर चालू प्रतिबंधों में छूट दे दी गई

है ताकि खरीदने वाली सार्थ उन्हें इस देश से बाहर ले जाने में समर्थ हो सके ;

(घ) इस संविदे में कुल कितनी राशि अंतर्ग्रस्त है ; और

(ङ) संविदाकारी सार्थ की कुल प्राप्त पूंजी कितनी है ?

निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद उप-मंत्री (श्री बुरागोहिन): (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) नहीं, श्रीमान् । निर्यात लगभग अगस्त के अन्त अथवा सितम्बर के प्रारम्भ में किया जाने की आशा है ।

(ग) हां, श्रीमान् खरीदने वाला समस्त सत्तर वायुयान और उनके पुर्जों के निर्यात के विषय में स्वतंत्र है ।

(घ) संविदे में अंतर्ग्रस्त कुल राशि अर्थात वायुयान और उनके पुर्जों का विक्रय मूल्य ५९ लाख रु० है । इसमें से ६,५७,६२५ रु० सरकार के पास साई के 'बतौर' जमा है और संविदाकारी सार्थ ने इम्पीरियल बैंक आफ इण्डिया के नाम ३३,०४,००० रु० का एक साख पत्र लिख दिया है और नव्वे प्रतिशत पुर्जों के निर्यात के लिये जहाज में लादे जा चुकने पर उसका भुगतान हो सकेगा ।

(ङ) यह मालूम कर लिया गया है कि प्राप्त पूंजी ५०,००० रु० है ।

रेशम के कीड़े पालने का उद्योग

*४. **डा० एम० एम० दास:** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा किसी भी राज्य सरकार को रेशम के कीड़े पालने के उद्योग के विकास के लिये किसी प्रकार का विशेष अनुदान दिया गया है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : केन्द्रीय सरकार केन्द्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम, १९४८ के अन्तर्गत भारत में रेशम के कीड़े पालने के उद्योग की सहायता और विकास की दृष्टि से १९४८ में स्थापित केन्द्रीय रेशम बोर्ड को एक राशि अनुदान देती रही है । फिर बोर्ड विभिन्न राज्य सरकारों को रेशम के कीड़े पालने के उद्योग से सम्बधित योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिये सहायता अनुदान देता है । इन अनुदानों के विवरण सदन पटल पर रखे जाते हैं । [देखिये **परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ८**]

भारत और पाकिस्तान के परस्पर सम्बन्धों में सुधार

*५. **श्री एच० एन० मुकर्जी:** (क) क्या **प्रधान मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि पश्चिमी बंगाल विधान सभा द्वारा दिनांक २७ अप्रैल, १९५३ को भारत और पाकिस्तान के सम्बन्धों में सुधार करने के लिये उपाय और साधन ढूंढने और दोनों देशों में सद्भावना मंडलों आदि के विनिमय के लिये अनुरोध करने का जो संकल्प पारित किया गया था, क्या भारत सरकार को वह प्राप्त हो गया है ?

(ख) इस संकल्प पर भारत सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा): (क) हां ।

(ख) भारत सरकार भारत और पाकिस्तान के परस्पर संबन्धों में सुधार करने के लिये अनवरत रूप से प्रयत्नशील है । पश्चिमी बंगाल विधान सभा द्वारा उक्त संकल्प पारित किये जाने के पूर्व भी प्रमुख समस्याओं पर विचार करने के लिये भारत और पास्कितान की सरकारें एक प्रक्रिया पर सहमत हो गई थीं । गत २३ मई १९५३ को एक संयुक्त विज्ञप्ति प्रसारित की गई थी और प्रत्येक सरकार ने इस कार्य में सहायता देने के लिये एक कार्य-संचालन

समिति नियुक्त की। ये समितियां पिछले महीने करांची में समवेत हुई थीं।

पारपत्र और दृष्टांकपद्धति पर विगत जनवरी में दिल्ली के भारत-पाकिस्तान पारपत्र सम्मेलन में विचार किया गया था। सम्मेलन के निर्णयों का दोनों सरकारों ने जुलाई में अनुसमर्थन कर दिया था।

जैसा कि सदन को मालूम है हमारे प्रधान मंत्री जुलाई के अन्तिम सप्ताह में कराची गये थे और वहां उन्हों ने पाकिस्तान के प्रधान मंत्री से चर्चा की थी। बातचीत के दौरान में विभिन्न विषयों पर स्पष्ट एवं सौहार्दपूर्ण रीति से बातचीत की गई।

तदन्तर दोनों सरकारों के ज्येष्ठ पदाधिकारियों ने निष्क्रान्त सम्पत्ति सम्बन्धी समस्याओं पर कराची में विस्तारपूर्वक बातचीत की।

पश्चिमी बंगाल और आसाम से पूर्वी पाकिस्तान और प्रधानतः सम्बन्धित समस्याओं पर विचार करने के लिये कलकत्ता में एक सम्मेलन करने का विचार है।

राज्य कोयला खानों में छंटनी

*६. **श्री युनूस**: (क) क्या **उत्पादन** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि राजकीय कोयला खानों में फरवरी १९५३ से १५ जून, १९५३ तक छंटनी किये गये कर्मचारियों की कुल कितनी संख्या है ?

(ख) क्या यह सच है कि श्रमिक संघ ने सरकार के समक्ष यह अभ्यावेदन प्रस्तुत किया था कि छोड़ दी गई खानों को रेल से समपात करने और नई खानें खोदने से उक्त-उक्त छंटनी सरलतापूर्वक टाली जा सकती थी ?

(ग) यदि यह सही है तो क्या सरकार और अधिक छंटनी को स्थगित कर उक्त प्रस्तावों की सम्भाव्यता के विषय में जांच करेगी।

(घ) क्या छंटनी किये गये मजदूरों और उन के आश्रितों को कोई सहायता दी गई है यदि दी गई है तो क्या ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी): (क) भादुआ कोयला की खान में कोयला निश्शेष हो जाने से उस के बन्द हो जाने के कारण औद्योगिक अधिकरण की अनुमति प्राप्त करने के पश्चात् गिरिदिह में २३१ श्रमिकों की छंटनी कर दी गई। इस के अतिरिक्त ९ अप्रैल, १९५३ को करगली में कोयले की खानों से ८४४ नैमित्तक श्रमिक कार्यमुक्त कर दिये गये।

(ख) हां।

(ग) नहीं। इन प्रस्तावों की संभावना पर सरकार ने पहले से ही ध्यानपूर्वक विचार कर लिया है।

(घ) औद्योगिक अधिकरण की अनुमति प्राप्त कर लेने के पश्चात् गिरिदिह में श्रमिकों की छंटनी की गई है और करगली के श्रमिक विशुद्ध नैमित्तिक थे अतः उन्हें किसी प्रकार की सहायता देने का प्रश्न नहीं उठता है।

वायदे के सौदे (विनियमन) अधिनियम के अन्तर्गत आयोग

*७. **श्री हेडा**: (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या वायदे के सौदे (विनियमन) अधिनियम के अन्तर्गत किसी आयोग की नियुक्ति की गई है ?

(ख) यदि ऐसा किया गया है तो उक्त आयोग के सदस्य कौन कौन हैं ?

(ग) आयोग ने अभी तक क्या काम किया है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी): (क) से (ग). वायदे के सौदों के आयोग की स्थापना की व्यवस्था

लगभग पूर्ण हो चुकी है और मैं शीघ्र ही उस के सदस्यों की नामावलि घोषित करने की आशा करता हूं ।

सिन्दरी कारखाने में अमोनियम सलफेट का स्टाक

***८. श्री टी० के० चौधरी :** (क) क्या **उत्पादन** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि सिंद्री कारखाने में बिना बिके अमोनियम सलफेट की कितनी मात्रा विद्यमान है ?

(ख) क्या १९५२ के उत्पादन का कुछ भाग भी वर्तमान मात्रा में सम्मिलित है ?

(ग) कारखाने का वर्तमान मासिक उत्पादन और प्रतिमास विक्रय हेतु जाने वाली मात्रा कितनी है ?

(घ) अमोनियम सलफेट की मात्रा को निबटाने के लिये वर्तमान में क्या प्रबन्ध है ?

(ङ) अमोनियम सलफेट के इतनी मात्रा में संचित होने के क्या कारण हैं और देहाती क्षेत्रों में उस के विक्रय और वितरण की समुचित व्यवस्था का अभाव इस के लिये कहां तक उत्तरदायी है ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : (क) दिनांक २८ जुलाई, १९५३ को सिन्द्री में अमोनियम सलफेट की संचित मात्रा ४३,११६ टन थी ।

(ख) १९५२ के अन्त में यह मात्रा ५०,८१८ टन थी । यदि सब नहीं तो अधिकांश भाग की इस वर्ष निकासी कर दी गई है ।

(ग) जनवरी १९५३ से मासिक उत्पादन और निकासी का विवरण सदन पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या** ९]

(घ) संचित मात्रा को शीघ्रतापूर्वक निबटाने के उद्देश्य से भारत सरकार ने निम्न उपाय किये हैं :—

(१) १ जनवरी १९५३ से सिन्द्री में उत्पादित अमोनियम सलफेट का थोक मूल्य ३६५ रु० से घटा कर २९० रु० प्रति टन कर दिया गया है ।

(२) राज्य सरकारों को १९५४, जून के अन्त तक लौटा देने के लिये ३.१२५ प्रतिशत सूद की दर से अल्पकालीन ऋण स्वीकृत किया है ताकि वे कृषकों को साख के आधार पर उर्वरक बेच सके ।

(३) परिवहन की सम्भव कठिनाइयों को दूर करने की दृष्टि से अमोनियम सलफेट का निरीक्षण करने और उसे शीघ्रतापूर्वक बाहर भेजने के लिये सिन्द्री में एक उच्च रेल पदाधिकारी नियत किया गया है ।

(४) राज्य सरकारों को १९५३ में लाये गये १९५२ के भंडारों के सम्बन्ध में कुछ छूट दी गई है किन्तु शर्त यह है कि जिन राज्यों को ये आवंटत किये गये हैं वे १९५३ के अपने सारे आवंटन को उठा लें ।

(५) सब राज्य सरकारों से अपने चालू वर्ष के पूरे आवंटनों को उठाने तथा शीघ्र ही सिन्द्री के कारखाने को माल भेजने का अनुदेश देने की प्रार्थना की गई है ।

(ङ) जैसा कि मैं ने दिनांक २५ फरवरी, १९५३ को श्री एन० बी० चौधरी के तारांकित प्रश्न सं० ३५३ के उत्तर में कहा था इस वर्ष के प्रारम्भ में सिन्द्री में संचयन का कारण माल का कम उठना है, इस का उत्तरदायित्व अनेक बातों पर है अर्थात् गत वर्ष के अन्त में केन्द्रीय उर्वरक पुंज के भविष्य के सम्बन्ध में व्याप्त आशंकायें, उर्वरक के मूल्य में कमी की सम्भावना देश के कुछ भागों में वर्षाभाव, देहाती क्षेत्रों में क्रय शक्ति का ह्रास, चाय उद्योग में संकट और परिणामस्वरूप चाय बागानों द्वारा उर्वरक की मांग में कमी ।

इसी समय से सिन्द्री ने लगभग १५०,००० टन अमोनियम सलफेट रवाना कर दिया है और उस के स्टाक में कमी कर दी है ।

कृषकों में उर्वरक वितरण करने का उत्तरदायित्व विभिन्न राज्य सरकारों पर है । भारत सरकार द्वारा प्राप्त विवरण के अनुसार ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य सरकारों ने देहाती क्षेत्रों में बहुत से बिक्री केन्द्र खोलने का उपयुक्त प्रबन्ध किया है ।

कोयला खानों में छंटनी

***९. श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा:** (क) क्या उत्पादन मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार को यह मालूम हो गया है कि कोयला बोर्ड ने उच्च श्रेणी का कोयला उत्पादन करने वाली बिहार की कुछ राज्य कोयला खानों को कोयले का उत्पादन सीमित कर देने के परिणामस्वरूप कई सौ खनिकों की छंटनी करने का आदेश दिया है ?

(ख) यदि यह सही है तो कौन सी खदानों से और कितने खनिकों अथवा अन्य श्रमिकों की छंटनी की गई है ?

(ग) क्या राज्य कोयला खदानों और श्रमिक संघों की ओर सरकार के पास इस आशय का प्रतिनिधित्व किया गया है कि वह कोयला बोर्ड के उक्त आदेशों से एकमत न हो ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : (क) नहीं । बोर्ड ने इस प्रकार का आदेश नहीं दिया है ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते हैं ।

हीराकुद योजना में विदेशी कारीगर

***१०. श्री सी० आर० चौधरी :** क्या सिंचाई तथा विद्युत् मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) हीराकुद योजना में काम करने वाले विदेशी शिल्पियों के नाम, उन की विशेष योग्यतायें और उन के वेतन; और

(ख) योजना के लिये विदेशों से प्राप्त किये गये ऋण की राशि और उस के ब्याज की दर ?

सिंचाई तथा विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) कोलम्बो योजना के अन्तर्गत हीराकुद बांध योजना में दो शिल्पी काम में लगाये गये हैं । उन के नाम, विशेष योग्यतायें, और भत्तों के सम्बन्ध में विवरण सदन पटल पर रखा जाता है ।

(ख) इस योजना के लिये विदेश से कोई ऋण नहीं लिया गया है ।

विवरण

विदेशी शिल्पी के नाम	विशेष योग्यतायें	वेतन और भत्ते
१. श्री ई० आर० हारवे मास्टर मिस्त्री	इंजीनियरिंग उच्चतर शिक्षा संबन्धी परीक्षा भाग १,२, ३, की छोटी संस्था के सदस्य ।	इन शिल्पियों के वेतन का भार ब्रिटेन की सरकार पर है । भारत सरकार केवल १० रुपये प्रति दिन का आजीविका भत्ता, यात्रा भत्ता, डाक्टरी तथा निवास शुल्क, जो प्रथम श्रेणी के सरकारी पदाधिकारियों को दिये जाते हैं से सबंधित व्यय करती हैं ।
२. श्री एच० नाइट फील्ड इंजीनियर	इंजीनियरिंग उच्चतर शिक्षा संबंधी परीक्षा भाग १,२,३, की छोटी संस्था के सदस्य	

हीराकुद योजना पर प्राक्कलन

***११. श्री सी० आर० चौधरी :** (क) **क्या सिंचाई तथा विद्युत्** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि हीराकुद योजना के निर्माण की अवधि, उस से सींची जाने वाली भूमि, उत्पादित बिजली का विस्तार, कुल कीमत और योजना के लिये प्राप्त किये गये ऋण पर ब्याज की दर आदि के सम्बन्ध में १९४७ का प्राक्कलन क्या है ?

(ख) उपर्युक्त तथ्यों के विषय में वर्तमान प्राक्कलन क्या है ?

सिंचाई तथा विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख). अपेक्षित जानकारी प्रकट करने वाला विवरणपत्र सदन पटल पर रखा है । [**देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या १०**]

श्री लंका में भारतीय प्रवासी

***१२ डा० राम सुभग सिंह :** क्या **प्रधान मंत्री** श्रीलंका में भारतीय प्रवासियों के प्रश्न सम्बन्धी हाल की घटनाओं के सम्बन्ध में सदन पटल पर विवरण रखने की कृपा करेंगे ?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू): श्रीलंका नागरिकता विधियों के अन्तर्गत भारतीय उद्भव के व्यक्तियों के पंजीयन की शर्तों और विशेष तौर से लन्दन में श्रीलंका के प्रधान मंत्री से मेरी बातचीत के विषय में अनेक प्रश्न पूछे गये हैं ।

सदन को स्मरण होगा कि एक अल्प सूचना प्रश्न के उत्तर में दिनांक १२ नवम्बर १९५२ को मैं ने इसी सदन में एक विवरण दिया था । दिनांक २३ मार्च १९५३ को विदेश कार्य मंत्रालय के अनुदान की बहस के अवसर पर भी मैं ने उक्त विषय की ओर निर्देश किया था ।

मुझे लंदन में श्रीलंका के प्रधान मंत्री से मिलने का अवसर प्राप्त हुआ था और हम ने इन विषयों पर कुछ विस्तार से चर्चा की । हमारी बात चीत मैत्रीपूर्ण भावना से हुई और उस में सन्तोषजनक हल पर पहुंचने की प्रबल इच्छा थी । हम ने इस दिशा में कुछ प्रगति भी की किन्तु मुझे खेद है कि उक्त श्रेणी तक कोई करार नहीं किया जा सका । समझौते तक पहूंचने के लिये हम ने प्रयत्न जारी रखने का निर्णय किया ।

श्रीलंका में भारतीय उद्भव के लगभग ९,५०,००० व्यक्ति हैं । प्रस्तुत विनियमनों के अनुसार इन में से ४,००,००० व्यक्तियों को श्रीलंका के नागरिक स्वीकार कर लिये जाने की संभावना है । यह सुझाव रखा गया है कि २,५०,००० अतिरिक्त व्यक्तियों को स्थायी रूप से वहां रहने के अनुमतिपत्र दिये जायें ताकि कुछ वर्षों में वे स्थायी नागरिक अन्तर्निधान हो सकें । अतः ३,००,००० शेष बचेंगे । इन में से अधिक से अधिक १,५०,००० पर भारतीय राष्ट्र जन के रूप में विचार किया जा सकता है । शेष १,५०,००० भारतीय राष्ट्र जन नहीं हैं और उन के भविष्य के विषय में हम चिन्तित हैं ।

इस विचारणीय संख्या में इन व्यक्तियों को श्रीलंका से बाहर निकालने से न केवल इन व्यक्तियों को ही निजी रूप से किन्तु भारत और श्रीलंका के लिये भी गंभीर कठिनाइयां उत्पन्न होंगी । अतः हमने कुछ ऐसे सुझाव उपस्थित किये जो श्रीलंका की सरकार के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए इन कठिनाइयों को भी टाल सकेंगे ।

जैसा कि मैं ने कहा उस समय किसी प्रकार का समझौता नहीं हो सका । और हम ने बाद में किसी समझौते पर पहुंचने के लिये प्रयत्न जारी रखने का निर्णय किया ।

श्रीलंका नागरिकता के अर्जन के लिये अभी तक दिये गये प्रार्थनापत्रों वालों की संख्या २,३७,०३४ है जिन में लगभग ८,००,००० व्यक्ति सन्निहित हैं । दिनांक

१० जुलाई १९५३ तक भारतीय अथवा पाकिस्तानी उद्भव के २१,३८४ व्यक्तियों को श्रीलंका के नागरिकों के रूप में पंजीयन किया जा चुका है ।

धोतियों का उत्पादन

***१३. डा० राम सुभग सिंह :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि धोतियों के उत्पादन को प्रतिमास ५०,००० गांठों से घटा कर ३०,००० गांठें कर देने के हाल के आदेश से धोतियों की कमी हो गई है और कमीजों के कपड़े का आधिक्य हो गया है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : नहीं, श्रीमान् । राज्यों से प्राप्त जानकारी के अनुसार साधारणतः धोतियों की कोई कमी नहीं हुई और न ही कमीजों के कपड़े का आधिक्य हुआ है । परन्तु यह सत्य है कि सामान्यतया धोतियों के मूल्य बढ़ गये हैं ।

साबरमती परियोजना

***१४. श्री गिडवानी :** (क) क्या **सिंचाई तथा विद्युत्** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या साबरमती नदी परियोजना के नक्शे और प्राक्कलन तैयार हो गये हैं ?

(ख) यदि हां, तो उस पर अनुमानतः कितना व्यय होगा ।

(ग) यह परियोजना कब तक पूरी होगी ?

(घ) इस परियोजना के अन्तर्गत कुल कितने एकड़ भूमि में खेती की जायेगी ?

सिंचाई तथा विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) तथा (ख). परियोजना सम्बन्धी प्रतिवेदन तथा प्राक्कलन तैयार किये जा रहे हैं ।

(ग) इस परियोजना का निर्माण इसे क्रियान्वित करने की अन्तिम स्वीकृति मिलने पर ही आरम्भ किया जा सकता है । अतः, इस समय यह बतलाना सम्भव नहीं है कि यह कब तक पूरी होगी ।

(घ) अनुमानित वार्षिक सिंचाई निम्न लिखित होगी :—

(१) नहरों के भाव से सिंचाई . . . १,४४,५०० एकड़ ।

(२) इस परियोजना से उत्पादित विद्युत से चलित नल-कूपों द्वारा सिंचाई . . . . १,८२,००० एकड़ ।

कान चलचित्र महोत्सव में भेजे गये भारतीय चलचित्र

***१५. श्री चट्टोपाध्याय :** क्या **सूचना तथा प्रसारण** मंत्री उन भारतीय चल-चित्रों के नाम बतलाने की कृपा करेंगे जो कि अप्रैल, १९५३ में कान में हुए अन्तर्राष्ट्रीय चल-चित्र महोत्सव में भेजे गये थे ?

(ख) इन चल-चित्रों के चुनाव के लिये क्या कसौटी रखी गई थी ?

(ग) क्या इन चल-चित्रों के चुनाव में सरकार का कोई हाथ था ?

(घ) इस महोत्सव में भारतीय चल-चित्रों को किस श्रेणी में रखा गया था ?

(ङ) प्रत्येक चलचित्र की आलोचना और प्रशंसा में क्या लिखा गया था ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) लम्बे चल-चित्रों के विभाग में : "आवारा"

छोटे चल-चित्रों के विभाग में : "कुमायू पहाड़ियां", "महान् परीक्षण" "पुरानी के स्थान पर नई भूमि"

(ख) चल-चित्रों का चुनाव करते समय प्रौद्योगिक ललित कला सम्बन्धी तथा सांस्कृतिक पहलुओं को ध्यान में रखा गया था ।

(ग) हां, श्रीमान् ।

(घ) किसी भारतीय चल-चित्र को कोई पुरस्कार नहीं मिला ।

(ङ) "आवारा" का मिश्रित स्वागत हुआ । कुछ फ्रांसीसी पत्रों ने इस की यह कह कर आलोचना की थी यह पाश्चात्य चलचित्रों की विभिन्न सुपरिचित चीजों का सम्मिश्रण सा है और इस में भारतीय संस्कृति का दिग्दर्शन न करा सकने के कारण उन्हों ने इस की निन्दा की और अन्य कुछ का यह विचार था कि इस में कुछ आकर्षण है तथा यह कामचलाऊ है । भारत सरकार के शिक्षाप्रद चलचित्रों का गैर-सरकारी चलचित्रों की अपेक्षा अधिक स्वागत किया गया ।

चाय का उत्पादन

*१६. **श्री गोपाल राव :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार का ध्यान चाय बागानों के स्वामियों के चाय के उत्पादन को केवल ५७०० लाख पौंड तक सीमित रखने के निश्चय की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस विषय में क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) हां, श्रीमान् । चाय उत्पादकों के एक भाग ने केवल १९५३ के लिये चाय की फसल को सीमित रखने के सम्बन्ध में एक योजना बनाई है । इस योजना के अन्तर्गत इस वर्ष ५७०० लाख पौंड चाय का उत्पादन होने का अनुमान है । परन्तु नवीनतम प्राक्कलनों के अनुसार लगभग ६०६० लाख पौंड उत्पादन होने की आशा है ।

(ख) क्योंकि स्वेच्छा से फसल पर प्रतिबन्ध लगाने की योजना का अभिप्राय भारत के अन्दर या बाहर चाय के सम्भरण में कोई कमी करना नहीं है, किन्तु सम्भरण और मांग में केवल उचित सन्तुलन रखना है जिस से कि बाजार में अधिक फालतू चाय इकट्ठी न हो सके, अतः इस विषय में कोई कार्यवाही करना आवश्यक नहीं समझा जाता ।

पटसन की वस्तुओं के लिये बाजार

*१७. **श्री गोपाल राव :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे

(क) क्या पटसन की वस्तुओं के लिये वैकल्पिक बाजार ढूंढ़ने का प्रयत्न किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो किन देशों से पूछा गया है और उस का क्या फल हुआ है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) तथा (ख). इस प्रश्न का अभिप्राय स्पष्ट नहीं हुआ क्यों कि "वैकल्पिक" शब्द का अर्थ दो में से एक को चुनना है, दोनों में से किसी एक को चुनने का अर्थ दूसरे को ठुक यदि प्रश्न का अभिप्राय यह है कि नये बाजारों को ढूंढ़ने का क्या प्रयत्न किया गया है, तो इस का उत्तर यह है कि सरकार विदेशों के साथ अपने व्यापारिक करारों में पटसन की वस्तुओं को भी सम्मिलित करने का प्रयत्न करती है । जिन देशों के साथ भारत के इस समय भारतीय पटसन की वस्तुओं के निर्यात के विषय में विशिष्ट रूप में व्यापार करार लागू हैं उन के नाम ये हैं: बर्मा, मिश्र, फिनलैंड, जर्मनी (पश्चिमी), हंगरी, इराक, नारवे, स्वीडन तथा तुर्की ।

पंजाब में औद्योगिक गृहव्यवस्था योजना

*१८. **प्रो० डी० सी० शर्मा:** क्या **निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि पंजाब र य ने १९५२-५३ में औद्योगिक गृह-व्यवस्था

योजना के लिये कितना ऋण मांगा है और उस के लिये कितना मंजूर हुआ है ?

(ख) राज्य में इस योजना को क्रियान्वित करने में कितनी प्रगति हुई है ?

(ग) क्या देश के अनौद्योगिक क्षेत्रों में गृह व्यवस्था की कोई योजना है जिस के अन्तर्गत कि पंजाब राज्य को केन्द्रीय सहायता उपलब्ध हो सके ?

निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) गत सत्र में माननीय सदस्य के तारांकित प्रश्न संख्या १०६० दिनांक २८ मार्च १९५३ के उत्तर में मैंने बतलाया था कि पंजाब सरकार ने अमृतसर, लुधियाना और बटाला में ३८२ मकान बनाने के लिये ४,८५,००० रुपये का अर्थसहाय्य मांगा था और भारत सरकार अधिक से अधिक ४,८१,५११ रुपये का अर्थ-सहाय्य देने के लिये सहमत हो गई थी । अर्थसहाय्य प्राप्त गृह-व्यवस्था योजना के आधीन ऋण के लिये पंजाब सरकार से कोई प्रार्थना नहीं प्राप्त हुई है ।

(ख) जहां तक अमृतसर में दो सौ मकान बनाने का सम्बन्ध है, बानवे मकान तो छत तक बन गये हैं, छियानवे फर्श तक बन गये हैं और शेष बारह पर काम आरम्भ कर दिया गया है । बटाला में हाल में इस के लिये अन्तिम रूप से एक स्थान चुन लिया गया है और वहां अट्ठावन मकानों के निर्माण का काम आरम्भ किया जा रहा है, लुधियाना में एक सौ चौबीस मकानों के निर्माण का काम शीघ्र ही आरम्भ किया जायेगा । इस के लिये एक उपयुक्त स्थान चुना जा रहा है ।

(ग) नहीं, श्रीमान् । अभी तक इस प्रकार की कोई योजना नहीं बनाई गई है ।

पंजाब में सामुदायिक परियोजना

*१९. **प्रो० डी० सी० शर्मा** : क्या **योजना** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार ने सामुदायिक परियोजना की योजना को बढ़ा कर पंजाब के नये क्षेत्रों में लागू करने का निश्चय किया है ;

(ख) क्या इस योजना को लागू करने के लिये नये क्षेत्र चुन लिये गये हैं ;

(ग) क्या होशियारपुर, कांगड़ा और गुरदासपुर जिलों में कोई स्थान चुने गये हैं ;

(घ) यदि हां, तो ये स्थान कौन कौन से हैं ; और

(ङ) परियोजना के नये क्षेत्रों में कब तक काम आरम्भ किया जायेगा ?

सिंचाई तथा विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) तथा (ख). जी हां ।

(ग) तथा (घ). कांगड़ा जिले के कुल्लु सब-डिवीजन में एक विकास खंड चुना गया है ।

(ङ) २ अक्तूबर १९५३ ।

विदेशी सार्थों में भारतीय कर्मचारी

*२०. **श्री टी० के० चौधरी** : (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री तथाकथित भद्रपुरुष के वचन की शर्तों को, यदि कोई ऐसा वचन दिया गया हो तो, चाहे वह लिखित रूप में दिया गया हो ; या भारत में विद्यमान कतिपय विदेशी और ब्रिटिश सार्थों द्वारा सरकार को मौखिक आश्वासन के रूप में दिया गया हो, जिस में उन्हों ने यह कहा है कि वे अपने ऐसे उच्च कार्याधिकारियों तथा पदाधिकारियों के पदों के लिये ३० वर्ष से कम आयु के ब्रिटिश और विदेशी कर्मचारियों को बाहर से नहीं मंगवायेंगे जिन के लिये कि उस काम में प्रशिक्षित उपयुक्त भारतीय मिल सकेंगे, सदन पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

(ख) क्या इन साथों के विदेशी कर्मचारियों की तुला में भारतीय कर्मचारियों को "समान कार्य के लिये समान वेतन" देने के सिद्धान्त का पालन करने के सम्बन्ध में तथा भारतीयों के विरुद्ध प्रचलित भेद-भाव को किसी भी नीति को उलट देने के बारे में कोई वचन दिया गया है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) माननीय सदस्य ने जिस प्रकार के भद्रपुरुष के वचन का उल्लेख किया है, वैसा कोई वचन विदेशी साथों ने सरकार को नहीं दिया है ।

(ख) नहीं, श्रीमान् ।

बॉयलर, टरबाइन पम्प तथा सैन्ट्रीफ्यूगल पम्प्स बनाने वाले कारखाने

*२१. **श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा :** (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या भारत में बायलर, टरबाइन पम्प्स तथा सैन्ट्रीफ्यूगल पम्प्स बनाने के कोई कारखाने हैं ?

(ख) यदि हां, तो वे कहां स्थित हैं ?

(ग) उनका उत्पादन कितना है ?

(घ) १९५२ में इन वस्तुओं का कितने प्रतिशत आयात किया गया ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) तथा (ग). एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है ।

(घ) १९५२ में आयात किये गये बायलरों और सैन्ट्रीफ्यूगल तथा टरबाइन दोनों प्रकार के पम्पों का मूल्य क्रमश: ४४६·३ लाख रुपये और ९८·४ लाख रुपये था । प्रतिशतक संख्या बतलाना सम्भव नहीं है, क्योंकि स्वदेश में उत्पादित वस्तुओं के मल्य के सम्बन्ध में जानकारी उपलब्ध नहीं है । [देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ११]

मिस्र को व्यापारिक प्रतिनिधि मंडल

*२२. **श्री के० पी० सिन्हा :** (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि इस देश से एक व्यापारिक प्रतिनिधि मण्डल मिस्र के साथ चतुर्थ व्यापार करार के सम्बन्ध में बातचीत करने के लिये मिस्र भेजा गया था ?

(ख) क्या दोनों देशों की सरकारों ने व्यापार करार पर हस्ताक्षर कर दिये हैं और उस का अनुमोदन कर दिया है ?

(ग) करार के अधीन इस अवधि में भारत को मिस्र से कितनी रूई मिलेगी ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) हां, श्रीमान् ।

(ग) इस व्यापार करार के अधीन मिस्री रूई की कोई निश्चित मात्रा आयात के लिये नहीं मांगी गई है ।

पुर्तगाली बस्तियों में भेदभावपूर्ण विधियां

*२३. **श्री के० पी० सिन्हा :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि पुर्तगाल की सरकार ने अपनी भारतीय बस्तियों में भारतीयों के विरुद्ध भेदभावपूर्ण विधियां बनाई हैं ?

वैदेशिक कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : जी हां । इन विधानों का भारतीयों के (१) पुर्तगाली बस्तियों में प्रवेश, (२) स्थान को किराये पर देने (३) निवास-स्थान, (४) व्यापारिक अनुज्ञप्तियों तथा (५) सम्पत्ति के स्वामित्व सम्बन्धी अधिकारों पर प्रभाव पड़ा है । ये विधान इस अर्थ में भेदभावपूर्ण हैं कि वे गोआ निवासियों पर लागू नहीं होते ।

सामुदायिक परियोजनायें

*२४. **सरदार ए० एस० सहगल :** (क) क्या **योजना** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने सारे देश में सामुदायिक परियोजनायें आरम्भ करने के विषय में कोई निश्चय किया है ?

(ख) देश में सामुदायिक परियोजनाओं की सारी योजना को पूरा करने में सरकार को कितने वर्ष लगेंगे ?

सिंचाई तथा विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

रेडियो कलाकारों की स्वर परीक्षा

*२५. **श्री तुषार चटर्जी :** क्या **सूचना तथा प्रसारण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार को यह विदित है कि कलाकारों की स्वर परीक्षा करने के लिय जो ढंग अपनाये गय हैं उन के सम्बन्ध में रेडियो कलाकारों में अत्याधिक असन्तोष है,

(ख) यदि हां, तो कलाकारों तथा भारतीय संगीत कलाकार मण्डल की वास्तविक शिकायत क्या है; और

(ग) कलाकारों की शिकायतों को दूर करने तथा कलाकारों और आकाशवाणी में सद्भावनापूर्ण सम्बन्ध स्थापित करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (श्री केसकर) : (क) नहीं, श्रीमान् । कलाकारों में कोई असन्तोष नहीं है । पुरातन संगीत के बम्बई के कलाकारों का एक भाग अपनी स्वर परीक्षा नहीं करवाना चाहता था जो कि आकाशवाणी के संगीत के मानदंड को ऊंचा उठाने तथा उन का वर्गीकरण करन के लिय की जा रही हैं ।

(ख) ठीक ठीक यह बताना कठिन है कि कलाकार मण्डल की वास्तविक शिकायत क्या है । जहां तक जाना जा सका है वे समय समय पर बहुत सी शिकायतें करते रहे हैं और आरम्भ से ही उन की शिकायतों के आधार निरन्तर बदलते रहे हैं । संक्षेप में उन की नवीनतम शिकायत यह प्रतीत होती है कि स्वर-परीक्षा नहीं होनी चाहिये अथवा स्वर-परीक्षा बोर्ड में उन की मनमर्जी के सदस्य होने चाहियें ।

(ग) कलाकारों की सच्ची शिकायतों पर सदा ध्यान दिया जाता है और सारे देश में आकाशवाणी तथा कलाकारों के मध्य बड़े मित्रतापूर्ण तथा अच्छे सम्बन्ध हैं ।

इतना और बतला दिया जाय कि बम्बई के कभी कभी गाने वाले कलाकारों के एक दल के आन्दोलन के पश्चात् बम्बई के अन्य कलाकारों कलकत्ता तथा अन्य केन्द्रों के प्रमुख कलाकारों न इस आन्दोलन की निन्दा करने के लिये सभायें की हैं और आकाशवाणी के संगीत की उन्नति करन के प्रयत्नों तथा कलाकारों की स्वर परीक्षा का समथन किया है।

पाकिस्तानी व्यापारिक प्रतिनिधि मंडल

*२६. **श्री अमजद अली :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या मार्च, १९५३ में हस्ताक्षर किये गय भारत-पाकिस्तान व्यापार करार की शर्तों के अनुसार शीघ्र ही एक पाकिस्तानी व्यापारिक प्रतिनिधि मण्डल के नई दिल्ली आने की आशा है;

(ख) क्या यह प्रतिनिधि मण्डल सम्भवतः दोनों देशों के मध्य व्यापार के क्षेत्र को विस्तृत करने तथा परिमाण को बढ़ाने की सम्भावनाओं पर चर्चा करेगा; और

(ग) क्या यह प्रतिनिधि मण्डल दोनों सरकारों द्वारा एक ओर पूर्वी पाकिस्तान और दूसरी ओर पश्चिमी बंगाल, आसाम तथा त्रिपुरा के निकटवर्ती क्षेत्रों के निवासियों के मध्य व्यापार को विनियमित करने के लिये अनुमोदित कतिपय सिद्धान्तों को लागू करने के सम्बन्ध में भी चर्चा करेगा ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) से (ग). गत मार्च मास की भारत-पाकिस्तान व्यापार वार्त्ता में यह निश्चय किया गया था कि किसी बाद की तिथि को दोनों देशों के मध्य व्यापार के क्षेत्र को विस्तृत करने तथा परिमाण को बढ़ाने की दृष्टि से दोनों सरकारों में आगे और चर्चा होनी चाहिये। इस बैठक की तिथि, स्थान या कार्य-क्रम अभी तक निश्चित नहीं किया गया है। इस बीच यह करार जो कि ३० जून १९५३ तक लागू था ३० सितम्बर १९५३ तक बढ़ा दिया गया है।

आकाशवाणी (आल इण्डिया रेडियो) के बी० बी० सी० तथा यूरोपीय स्टेशनों में प्रशिक्षित कलाकार

*२७. **श्री ईश्वर रेड्डी** : (क) क्या **सूचना तथा प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह तथ्य है कि ब्रिटन का इम्पीरियल ट्रस्ट प्रति वर्ष बी० बी० सी० में तथा अन्य यूरोपीय स्टेशनों पर प्रशिक्षा के लिये अपने व्यय पर कलाकारों का चुनाव करता है ?

(ख) यदि ऐसा है, तो आकाशवाणी से १९५१, १९५२ तथा चालू वर्ष में उन के उम्मीदवार कौन कौन से थे ?

(ग) चालू वर्ष में आकाशवाणी द्वारा चुनाव के लिये किस उम्मीदवार की सिफारिश की गई थी ?

(घ) सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय द्वारा किस उम्मीदवार की सिफारिश की गई थी ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) इम्पीरियल रिलेशन्स ट्रस्ट जिस का नाम अब कामनवैल्थ रिलेशन्स ट्रस्ट हो गया है, जिस की एक योजना प्रसारण संगठनों द्वारा मनोनीत व्यक्तियों को बी० बी० सी० में प्रशिक्षा के लिये छात्र-वृत्ति देने की है। छात्रवृत्ति पाने वाले के यात्रा सम्बन्धी तथा प्रशिक्षा आदि पर व्यय ट्रस्ट द्वारा ही किये जाते हैं।

(ख) मनोनीत उम्मीदवारों के नाम ये थे: १९५१—श्री एस० वर्गसे, आकाशवाणी के लिस्नर रिसर्च के सहायक संचालक।

१९५२—श्री के० पी० शुंगलू, आल इंडिया रेडियो के विदेशी सेवा विभाग के उप-संचालक।

१९५३—कोई नहीं।

(ग) श्री आर० एस० शर्मा, सम्पादक, भारतीय लिस्नर।

(घ) कोई नहीं।

भाखरा बांध पर विद्युत केन्द्रों का स्थापन

*२८. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या भाखरा बांध पर एक विद्युत केन्द्र की स्थापना करने का प्रस्ताव भारत सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया है;

(ख) यदि ऐसा है, तो यह निर्णय कब हुआ था;

(ग) वाद विवाद में किस ने भाग लिया था.

(घ) क्या ऐसी कोई मशीनें नांगल नहर पर भी लगाई जाने वाली हैं; और

(ङ) क्या उन क्षेत्रों में विद्यत पैदा करने वाली मशीनों को लगाने के मूल प्रस्ताव में कोई परिवर्तन हुआ ह ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख). २६ मई, १९५३ वाले सम्मेलन में यह निर्णय हुआ था कि भाखरा बांध के डिजाइन तथा विद्युत पैदा करने वाली मशीन इस आधार पर आगे कार्य करें कि बांध ही पर कुछ और मशीनें लगाई जायेंगी, और नांगल नहर पर नांगल अवस्था १ म लगाये जाने के लिये पहले से अनुसूचित कुल छः मशीन केन्द्रों में से चार मशीन केन्द्रों के अतिरिक्त कोई और मशीनें नहीं लगाई जायेंगी ।

(ग) केन्द्रीय सरकार, योजना आयोग तथा पंजाब सरकार के प्रतिनिधि ।

(घ) नांगल नहर पर चार मशीनों के लगने का पहले ही निश्चय हो चुका है ।

(ङ) परिवर्तन की व्याख्या भाग (क) के उत्तर में की जा चुकी है ।

रेडियो स्टेशन

*२९. **श्री संगण्णा** : क्या **सूचना तथा प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह तथ्य है कि वर्ष १९४८ में कटक, नागपुर, पटना, शिलांग-गौहाटी तथा इलाहाबाद में रेडियो केन्द्र स्थापित किये गये हैं;

(ख) क्या इन में से कोई भी रेडियो स्टेशन तब से अब तक अधिक शक्तिशाली बनाये गये हैं ;

(ग) क्या कटक रेडियो स्टेशन की शक्ति को १ १/२ किलोवाट से अधिक बढ़ाने का विचार है; और

(घ) क्या मई, १९५३ के प्रथम सप्ताह से कटक रेडियो स्टेशन से मध्यान्ह के बाद वाले प्रोग्राम समाप्त कर दिये गये हैं ।

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) हां श्रीमान् । इलाहबाद रेडियो स्टेशन को छोड़ कर जो १९४८ में स्थापित किया गया था ।

(ख) नागपुर तथा गौहाटी में क्रमशः मार्च और मई, १९५३ में १० किलोवाट मीडियम वेव के ध्वनि विस्तारक यंत्र (ट्रांसमीटर) लगाये गये थे ।

(ग) नहीं श्रीमान् ।

(घ) कटक स्टेशन से दोपहर का ट्रांसमिशन ३१ मई, १९५३ से स्थगित कर दिया गया ह ।

निर्यात व्यापार

*३०. **पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय** : (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत के निर्यात व्यापार की प्रवृत्ति अब १९५३-५४ में क्या है विशेषकर पटसन, चा तथा तिलहन के सम्बन्ध में ।

(ख) जुलाई से दिसम्बर १९५३ के समय की हमारी नीति की प्रमुख विशेषतायें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) १९५३-५४ के सही सही निर्यात आंकड़े अब तक केवल अप्रल तथा मई के ही उपलब्ध हैं । इस नगण्य सूचना के आधार पर निर्यातों की प्रवृत्ति का निर्धारण करना सम्भव नहीं । पटसन के बने पदार्थों तथा चाय की स्थिति अब १९५२-५३ के अन्त से कहीं अच्छी जान पड़ती है । चाय का निर्यात उस समय में होने वाले निर्यातों के समान ही है । सरकार द्वारा १९५३-५४ में होने वाले प्रमुख तिलहनों के निर्यात को निरुत्सा-

हित किया जा रहा है क्योंकि हम यह अधिक पसन्द करते हैं कि हम जो निर्यात कर सकें वह तेल के रूप में हो जायें ।

(ख) लगभग ९० प्रतिशित निर्यात व्यापार पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबन्ध नहीं है । कुछ और छूटें समय समय पर दी जाया करती हैं । निर्मित वस्तुओं तथा कुटीर उद्योगों के उत्पादनों के निर्यात को प्रोत्साहन देन के प्रयत्न किये जा रहे हैं ।

बलगेरिया से व्यापारिक करार

*३१. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बतलान की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बलगेरिया तथा भारत के बीच कोई व्यापारिक करार सम्पन्न हुआ है ; तथा

(ख) यदि हां, तो इस करार के अनुसार कौन कौन सी व्यापारिक वस्तुओं का विनिमय होगा ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) भारत तथा बलगेरिया के बीच १७ जून, १९५३ को हुए व्यापारिक पत्र-व्यवहार की प्रतिलिपियां, जिन में आवश्यक जानकारी दी हुई है, पहले ही से सदन के पुस्तकालय में रख दी गई हैं ।

गुरुद्वारा डेरा साहब

*३२. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या प्रधान मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह तथ्य है कि १३ जून से १५ जून, १९५३ तक की लाहौर स्थित गुरुद्वारा डेरा साहब की यात्रा निमित्त जो गुरु अर्जुन देव का शहीद दिवस है, पाकिस्तान सरकार ने सिख यात्रियों को अनुमति नहीं दी है;

(ख) क्या गत दो वर्षों में भी अनुमति नहीं दी गई थी ; तथा

(ग) क्या सरकार ने पाकिस्तान सरकार से इस सम्बन्ध में कुछ लिखा पढ़ी की है ?

वैदेशिक कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : (क) हां ।

(ख) नहीं । पाकिस्तान सरकार ने पिछले दो वर्षों में तो तीर्थयात्रियों के लिये अनुमति प्रदान की थी ।

(ग) नहीं । यह सर्वविदित है कि उस समय लाहौर में अशान्ति की स्थिति चल रही थी ।

राज्यों की योजनाओं का कार्यान्वित किया जाना

*३३. **श्री रघुबीर सहाय** : (क) क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या योजना आयोग ने विभिन्न राज्यों को यह सुझाव दिया है कि उन्हें राज्यों की योजनाओं को कालावधि के अन्तर्गत कार्यान्वित करने के लिय राजस्व के अतिरिक्त साधन ढूंढ़ने चाहियें ?

(ख) यदि ऐसा है तो क्या सुझाव दिये गये हैं ?

(ग) ये सुझाव कब दिय गये थे और उन के क्या परिणाम हुए हैं ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) हां ।

(ख) राज्य सरकारों को दिये गये सुझाव योजना आयोग के प्रतिवेदन के अध्याय ३ के पैराग्राफ २५ में विस्तारपूर्वक दिये हुए हैं ।

(ग) ये सुझाव १९५१ के आरम्भ में रखे गये थे जब कि योजना की रूपरेखा तैयार की जा रही थी । राज्य सरकारों द्वारा अतिरिक्त साधनों की दिशा में की गई उन्नति

की समीक्षा १५१-५२ तथा १९५२-५३ के प्रगति प्रतिवेदन में की गई थी जो आयोग द्वारा मई, १९५३ में प्रकाशित किया गया था और हाल ही में सदन पटल पर रखा गया है।

क्लोरोफिल उद्योग

*३४. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या भारत में कोई क्लोरोफिल उद्योग है;

(ख) कन्सेन्ट्रेट क्लोरोफिल के निर्माण के लिये आवश्यक कच्चा माल; और

(ग) इस के उपयोग का तरीका तथा उद्देश्य ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) नहीं, श्रीमान्।

(ख) कुछ पौदों की ताजी हरी पत्तियां तथा गलाने वाले पदार्थ जैसे अल्कोहल, ऐसीटोन तथा बेनज़ीन ।

(ग) क्लोरोफिल का प्रमुख उपयोग दुर्गन्ध निवारण करने तथा बहुत से प्रसाधन वं औषधियों के निर्माण में रंग देने के लिये किया जाता है ।

संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञ मण्डल का प्रतिवेदन

*३५. **श्री बी० सी० दास** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञ मण्डल ने जिस के प्रधान प्रो० होरसे बेल्शा थे, संयुक्त राष्ट्र संघ को भारत के सामुदायिक योजना केन्द्रों पर कोई प्रतिवेदन दिया है; और

(ख) यदि ऐसा है, तो क्या सदन पटल पर उस की एक प्रतिलिपि रखी जायगी ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

नमक में सोडियम क्लोराइड की मात्रा

*३६. **श्री राघवय्या** : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में बम्बई राज्य के केन्द्रों में बनने वाले नमक में सोडियम क्लोराइड की मात्रा बढ़ा देने की मांग की है ;

(ख) यदि ऐसा है तो सरकार के नवीन आदेश के पूर्व सोडियम क्लोराइड की मात्रा ;

(ग) अब कितनी वृद्धि की मांग की गई है; तथा

(घ) इस मांग की आवश्यकता पड़ने के कारण ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : (क) हां, बढ़ाई गई मात्रा सम्पूर्ण भारत में लाइसेन्स के अन्तर्गत बनने वाले नमक पर लागू है ।

(ख) ९३ प्रतिशत ।

(ग) १ प्रतिशत ।

(घ) यह खाद्य नमक में क्लोराइड सोडियम के ९६ प्रतितश विशुद्धता प्रमाप को क्रमश: प्राप्त करने के सरकारी निर्णय के अनुसार किया जा रहा है, जो भारतीय प्रमाप संस्था द्वारा निश्चित किया गया है तथा जिस की नमक विशेषज्ञ समिति द्वारा सिफारिश की गई है ।

पश्चिमी बंगाल में अनधिकार बसे हुए लोगों की बस्तियां

*३७. **श्री तुषार चटर्जी** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) पश्चिमी बंगाल में अनधिकार बसे हुए लोगों की बस्तियां जो आज तक विनियमित घोषित की जा चुकी हैं;

(ख) वह आधार जिस पर विनियमन किया गया है;

(ग) अन्य बस्तियों का विनियमन न करने के विशिष्ट कारण, तथा

(घ) क्या सरकार की उन बस्तियों के सम्बन्ध में कोई योजना है जिन का अभी तक विनियमन नहीं किया गया है ?

पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले): (क), (ख) और (ग). अनधिकार बसे हुए लोगों की बस्तियों जैसे शहीद जतीन दास, विजयनगर तथा देशप्रिय नगर इन तीन बस्तियों की व्यवस्था के लिये एक वृहद योजना अक्तूबर, १९५२ में स्वीकृत हुई थी, जो अब पूर्ण होने वाली है । इस सम्बन्ध में अन्य बस्तियों के लिय प्रारम्भिक कार्य भी प्रारम्भ किया जा चुका है और पश्चिमी बंगाल सरकार से अन्तिम अनुमान प्राप्त हो जान पर इन के लिये मंजूरी दे दी जायगी ।

विनियमन का प्रमुख आधार यह है कि भूमि अधिग्रहण की लागत प्रति परिवार के लिये १२५० रु० से अधिक न हो। किसी भी परिवार के लिय सामान्यत: दो कोटाह से अधिक भूमि या सम्पन्न वर्ग के लोगों के लिय २।। कोटाह से अधिक भूमि नहीं दी जायेगी ।

(घ) अभी तक कोई भी व्यापक विनिश्चय नहीं हो सके हैं, क्योंकि जिनका अंतिम विनियमन न हो सकेगा वह बस्तियों की संख्या तथा आकार पर निर्भर करेगा । परन्तु भारत सरकार ने उन अनधिकार बसे हुए लोगों को वास-स्थान देने के लिये, जिन की बस्तियों का विनियमन व्यय की अधिकता के कारण नहीं हो सकता, ४४३२ झोंपड़ियां बनवाने की योजनाओं को मंजूरी दे दी है ।

निराश्रित विस्थापित लोगों की सहायता

*३८. **श्री तुषार चटर्जी** : क्या पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) पश्चिमी बंगाल में निराश्रित विस्थापित लोगों की सहायता के लिये स्वीकृत हुई धन राशि ;

(ख) यह सहायता प्राप्त करने वाले विस्थापित लोगों की संख्या; तथा

(ग) प्रति व्यक्ति सहायता की दर ?

पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले) : (क) से (ग). सूचना एकत्रित की जा रही है और यथा समय सदन पटल पर रख दी जायगी ।

प्रेस आयोग

*३९. **श्री के० सुब्रह्मण्यम्** : (क) क्या **सूचना तथा प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या प्रेस आयोग अपने प्रतिवेदन के साथ संलग्न करने के लिये भारतीय पत्रकारिता के इतिहास का संकलन कर रहा है ?

(ख) इस कार्य को करने के लिये कौन व्यक्ति चुना गया है ?

(ग) उस को कितना पारिश्रमिक दिया जायगा ?

(घ) यह राशि किसने निश्चित की है ?

(ङ) उपर्युक्त इतिहास के संकलन पर होन वाला कुल व्यय क्या है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) प्रेस आयोग ने श्री जे० नटराजन, सम्पादक ट्रिब्यून, अम्बाला को चुना है ।

(ग) से (ङ). कुल व्यय १०,००० रु० होगा और इस के अतिरिक्त यात्रा तथा दैनिक भत्ते भी होंगे । पारिश्रमिक साधारणत: प्रेस आयोग द्वारा निश्चित किया गया है ।

इंडोनेशिया के साथ मित्रता की संधि

*४०. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या भारत तथा इंडोनीशिया के बीच की मित्रता की सन्धि के जिस पर ३ मार्च, १९५१ को जकार्ता में हस्ताक्षर हुए थे, अनुसमर्थन पत्रों का आदान-प्रदान मई, १९५३ में दिल्ली में हुआ था;

(ख) उस अवसर पर दोनों सरकारों के कौन कौन प्रतिनिधि थे; तथा

(ग) क्या सन्धि के उपबन्धों में कोई परिवर्तन किया गया ?

वैदेशिक कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : (क) हां ।

(ख) इन्डोनीशिया गणतन्त्र के उस समय के भारत में स्थित राजदूत-तत्र भवान परम-श्रेष्ठ डा० शिवदर्शनो ने इन्डोनेशिया गण-राज्य के राष्ट्रपति का प्रतिनिधित्व, तथा संयुक्त राष्ट्र विभाग के सचिव, श्री तैयब जी ने भारत के राष्ट्रपति का प्रतिनिधित्व किया था।

(ग) नहीं ।

कोरिया के लिये पुनर्देशावर्तन आयोग

*४१. **श्री जेठालाल जोशी** : (क) क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या हमारी सरकार ने पुनर्देशावर्तन आयोग में भाग लेने का निर्णय कर लिया है ?

(ख) यदि ऐसा है तो युद्ध-बन्दी विनिमय समझौते के अधीन हम पर आर्थिक उत्तर-दायित्व क्या पड़ेंगे ?

वैदेशिक कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) भारत के आर्थिक उत्तरदायित्व जो हों, समझौते में निर्दिष्ट नहीं किए गए ।

विस्थापित हरिजनों का पुनर्वास

*४२. **श्री बाल्मीकि**: (क) क्या **पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि गत ६ वर्ष में अर्थात् १९४७ से मई १९५३ के अन्त तक विस्थापित हरिजनों के पुनर्वास के लिए हरिजन बोर्ड विस्थापित हरिजनों (कृषक तथा भंगियों) के पुनर्वास में कितना सफल हुआ है ।

(ख) मई १९५३ के अन्त तक विस्थापित हरिजनों के पुनर्वास पर कितनी धन-राशि व्यय हुई ।

पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले) : (क) एक टिप्पणी सदन पटल पर रखी गई है। [देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या १२]

(ख) बोर्ड द्वारा विस्थापित हरिजनों पर ९३ लाख से ऊपर व्यय किया गया है । इस के अतिरिक्त विस्थापित हरिजनों को पुनर्वास मंत्रालय की सामान्य योजनाओं के अधीन भी पुनर्वास की सुविधाएं प्राप्त हैं जिस के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं। आंकड़े एकत्र करने में जो श्रम लगेगा वह होने वाले परिणाम के समान नहीं होगा ।

अपहृत व्यक्ति

*४३. **श्री बाल्मीकि** : (क) क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि १५ जुलाई १९५३ तक कितने अपहृत व्यक्ति ढूंढे हैं तथा पश्चिमी पाकिस्तान को भेजे हैं ?

(ख) इस कार्य में किन गैर-सरकारी संस्थाओं ने सहायता की है ?

(ग) भारत और पाकिस्तान के बीच सुधरे हुए सम्बन्धों से दोनों देशों में अपहृतों का प्रश्न कितना सुलझा है ?

वैदेशिक कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : (क) ३० जून १९५३ तक के १८.१५३ । १५ जुलाई १९५३ तक के अपेक्षित आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं ।

(ख) विभिन्न संस्थाओं के सदस्यों ने मानव प्रेम के कारण इस कार्य में सरकार की सहायता की है ।

(ग) जहां तक अपहृत व्यक्तियों को ढूंढने का सम्बन्ध है भारत तथा पाकिस्तान के बीच सम्बन्ध सदा अच्छे रहे हैं । हाल की सामान्य सदिच्छा द्वारा जनता की अधिक रुचि उत्पन्न हो गई है और वह इन अपहृतों के ढूंढने के कार्य में सहायता देने लगी हैं ।

मैसूर में कच्ची फिल्म उद्योग

*४४. **श्री के० जी० देशमुख :** (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह तथ्य है कि भारत सरकार ने यह स्वीकार कर लिया है कि राज्य सरकार मैसूर राज्य में संयुक्त कार्य आरम्भ करे ?

(ख) दोनों सरकारों का अलग अलग इस कार्य के पूंजी भाग में कितना अंशदान किया है ।

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) तथा (ख). मैसूर राज्य में कच्ची फिल्म निर्माण की योजना पर एक विदेशी व्यवसाय के साथ बातचीत हो रही है, जिस से शिल्पिक सहायता लेने का विचार है । अभी तक कोई अन्तिम निर्णय नहीं हुआ ।

फारमोसा सरकार द्वारा दिये गये पार-पत्रों के लिये दृष्टांक

*४६. **श्री विट्ठल राव :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेवान में शासन करने वाली राष्ट्रीय चीन सरकार द्वारा दिए गए पार-पत्रों वाले व्यक्तियों को कोई दृष्टांक जारी किए गए हैं ।

(ख) यदि ऐसा है तो क्या ऐसा करना पार-पत्र और दृष्टांक जारी करने सम्बन्धी सामान्य नियमों के अनुकूल है विशेषतया इस बात को देखते हुए कि भारत सरकार ने चीन की जनता के लोक-तन्त्रात्मक गणराज्य को अभिज्ञात कर लिया है ?

वैदेशिक कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : (क) तथा (ख) तेवान सरकार द्वारा जारी किए गए पार-पत्रों पर भारत के लिए दृष्टांक नहीं दिए जाते ।

कृषि भू-सम्पत्ति

*४७. **श्री एच० एन० मुखर्जी :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कृषि भू-सम्पत्तियों की संख्या की गणना के लिए राज्यों को योजना आयोग द्वारा दिए गए निदेशों को क्रियान्वित करने में अब तक क्या प्रगति की गई है ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : कृषि भू-सम्पत्तियों की संख्या की गणना द्वारा किस प्रकार के आंकड़े संकलित किये जाने हैं यह राज्यों को बताना वांछनीय समझा गया था और यह विषय निरीक्षणाधीन हैं । राज्य सरकारों को इस सम्बन्ध में जानकारी शीघ्र भेजी जाएगी और उन से प्रार्थना की जाएगी कि वे कृषि भू-सम्पत्तियों की गणना का कार्य आरम्भ करें ।

चल-चित्र विभाग

*४८. **श्री के० सी० सोधिया :** (क) क्या **सूचना तथा प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार चल-चित्र विभाग द्वारा वितरित चल चित्रों के लिए कोई किराये लेती है ?

(ख) यदि ऐसा है तो १९५२–५३ में कुल कितनी राशि वसूल की गई ?

(ग) क्या कोई राशि विदेशी समवायों से भी वसूल की गई ?

(घ) यदि ऐसा है तो कितनी राशि वसूल की गई ?

(ङ) वाणिज्यक फर्मों द्वारा ली जाने वाली दरों की तुलना में यह किराया कैसा है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (डा० केसकर): (क) तथा (ख). हां, श्रीमान्, २१,१८,३०० रुपये ।

(ग) तथा (घ). हां, श्रीमान्, ७,६५२ रु०

(ङ) जिस प्रकार के लेख्य-चित्र अथवा भारतीय समाचार-चित्र चलचित्र विभाग तैयार करता है उस प्रकार के चलचित्रों का वितरण वाणिज्यिक फर्में तो करती ही नहीं । तथापि कुछ फर्में विदेशी समाचार-चित्रों का वितरण करती हैं ।

चल-चित्र विभाग द्वारा लिये जाने वाले ऐसे विदेशी समाचार-चित्रों के किरायों की तुलना में ठीक बैठते हैं ।

कोसी परियोजना

*४९. **श्री एस० एन० दास** : (क) क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बतान की कृपा करेंगे कि क्या कोसी परियोजना की मंत्रणा समिति के कहने पर केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग द्वारा की गई जांच के परिणामों पर मंत्रणा समिति और सरकार न विचार किया है ?

(ख) यदि एसा है तो बिलका बांध की रचना के सम्बन्ध में इस जांच से उत्पन्न हुई महत्वपूर्ण बातें क्या हैं ?

(ग) इस जांच के परिणामस्वरूप कोसी नदी पर काबू पाने के लिए क्या कोई निश्चित निष्कर्ष निकाले गए हैं ।

(घ) यदि एसा है तो वे निष्कर्ष क्या हैं ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) से (घ). विशेषज्ञों की इस समिति को देखते हुए कि बिल का बांध के प्रधान जलागार के खड़े जल में थोड़े काल में मिट्टी एकत्र हो जाएगी और अनुमानित लागत में वृद्धि के कारण, (अपर्याप्त आंकड़ों पर मंत्रणा समिति द्वारा लगभग अनमानित २८.६६ करोड़ की अपेक्षा ४८.२५ करोड़ रुपया) यह विनिश्चय किया गया है कि उस स्थान पर सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण के लिए बिल का में एक निचले बांध की अथवा केवल सिंचाई प्रयोजनों के लिय एक बराज की वैकल्पिक योजनाओं के प्राक्कलन तैयार किय जायें ।

भारतीय हस्त-शिल्प

*५०. **श्री एस० एन० दास** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री राज्य तथा अखिल भारतीय हस्त-शिल्प बोर्ड की सिपारिशों के सम्बन्ध में ३ मार्च १९५३ को पूछे गए तारांकित प्रश्न सं० ४६० के दिए गए उत्तर की ओर ध्यान देंगे :

(क) क्या सरकार अखिल भारतीय हस्त-शिल्प बोर्ड की सिपारिशों को स्वीकार करने और लागू करने में सफल हो सकी है ;

(ख) यदिऐसा है तो किस सीमा तक;

(ग) क्या लन्दन में ताजपोशी के अवसर पर भारतीय हस्त-शिल्प की वस्तुओं की प्रदर्शणी और बिक्री के आयोग पर प्रतिवेदन मिल गया है ; और

(घ) क्या यह तथ्य है कि वस्तुओं के उच्च मूल्यों के कारण बिक्री उत्साहजनक नहीं रही ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) तथा (ख). सदन पटल पर एक विवरण रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या १३]**

(ग) प्रतिवेदन की प्रतीक्षा है ।

(घ) नहीं, जहां तक मैं जानता हूं एसा नहीं है ।

अन्डमान में बसाये गये विस्थापित व्यक्ति

*५१. **सेठ गोविन्द दास :** क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बतलाने की :

(क) अब तक अन्दमान में बसाए गए विस्थापित व्यक्तियों की संख्या;

(ख) जनवरी १९५३ और जून १९५३ के बीच कितने लोग वहां बसने गए; तथा

(ग) कितने वहां से लौट कर आए ?

पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले) : (क) १७६६.

(ख) ३५६.

(ग) इस कालावधि में जो वहां गए उन में से सात ।

पूर्वी बंगाल में विस्थापित व्यक्ति

*५२. **सेठ गोविन्द दास :** क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंग कि :

(क) जनवरी १९५३ से जून १९५३ तक पूर्वीय बंगाल से आए हुए विस्थापित व्यक्तियों पर कितनी राशि खर्च हुई; तथा

(ख) कितने विस्थापित व्यक्तियों पर यह राशि खर्च की गई ?

पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले): (क) तथा (ख). जानकारी एकत्र की जा रही है और उपयुक्त समय पर सदन पटल पर रखी जाएगी ।

विस्थापित व्यक्तियों को प्रतिकर का भुगतान

*५३. **ज्ञानी जी० एस० मुसाफ़िर :** (क) क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या उन विस्थापित व्यक्तियों को प्रतिकर देने की पूरी योजना तैयार हो गई है जिन के दावों की जांच हो चुकी है ?

(ख) अब तक जांच किए गए आवेदन-पत्रों के सम्बन्ध में भुगतान कब आरम्भ होगा ?

(ग) दावादारों की प्रत्येक श्रेणी के दावों की जांच की गई राशि से प्रतिकर का क्या अनुपात होगा ?

पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले): (क) से (ग). एक योजना बनाई गई है परन्तु विस्तृत विवरण अभी पूर्ण नहीं हुए ।

चन्दन के, तेल पर निर्यात शुल्क

*५४. **श्री विश्वनाथ रेड्डी :** (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि क्या यह तथ्य है कि भारत से निर्यात की जाने वाली चंदन की लकड़ी पर कोई शुल्क नहीं लगाया जाता जब कि चंदन के तेल पर निर्यात शुल्क लगाया जाता है ?

(ख) यदि एसा है तो लगाए गए शुल्क की राशि क्या है ?

(ग) क्या सरकार को यह विदित है कि इस नीति से वस्तुतः भारत में कई चंदन के तेल के कारखाने बन्द हो गए हैं ।

(घ) सरकार इन कारखानों के लगातार चलने का विश्वास दिलाने के लिए क्या पग उठाने का विचार रखती है ।

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) संदल की लकड़ी अथवा संदल की लकड़ी के तेल पर कोई निर्यात शुल्क नहीं लगाया जाता ।

(ख) से (घ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

मनीपुर में सामुदायिक परियोजना

*५५. **श्री रिशांग किशिंग :** (क) क्या **योजना** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या मनीपुर राज्य में सामुदायिक परियोजना के थूबल खण्ड के कार्याधिकारी ने अपना त्यागपत्र प्रस्तुत कर दिया है ?

(ख) क्या यह सच है कि सामुदायिक परियोजना प्रशासक ने राज्य के सरकारी

विभागों के सहयोग की कमी की शिकायत की है ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) हां ।

(ख) नहीं ।

अमृतकौर बाजार

***५६. श्री एम० एल० द्विवेदी** : (क) क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या रेल अधिकारियों की मांग पर नई देहली रेलवे स्टेशन के पास अमृत कौ म्यूनिसिपल बाजार को गिराने का निर्णय किया गया है, ताकि वह क्षेत्र रेलवे स्टेशन की विस्तार योजना के लिये साफ करवाया जाय, जो कि साथ वाले क्षेत्र के न मिलने के कारण रुकी पड़ी थी, और योजना चालू की जाय ?

(ख) यदि ऐसा है, तो क्या सरकार इस बाजार के इस प्रकार विस्थापित हुए व्यक्तियों के लिये कोई उपयुक्त वैकल्पिक स्थान दे रही है जिन्हों ने कि वहां गत चार वर्षों से अपना व्यापार स्थापित कर रखा है ?

(ग) कहां और कितनी लागत पर यह दिया जा रहा है ?

(घ) गिराने का काम कब तक पूरा होने की संभावना है ?

(ङ) गिराने की लागत किस पर पड़ेगी, दिल्ली नगरपालिका पर अथवा रेलवे प्रशासन पर ?

(च) गिराने पर लगभग कितनी लागत आने की आशा है ?

पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले) : (क) से (च). रेलवे अधिकारियों द्वारा दिल्ली नगरपालिका को अमृतकौर बाजार का स्थान ३१ मार्च १९५३ तक पट्टे पर दिया गया था। अब उन्होंने इस स्थान को वापिस मांगा है, परन्तु मामला अभी विचाराधीन है ।

विस्थापित व्यक्तियों का प्रशिक्षण

***५८. डा० राम सुभग सिंह** : (क) **पुनर्वास** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने इस वर्ष पंजाब में विस्थापित व्यक्तियों को शिल्पिक-प्रशिक्षण देने के लिये योजना की मंजूरी दी है ?

(ख) यदि ऐसा है, तो कितने व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया जायगा ?

(ग) प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी को कितनी छात्र-वृत्ति दी जायगी ?

पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले) : (क) हां ।

(ख) ६७०. इस के अतिरिक्त १५४ व्यक्ति डी० जी० आर० ई० केन्द्रों में और १३५ नीलोखेड़ी पोलीटैक्निक में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं ।

(ग) प्रति मास ३० रुपये ।

विजयवाड़ा रेडियो स्टेशन

***५९. श्री बुच्चिकोटैया** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि सरकार विजयवाड़ा के रेडियो स्टेशन को करनूल स्थानान्तरित कर रही है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (श्री केसकर) : इस समय ऐसी कोई प्रस्थापना विचाराधीन नहीं है ।

नेपाल से अनाज का आयात

***६०. श्री विश्वनाथ राय** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) उन भारतीयों द्वारा जो उस देश में कृषि करते हैं, नेपाल से अनाज के आयात के सम्बन्ध में बातचीत की प्रगति; और

(ख) इस प्रयोजन के लिये नेपाल सरकार द्वारा अनुज्ञप्ति या अनुज्ञा-पत्र देने की सुविधायें ?

वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : इस विषय में कोई बातचीत नहीं चल रही है ।

(ख) वर्तमान प्रक्रिया के अनुसार भारत के राष्ट्रजन अपनी भूमि की उपज का, बिना किसी अनुज्ञप्ति के प्राप्त किये, निर्यात-शुल्क देकर निर्यात कर सकते हैं ।

कबाड़ का लोहा (निर्यात)

*६१. **श्री मुनिस्वामी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष में मद्रास राज्य से निर्यात किये गए कबाड़ के लोहे की कुल मात्रा;

(ख) कबाड़ के लोहे के भारत से निर्यात पर लगाई गई पाबन्दियां; और

(ग) क्या सरकार ने मद्रास राज्य के निर्यात करने वालों से इन पाबन्दियों को कम करने के लिये कोई आवेदन प्राप्त किया है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) १९५२ में ४९४५ टन ।

(ख) सदन पटल पर विवरण-पत्र रखा हुआ है । [**देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या १२**]

(ग) नहीं, श्रीमान् ।

चान्दामेटा खानों में दुर्घटना

*७५. **श्री विट्ठल राव** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या १४ अप्रैल १९५३ को चान्दामेटा खानों (मध्य प्रदेश) में हुई एक दुर्घटना में चार खनिक मर गए थे और सात को गहरी चोट आई थी;

(ख) क्या यह तथ्य है कि खनिकों को जमीन के नीचे जाने के लिए बाध्य किया गया था यद्यपि उस विशेष स्थान पर लकड़ी की रोक आदि का कोई उचित प्रबन्ध नहीं था;

(ग) क्या सरकार दुर्घटना के कारण को पता लगाने के लिए एक ऐसी जांच समिति, जिस का एक सदस्य संगठित खनिकों का एक प्रतिनिधि हो, नियुक्त करने का विचार करती है;

(घ) क्या आहत खनिकों तथा मृतकों के आश्रितों को कोई प्रतिकर दिया गया है; और

(ङ) यदि दिया गया है तो कितना ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि) : (क) कदाचित माननीय सदस्य को १५ अप्रैल, १९५३ को उत्तर चान्दामेटा खान में हुई दुर्घटना का ध्यान है । उस दुर्घटना में दो खनिक मरे थे और चार अन्य श्रमिकों को गहरी चोट आई थी ।

(ख) यह बात एक खनिक ने अपनी गवाही में कही थी लेकिन अन्य श्रमिकों द्वारा उस के कथन की पुष्टि नहीं हुई थी । उस निरीक्षक के अनुसार, जिस ने घटना वाले दिन दुर्घटना स्थल का निरीक्षण किया था, उस स्थान पर लकड़ी की रोक आदि का प्रबन्ध संतोषजनक था ।

(ग) दुर्घटना की जांच खानों के निरीक्षणालय द्वारा की जा चुकी है और उस का कारण स्पष्टतः सिद्ध हो चुका है । रात की पारी के ओवरमैन के ऊपर, जो दुर्घटना के लिए उत्तरदायी ठहराया गया है, मुकदमा चलाया जा रहा है । ऐसी परिस्थितियों में कोई पृथक् जांच आवश्यक नहीं समझी जाती ।

(घ) और (ङ). खानों के प्राधिकारियों द्वारा प्रतिकर देने का दायित्व स्वीकार किया गया है । प्रतिकर का भुगतान श्रमिकों के प्रतिकर अधिनियम के अनुसार, जो राज्य सरकार द्वारा प्रशासित किया जाता है, होता है । अतः दिए गए प्रतिकर की राशि के सम्बन्ध में जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

दिल्ली में आंधियां

*७६. **श्री गिडवानी** : (क) क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या दिल्ली में बहुधा आती रहने वाली आंधियां राजस्थान के रेगिस्तान के दिल्ली की ओर संभव विस्तार के कारण हैं ?

(ख) क्या सरकार द्वारा इस रेगिस्तान के विस्तार को रोकने के लिए कोई उपाय किए गए हैं ?

(ग) यदि किए गए हैं तो ये उपाय क्या हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई): (क) आंधियां धरती और समुद्र पर अभिभावी ऋतु और अन्तरिक्ष सम्बन्धी दशाओं पर निर्भर होती हैं, लेकिन उन की गर्द को साथ लेने, ले जाने और कहीं और डाल देने की शक्ति उन की तेजी तथा उस जमीन की प्रवृत्ति तथा उस के घनत्व पर निर्भर होती है। जब धरती के दुरुपयोग के कारण हरियाली के संरक्षक आवरण को नष्ट कर दिया जाता है तो आंधियों की तेजी और झोकों की गति बढ़ जाती है।

(ख) और (ग). सरकार द्वारा किए गए अथवा किए जाने वाले उपायों को दिखाने वाला एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या १५**]

केन्द्रीय स्वास्थ्य-परिषद के प्रस्ताव

*७९. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि जहां तक उन का केन्द्रीय सरकार से सम्बन्ध है, जनवरी १९५३ में हैदराबाद की केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद् के प्रस्तावों को कार्यान्वित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृतकौर) : स्थिति की व्याख्या करने वाला एक नोट सदन पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या १६**]

चिरमिर कोयला खदान क्षेत्र में दुर्घटना

*८३. **श्री अमजद अली** : (क) क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या १५ मई, १९५३ को सरगुजा जिले के चिरमिर कोयला खदान क्षेत्र में स्थित सजूपहाड़ कोयले की खान में कोई दुर्घटना हुई थी जिस के फलस्वरूप आठ व्यक्ति मर गए थे ?

(ख) उस दुर्घटना के कारण क्या हैं ?

(ग) क्या यह तथ्य है कि अपने किस्म की, हाल के महीनों में, यह तीसरी दुर्घटना है ?

(घ) ऐसी दुर्घटनाओं के फिर से होने को रोकने के लिए, यदि कोई कार्यवाही की गई है, तो वह क्या है ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि) : (क) हां ।

(ख) वह दुर्घटना एक चढ़ाव और उतार वाले गलियारे में, जहां दस आदमी काम कर रहे थे, ४७′×१०′×४′ नाप की एक शाल (एक प्रकार का पत्थर) और पत्थर की बनी छत के ढह जाने से हुई थी।

(ग) हां ।

(घ) खान के स्वामी से मैनेजर की सहायता के लिए एक योग्य सहायक मैनेजर नियुक्त करने के लिए कहा गया है ताकि ज़मीन के अन्दर के काम की और अधिक प्रभावशाली देख रेख हो सके। १५ मई, १९५३ की दुर्घटना के कारणों और उस की परिस्थितियों की जांच करने के लिए सरकार ने खानों के अधिनियम, १९५२ की धारा २४ के आधीन एक जांच-न्यायालय बनाने का निश्चय किया है। आगे की कोई भी कार्यवाही जांच न्यायालय के प्रतिवेदन पर आधारित होगी।

रेलवे के टिकट घर

***८६. श्री ए० एन० विद्यालंकार :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) प्रत्येक प्रादेशिक रेलव में निजी रूप से प्रबन्धित टिकट घरों की संख्या;

(ख) प्रत्येक रेलव में उन को दिए जाने वाले कमीशन की दर;

(ग) विभागीय रूप से प्रबन्धित टिकट घरों और निजी रूप से प्रबन्धित टिकट घरों पर देखभाल का व्यय क्या है; और

(घ) क्या निजी रूप से प्रबन्धित टिकट घरों के सम्बन्ध में सरकार कमीशन की दर को बढ़ाने का विचार कर रही है?

रेल तथा यातायात मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) मध्य पूर्वोत्तर, और पश्चिम रेलवे पर निजी रूप से प्रबन्धित कोई भी टिकट घर नहीं है। पूर्व, उत्तर और दक्षिण रेलव पर निजी रूप से प्रबन्धित टिकट घरों की संख्या क्रमशः ७, २३ और १ है।

(ख) ठेकेदारों को दिये जान वाले कमीशन की दर पूर्व और उत्तर रेलवे में स्थानीय टिकटों की कुल धन राशि और विदेशी टिकटों के स्थानीय भाग पर २॥ प्रतिशत और दक्षिण रेलव पर बेचे गए टिकटों के मूल्य पर ६। प्रतिशत है।

(ग) सूचना एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होते ही सदन पटल पर रख दी जायेगी।

(घ) नहीं।

स्ले (बर्फाना गाड़ी) तथा स्की (लकड़ी के स्लिपरों पर बर्फ के ऊपर फिसलना) परिवहन

***८७. श्री ए० एन० विद्यालंकार :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या हिमाच्छादित हिमालय की ऊंचाइयों की परिवहन समस्या को सुलझाने के हेतु ताकि उन प्रदेशों का लट्ठों और इमारती लकड़ियों का परिवहन सुविधाजनक हो सके, स्ले और शी परिवहन को संगठित करन के लिए हाल ही में सुझाव दिए गए थे;

(ख) क्या हाल ही में इस विषय पर सलाह देने के लिए स्विट्ज़र लैण्ड का एक विशेषज्ञ आमंत्रित किया गया था;

(ग) क्या उस ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है; और

(घ) यदि दे दिया है तो क्या वह प्रतिवदन सदन पटल पर रखा जायेगा?

खाद्य तथा कृषि मन्त्री (श्री किदवई) : (क) हां, अनौपचारिक रूप से।

(ख) हां, खाद्य तथा कृषि संगठन के द्वारा।

(ग) नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

यूनीसेफ—संयुक्त-राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल-संकट-निधि (अंशदान)

***८८. श्री एस० सी० सामन्त :** क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बतान की कृपा करेंगी :

(क) १९५३ तक भारत द्वारा संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल-संकट-निधि को दिए गए अंशदान की राशि और उसी काल में विभिन्न रूपों में प्राप्त सहायताओं की राशि;

(ख) उस में कौन से देश भाग ले रहे हैं और कितन अंशदान देते हैं;

(ग) कौन सा देश अधिकतम धनराशि अंशदान के रूप में देता है;

(घ) क्या संयुक्त-राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल-संकट-निधि संयुक्त राष्ट्र संघ का एक स्थायी अभिकरण है; और

(ङ) यदि नहीं, तो संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ उस का सम्बन्ध और क्या संयक्त-

राष्ट्र संघ से उस को कोई सहायता प्राप्त होती है ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर) : (क) १९४८ से १९५३ तक भारत के संयुक्त-राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल-संकट-निधि को दिये गये अंशदान की राशि ३५ लाख रुपए है। १९५३ के पूर्वार्ध तक संयुक्त-राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल-संकट निधि से विभिन्न रूपों में प्राप्त सहायताओं की राशि ८,५४७,००० अमरीकी डालर (४,०६,८३,७२० रुपए) है जैसा कि सदन पटल पर रखे हुए एक विस्तृत विवरण में दिखाया गया है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या १७]**

(ख) उन देशों के नाम, जो संयुक्त-राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल-संकट-निधि को अंशदान देते हैं, दिखाने वाला एक विवरण सदन पटल पर रखा है। यह कहा जा सकता है कि ये देश संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल-संकट-निधि के कार्यों में भाग ले रहे हैं। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या १८]**

(ग) संयुक्त राज्य अमरीका।

(घ) और (ङ). संयुक्त-राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल-संकट-निधि संयुक्त राष्ट्र संघ का एक स्थायी अभिकरण नहीं है। वह ११ दिसम्बर १९४६ को संयुक्त राष्ट्र संघ की साधारण सभा द्वारा स्थापित की गई थी। १९५३ में साधारण सभा उस निधि पर पुनः विचार करेगी, उस को स्थायी आधार पर स्थापित करने के लिए। संयुक्त-राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल-संकट-निधि को संयुक्त राष्ट्रीय सहायता तथा पुनर्वास प्रशासन की अवशिष्ट आस्तियां प्राप्त हो गई थीं। नहीं तो उस की सहायता स्वेच्छा से दिए गए अंशदानों से की जा रही है।

माल-डिब्बों का नियतन

***८९. श्री संगण्णा :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह तथ्य है कि अयस्क के परिवहन के लिए माल डिब्बों का नियतन उड़ीसा के खान के स्वामियों को अस्वीकार कर दिया गया है और दलालों को अधिमान दिया जाता है;

(ख) क्या कलकत्ता और विशाखापटनम बन्दरगाहों पर माल का ढेर लगाने की सुविधाएं दी जानी बन्द कर दी गई हैं, जिस के परिणाम स्वरूप अयस्क के मूल्य घट जाते हैं;

(ग) क्या उड़ीसा सरकार ने भारत सरकार से इन कठिनाइयों को दूर करने की प्रार्थना की है; और

(घ) यदि की है तो इस सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा की गई कार्यवाही ?

रेल तथा यातायात मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी नहीं। माल के डिब्बे उन माल भेजने वालों को, चाहे वे खान के स्वामी हों या न हों, दिए जाते हैं जो आवश्यक शर्तें पूरी करते हैं, अर्थात्, एक तरफ, माल भेजन के स्टेशनों पर निजी या सहायता प्राप्त साईडिंग्स अथवा पट्टे पर दिए गए प्लाटों के और दूसरी तरफ के० पी० पोत-घाट तथा विशाखापटनम बन्दरगाह पर डिपो के धारण करने वाले हैं।

पर जाजपुर-कूंझर सड़क खण्ड से लौह-अयस्क के आवागमन, जो थोड़ा है, के सम्बन्ध में माल भेजने वाले के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह माल भेजन के स्टेशन पर निजी या सहायता प्राप्त साईडिंग्स अथवा पट्टे पर दिए गए प्लाटों का धारण करने वाला हो।

(ख) आजकल अयस्क यातायात के हेतु कलकत्ता और विशाखापटनम् बन्दरगाहों

पर नए प्लाटों के लिए प्रार्थना पत्र नहीं लिए जा रहे हैं। इस बारे में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है कि यह अयस्कों के मूल्यों के घटने का कारण रहा है।

(ग) हां।

(घ) मामला विचाराधीन है।

स्वतः अभिलेखन (रेकार्डिंग) यंत्र

*९०. **श्री एस० सी० सामन्त:** क्या **संचरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या बैरोग्राफ और थरमोग्राफ जैसे स्वतः अभिलेखन यंत्रों का भारत में निर्माण होता है;

(ख) यदि होता है तो वे सर्वप्रथम कब निर्मित हुए थ;

(ग) आजकल उपयोग में आने वाले यंत्रों की संख्या;

(घ) उन में से कितने आयात किए गए हैं और कितने स्वदेशी हैं; और

(ङ) उन का तुलनात्मक मूल्य क्या है ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर): (क) जी हां।

(ख) १९४८ में।

(ग) २६२।

(घ) २०८ आयात किए हुए हैं और ५४ स्वदेशी।

(ङ) मैं सदन पटल पर आयात किए गए और विभाग द्वारा निर्मित यंत्रों के मूल्यों को दिखाने वाला एक विवरण रख रहा हूं। [देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या १९]

पश्चिमी बंगाल में संशोधित राशनिंग

*९१. **श्री टी० के० चौधरी:** (क) क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पश्चिम बंगाल में कलकत्ता राशनिंग क्षेत्र के बाहर कितने ज़िलों और कितनी नगरपालिकाओं में मई १९५३ से 'संशोधित राशिनिंग' कहलाने वाली आवश्यक खाद्यान्न संभरण व्यवस्था लागू की गई है और उस के कारण ?

(ख) क्या गैर-राशनिंग क्षत्रों में संशोधित राशनिंग लागू करने के बारे में, ऐसे क्षत्रों में चावल तथा धान के प्रचलित मूल्यों से सम्बन्धित कोई निश्चित नियम अथवा अनुदेश हैं ?

(ग) क्या सरकार मई से जुलाई १९५३ के महीनों में कलकत्ता राशिनग क्षेत्र के बाहर पश्चिम बंगाल के विभिन्न जिलों में चावल के औसत बाजार-मूल्यों को दिखाने वाला एक विवरण सदन पटल पर रखने का विचार करती है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई): (क) मई १९५३ से पश्चिम बंगाल में १३ जि ों में जिनमें ४० नगरपालिकांए सम्मिलित हैं, संशोधित राशनिंग लागू की गई है। इस का उद्देश्य जहां पर चावल के बाजार मूल्य अधिक हैं, वहां उस को कम करना और निम्न क्रय शक्ति के लोगों को सहायता पहुंचाना है।

(ख) जी नहीं। जिलाधीशों को यह स्वविवेक दिया गया है कि वे अपन जिलों में, जब और जहां आवश्यक समझें, संशोधित राशनिंग लागू कर सकते हैं।

(ग) जी हां। एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है। [देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या २०]

यमुना ब्रिज के पास रेलगाडी का रोका जाना

*९२. **श्री रघुनाथ सिंह:** क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह तथ्य है कि २४ मई

१९५३ को टुंडला से आने वाली गाड़ी को आगरे के पास जलेसर स्टेशन और जमुना ब्रिज के बीच, डाकुओं ने रोक लिया था, जिसके कारण एक व्यक्ति की मृत्यु हो गयी थी तथा एक व्यक्ति घायल हो गया था;

(ख) क्या उस गाड़ी में आर० पी० पी० थी; और

(ग) यदि हां, तो क्या आर० पी० पी० ने यात्रियों की जान-माल की रक्षा करने का कोई प्रयत्न किया था ?

रेल तथा यातायात मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क), जलेसर और जमुना ब्रिज स्टेशनों के बीच २२।२३-५-५३ की रात को, न कि २४ मई को, १ अप टुंडला-आगरा रेल गाड़ी पर डाका डालने का प्रयत्न किया गया था। इन स्टशनों के बीच रेलगाड़ी रोकी नहीं गई थी लेकिन प्रयत्न चलती हुई गाड़ी ही पर किया गया था। एक व्यक्ति २३–५–५३ को अस्पताल में मर गया था जब कि दूसरा अपनी चोटों के कारण अस्पताल में २९–५–१९५३ को मरा था ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

रेलवे विज्ञापन

***९३. श्री रघुनाथ सिंह :** क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह तथ्य है कि रेलवे सेवा आयोग के विज्ञापन केवल अंग्रेजी समाचार पत्रों में दिए जाते हैं ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री के (श्री अलगेशन) : हां, श्रीमान् ।

बलिया में रेलवे कर्मचारियों के क्वार्टर

***९४. श्री आर० एन० सिंह :** क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि बलिया में रेलवे कर्मचारियों के रहन के लिए जो क्वार्टर बनाए गए हैं उन की हालत कैसी है ?

रेल तथा यातायात मंत्री के सभा सचिव (श्री शाहनवाज खां) : बलिया में रेलवे कर्मचारियों के रहने के लिए बनाए गए क्वार्टरों की दशा संतोषजनक है ।

धीना और जमानिया तथा जमानिया और दिलदारनगर स्टेशनों के बीच ट्रेनों का रुकना

***९५. श्री आर० एन० सिंह :** (क) क्या रेल मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि रेलवे स्टेशन धीना और जमानिया तथा जमानिया और दिलदारनगर स्टेशनों के बीच कितनी दूरी है ?

(ख) क्या यह तथ्य है कि इन स्टेशनों के बीच पहले से ही एक एक स्टेशन मौजूद है परन्तु उन स्टेशनों पर कोई गाड़ी नहीं रुकती ?

(ग) क्या इस प्रकार का कोई अभ्यावेदन दिया गया है जिस में यह प्राथना की गयी है कि उन स्टेशनों पर पैसेन्जर ट्रेनें रोकी जायें ?

(घ) यदि हां, तो सरकार ने इस के विषय में क्या निश्चय किया है ?

रेल तथा यातायात मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) धीना और जमानिया के बीच...७ ३/४ मील ।

जमानिया और दिलदारनगर के बीच... ८ ३/८ मील ।

(ख) जी नहीं । जमानिया और दिलदारनगर के बीच रेलवे संचालन प्रयोजनों के लिए एक गुमटी (ब्लाक हट) है । ५-८-१९४७ और २०-१०-१९५० के काल में वैसी ही एक गुमटी (ब्लाक हट) रेलवे संचालन प्रयोजनों के लिए धीना और जमानिया के बीच भी थी ।

(ग) हां ।

(घ) धीना और जमानिया तथा जमानिया और दिलदारनगर के बीच स्टेशन खोलने के प्रस्तावों पर सोच विचार किया गया था पर वे उचित नहीं पाए गए ।

चितबड़ा गांव में टेलीफ़ोन

*९६. श्री आर० एन० सिंह: (क) क्या संचरण मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या चितबड़ा गांव में महाजनों तथा टाऊन एरिया समिति न चितबड़ा गांव में टेलीफोन लगाने की मांग की थी ?

(ख) सरकार ने उस के विषय में क्या निश्चय किया है ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) हां ।

(ख) एक सार्वजनिक टलीफोन केन्द्र का खोलना स्वीकार कर लिया गया है और निर्माण कार्य प्रारम्भ हो चुका है ।

कर्मचारी राज्य बीमा योजना

*९७. **श्री राघवय्या:** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारी राज्य बीमा योजना को १९५३ में कानपुर और देहली के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर भी बढ़ाने का अनुक्रम रखा गया है ?

(ख) यदि यह ठीक है, तो वह अनुक्रम क्या है ?

(ग) यह अनुक्रम कहां तक कार्यान्वित किया गया है ?

(घ) क्या कलकत्ता में इसे लागू करने का कार्यक्रम स्थगित हो गया है ?

(ङ) यदि यह ठीक है, तो इस के क्या कारण हैं ?

(च) इस अनुक्रम को पूरित करने के लिये सरकार क्या कार्रवाही कर रही है ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि): (क) और (ख). कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने एक स्थायी कार्यक्रम बनाया था किन्तु उस को पूर्णरूप से पूरा करना निगम के लिए संभव नहीं हो सका । उस स्थायी कार्यक्रम की प्रतिलिपि सदन पटल पर प्रस्तुत है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या २१]**

(ग) यह योजना अब तक देहली, उत्तर प्रदेश के कानपुर क्षेत्र में तथा पंजाब के ७ औद्योगिक केन्द्रों में लागू हुई है ।

(घ) से (च). मांगी गई सूचना से सम्बन्धित वक्तव्य सदन पटल पर प्रस्तुत है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या २१]**

भारतीय रेलवे शताब्दी समारोह (स्मृति पुस्तिका)

*९८. **श्री के० सुब्रहमण्यम् :** (क) क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या हाल ही में हुए भारतीय रेलवे शताब्दी समारोह के अवसर पर कोई विशेष स्मृति-पुस्तिका निकाली गई थी ?

(ख) इस पर कुल कितनी धनराशि व्यय की गई ?

(ग) इस के निमित्त रखे गये कर्मचारियों को कितना धन पारिश्रमिक स्वरूप दिया गया ?

(घ) क्या वह स्मृति-पुस्तिका निःशुल्क वितरण के लिए थी अथवा विक्रय के लिए ।

(ङ) यदि विक्रय के लिए थी, तो उस का मूल्य कितना था ?

(च) अब तक उस की कितनी प्रतियां बिक चुकी हैं ?

(छ) कितनी प्रतियां बिना बिकी रह गई हैं ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) "भारतीय रेलवे—एक सौ वर्ष में" नामक शताब्दी स्मारक पुस्तक इस अवसर पर प्रकाशित किया गया था—और संभवतः निर्देश इसी प्रकाशन की ओर किया गया है ।

(ख) इस पर लगभग ६० हजार रुपया व्यय किया गया है।

(ग) लेखक को जो इस के लिए नियुक्त किया गया था, उसे पारिश्रमिक स्वरूप १० हजार रुपया दिया गया है।

(घ) यह पुस्तिका निःशुल्क वितरण के लिए नहीं है अपितु इसे बेचने का प्रबन्ध किया गया है।

(ङ) जनता के लिए इस का विक्रय मूलय १५ रुपया प्रति पुस्तक है; जब कि रेलवे कर्मचारियों के लिए इस का मूल्य १० रुपया प्रति पुस्तक है।

(च) तथा (छ). बिक्री तथा बिना बिक्री की पुस्तकों के बारे में सूचना देना अभी बहुत जल्दी है।

ब्यावर में ऊपर से जाने के लिए पुल

***९९. पंडित एम० बी० भार्गव**: (क) क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह तथ्य है कि महालक्ष्मी मिल तथा ब्यावर नगर के बीच रेल की लाइन को पार करने के लिए जो भारी यातायात रहता है वह फाटक बन्द हो जाने के कारण घंटों रुका रहता है क्योंकि वहां कोई पुल नहीं है जहां होकर कि यह यातायात रेलवे लाइन को पार कर सके ?

(ख) सम्बन्धित अधिकारियों से क्या वहां के नगर निवासियों ने कोई अभ्यावेदन किया था ?

(ग) यदि यह ठीक है तो क्या वहां कोई पुल बनाने का विचार है ?

(घ) तो किस समय तक यह पुल बनाने का काम समाप्त होगा ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन: (क) नहीं। हमें इस का कोई ज्ञान नहीं है।

(ख) हां, राहगीरों के लिए एक कठपुला (ऊपर का पुल) बनाने के लिए अभ्यावेदन किया था।

(ग) तथा (घ). स्थानीय अधिकारियों ने जिन्हें इस का आधा खर्चा देना है उन्हों ने इस सम्बन्ध में अभी तक कोई प्रस्ताव नहीं भेजे हैं।

अजमेर कोटा रेलवे लाइन

***१००. पंडित एम० बी० भार्गव**: (क) क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह तथ्य है कि अजमेर तथा कोटा को देवली हो कर बड़ी लाइन बिछा कर मिलाने का एक प्रस्ताव था ?

(ख) यदि ठीक है, तो इस योजना को स्थगित करने के क्या कारण हैं ?

(ग) क्या भारत सरकार को अजमेर-विधान सभा द्वारा इस सम्बन्ध में पारित प्रस्ताव मिल गया है ?

(घ) यदि यह ठीक है तो इस सम्बन्ध में क्या पग उठाया गया है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन): (क) जी हां।

(ख) जून १९४८ में यातायात के केन्द्रीय मंडल ने मेवाड़ सरकार के उस प्रस्ताव के साथ साथ जिस में चित्तौड़गढ़ को कोटा से मिलाने की प्रार्थना की गई थी, इस योजना पर विचार किया था, तथा यातायात के केन्द्रीय मंडल ने यह स्वीकार कर लिया था कि यदि राजस्थान संघ रेलवे मंडल से निर्माण सम्बन्धी कुछ सामान नहीं मांगता है तो चित्तौड़गढ़ कोटा लाइन का निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया जाय। और अजमेर कोटा योजना को रोक दिया जाय।

(ग) और (घ). अजमेर राज्य विधान सभा की ओर से एक प्रस्ताव मिला था जिस में इस लाइन के निर्माण के लिए सिपारिश

की गई थी अजमेर सरकार को सूचना दे दी गई है कि अजमेर से कोटा तक रेलवे लाइन का निर्माण कार्य निकट भविष्य में संभव नहीं है ।

रेलवे कर्मचारियों द्वारा क्वार्टरों पर अधिकार

***१०१. श्री नम्बियार :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह तथ्य है कि हाल ही के आदेशों द्वारा अवकाश प्राप्त कर्मचारियों द्वारा उन के दावों का निर्णय होने तक उन को क्वार्टरों पर अधिकार किये रखने के लिए इन्कार कर दिया गया है ?

(ख) यदि यह ठीक है तो इस के क्या कारण हैं ?

(ग) क्या रेलवे कर्मचारियों को अवकाश प्राप्त करने पर पहले एक महीने तक साधारण किराये पर रहने के लिये आज्ञा दी जाती थी ?

(घ) रेलवे कर्मचारयों को दी जाने वाली इस सुविधा को कम करने के विरोध में क्या सरकार को कोई अभ्यावेदन किया गया है ?

(ङ) यदि यह ठीक है तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) तथा (ख). नियमानुसार रेलवे कर्मचारी को उसी दिन क्वार्टर खाली कर देना होता है जिस दिन कि उस की नौकरी छटती है चाहे वह किसी भी कारण से क्यों न छटी हो। किन्तु हां कुछ निश्चित समय तक वह उस क्वार्टर पर अधिकार रख सकता है बशर्ते कि उस के मुख्य कार्यालय ने किन्हीं वांछनीय कारणों के आधार पर उसे रहने की आज्ञा प्रदान कर दी हो । अतएव एक रेलवे कर्मचारी को अवकाश प्राप्त करने पर अथवा नौकरी छोड़ने पर रेलवे क्वार्टर में रहने का कोई अधिकार नहीं है।

(ग) से (ङ). जी हां । एक या दो रेलवे लाइनों पर। किन्तु इसे रोका जायगा क्योंकि यह प्रथा दूसरी रेलों के अनुसार नियमानुकूल नहीं हैं । एक रेलवे लाइन पर एक संघ जिसने कि पहली प्रथा के परिवर्तित किये जाने पर इस परिवर्तन के विरोध में अभ्यावेदन किया था, उस ने स्थिति का परिचय करा दिया है ।

रेलवे भूमि

***१०२. श्री नम्बियार :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे लाइन के दोनों ओर की प्रथम श्रेणी की भूमि रेलवे कर्मचारियों को खेती के लिए पट्टे पर दे दी गई है ?

(ख) यदि यह ठीक है, तो क्या भूमि को पट्टे पर देने के सम्बन्ध में कोई समान नीति निर्धारित की गई है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) साधारण तौर से तो स्टेशनों के बीच की भूमि रेलवे कर्मचारियों को नहीं दी जाती, किन्तु जहां कहीं राज्य सरकार ने फालतू भूमि को गैर रेलवे कर्मचारियों को पट्टे पर देने के लिए नहीं ली वहां कुछ मामलों में ही रेलवे कर्मचारियों को अस्थायी तौर पर ये भूमि पट्टे पर दे दी गई है।

(ख) जी हां । नियम तो यह है कि स्टेशनों के बीच भूमि के छोटे छोटे टुकड़ों को रेलवे कर्मचारियों को सब्जी इत्यादि उगाने के अभिप्राय से दे दिया जाता है। और वह भी यह भूमि उसी समय दी जाती है जब कि यह निश्चित हो जाता है कि यह किसी भी प्रकार उन के कार्यों में बाधा नहीं डालेगी ।

कोयला क्षेत्रों में रक्षा करने के केन्द्र

*१०३. **श्री पी० सी० बोस :** क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) झरिया तथा रानीगंज कोयला क्षेत्रों में संगठित कोयला खदान रक्षा केन्द्रों से इन क्षेत्रों को अब तक क्या क्या लाभ हुए हैं ?

(ख) मध्य भारत के कोयला क्षेत्रों में ऐसे रक्षा केन्द्र खोलने के बारे में देरी के क्या कारण हैं और विशेष रूप से पारेशिया में, जब कि वहां कई कोयला खदानों में आग लग चुकी है ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि) : (क) इन केन्द्रों में बचाव का काम करने वाला स्थायी दल बचाव करने का सभी कार्य करता है। और खदान में आग लगने, गैस के फूटने तथा विस्फोट आदि से होने वाले दुष्परिणामों की भयंकरता को कम से कम करने के लिये यह दल निरन्तर कार्य करता रहता है। पृथ्वी के भीतर से निकलने वाली आग के क्षेत्रों को मालूम करने में इन्होंने सहायता दी है। तथा बहुत से निर्दिष्ट स्थानों का जो कि पृथ्वी के भीतर से आग निकलने के कारण वर्जित थे उन का भी पता किया है। सन् १९३९ से जब कि इन रक्षा केन्द्रों की स्थापना हुई थी, तब से अब तक इन केन्द्रों ने लगभग ७० लाख टन अच्छा कोयला इन वर्जित क्षेत्रों से निकालने में सहायता की है तथा १ हजार से अधिक खदान कर्मचारियों को रक्षा तथा खोज सम्बन्धी कार्यों की प्रशिक्षा दी है।

(ख) मध्य भारत के कोयला क्षेत्रों में जो कि गैस हीन तथा जिन में गर्मी बढ़ने की कम संभावना है वहां रक्षा केन्द्र स्थापित करने की आवश्यकता अभी तक नहीं समझी गई है। परन्तु पारेशिया में जहां कि खदानों में कुछ आग लग जाने की खबरें हैं वहां रक्षा केन्द्र खोलने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

डाक के टिकट

*१०४. **श्री बाल्मीकि :** (क) क्या **संचरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि महान पुरुषों की स्मृति में अगस्त १९४७ से अब तक डाक के टिकटों के कितने विशेष सैट निकले हैं ?

(ख) क्या तेनसिंह तथा हिलेरी द्वारा विजय प्राप्त एवरेस्ट की स्मृति में भी डाक के टिकट निकालने की कोई योजना है ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) स्मृति में इस प्रकार के केवल दो सैट जारी किये गये हैं (१) राष्ट्रपिता की स्मृति में (२) कुछ कवि तथा संत कवियों की स्मृति में।

(ख) एवरेस्ट विजय की स्मृति में विशेष टिकट चलाने की योजना है और ये दो प्रकार के होंगे—एक तो १४ आने के, तथा दूसरे २ आने के।

खरीफ़ की फ़सल

*१०५. **श्री बाल्मीकि :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सभी राज्यों में खरीफ की फ़सल का भविष्य क्या है ?

(ख) क्या यह पिछले वर्ष की फ़सल की अपेक्षा अच्छी है ?

(ग) यदि नहीं तो इस के क्या कारण हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) खरीफ की फ़सल को बोने का कार्य अच्छी स्थिति में हुआ था तथा देश में वर्तमान खड़ी हुई फसल के बारे में भी अच्छी सूचनायें मिली हैं। सदन पटल पर विस्तृत वक्तव्य

प्रस्तुत है जिस में प्रत्येक राज्य से प्राप्त सूचना दी गई है। [देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या २२].

(ख) इस वर्ष की खरीफ की फसल के बारे में अभी कुछ कहना बहुत जल्दी है और विशेष रूप से दक्षिणी क्षेत्र तथा भारतीय प्रायद्वीप के बारे में। खरीफ की पिछली फसल सितम्बर तथा अक्तूबर में बोई जाती है और उन का बढ़ाव जाड़े की वर्षा पर निर्भर करता है ।

(ग) इस का तो प्रश्न ही नहीं उठता।

कटिहार लखनऊ लाइन पर रेलवे दुर्घटना

***१०६. श्री अमजद अली : क्या रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लखनऊ कटिहार लाइन (छोटी लाइन पर) १६–१७ जून १९५३ की रात्रि को जो दो गाड़ियों की सीधी मुठभेड़ हुई थी उस के कारण हुई दुर्घटना के कारणों के बारे में कुछ निश्चित हो गया है?

(ख) दुर्घटना से सम्बन्धित कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

(ग) व्यक्तियों की कुल संख्या :

(i) मृतक ;

(ii) घायल ?

(घ) हताहत व्यक्तियों के परिवारों को क्या कोई प्रतिकर दिया गया है ?

रेल तथा यातायात मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) प्रत्यक्ष रूप से तो प्रश्न उत्तर पूर्व रेलवे के कैथर लखनऊ खंड के कैथर तथा सेमापुर रेलवे स्टेशनों के बीच ४४२ डाउन मिश्रित तथा ८०७ अप मालगाड़ी के बीच हुई सीधी मुठभेड़ से है। सरकारी रेलवे निरीक्षक ने, जिस ने कि इस दुर्घटना की जांच की थी अपने अन्तर्कालीन प्राप्य प्रतिवेदन में बताया है कि यह दुर्घटना ४४२ डाउन मिश्रित गाड़ी के चालक के कर्त्तव्य पालन से च्युत होने के कारण हुई है ।

(ख) इंजन चालक को बन्दी बना लिया गया था और उसे अब जमानत पर छोड़ दिया गया है । आज कल वह निलम्बन में है ।

(ग) (i) छः व्यक्ति मर गये ।

(ii) १४ व्यक्ति बुरी तरह तथा ३५ व्यक्ति साधारण रूप से घायल हुए।

(घ) अभी तक नहीं दिया गया है। चूंकि पदेन दावा-आयुक्त के पास अभी तक कोई दावा इस सम्बन्ध में नहीं किया गया है।

रामावरम में डाकघर

***१०७. श्री विट्ठल राव : क्या संचरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिंगरेनी कोयला खदान कर्मचारी संघ की ओर से वारंगल जिले के रामावरम् विभाग वाह्य डाकघर को शाखा डाक घर में परिवर्तित करने के लिये कोई अभ्यावेदन मिला है?

(ख) यदि यह ठीक है, तो वह अभ्यावेदन किस दिनांक को मिला था ?

(ग) उस के बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

(घ) अब तक उस के बारे में क्या निर्णय हुआ है ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) रामावरम् के विभाग वाह्य डाकघर को छोटा डाक घर बनाने के लिये अभ्यावेदन मिला था ।

(ख) सितम्बर १९५२ में ।

(ग) तथा (घ), यह निश्चित किया गया है कि जैसे ही स्थान मिलता है वैसे ही उस विभाग वाह्य डाक घर को छोटे डाक घर में परिवर्तित कर दिया जायेगा।

पंज घाटी के कोयला क्षेत्र

***१०८. श्री के० सी० सोधिया :** (क) क्या **श्रम** मंत्री महोदय यह बताने की कृपा **करेंगे** कि क्या सरकार ने मध्य प्रदेश की पंच **घाटी** के कोयला क्षेत्रों में एक अस्पताल बनाने का निश्चय किया है ?

(ख) यदि यह ठीक है तो उस अस्पताल का प्रस्तावित खर्चा कितना होगा ?

(ग) निर्माण कार्य कब **प्रारम्भ** होगा ?

(घ) यदि नहीं तो सरकार कब तक इस सम्बन्ध में निर्णय कर लेगी ?

(ङ) किस निधि से यह धन दिया जायेगा ?

(च) क्या कोयला क्षेत्र के कर्मचारियों के लिये वहां कोई आयुर्वेदिक औषधालय है ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि) : (क) हां ।

(ख) लगभग ५,३२,००० रुपया ।

(ग) अस्पताल के नक्शे तैयार हो रहे हैं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

(ङ) कोयला खदान श्रमिक हितकारी निधि से ।

(च) कोयला खदान श्रमिक हितकारी निधि से कोई आयुर्वेदिक औषधालय नहीं खोला गया है ऐसी निजी संस्थाओं के विषय में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

रेलवे उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति

***१०९. श्री एस० एन० दास :** (क) क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या ६ प्रादेशिक रेलवे उपयोग कर्ता परामर्शदात्री समिति एवं राष्ट्रीय रेलवे उपयोगकर्त्ता परिषद् की स्थापना हो गई है और क्या वे कार्य कर रही हैं ?

(ख) यदि ऐसा है तो विभिन्न हितों का किस अनुपात में इन समितियों तथा परिषद् में प्रतिनिधित्व होता है ?

(ग) क्या इन समितियों तथा परिषद् की कोई बैठक हुई है ?

(घ) यदि हुई है तो वे मुख्य मुख्य प्रश्न कौन कौन से हैं जिन के बारे में इन्हों ने अपनी सिफारिशें भेजी हैं ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी हां ।

(ख) मांगी गई जानकारी से सम्बन्धित सूचना सदन पटल पर रखी जाती है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या २३]**

(ग) प्रादेशिक परामर्शदात्री समितियों की बैठक जुलाई के अन्त में हुई थी तथा राष्ट्रीय परिषद् की बैठक शीघ्र ही होने वाली है ।

(घ) बैठकों की कार्यवाही की प्रतीक्षा में हैं अतएव सरकार को इस बात का कोई ज्ञान नहीं है कि उन्हों ने कौन कौन सी सिफारिश की हैं ।

"अपने माल के डिब्बे लीजिये" योजना

***११०. श्री एस० एन० दास :** (क) क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार "अपने माल के डब्बे लीजिये" योजना पर विचार कर रही है ?

(ख) यदि ऐसा है तो उस योजना की मुख्य मुख्य बातें क्या हैं ?

(ग) क्या रेलवे उपयोगकर्त्ताओं की राय इस के बारे में ली गई है और क्या उन का मत मिल गया है ?

(घ) इस विषय के अन्तिम निर्णय होने में कितना समय लगेगा ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) तथा (ख), यह प्रस्ताव अभी तक छान बीन की स्थिति में है। अभी तक कोई योजना नहीं बनाई गई है।

(ग) प्रश्नावली भेज दी गई है। यदि जब कभी भी यह योजना पूरी हो गई तो रेलवे प्रयोग कर्त्ताओं की राष्ट्रीय परिषद् की बैठक में इस पर विचार किया जायगा।

(घ) इस समय इस विषय के बारे में कुछ कहना संभव नहीं है।

दरभंगा मेडिकल कालेज

***१११. श्री एस० एन० दास:** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री दिनांक २३ फरवरी, १९५३ को पूछे गये तारांकित प्रश्न सं० २५९ के उत्तर की ओर निर्देश करने की कृपा करेंगी और बतलायेंगी :

(क) क्या भारत की चिकित्सा परिषद् ने दरभंगा मेडिकल कालिज के निरीक्षण के लिये कोई व्यवस्था की है जो कि आजकल बिहार विश्वविद्यालय से सम्बन्धित है ;

(ख) यदि ऐसा किया गया है तो क्या परिषद् ने (i) संस्था को भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, १९३३ के अन्तर्गत स्वीकृति देने और (ii) बिहार विश्वविद्यालय द्वारा एम० बी० बी० एस० डिग्री प्रदान करने के सम्बन्ध में सरकार के समक्ष सिफारिश की है ;

(ग) क्या स्वीकृति दे दी गई है ; और

(घ) यदि ऐसा किया गया है तो क्या यह संस्था के सिंहावलोकन का परिणाम है ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृतकौर) : (क) हां।

(ख) अभी तक इस तरह की कोई सिफारिश प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) तथा (घ). प्रश्न नहीं उठते।

चीन से चावल आयात

***११२. श्री लक्ष्मण सिंह चरक :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार ने चीन की सरकार से चावल देने के लिये कहा था; और

(ख) यदि ऐसा किया गया है तो समझौते की बात चीत किस स्थिति में है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) और (ख). हां। भारत सरकार ने चीन गणतंत्र की केन्द्रीय लोक सरकार से कुछ चावल बेचने के लिये कहा था। कुछ समय पूर्व ऐसा किया गया था किन्तु कोई समझौता नहीं हो सका। इस विषय पर आगे बात चीत नहीं हुई क्योंकि यह अनुभव किया गया कि भारत सरकार को अभी और अधिक चावल की आवश्यकता नहीं है।

कटक चावल गवेषणा संस्था

***११३. श्री बर्मन:** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कटक चावल गवेषणा संस्था को कोलम्बो योजना के अन्तर्गत आस्ट्रेलिया से कोई सामग्री मिली है अथवा मिलने वाली है ?

(ख) यदि प्राप्त हुई है तो वह सामग्री क्या है ?

(ग) क्या उक्त संस्था के लिये किसी नवीन भवन के निर्माण करने की योजना है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) हां । कोलम्बो योजना के अन्तर्गत उक्त संस्था को आस्ट्रेलिया से कतिपय सामग्री देने का वचन दिया गया है । अभी तक सामग्री प्राप्त नहीं हुई है ।

(ख) सदन पटल पर सूची प्रस्तुत की गई है ।

(ग) हां ।

दिनांक ४ अगस्त, १९५३ को पूछे गये तारांकित प्रश्न सं० ११३ के सम्बन्ध में, केन्द्रीय चावल अनुसन्धान इंस्टीट्यूट के लिये आस्ट्रेलिया से प्राप्त होने की संभावना वाले उपकरणों की सदन पटल पर रखी जाने वाली सूची ।

उपकरण सूची

१. अनाज की नमी नापने का यंत्र (बेटरी चालित) क्षेत्रीय प्रयोग के लिये···एक

२. अनाज की नमी नापने का यंत्र (मैन आपरेटेड) ···एक

३. पैट्रोल गैस उत्पादक·········एक

४. अनाज में गर्मी उत्पन्न करने वाला यंत्र·············एक

५. प्रयोगशाला तराजू क्षमता ५०० ग्राम ···XO १ ग्राम ···दो

६. स्प्रे मास्टर (पावर स्पेअर) १-२ अश्वशक्ति पेट्रोल इंजिन होस सहित—प्रे गन से पूर्ण···················· ·····एक

७. स्प्रे मास्टर (होस और स्प्रे गन से युक्त) एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने योग्य पावर स्प्रेअर····················एक

८. 'बझाकाट' मेराइन स्प्रेअर, उच्च दवाव और निम्न विस्तार दोनों के स्प्रेयिंग के लिये स्प्रेगन और नजल्स की सहायक वस्तुओं से युक्त····················एक

जम्मू और काश्मीर के डाक कर्मचारी

***११४. श्री एच० एन० मुखर्जी :** क्या **संचरण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि जम्मू और काश्मीर राज्य के डाक तथा तार विभाग के कर्मचारियों को दिया जाने वाला विशेष भत्ता किन्हीं स्थानों में रोक दिया गया है ; और

(ख) यदि यह सच है तो ऐसा करने के क्या कारण हैं ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जम्मू और काश्मीर राज्य के डाक तथा तार विभाग के कर्मचारियों को वर्तमान में विशेष भत्ते प्रवेश्य नहीं हैं। कर्मात्मक क्षेत्र का भत्ता जो कि पहली मार्च १९५३ से बन्द कर दिया गया है वह जम्मू नगर के अतिरिक्त सम्पूर्ण राज्य के लिये स्वीकार्य था ।

(ख) कर्मात्मक क्षेत्र भत्ता कर्मचारियों को उक्त क्षेत्र में जीवन की दुरुहता के लिये स्वीकृत किया गया था । जम्मू नगर के लिये उक्त रियायत प्रदान करने के लिये तुलनात्मक दृष्टि से कोई औचित्य नहीं था ;

रेल तथा माल के डिब्बों का बुकिंग

***११५. श्री दाभी :** क्या **रेल** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि सरकार को व्यापार और वाणिज्य की विभिन्न संस्थाओं और विशेषत: अहमदाबाद और कैरा जिलों से रेलवे बुकिंग की अनियमितताओं और माल के डिब्बों की कमी के सम्बन्ध में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि उक्त तथ्य सत्य है तो सरकार ने स्थिति को सुधारने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

रेल तथा यातायात मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) हां। यातायात

के प्रयोजनार्थ माल के डिब्बों की कमी के सम्बन्ध में जनता और बम्बई राज्य के अहमदाबाद और कैरा जिलों की वाणिज्य और व्यापार संस्थाओं की ओर से अनेक अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं किन्तु डब्बों के बांट की अनियमितता के विषय में केवल एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ।

(ख) यातायात की समूची आवश्यकताओं की पूर्ति के अनुरूप स्थिति में सुधार करने के लिये प्रयत्न जारी हैं किन्तु महाराष्ट्र के अकाल क्षेत्रों में भारी मात्रा में चारा भेजने की बम्बई सरकार की मांग और मध्य जुलाई में बलसार जिले में अवमान होने के परिणामस्वरूप स्थिति विशेष रूप से कठिन हो गई थी । यातायात गति के अनुपात में पहले ही सुधार हो चुका है ।

महिला यात्री सहायक

***११६. ज्ञानी जी० एस० मुसाफिर :** क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या महिला यात्री सहायक नियुक्त करने की योजना सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि ऐसा है तो कब ?

रेल तथा यातायात मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) भारतीय रेलों के किन्हीं स्टेशनों पर महिला यात्री सहायक पहले से ही काम कर रही हैं और भविष्य में इस तरह के महिला यात्री सहायक नियुक्त करने का कोई नवीन प्रस्ताव अभी नहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

मदनपल्ली के निकट दुर्घटना (दावे)

***११७. श्री विश्वनाथ रेड्डी :** (क) क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि दक्षिण रेलवे के मदनपल्ली के निकट जून, १९५३ की दुर्घटना के सम्बन्ध में अभी तक प्राप्त हुए दावों की कुल संख्या कितनी है ?

(ख) एक व्यक्ति को दी जाने वाली अधिकतम रकम कितनी है ?

(ग) क्या इस विषय में दावा आयुक्त का निर्णय अन्तिम है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) दक्षिण रेलवे द्वारा ७८,४०० रु० तक के दावे प्राप्त हुए थे किन्तु सम्बन्धित व्यक्तियों से इन दावों को भारतीय रेल अधिनियम के अन्तर्गत नियुक्त दावा आयुक्त के समक्ष पेश करने के लिये परामर्श दिया गया है क्यों कि उन दावों के विषय में निर्णय करने के लिये वही समर्थ अधिकारी है ।

(ख) भारतीय रेल अधिनियम के अनुसार एक व्यक्ति को अधिकतम मुआवजा १०,००० रु० तक दिया जाता है ।

(ग) प्रदत्त मुआवजे की रकम के सम्बन्ध में, दावेदारों द्वारा उच्च न्यायालय में पुनरावेदन की प्रार्थना के अतिरिक्त रेलवे दावा आयुक्तों का निर्णय अन्तिम है ।

नौकरी विनिमय का चलन्तू कार्यालय

***११८. श्री नवल प्रभाकर:** क्या श्रम मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में एक नौकरी विनिमय का चलन्तू कार्यालय खोले जाने का विचार है;

(ख) यदि है, तो इस को कब खोला जायेगा; तथा

(ग) इस चलन्तू कार्यालय के अन्तर्गत कौन कौन से क्षेत्र रहेंगे ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि) : (क) से (ग). दिल्ली में नौकरी विनिमय का चलन्तू कार्यालय खोलने का कोई विचार

नहीं है। दिल्ली के नौकरी विनिमय कार्यालय का एक मोटर में स्थित एक चलन्तू विभाग कार्यालय के अधीन विभिन्न क्षेत्रों का भ्रमण करता है और नौकरी तलाश करने वाले व्यक्तियों के नाम दर्ज करता है। दिल्ली का कार्यालय दिल्ली राज्य के सम्पूर्ण क्षेत्र की सेवा के लिये प्रयत्नशील है।

रेल के टिकट

*१२१. **श्री कृष्णाचार्य जोशी**: (क) क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि बम्बई में रेल के हजारों जाली टिकट छापे और बेचे गये थे?

(ख) यदि यह बात सच है तो उक्त जाली टिकट कब से चल रहे हैं?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन): (क) जाली पत्र और कार्ड टिकटों के कुछ मामलों का पता लगाया गया है।

(ख) पुलिस मामले की जांच कर रही है और निश्चित तिथि बताना असंभव है कि ये नकली टिकट कब से प्रारम्भ हुए हैं।

उद्यानविज्ञान समिति

*१२३. **श्री बुच्चिकोटैय्या**: क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे:

(क) क्या मई, १९५३ में दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् की उद्यानविज्ञान समिति की कोई बैठक हुई थी;

(ख) क्या कृषि अनुसन्धान संस्था, पूसा में उद्यानविज्ञान विभाग स्थापित करने के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव रखा गया था; और

(ग) वाणिज्यकीय उद्यानों को सुधारने के उद्देश्य से समिति द्वारा प्रस्तुत किये गये सुझाव?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई): (क) हां।

(ख) समिति ने भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् के संचालक द्वारा प्रस्तुत संस्था में उद्यान विज्ञान विभाग की स्थापना पर विचार किया और उस की सिफारिश कर दी।

(ग) समिति ने सिफारिश की थी कि प्राचीन वाटिकायें जो नष्ट हो गई हैं फिर से नवीकरण की जायें और उन्हें प्राणवान उद्योग के स्तर पर स्थापित किया जाय। परामर्श देना और सीमित क्षेत्र में प्राविधिक पर्यवेक्षण करना राज्य सरकार के उत्तरदायित्व होंगे।

हैदराबाद में दर-पद्धति

*१२४. **श्री कृष्णमाचार्य जोशी**: (क) क्या संचरण मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि हैदराबाद के दूरभाष-विनिमय (टेलीफून एक्सचेंज) में संवाद दर पद्धति प्रारम्भ करने का कार्य स्थगित कर देने के क्या कारण हैं?

(ख) सरकार का इस योजना को कब चालू करने का विचार है?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर): (क) उक्त पद्धति की पूरी पड़ताल और निरीक्षण करने की दृष्टि से उसे हैदराबाद में स्थगित कर दिया गया है।

(ख) जांच पड़ताल और निरीक्षण कार्य पूरा हो जाने पर यथाशीघ्र।

काकीनाडा-कोटिपल्ली रेल मार्ग

*१२५. **श्री रामा राव**: (क) क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या काकीनाडा कोटिपल्ली के उखाड़े हुए रेल मार्ग का पुनःनिर्माण करने के विषय में कोई प्रस्ताव था?

(ख) क्या इस सम्बन्ध में प्रतिनिधान किये गये थे ?

(ग) सरकार का इस कार्य को कब आरम्भ करने का विचार है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) और (ख). हां ।

(ग) उक्त विषय विचाराधीन है ।

वालटेयर बेजबाडा रेल मार्ग

*१२६. **डा० रामा राव** : (क) क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि काकीनाडा को मेन लाइन पर लाने की दृष्टि से वालटेयर-बेजवाडा रेल मार्ग म परिवर्तन करने के लिय परिमाप किया गया था ?

(ख) सरकार इस कार्य को कब प्रारम्भ करेगी ?

(ग) क्या इस सम्बन्ध में अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) और (ग). हां ।

(ख) विषय विचाराधीन है ।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम का भूतपूर्व महानिदेशक

*१२७. **श्री वेंकटारमन** : क्या श्रम मंत्री यह बतलान की कृपा करेंगे :

(क) क्या कर्मचारी राज्य बीमा निगम के भूतपूर्व महानिदेशक डा० काटियाल द्वारा १८ जुलाई, १९५३ को समाचारपत्रों को दिय गय वक्तव्य की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है ;

(ख) क्या यह सत्य है कि निगम तथा मंत्रालय के मध्य मतभद थे ;

(ग) यदि हां, तो य मतभेद किन विषयों पर थे ;

(घ) क्या निगम के लिये जीवनांकिक (एक्चुअरी) मुख्य लेखा पदाधिकारी तथा मुख्य चिकित्सा आयुक्त की नियुक्ति में कोई विलम्ब हुआ था;

(ङ) यदि हां, तो क्या इस विलम्ब से निगम के कार्य में बाधा पड़ी है;

(च) क्या निगम की किसी उप-समिति से निगम की कायपद्धति की जांच कराने के लिये कहा गया था; और

(छ) यदि हां, तो इस की सिफारिशें क्या हैं ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि) : (क) जी हां ।

(ख) तथा (ग). श्रम मंत्रालय तथा निगम में कोई मतभद नहीं था । सरकार तथा निगम के मध्य सदा ही अच्छे सम्बन्ध रहे हैं ।

(घ) से (छ). उत्तर लम्बे होने के कारण सदन पटल पर रखे जाते हैं । [देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या २४]

हावड़ा में प्रदर्शन

*१२८. **श्री बीरबल सिंह** : / **श्री रघुनाथ सिंह** :

क्या संचरण मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या हावड़ा में ५ जुलाई, १९५३ को कुछ प्रदर्शनकारियों ने एक डाकखाना जला दिया था; और

(ख) इस से डाक विभाग को कितनी क्षति उठानी पड़ी ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी हां ।

(ख) डाक विभाग को नकदी तथा टिकटों के रूप में १३२ रुपय १० आने ११ पाई तथा फर्नीचर की चीजों व थैलों इत्यादि के रूप में १३५० रुपये १३ आने ६ पाई

की हानि हुई । डाक घर के कुछ अभिलेख भी नष्ट हो गये हैं ।

पीलीभीत-बिलासपुर रेल गाड़ी

***१२९. श्री एम० एल० अग्रवाल :** (क) क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार से इस विषय में कोई अभ्यावेदन किये गये हैं कि उत्तर-पूर्वी रेलवे में पीलीभीत और बिलासपुर के बीच युद्ध से पूर्व की जो तीसरी गाड़ी हाल ही में पुनः चलाई गई है उस का समय बहुत असुविधाजनक है ?

(ख) क्या सरकार का वर्तमान समय को बदल कर इस प्रकार कर देन का विचार है जिस से कि इस समय रात को चलन वाली गाड़ी दिन में चलन लगे ?

(ग) सरकार का इस तीसरी गाड़ी को बढ़ा कर बिलासपुर तथा शाहजहांपुर के बीच कब तक चलान का विचार है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी हां ।

(ख) इस बात की ओर ध्यान दिया जा रहा है ।

(ग) ऐसा करने के लिये डिब्बों तथा इंजनों की उपलब्धता के सम्बन्ध में स्थिति पर्याप्त सुधर जाने पर इस प्रश्न का पुनरीक्षण किया जायेगा ।

केन्द्रीय जल विवाद शाखा

१. श्री नानादास : (क) क्या **सिंचाई तथा विद्युत् मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि भारत सरकार की केन्द्रीय जल विवाद शाखा में पदाधिकारी तथा अन्य संवर्ग के कितने लोग लगे हुए हैं ?

(ख) वे कहां-कहां पर स्थित हैं, और उन की वेतन-श्रेणियां तथा अन्य उपलब्धियां क्या हैं ?

सिंचाई तथा विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) गजटेड १४—अन्य ६३ (उन में से अधिकांश अल्पकालीन नौकरी पर हैं) ।

(ख) वे सब दिल्ली में स्थित हैं, और संलग्न विवरण में उल्लिखित अपनी-अपनी श्रेणियों में वेतन प्राप्त कर रहे हैं तथा भारत सरकार द्वारा समय समय पर स्वीकृत सामान्य भत्त—अर्थात् मंहगाई भत्ता, नगर क्षतिपूरक भत्ता, मकान किराया भत्ता, और साथ ही नियमानुकूल प्राप्य होने पर नियोजन भत्ता—भी प्राप्त कर रहे हैं। [**देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या २५**]

वायदे के सौदे (विनियमन) अधिनियम, की अभिपूर्ति के लिए कर्मचारीवर्ग

२. श्री नानादास : (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलान की कृपा करेंगे कि वायदे के सौदे (विनियमन) अधिनियम, १९५२ की अभिपूर्ति के लिये कितना कर्मचारीवर्ग—पदाधिकारी और अन्य संवर्ग पृथक-पृथक— मंजूर किया गया है और नियोजित किया गया है ?

(ख) उन के वेतन क्रम क्या हैं ?

(ग) इन पदों पर नियुक्तियां सीधे सीधे की गई थीं, या संघीय लोक सेवा आयोग के द्वारा की गई थीं ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) वायदा-बाजार-आयोग इस मास में कभी कार्यारंभ कर देगा । अतः कर्मचारीवर्ग अभी नियुक्त होना है ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

वायदा-बाज़ार-आयोग का कर्मचारीवर्ग

३. श्री नानादास : (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि नये बने वायदे-बाजार-आयोग के लिये मंजूर किये गये स्थानों की संख्या और उन का स्वरूप क्या है ?

(ख) विभिन्न वेतन-क्रम क्या हैं और कितने स्थान पदाधिकारियों के हैं और कितने अन्य संवर्गों के ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) वायदा-बाजार- आयोग शीघ्र ही संस्थापित किया जायगा और अब तक कोई स्थान मंजूर नहीं किया गया है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

प्रशुल्क आयोग में अतिरिक्त स्थान

४. **श्री नानादास** : (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि प्रशुल्क आयोग के लिये मंजूर किये गये उन अतिरिक्त स्थानों की पदाधिकारियों तथा अन्य स्थापनों की पृथक-पृथक संख्या क्या है, जिन के लिये १९५३-५४ के आय व्ययक में व्यवस्था की गई ह ?

(ख) विभिन्न वेतन-क्रम क्या हैं ?

(ग) क्या नियुक्तियां सीधे सीधे की गई थीं और यदि हां, तो कितनी ?

(घ) यदि नियुक्तियां संघीय लोक सेवा आयोग के द्वारा की गई थीं, तो ऐसी कितनी नियुक्तियां हुई थीं ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) से (घ). प्रशुल्क आयोग की रूप योजना, सभापति समेत इस के सदस्यों की अर्हतायें और उन की सेवा की शर्तें प्रशुल्क आयोग अधिनियम, १९५१ में बताई गई हैं ।

शेष स्थानों के सम्बन्ध में अपेक्षित सूचना देने वाला एक विवरण में सदन-पटल पर रखता हूं । [**देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या २६**]

पटसन की मिलें

५. **श्री गोपाल राव** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे

(क) भारत में पटसन मिलों की राज्यवार कुल संख्या ;

(ख) इन मिलों की कुल उत्पादन-सामर्थ्य ;

(ग) १९४५ से मई, १९५३ के बीच इन मिलों में वर्षवार कुल वास्तविक उत्पादन ;

तथा

(घ) १९४५ से मई, १९५३ तक के समय में कितने करघों पर मुहर लगा दी गई थी ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी): (क) से (घ). अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण सदन-पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या २७**]

चाय

६. **श्री गोपाल राव** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) १९४७, १९४८, १९४९, १९५०, १९५१, १९५२ और १९५३ (मई तक) में पैदा की गई चाय की कुल मात्रा ;

(ख) १९४७ और मई १९५३ के बीच (वर्षवार) चाय के निर्यात की कुल मात्रा तथा मूल्य; तथा

(ग) १९४७ और १९५३ के बीच (वषवार) भारत के चाय-बागों में (राज्यवार) लगाये गये कामकरों की संख्या ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) से (ग). अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण सदन-पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट १ अनुबन्ध संख्या २८**]

पाकिस्तानी पुलिस तथा बिहार पुलिस के बीच गोली चलना

७. श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा: (क) क्या **प्रधान मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का ध्यान ५ जून १९५३ के 'इंडियन नेशन' (द्वितीय डाक संस्करण) में प्रकाशित मुख्य शीर्षक वाले इस समाचार की ओर आकर्षित किया गया है कि बिहार राज्य के पूर्निया जिले की भारत-पाकिस्तान सीमा पर २ जून १९५३ को पाकिस्तानी पुलिस और बिहार-सैन्य-पुलिस के बीच गोली चली थी ?

(ख) यदि किया गया है, तो यह घटना किन परिस्थितियों में घटी ?

(ग) क्या इस झगड़े में कोई घायल हुआ था ?

(घ) क्या कोई अतिचार की घटना हुई ?

(ङ) यदि हां, तो आक्रामक कौन था?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) से (ङ). यह घटना २५ मई, १९५३ को हुई, २ जून को नहीं । उस दिन कुछ पाकिस्तानी गड़रिये नागर नदी के इस पार भारतीय राज्य क्षेत्र में अनधिकार घुस आये और भारतीय राष्ट्रजनों के धान के खेतों में अपने ढोरों को चराने लगे । गांव काली टोला, थाना करनदिघी, जिला पूर्निया के दो भारतीय गड़रियों ने जो पास में ढोर चरा रहे थे, इस पर आपत्ति की और झगड़ा उठ खड़ा हुआ, जिस में कुछ और पाकिस्तानी नदी के इस पार उतर आये और सभी ढोरों को पाकिस्तानी राज्य क्षेत्र में ले जाने की चेष्टा करने लगे । इसी समय बिहार सैन्य पुलिस स्थल पर पहुंच गई और पाकिस्तान वासी अपने ढोरों को पीछे छोड़ कर सीमा पार भाग गये । तब उन ढोरों को मवेशीघर में डाल दिया गया। पकिस्तानवासियों के पाकिस्तानी राज्यक्षेत्र में चले जाने के बाद पूर्वी पाकिस्तान के कुछ पुलिस वालों ने, जो सीमा पार झाड़ियों के पीछे छिपे हुए थे, बिहार सैन्य पुलिस के ऊपर कई गोलियां चलाईं, और उन्हों ने भी आत्म रक्षा के लिये दो गोलियां चलाईं । किसी भी ओर कोई हताहत नहीं हुआ ।

पाकिस्तानी राष्ट्रजनों के अनधिकार प्रवेश और पूर्वी पाकिस्तानि पुलिस के बिना उत्तेजना गोली चलाने के विषय में ढाका स्थित हमारे उप-उच्चायुक्त ने पूर्वी बंगाल सरकार को और कराची स्थित हमारे उच्च-आयुक्त ने पाकिस्तान सरकार को विरोध प्रदर्शित किया है ।

दामोदर घाटी निगम जांच समिति का प्रतिवेदन

८. श्री एच० एन० मुखर्जी: (क) क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या दामोदर घाटी निगम जांच समिति ने अपना प्रतिवेदन सरकार के पास भेज दिया है ?

(ख) यदि भेज दिया है, तो क्या सरकार प्रतिवेदन की एक प्रति सदन-पटल पर रखना चाहती है ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) दामोदर घाटी निगम समिति की सिफारिशों पर विचार करने के लिये भाग लेने वाली सरकारों का एक सम्मेलन सितम्बर १९५३ के प्रथम सप्ताह में बुलाने का विचार है । समिति की सिफारिशों पर सरकार द्वारा अपने निर्णयों को सुनिश्चित रूप दे देने के बाद प्रतिवेदन की एक प्रति सदन पटल पर रख दी जायेगी ।

सामुदायिक परियोजनाओं की प्रगति

९. श्री गोपाल राव: क्या **योजना** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग द्वारा सामु-

दायिक परियोजनाओं की प्रगति का अध्ययन करने के लिये कोई संगठन स्थापित किये गये हैं;

(ख) यदि किये गये हैं, तो (१) वे किन केन्द्रों में स्थापित किये गये हैं, (२) प्रत्येक केन्द्र के कर्मचारी ; और (३) उनकी उपलब्धियां; तथा

(ग) उन के द्वारा अपने काम में की गई प्रगति ?

सिंचाई तथा विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) हां ।

(ख) परियोजना एकक :

१. (१) नाभा (पैप्सू)

(२) पूसा (बिहार)

(३) भाठाट, जिला गोरखपुर (यू० पी०)

(४) नौ गांव (विन्ध्य प्रदेश)

(५) सूरी, जिला वीरभूम (पश्चिमी बंगाल)

(६) अरुणाचल, जिला कछार (आसाम)

(७) भद्रक (उड़ीसा)

(८) एरोड (मद्रास राज्य)

(९) खैराताबाद (हैदराबाद डिवीजन)

(१०) समल कोट, पूर्व गोदावरी (मद्रास)

(११) मंड्या (मैसूर राज्य)

(१२) चालाकुडी (त्रावनकोर- कोचीन)

(१३) मानवदार, सोरथ (सौराष्ट्र)

(१४) कोल्हापुर, (बम्बई)

(१५) मोरसी, जिला अमरावती (मध्य प्रदेश)

(१६) कुफ्री -नारकंडा (शिमला)

(१७) बटाला, जिला गुरुदासपुर (पंजाब)

(१८) टिंडौन (राजस्थान)

२ तथा ३.

कर्मचारी	वेतन-प्रमाप
परियोजनामूल्यांकन-पदाधिकारी द्वितीय श्रेणी	२०.रु०३५०-२५-५००-ई-बी-३०-८००
अनुसन्धानकर्त्ता ग्रेड १	७. रु० २५०-१०-३००-१५-४५०-२५/२-५००
क्लर्क-टाइपिस्ट	४०. रु० ५५-३-८५-ई० बी०४-१२५-५-१३०
अनुसन्धान कर्त्ता ग्रेड २	६. रु० १६०-१०-३३०
चपरासी	४०. रु० ३०-१/२ ३५

(ग) अधिकांश कर्मचारी अप्रैल, १९५३ के आरम्भ में आ गये थे । उपयुक्त प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद मई के आरम्भ में उन्होंने अपने अपने केन्द्रों में कार्यारंभ कर दिया । अपनी परियोजनाओं की दशाओं और कार्य-प्रणाली का अध्ययन करने के साथ ही ये पदाधिकारी साधारणतः और कुछ चुनी हुई मद्दों में विकास कार्यक्रम के प्रभाव का पता लगाने की दृष्टि से विशेष पर्यवेक्षण करते हैं ।

निकोटिन सल्फ़ेट

१०. श्री ए० एन० विद्यालंकार : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निकोटिन सल्फेट एक मूल्यवान पदार्थ है जो साधारणतः तेज कृमिनाशक के रूप में प्रयुक्त होता है;

(ख) क्या भारत सरकार इस के विकास में विशेष रुचि ले रही है ; तथा

(ग) रद्दी तम्बाकू और तम्बाकू के डंठल की वह मात्रा, जो निकोटिन के कच्चे माल के काम में आने के लिये भारत में उपलब्ध हो सकती है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी०टी० कृष्णमाचारी) : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) रद्दी तम्बकू से निकोटिन सल्फेट बनाने की वैज्ञानिक तथा औद्योगिक गवेषणा परिषद के तत्वधान में विकसित हुई एक सरल तथा बचतपूर्ण प्रक्रिया का इस उद्योग की स्थापना में रुचि लेने वाले लोगों को सहायता पहुंचाने की दृष्टि से खूब प्रचार किया जा रहा है ।

(ग) लगभग ३८० लाख पौंड रद्दी तम्बाकू और २५० लाख पौंड तम्बाकू के डंठल प्रति वर्ष निकोटिन के उत्पादन के लिये उपलब्ध रहते हैं ।

अयोरजजारिज (इल्मेनाइट) और गंधशाक खर्परी (रूटाइल)

११. श्री ईश्वर रेड्डी: (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि १९५२ में कितने इल्मेनाइट और रुटाइल का निर्यात किया गया था ।

(ख) प्रत्येक पदार्थ की निर्यातित मात्राओं के मूल्य क्या हैं ?

(ग) उन का किन देशों को निर्यात किया गया था ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) से (ग).] रु० ८७,९८,९८७ मल्य के १,७४,१७८ टन इल्मेनाइट का संयुक्त राजतन्त्र ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमरीका, जापान, इटली, आस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी, और हालैंड, को निर्यात हुआ था । रूटाइल का कुछ भी निर्यात नहीं हुआ ।

त्रिपुरा में सामुदायिक परियोजनायें

१३. श्री बीरेन दत्त: क्या **योजना** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) वे मद्दें, जिन पर त्रिपुरा की सामुदायिक-परियोजनाओं के लिये रखी गई राशि व्यय की गई है;

(ख) क्या परियोजना क्षेत्र के किसानों द्वारा छोटे मोटे सिंचाई-कार्यों के लिए कुछ मांग की गई थी;

(ग) क्या परियोजना क्षेत्र के लोग ३००० रुपये की लागत पर बनने वाले कुंऐं के स्थान पर १५०० रुपये की लागत के एक तालाब की मांग कर रहे हैं; तथा

(घ) क्या सरकार परियोजनाक्षेत्र लोक-सम्मेलन द्वारा भेजे गये स्मृति पत्र पर विचार करना चाहती है ?

सिंचाई तथा विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) एक विवरण सदन-पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या २९**]

(ख) से (घ) त्रिपुरा के मुख्या-युक्त से सूचना मंगाई गई है और प्राप्त हो जाने पर सदन पटल पर रख दी जायेंगी ।

विदेशों में व्यापार प्रतिनिधि

१४. श्री वी० पी० नायर: क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री 'जर्नल आफ इंडस्ट्री एण्ड ट्रेड' (जून १९५३) के पृष्ठ ८६६ से ८७१ तक की ओर निर्देश करते हुए यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्य देशों में भारतीय वाणिज्य व्यापार प्रतिनिधियों एवं भारत में विदेशों के वाणिज्य व्यापार-प्रतिनिधियों की सूचियां सम्पूर्ण एवं नवीनतम हैं; और

(ख) यदि हां, तो (१) चीन, (२) चेकोस्लोवाकिया, (३) हंगरी, (४) पोलैंड तथा (५) सोवियत रूस का राज्य-संघ में भारतीय वाणिज्य-व्यापार-प्रतिनिधि नहीं रखे जाने के कारण क्या हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) जिस समय 'जर्नल ऑफ इंडस्ट्री एण्ड ट्रेड' का जून अंक प्रकाशित किया गया, तो उस में अन्य देशों में स्थित भारतीय णिज्य व्यापार प्रतिनिधियों

एवं भारत में विदेशों के वाणिज्य-व्यापार प्रतिनिधियों की नवीनतम सूचियां प्रकाशित हुई थीं। यों तो प्रतिनिधियों के परिवर्तन के साथ-साथ इन सूचियों में प्रायः संशोधन एवं परिवर्तन होते रहते हैं।

(ख) वाणिज्य-व्यापार के प्रतिनिधि पदाधिकारियों की नियुक्ति के कई एक कारण हैं, जिन में से विविध देशों के साथ होने वाले वाणिज्य व्यापार का परिमाण ही एक मुख्य कारण समझा जाता है। जहां हमने विशिष्ट रूप से "वाणिज्यिक पदाधिकारी" नहीं रखे हैं वहां प्रतिनिधि-मण्डलों के मुखियाओं द्वारा ही यह व्यापार कार्य चलाया जाता है। तो, इसी के अनुसार चीन, चेकोस्लोवाकिया और रूस में हमारे दूतावासों में इस काम के लिये पर्याप्त कर्मचारी रहते हैं जो ऐसे मामलों के प्रस्तुत होने पर वाणिज्य-व्यापार कार्य सम्भालते हैं। जहां तक हंगरी का प्रश्न, है वियाना स्थित भारतीय उप-वाणिज्य-दूत व सहचारी ही हंगरी के साथ के व्यापार आदि का ध्यान रखता है। और चेकोस्लोवाकिया स्थित भारतीय दूतावास पोलैण्ड में के वाणिज्यिक मामलों का ध्यान रखता है।

नारियल की जटा

१६. **श्री वी० पी० नायर**: क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय द्वारा प्रकाशित 'जर्नल ऑफ इंडस्ट्री एण्ड ट्रेड' (जून १९५३) की ओर निर्देश करते हुए यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "राउण्ड दि ग्लोब रिव्यु' (संसार भर की झांकी) शीर्षक वाले लेख में वे सभी बातें सविस्तार दी गई हैं जो इस विषय से सम्बन्धित हैं कि विश्व के बाज़ारों में जटा का क्या भविष्य होगा;

(ख) यदि हां, तो पूर्वी यूरोपीय लोकतंत्र, सोवियत रूस तथा चीन के साथ जटा-व्यापार बढ़ाने की सम्भावनाओं एवं आवश्यकताओं पर विस्तृत टिप्पणी क्यों नहीं दी गई है; और

(ग) क्या सरकार ने इन देशों में जटा की मांग, यदि कुछ हो तो, जानने के लिए कोई प्रयत्न किये हैं?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) नहीं।

(ख) कई अन्य देशों के सम्बन्ध में सविस्तार सूचना पहले ही मिल चुकी है और अन्य देशों से सूचना की प्रतीक्षा हो रही है। समय समय पर ये सभी सूचनायें इस जर्नल (पत्रिका) में प्रकाशित की जायेंगी।

(ग) हां।

विस्थापित व्यक्तियों का न्यास

१७. **डा० अमीन**: क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या विस्थापित व्यक्तियों का न्यास स्थापित करने के विषय में कोई निश्चय किया गया है?

पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले): अभी कोई भी निश्चय नहीं किया गया है।

आयात-अनुज्ञप्तियां

१८. **डा० अमीन**: क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) जनवरी–जून, १९५३ की अवधि में आयात-अनुज्ञप्तियों के लिये कितने प्रार्थना-पत्र पहुंचे और उनका कुल कितना मूल्य है;

(ख) जारी की गई अनुज्ञप्तियों की संख्या तथा उनका कुल मूल्य, और उसके साथ में उन देशों के नाम जिन के लिये उन अनुज्ञप्तियों को जारी किया जा चुका है;

(ग) अस्वीकृत प्रार्थना-पत्रों की संख्या और उनका कुल मूल्य ;

(घ) कितने प्रार्थना-पत्र निपटाये जाने को हैं ;

(ङ) प्रत्येक प्रार्थना-पत्र को निपटाने के लिये औसत रूप से कितना समय लगता है ;

(च) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक प्रार्थना-पत्र को निपटाने के लिये औसत रूप से कितना समय लगता है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) से (घ). एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ३०**]।

(ङ) और (च). समय लगने की बात तो प्रार्थना-पत्र की बातों पर निर्भर करती है। साधारणतया, प्रार्थनापत्रों को अब १५ दिन से एक महीने तक की अवधि में निपटाया जाता है। बहुत से मामलों में इस से भी कम समय लिया जाता है।

पैराफिन (मृदुसा) मोम

१९. **श्री हेडा** : (क) क्या **निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि १९५२ में भारत में पैराफिन मोम का कुल कितना उत्पादन हुआ और उसका मूल्य कितना होगा ?

(ख) भारत में इस मोम की कुल खपत कितनी है ?

(ग) कौन से देश भारत से इस मोम का आयात करते हैं ?

निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद उपमंत्री (श्री बुरागोहिन) : (क) और (ख). यह जानकारी देना लोकहित में नहीं है।

(ग) भारत से पेराफिन मोम आयात करने वाले देश ये हैं : ग्रेट ब्रिटेन, आस्ट्रेलिया, बेलजियम, बर्मा, श्री लंका, चिली, आयर, हालैण्ड, जापान, माल्टा, मध्य पूर्व, पाकिस्तान, साइप्रस, मिस्र, मलाया पूर्वी अफ्रीका और रोडेशिया।

कबाड़ के लोहे का निर्यात

२०. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या १९५१ और १९५३ (मई तक) में भारत से कबाड़ के लोहे का किसी देश को निर्यात हुआ था ?

(ख) यदि हां, तो किन किन देशों को ?

(ग) इन निर्यातों का मूल्य तथा उनकी मात्रा, वर्षवार और देशवार, क्या हैं ?

(घ) क्या भारत की पंचवर्षीय योजना में लिपिबद्ध इस्पात की उत्पादन-वृद्धि के साथ यह निर्यात मेल खाता है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) हां, श्रीमान्।

(ख) तथा (ग). सदन पटल पर एक विवरण रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ३१**]

(घ) प्रयोग में नहीं लाये जाने के योग्य कबाड़ के लोहे का निर्यात करने में ऐसी कोई भी बात नहीं जो योजना में लिखित उद्देश्यों के अनुरूप हों।

पेन्सिलें

२१. **श्री दाभी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री जापान से पेन्सिलों की आयात के सम्बन्ध में १६ मार्च, १९५३ को तारांकित प्रश्न संख्या ७८३ पर उठाये गये अनुपूरक प्रश्न के उत्तर की ओर निर्देश करते हुये यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) विविध प्रकार के पेन्सिलों की वार्षिक आवश्यकता कितनी है ;

(ख) वर्ष भर में देश में विविध प्रकार की कुल कितनी पेन्सिलें तैयार की जाती हैं ;

(ग) देश में किन किन जगहों पर तथा किन किन कम्पनियों द्वारा पेन्सिलें तैयार की जाती हैं;

(घ) देश में पेन्सिलों का आयात करने के लिये अनुज्ञाएं जारी करने के सम्बन्ध में सरकार की क्या नीति है; और

(ङ) १९५२-५३ में देश में आयात की गई विविध प्रकार की पेन्सिलों का मूल्य कितना है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) कोई भी सही जानकारी उपलब्ध नहीं है, किन्तु तटकर आयोग के समक्ष साक्ष्य से आयोग ने यह अनुमान लगाया है कि प्रति वर्ष ६ लाख गुरुस पेन्सिलों की आवश्यकता पड़ती है। तट कर आयोग ने यह भी अनुमान किया है कि इसमें ७५ प्रतिशत काले सीसे की पेन्सिलों की १५ प्रतिशत बैंगानी पेंसिलों की और १० प्रतिशत रंगीन सीसे की पेन्सिलों की आवश्यकता पड़ती है।

(ख) सदन पटल पर एक विवरण रखा जाता है।

(ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार सदन पटल पर एक विवरण रखा जाता है।

(घ) इस समय की चालू आयात नीति यह है कि सुलभ मुद्रा-क्षेत्रों की अनुज्ञप्तियां प्रसिद्ध-संस्थापन्न आयातकों को इस हिसाब से जारी की जाती हैं कि उन्हें काले सीसे की पेन्सिलों के सर्वाधिक आयात के आधे का ३० प्रतिशत और बैंगनी तथा रंगीन पेंसिलों के सर्वाधिक आयात के आधे का ५० प्रतिशत अभ्यंश दिया जाता है। जहां तक सीसे की पेन्सिलों के आयात का प्रश्न है, १६ रुपये प्रति गुरुस की बढ़िया पेन्सिलों के आयात के लिये ही अनुज्ञप्तियां चल सकती हैं। २० रुपये प्रति गुरुस से कम के मूल्य की रंगीन तथा बैंगनी पेन्सिलों के आयात के लिये अनुज्ञप्तियां नहीं चल सकती हैं।

(ङ) सदन पटल पर एक विवरण रखा जाता है।

[(ख), (ग) तथा (ङ) के लिये देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ३२]

कपड़े का उत्पादन

२२. श्री के० पी० सिन्हा : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) अप्रैल, मई और जून, १९५३ में कुल कितने गज़ कपड़ा उत्पादित किया गया था ; और

(ख) विगत वर्ष के इन्हीं महीनों में कपड़ा उत्पादन के आंकड़े क्या हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) तथा (ख). सदन पटल पर एक विवरण रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ३३**]

धोतियां और साड़ियां

२३. श्री के० पी० सिन्हा : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाथ करघों को संरक्षा प्रदान करने के लिये मिलों पर लगाये गये प्रतिबन्धों के समय से जून, १९५३ तक कपड़ा मिलों ने कितनी धोतियों और साड़ियों का (पृथक्-पृथक्) उत्पादन किया;

(ख) वर्ष १९५२ के तत्स्थानी महीनों में उत्पादन की क्या स्थिति है;

(ग) मिलों पर प्रतिबन्ध लगने के समय से हाथ करघों ने कितनी धोतियों और साड़ियों का उत्पादन किया; और

(घ) क्या उत्पादन में विशेष वृद्धि हुई है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) तथा (ख). सदन पटल पर एक विवरण रखा जाता है। मिलों

द्वारा धोतियां बनाने पर ही तो प्रतिबन्ध है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ३४]**

(ग) तथा (घ). मुहैय्या किये गये धागे के आंकड़ों से पता चल रहा है कि हाथ करघे के कपड़े के उत्पादन में वृद्धि हुई है किन्तु भिन्न भिन्न प्रकार के उत्पादन के सविस्तार आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

वैदेशिक कार्यक्रम विभाग

२४. श्री राधा रमण : (क) क्या **सूचना तथा प्रसारण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि आकाशवाणी (आल इण्डिया रेडियो) के वैदेशक कार्यक्रम विभाग में काम करने वाले लोगों की कुल संख्या कितनी है ?

(ख) इस विभाग पर का वार्षिक व्यय कितना है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) २३१।

(ख) आकाश वाणी (आल इण्डिया रेडियो) के विदेशी कार्यक्रम विभाग पर १९५२–५३ में वास्तव में १३,५८,५०० रुपये का व्यय हुआ था।

भारत स्थित विदेशी सार्थों के कर्मचारी

२५. श्री ए० एन० विद्यालंकार : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत स्थित सभी विदेशी सार्थों से इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त किया है कि उन्होंने अपने कार्यालयों में कितने भारतियों और कितने अभारतियों को काम पर लगा रखा है; और

(ख) क्या सरकार उन सार्थों के कामों और प्रत्येक सार्थ में काम करने वाले भारतियों एवं अभारतियों की संख्या का एक पूरा विवरण सदन पटल पर रखेगी ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) जी हां, जहां कहीं भी किसी का पता चल सका।

(ख) इस प्रश्न का उत्तर देने में बहुत सा श्रम तथा समय लगेगा, और उसके बाद जो परिणाम मिलेगा वह इस सारे प्रयत्न के समपरिमाण नहीं होगा।

चारसूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रशिक्षित पदाधिकारी

२६. श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : (क) क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि उन के मंत्रालय के कितने पदाधिकारियों को चार सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रशिक्षा प्राप्त करने के लिये भेजा गया था ?

(ख) उनके नाम, पद, योग्यतायें तथा अनुभव क्या हैं ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) छः।

(ख) संलग्न विवरण में अपेक्षित जानकारी दी जाती है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ३५]**

बम्बई में नमक उत्पादन केन्द्र

२७. श्री राघवय्या : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई राज्य में नमक उत्पादन केन्द्रों की कुल कितनी संख्या है;

(ख) वर्ष १९४७ और १९५२ के बीच, वर्ष-वार, इन केन्द्रों में कुल कितना नमक उत्पादित हुआ;

(ग) क्या यह तथ्य है कि पानी सुखा कर नमक बनाने वाली मशीनों के मालिक बांधों की उचित मरम्मत करवाने में असफल रहे जिसके परिणामस्वरूप उत्पादन में घाटा हुआ;

(घ) यदि हां, तो प्रति वर्ष कितना घाटा हुआ;

(ङ) क्या ये मशीन मालिक अक्टूबर से उत्पादन प्रारम्भ नहीं करते और इसमें अनावश्यक देर किया करते हैं ; और

(च) यदि हां, तो इन मशीन मालिकों से बांधों की नियमित तथा सामायिक मरम्मत करवाने तथा प्रति वर्ष अक्टूबर में ही उत्पादन शुरू कराने के लिये सरकार क्या पग उठाना चाहती है ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : (क) बम्बई राज्य में २० नमक उत्पादन केन्द्र हैं।

(ख) सदन पटल पर एक विवरण रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ३६**]

(ग) तथा (घ). छोटी मशीनों के कई मालिक बांधों की ठीक ठीक मरम्मत करवाने में असफल रहे हैं, किन्तु इस से उत्पादन में कोई भारी घाटा नहीं हुआ है।

(ङ) यह तो हर एक नमक बनाने वाले का अपना अपना काम है कि वह कब नमक उत्पादन शुरू करे; और नमक बनाने के लिये उसे स्थानीय बाज़ार की स्थिति पर ही निर्भर करना पड़ता है।

(च) इन मालिकों के नाम जो अनुज्ञप्तियां जारी की गई हैं, उन की शर्तों के अनुसार उन्हें नमक निर्माणशाला की उचित मरम्मत करना अनिवार्य हो जाता है। यदि वे ऐसा करने में असफल रहें, तो उन ही के खर्चे पर नमक विभाग उनका काम चला सकता है, और बाद में उन से खर्चा ले सकता है। अभी तो किसी भी शक्ति का प्रयोग नहीं किया गया क्योंकि नमक का गैर सरकारी उत्पादन बढ़ता जा रहा है, और मांग के मुकाबले में पूर्ति अधिक हो रही है। सरकार को इस बात का कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं कि नमक का निर्माण करने वाले से किसी विशेष महीने में नमक बनवा ले।

आयात, निर्यात और रेलवे निष्कासन के लिये सरकारी अभिकरण

२८. **श्री राघवय्या :** क्या **निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार द्वारा संगठित उनके मंत्रालय के अधीन कार्य करने वाला, आयात निर्यात (समुद्र और वायु द्वारा) तथा रेलवे निष्कासन के लिए कोई अभिकरण है;

(ख) क्या उसी मन्त्रालय के अधीन अलग अलग सरकारी अभिकर्ता थे;

(ग) यदि ऐसा है, तो क्या अभिकरण के दर विभिन्न थे;

(घ) १९४७ से १९५२ के बीच, वर्षशः सरकारी अभिकरणों के कुल शुल्क; और

(ङ) क्या इस मंत्रालय के आधीन सरकारी प्रेषित वस्तुओं को उठाने के लिये सरकारी अभिकरण की सब से सस्ती दर का उपयोग किया गया है ?

निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद तथा उपमंत्री (श्री बुरागोहिन) : (क) हां।

(ख) भिन्न-भिन्न बन्दरगाहों पर भिन्न-भिन्न निष्कासन अभिकर्ता हैं, परन्तु प्रत्येक बन्दरगाह पर एक ही अभिकर्ता काम करता है;

(ग) अभिकरण के शुल्क की दर प्रत्येक बन्दरगाह में भिन्न-भिन्न है।

(घ) सदन पटल पर विवरण पत्र रखा हुआ है। [**देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ३७**]

(ङ) प्रत्येक तीन वर्ष के पश्चात् घोषित टेंडरों के आधार पर बन्दरगाहों में

सामग्री निष्कासन-अभिकर्ता नियुक्त किये जाते हैं। ठेके अच्छी प्रकार स्थापित निष्कासन गृहों को दिये जाते हैं, जिन के दर न्यूनतम होते हैं यदि उनकी सिफारिश आगम और बन्दरगाह-न्यास अधिकारियों ने की हो, कि वे सब प्रकार के जहाजों की व्यवस्था करने के लिये उपयुक्त हैं, और वित्तीय दृष्टिकोण से भी ठोस हैं।

निष्कासन अभिकरण

२९. **श्री राघवय्या** : क्या **निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या मुद्रण तथा लेखन सामग्री संगठन के अधीन सरकारी प्रेषित वस्तुओं के निष्कासन के लिये सब से सस्ते संगठन से इन वर्षों में लाभ उठाया गया था ;

(ख) यदि ऐसा है, तो वर्षशः लाभ की रकम;

(ग) कलकत्ता में लेखन सामग्री के उप-नियन्त्रक के आधीन सरकारी अभिकरण द्वारा सस्ते दर पर कुशलतापूर्वक अब तक किये जाते रहे आयात और निर्यात कार्य के स्थानान्तरण और समाप्ती के क्या कारण थे ?

निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) केन्द्रीय लेखन-सामग्री कार्यालय का निष्कासन तथा नौपरिवहन विभाग वाणिज्यिक आधार पर नहीं चलाया जाता था, परन्तु 'क्रमिक' लेखा से पता चलता है कि इसे चलाने में लाभ और हानि दोनों होते थे।

(ख) १९५०-५१ में समाप्त होने वाले पांच वर्षों में लाभ हानि की रकम निम्न प्रकार थी :

	रुपये शुद्ध हानि	रुपये शुद्ध लाभ
१९४६-४७	११,३३०	—
१९४७-४८	—	६७८४
१९४८-४९	—	३८,६८५
१९४९-५०	—	२०,३६८
१९५०-५१	१५,७८५	—

(ग) प्राक्कलन समिति ने सिफारिश की कि लेखन-सामग्री कार्यालय को दूसरे मंत्रालयों के नौपरिवहन और निष्कासन कार्य की व्यवस्था नहीं करनी चाहिये। इसे सरकार ने स्वीकार कर लिया। इसके परिणामस्वरुप, लेखन-सामग्री कार्यालय का नौपरिवहन और निष्कासन कार्य घट जाने की प्रत्याशा थी, और इसलिये लेखन सामग्री कार्यालय में एक छोटे अतिरिक्त संगठन को रखने की आवश्यकता नहीं समझी गयी तदनन्तर लेखन सामग्री कार्यालय का नौपरिवहन तथा निष्कासन कार्य संभरण तथा उत्सर्जन संचालक को स्थानान्तरित कर दिया गया, जो कि इसी मंत्रालय के आधीन कलकत्ता में एक अधिक बड़ा संगठन है।

कोयले की खानें

३०. **पंडित एम० बी० भार्गव** : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) देश के विभिन्न भागों में गैर सरकारी व्यक्तियों और समवायों, या रेलवे तथा दूसरे सरकारी विभागों द्वारा प्रचलित कोयले की खानों की कुल संख्या;

(ख) इन कोयले की खानों से कोयले के उत्पादन की कुल मात्रा और मूल्य।

(ग) (१) वर्तमान खानों की अधिकतम उत्पादन-शक्ति ;

(२) उत्पादित कोयले के गुण प्रकार ;

(३) इसकी तुलना संसार के अन्य देशों में उत्पादित कोयले से कैसे की जाती है;

(घ) क्या भौमिकीय परिमाप ने देश के किसी और भाग में कोयला पाने की संभवता का पता लगाया है; और

(ङ) क्या केन्द्रीय सरकार या गैर सरकारी अभिकरणों द्वारा उसको खोज निकालने की कोई योजना है ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : (क) मार्च १९५३ में ९२८ थीं, जिनमें से ११ पर केन्द्रीय सरकार का स्वामित्व है और शेष पर गैर सरकारी व्यक्तियों और समवायों का ।

(ख) (१) १९५२ में कुल उत्पादित मात्रा ८३६,३०१,८६५ टन थी।

(२) कुल मूल्य ५३,६१,८७,०३० रुपये था (जैसा कि खानों के मुख्य निरीक्षक ने सूचना दी है)।

(ग) (१) कोयले के उद्योग का अधिकतम संभाव्य उत्पादन (क) माल डिब्बों की सप्लाई, (ख) श्रम (ग) विद्युत् या शक्ति के समुचित मिलने, मशीनों और सामान के मिलने पर निर्भर है । इसलिये वर्तमान खानों की अधिकतम उत्पादन शक्ति को ठीक ठीक निर्धारित नहीं किया जा सकता । पर यदि कोयले के लिये पर्याप्त आदेश और अपेक्षित रेलवे परिवहन मिलें, तो ऐसा अनुमान है कि वर्तमान खानों की अधिकतम उत्पादन शक्ति प्रति वर्ष ४ करोड़ ५० लाख टन से कम नहीं होगी, और अधिक यंत्रीकरण से यह प्रति वर्ष ५ करोड़ या ५।। करोड़ टन तक बढ़ाई जा सकती है ।

(२) विभिन्न कोयले की खानों के विश्लेषण का परिणाम बताने वाला विवरण पत्र सदन-पटल पर रखा हुआ है। [**(देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ३८)**] ।

(३) साधारण नियम के अनुसार भारतीय कोयले में क्षार-तत्व अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, नीदरलैंड, फ्रांस और रूस में उत्पादित कोयले की अपेक्षा अधिक है, और लगभग दक्षिणी अफ्रीका, आस्ट्रेलिया, चीन और जापान में उत्पादित कोयले के समान ही है ।

(घ) गत तीन वर्षों में, भौमिकीय परिमाप के परिणामस्वरूप कुछ कोयले वाले क्षेत्रों का पता लगाया गया है ।

(ङ) ज्ञात हुए कोयला रखने वाले क्षेत्रों और कोयले के क्षेत्रों का सम्पूर्ण और नियमबद्ध परिमाप भारतीय भौमिकीय परिमाप के वार्षिक-क्षेत्रीय कार्यक्रम में सम्मिलित है ।

अपहृत स्त्रियों की पुनः प्राप्ति

३१. श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : (क) **प्रधान मंत्री** जनवरी १९५३ के प्रारम्भ से भारत में पुनः प्राप्त की गई अपहृत स्त्रियों की संख्या बतलाने की कृपा करेंगे ?

(ख) उसी अवधि में पाकिस्तान में कितनी अपहृत स्त्रियें पुनः प्राप्त की गई ?

(ग) प्रत्येक देश में अभी भी कितनी अपहृत स्त्रियों को पुनः प्राप्त करना है ?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) प्रथम जनवरी से ३० जून १९५३ तक भारत में १०५२ मुसलमान अपहृत व्यक्ति पुनः प्राप्त किये गये हैं।

(ख) इसी समय में पाकिस्तान में २३७ गैर मुसलमान अपहृत व्यक्ति पुनः प्राप्त किये गये हैं।

(ग) पाकिस्तान और भारत से अभी पुनः प्राप्त किये जाने वाले अपहृत मुसलमानों और गैर मुसलमान व्यक्तियों के आंकड़े देना सम्भव नहीं है। अनुभव ने बतलाया है कि अधिकतर मामलों में पुनः प्राप्त किये गये व्यक्तियों को किसी भी पुनः प्राप्त अभिकरण में नहीं लिखा गया। तो भी, अभी दोनों देशों से पुनः प्राप्त होने वाले ऐसे व्यक्तियों की बड़ी संख्या है।

पश्चिमी पाकिस्तान से आये व्यक्ति

३२. श्री बाल्मीकी : क्या **पुनर्वास** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि १५ जुलाई १९५२ से १५ जुलाई १९५३ तक पश्चिमी पाकिस्तान से कितने व्यक्ति अस्थायी अनुज्ञा लेकर भारत में आये हैं ?

(ख) उन में से कितने व्यक्तियों ने स्थायी रूप से भारत में रहने के लिये निवेदन किया है ?

(ग) उन्होंने किन आधारों पर निवेदन किया है ?

(घ) सरकार ने हरिजनों के प्रश्न का, जो या तो अस्थायी अनुज्ञा लेकर या किसी दूसरे मार्ग से पश्चिमी पाकिस्तान से भारत आये हैं, कहां तक निपटारा किया है ?

पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले) : (क) तथा (ख) अपेक्षित जानकारी इकट्ठी की जा रही है।

(ग) १. भारतीय राष्ट्रजनों से विवाहित पाकिस्तानी लड़कियां जो अपने पतियों के साथ रहना चाहती हैं।

२. पति द्वारा संपरित्यजन अथवा तलाक या पाकिस्तान में परिवार के मुखिया अथवा कमाने वाले व्यक्ति की मृत्यु के कारण अभ्यर्थी को भारत में अपने समीपवर्ती सम्बन्धियों, पुत्रों अथवा माता पिता की शरण में आना पड़ा हो।

३. अभ्यर्थी यह दावा करते हैं कि वे भारत के राष्ट्रजन हैं, और उनके माता पिता, पति, परिवार के सदस्य सब भारत में हैं। अभ्यर्थी यह दावा करते हैं कि वे पाकिस्तान में अस्थायी समय के लिए सामाजिक या अन्य कार्य के लिए गये थे, और इधर उधर की अनुज्ञा पद्धति की कुचेष्टा के साथ आ गये हैं, तथा उनकी पाकिस्तान में प्रव्रजन करने की कोई इच्छा नहीं थी।

४. पाकिस्तान में अभ्यर्थियों की अरक्षित स्थिति ने उन्हें भारत में स्थायी रूप से ठहरने को बाध्य किया है।

(घ) हरिजनों के साथ भी उसी प्रकार व्यवहार किया जाता है, जैसे पश्चिमी पाकिस्तान के अन्य गैर मुस्लिमों के साथ।

योजना आयोग

३३. श्री ए० एम० टामस : योजना मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या भूमि-सुधार अध्ययन के लिये विशेष विभाग स्थापित किया जा चुका है, जिसकी पंचवर्षीय योजना ने सिफारिश की थी।

सिंचाई तथा विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) : यह स्थापित किया जा रहा है।

मुआवेजे के लिये दावे

३४. श्री गिडवानी: (क) क्या **पुनर्वास** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने प्राथमिकता के दावेदारों के लिये

मुआवजा लेने के लिये आवेदन-पत्रों का प्रबन्ध किया है, जिन्होंने पश्चिमी पाकिस्तान से इन सब राज्यों में प्रव्रजन किया है ?

(ख) किन राज्यों में भूप्रबन्ध-अधिकारी अथवा सहायक भूप्रबन्ध-अधिकारी नियुक्त किये गये हैं ?

(ग) वे प्रत्येक राज्य में कब नियुक्त किये गये थे ?

पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले) : (क) हां ।

(ख) तथा (ग). अपेक्षित जानकारी वाला विवरण-पत्र सदन पटल पर रखा हुआ है ।

सोडा कासटिक

३५. श्री के० सी० सोधिया : (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री १९५२-५३ में भारत द्वारा अपेक्षित सोडा कासटिक की कुल मात्रा बतलाने की कृपा करेंगे ?

(ख) उसी अवधि में भारत में बनाये गये सोडा कासटिक की कुल मात्रा क्या थी ?

(ग) १९५२-५३ में इस सामग्री का कुल कितना आयात और निर्यात हुआ ?

(घ) किन देशों को और किस मात्रा में यह निर्यात किया गया ?

(ङ) क्या सरकार द्वारा उद्योगों को सोडा कासटिक दिया गया था ?

(च) यदि ऐसा है, (१) प्रत्येक उद्योग को कितना, और (२) किन आधारों पर यह बांटा गया था ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) १९५२-५३ में उपभोग किये गए सोडा कासटिक के ठीक आंकड़े प्राप्त नहीं हैं;

(ख) १७,२०० टन ।

(ग) आयात २५,५४३ टन,
निर्यात शून्य ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ङ) तथा (च). उद्योगों को कासटिक सोडा बांटने पर कोई नियंत्रण नहीं है । अतः इसके बांटने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

केन्द्रीय सामाजिक विकास-मण्डल

३६. श्री बुच्चिकोटैय्या : (क) क्या **योजना** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने १९५३ में स्त्रियों और बच्चों के लिये विकास योजनाओं को सहायता देने के लिए कोई केन्द्रीय सामाजिक विकास-मण्डल स्थापित किया था ?

(ख) यदि ऐसा है, तो उसके कौन कौन सदस्य थे ?

(ग) उस मण्डल के मुख्य कार्य क्या हैं ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) हां ।

(ख) तथा (ग). सदन पटल पर विवरण पत्र रखा हुआ है ।

बेसिन ब्रिज स्टेशन की दुर्घटना

३७. श्री रघुनाथ सिंह : क्या **रेल** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह तथ्य है कि २६ मई १९५३ को मदरास राज्य में स्थित बेसिन ब्रिज स्टेशन पर एक सवारी गाड़ी के कुछ डब्बे एक इंजन से टकरा गये थे, जिसके परिणामस्वरूप रेलवे के आठ कर्मचारी घायल हो गये थे ;

(ख) इस दुर्घटना के लिये कौन व्यक्ति उत्तरदायी थे; तथा

(ग) क्या उन को दण्ड दिया गया है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) हां ! लगभग ६-०१ बजे २६ मई १९५३ को जब एक डाउन लाइट इंजन, बेसिन ब्रिज स्टेशन से वाशरमैनपेट को जा रहा था तो उस की टक्कर एक

स्थानीय सवारी गाड़ी संख्या आर० सी० ८१ से हो गई जो वाशरमैनपेट से बेसिन ब्रिज को जा रही थी। छब्बीस सवारियों को, जिस में २३ रेल कर्मचारी थे, चोटें आईं।

(ख) प्रत्यक्षतः सवारी गाड़ी का ड्राइवर उत्तरदायी ठहराया गया है।

(ग) ड्राइवर पर मुकद्दमा चलाया जा रहा है तथा उसे निलम्बित कर दिया गया है।

धनबाद में मनी आर्डरों का भुगतान न किया जाना

३८. **श्री रघुनाथ सिंह** : (क) क्या **संचरण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह तथ्य है कि मनीआर्डर द्वारा भेजे गये कोई १०,००० रुपए के भुगतान को धनबाद में जालसाज़ी से वसूल कर लिया गया था ?

(ख) अब तक सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) नहीं। मार्च १९५३ में धनबाद डाकखाने से केवल नौ जाली मनीआर्डरों का भुगतान, २२१९ रु० ६ आने ३ पाई जो चांदनी चौक, दिल्ली तथा मेरठ नगर डाकखानों से निर्गम किये गये थे, किया गया है।

(ख) इस मामले की अभी पुलिस द्वारा जांच की जा रही है।

अधिक अन्य उपजाओ योजना (ऋण)

३९. **श्री वी० पी० नायर** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री बताने की कृपा करेंगे :

(क) १९५३-५४ के लिये ट्रावनकोर-कोचीन सरकार को "अधिक अन्न उपजाओ" योजना के अन्तर्गत ऋण के रूप में दिये जाने वाली समग्र धन राशि ; तथा

(ख) उस राज सरकार द्वारा मांगी जाने वाली धन राशि ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : मांगी गई सूचना नीचे दी जाती है :—

(क) अभी तक ६,९०,७५० रुपया संभोदित किया गया है। २० लाख रुपये के एक और ऋण संभोदित करने पर विचार किया जा रहा है।

(ख) २७,५०,००० रुपये।

केले

४०. **श्री वी० पी० नायर** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री बताने की कृपा करेंगे :

(क) १९५०–५१, १९५१–५२ तथा १९५२–५३के वर्षों में भारत में उत्पादित किये जाने वाले केलों की समग्र मात्रा; तथा

(ख) इसी काल में, सड़ जाने के कारण उपभोग के लिये अयोग्य ठहराये जाने वाले केलों की मात्रा ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) १९५०–५१ में २.१२७ दस लाख टन तथा १९५१–५२ में १.८३ दस लाख टन। १९५२–५३ के आंकड़े अभी तक उपलब्ध नहीं हुए हैं।

(ख) सरकार के पास कोई सूचना नहीं है।

मछली

४१. **श्री वी० पी० नायर** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री बताने की कृपा करेंगे :

(क) (१) समुद्र से (२) नदी के चौड़े मोहानों से (३) नदियों से तथा अन्य शुद्ध जल संसाधनों से भारत में पकड़ी जाने वाली मछलियों का वर्तमान वार्षिक आगणन;

(ख) मानवी खाद्य के रूप में उपभोग की गई मछलियों की आगणित मात्रा;

(ग) खाद के रूप में प्रयोग की जाने वाली मछलियों की आगणित मात्रा; तथा

(घ) संग्रह तथा स्थानान्तरण की समुचित सुविधाओं के अभाव में सड़ जाने के कारण मानवी उपभोग के लिये अयोग्य हो जाने वाली मछलियों की आगणित मात्रा ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) विभिन्न संसाधनों से मत्स उत्पादन के सम्बन्ध में अलग अलग आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। फिर भी तट पर उतारी जाने वाली समुद्री मछलियों के संकलित आंकड़े तथा अन्तर्देशीय मछलियों के बिक्री योग्य आधिक्य के आगणन 'मीटरिक' टनों में नीचे दिया जाता है :—

	समुद्री मछली	अन्तर्देशीय मछली का बिक्री योग्य आधिक्य	योग
१९४९	३,८१,४००	१,५५,९००	५,३७,३००
१९५०	५,६०,४००	२,३८,६००	७,९९,०००
१९५१	५,२९,८००	२,०४,५००	७,३४,३००
१९५२	४,९७,३००	२,०३,१००	७,००,०००

अन्तर्देशीय मछलियों के बिक्री योग्य आधिक्य के आगणन में नदी के चौड़े दहानों से, नदियों तथा अन्य शुद्ध जल संसाधनों की मछलियां भी सम्मिलित हैं।

(ख) समग्र उत्पादन का ९२ प्रतिशत

(ग) समग्र उत्पादन का ६.६ प्रतिशत

(घ) समग्र उत्पादन का १.४ प्रतिशत

वासद-कथाना लाईन

४३. डा० अमीन : क्या **रेल** मंत्री बताने की कृपा करेंगे :

(क) वह तारीख़ जब पश्चिमी रेलवे की वासद-कथाना लाइन के विभिन्न स्टेशनों पर रेलवे कर्मचारी नियुक्त किये गये थे;

(ख) वह तारीख जबकि इस लाईन पर रेलों का चलना वास्तव में आरम्भ हुआ;

(ग) रेल कर्मचारियों की नियुक्ति से लेकर रेलों के वास्तविक संचालन के मध्य वाले काल में सरकार द्वारा रेलवे कर्मचारियों के वेतन इत्यादि पर किया जाने वाला समग्र व्यय; तथा

(घ) इस रेल की सेवा को आरम्भ करने में विलम्ब का कारण ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) अपेक्षित सूचना का एक विवरण संलग्न है।

(ख) १०–६–५३।

(ग) ४४४८–९–० रुपये।

(घ) इस खण्ड को संचालित करने में विलम्ब होने के कारण वे सुधार थे जो ६–४–१९५३ को होने वाले रेलवे के राजकीय निरीक्षक के निरीक्षण के पश्चात् उन के द्वारा बताये गये कुछ दोषों को दूर करने के लिये किये गये।

स्वास्थ्य योजनायें

४४. डा० रामा राव : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री, मंत्रालय की निम्नलिखित योजनाओं के कार्यान्वितीयकरण की उन्नति के प्रतिवेदन सदन पटल पर रखने की कृपा करेंगी :—

(१) केन्द्रीय स्वास्थ्य शिक्षा व्यूरो;

(२) शिशु पालन शिक्षण केन्द्र;

(३) केन्द्रीय कुष्ट तथा अनुसंधान इंस्टीट्यूट;

(४) भारत में बी० सी० जी० वैक्सीन का निर्माण;

(५) केन्द्रीय खाद्य अनुसंधानशाला;

(६) मेहरौली में टी० बी० चिकित्सालय तथा उसके प्रधान कार्यालय का निर्माण, सुसज्जीकरण तथा उसे सामान्य स्थिति में बनाये रखना;

(७) भूपाल में टी० बी० चिकित्सालय;

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर) : प्रत्येक योजना की वर्तमान स्थिति की व्याख्या करने वाला एक संक्षिप्त विवरण सदन पटल पर रख दिया गया है।

पर्यटक यातायात

४५. **श्री हेडा** : क्या **यातायात** मंत्री समुद्र पार के पर्यटक यातायात से १९५२ में होने वाली समग्र आगणित आय बताने की कृपा करेंगे?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : समुद्र पार पर्यटक यातायात से सरकार को होने वाले वित्तीय लाभ का अनुमान विदेशी विनिमय के रूप में लगाया जा सकता है; जो कि उस धन राशि के बराबर है जो विदेशी पर्यटक इस देश में व्यय करते हैं। १९५२ की यह धन राशि लगभग २.५ करोड़ रुपये के बराबर है।

रेलवे प्रादेशिक टिकट

४६. **श्री हेडा** : क्या **रेल** मंत्री बताने की कृपा करेंगे :

(क) प्रत्येक प्रदेश से, प्रत्येक काल में, निर्गम किये जाने वाले प्रादेशिक शताब्दी टिकटों की समग्र संख्या; तथा

(ख) समग्र धन राशि जो प्रत्येक प्रदेश में इन टिकटों की बिक्री से प्राप्त की गई?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) तथा (ख). १ अप्रैल से १६ अप्रैल १९५३ तथा १ मई से १३ मई १९५३ के दरमियान प्रत्येक प्रादेशिक रेलवे में बिक्री किये जाने वाले शताब्दी टिकटों की संख्या तथा इन से प्राप्त होने वाली आय निम्नलिखित है :—

	रेलवे शताब्दी टिकटों की संख्या—दो बच्चों के टिकटो को एक टिकट मान कर		आय	
	१ से १६ अप्रैल १९५३ तक	१ से १६ मई १९५३ तक	१ से १६ अप्रैल १९५३ तक	१ से १६ मई १९५३ तक
	रुपये	रुपये	रुपये	रुपये
केन्द्रीय	७५,१९१ १/२	५०,८९१ १/२	२२,५५,७४५	१५,२६,७४५
पूर्वी	७,९२७ १/२	५,६४९ १/२	२,३७,९२५	१,६९,४८५
उत्तरी	६,४२९ १/२	४,७२०	१,९२,८८५	१,४१,६००
उत्तर पूर्वी	१,५५९ १/२	१,०३०	४६,७८५	३०,९००
दक्षिणी	२०,०३१	१६,१२३ १/२	६,०१,११०	४,८३,७०५
पश्चिमी	१७,९२९	१५,९९८	५,३४,८७०	४,७९,९४०
कुल	१,२८,९७४	९४,४१ २१/२	३८,६९,२२०	२८,३२,३७५

रेलवे प्रादेशिक टिकट

४७. **श्री हेडा** : (क) क्या रेल मंत्री वताने की कृपा करेंगे कि प्रादेशिक टिकट निर्गम किये जाने के काल में, स्पेशल गाड़ियां चलाने तथा अतिरिक्त डब्बे जोड़ने के तथा ऐसे ही कौन कौन से अतिरिक्त प्रबन्ध किये गये थे ?

(ख) वह कौन से स्थान हैं जहां सामान्य रूप में यातायात जाम हो जाता था ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) संसाधनों की दृष्टि से जहां तक सम्भव था तथा जहां तक यातायात की दृष्टि से आवश्यक था ६९ अतिरिक्त गाड़ियां चलाई गई थीं तथा टाइमटेबुल में अनुसूचित १५३४ साधारण गाड़ियों में अतिरिक्त डिब्बे लगाये गये थे ।

(ख) केन्द्रीय रेलवे की केवलमात्र निम्नलिखित शाखाओं में किसी किसी दिन यात्रियों की संख्या इतनी बढ़ जाती थी कि उन का प्रबन्ध नहीं किया जा सकता था तथा उसके परिणामस्वरूप टिकट बांटने में रोक लगाना पड़ती थी ।

(१) जबलपुर–इलाहाबाद ।
(२) इटारसी––बलहरशाह ।
(३) मुसावल–इगतपुरी ।
(४) आगरा छावनी––राजा की मंडी

कलकत्ते में टेलीफ़ोन आपरेटर लड़कियां

४८. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : (क) क्या **संचरण** मन्त्री कलकत्ते की टेलीफोन आपरेटर लड़कियों की संख्या बताने की कृपा करेंगे ?

(ख) उन में से कितनी स्थायी तथा कितनी अस्थायी हैं ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) ११२७।

(ख) २३९ आपरेटर स्थायी हैं।
८८८ अस्थायी हैं।

305 PSD

संयुक्त राज्य अमरीका से आयात किये जाने वाले गेहूं का वहन शुल्क

४९. **श्री नानादास** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि १९५१ में भारत के द्वारा आयात किये जाने वाले १९ लाख टन गेहूं के चढ़ाने उतारने का शुल्क तथा समग्र वहन शुल्क जो संयुक्त राज्य अमरीका ने वसूल किया वह कितना था ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : संयुक्त राज्य अमरीका से १९५१ में आयात किये जाने वाले गेहूं की वास्तविक मात्रा १८.३५ टन थी। हस्तनिक्षेप के निबन्धन यह थे कि बन्दरगाह पर लादे जाने के समय तक माल निशुल्क रहेगा । संयुक्त राज्य अमरीका में हस्तनिक्षेप के पश्चात् वहन शुल्क तथा माल उतारने का शुल्क भारत सरकार द्वारा व्यय किया गया जिसकी धन राशि १८४१.६ लाख रुपये हुई ।

स्वास्थ्य विकास योजनायें

५०. **श्री पुन्नूस** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री बताने की कृपा करेंगी :

(क) किन राज्यों ने १९५२–५३ में स्वास्थ्य विकास योजनाओं के लिये दिये गये केन्द्रीय अनुदानों का पूरी तरह उपयोग नहीं किया है ;

(ख) प्रत्येक योजना पर, प्रत्येक राज्य की वह धनराशि जो कि कालातीत हो गई है ; तथा

(ग) अनुदानों का पूरा उपयोग न किये जाने का कारण ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर): (क) १९५२–५३ में ऐसे कोई अनुदान नहीं दिये गये ।

(ख) तथा (ग). यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होते हैं ।

उत्तर गुजरात में नलकूप प्रयोजना

५१. **श्री गिडवानी** : (क) क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ३० मई १९५३ तक उत्तर गुजरात में नल कूप प्रयोजना के लिये दो करोड़ रुपये के ऋण में से, कितनी धन राशि सरकार द्वारा बम्बई राज्य सरकार को दी गई है ?

(ख) ३० मई १९५३ तक निर्माण किये गये नलकूपों की संख्या कितनी है ?

(ग) इन में से कितने खोदे जा चुके हैं ;

(घ) उन में से कितने सफल प्रमाणित हुए हैं ?

(ङ) क्या बम्बई राज्य सरकार द्वारा उसी फर्म का संविदा नवीकृत किया गया था ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) ४० लाख रुपया।

(ख) तथा (ग). २५।

(घ) १८।

(ङ) हां।

रांची तक रेलवे लाइन का निर्माण

५२. **श्री के० पी० सिन्हा** : (क) क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि रांची (बिहार) को शेष रेल-व्यवस्था से बड़ी लाइन द्वारा मिलाने की क्या कोई योजना है ?

(ख) इस प्रस्ताव की अनुमानित लागत क्या है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) मूरी रांची क्षेत्र को एन० जी० से बी० जी० में परिवर्तित करने का प्रस्ताव है परन्तु सीमित संसाधनों के उपलब्ध होने के कारण निकट भविष्य में इसके आरम्भ होने की कोई सम्भावना नहीं है।

(ख) योजना की अनुमानित लागत १४५.५ लाख रुपये हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय गेहूं समझौता

५३. **श्री के० पी० सिन्हा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जून १९५३ तक अन्तर्राष्ट्रीय गेहूं समझौता के अन्तर्गत कितना गेहूं लिया गया था ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : १ अगस्त १९५२ से ३० जून १९५३ तक हमने अन्तर्राष्ट्रीय गेहूं समझौता के अन्तर्गत अपना पूर्ण वार्षिक कोटा, १५ लाख मैट्रिक टन गेहूं लिया था।

केन्द्रीय उर्वरक समूहन

५४. **श्री झूलन सिन्हा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :---

(क) क्या यह सत्य है कि सामान्य (केन्द्रीय) भंडार में से देश में वितरित होने वाले उर्वरकों का जनता को भंडार के बाहर वाले स्टाक की अपेक्षा अधिक मूल्य देना पड़ता है;

(ख) यदि ऐसा है तो इसके कारण क्या हैं; तथा

(ग) सहकारी एजेंसियों को दिये जाने वाले उर्वरक का गैर-सरकारी एजेंसियों को दिये जाने वाले उर्वरक के साथ क्या अनुपात है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) केन्द्रीय उर्वरक समूहन अमोनिया सल्फेट के वितरण को नियमित करता है; यह देश में सबसे अधिक लोकप्रिय है। केवल दो निर्माणशालायें, (१) मैसर्स फर्टीलाईज़र्स एण्ड कैमीकल्स (त्रावन्कोर) लि०, आलवे; तथा (२) मैसर्स मैसूर कैमीकल्स एण्ड फर्टीलाईज़र्स १९५२ में अपने उत्पादन केन्द्रीय समूहन के बाहर बेच रहे थे।

दिसम्बर १९५२ से लगभग अप्रैल १९५३ तक के काल के अतिरिक्त मैसर्स एफ० ए० सी०, टी० आलवे द्वारा कारखाने के बाहर लिया जाने वाला मूल्य सदैव ही पड़ौसी राज्य के फुटकर मूल्य से अधिक रहा है । दिसम्बर १९५२ में कारखाने के बाहर उनका मूल्य, दिसम्बर १९५२ में मद्रास राज्य में ४२५ रु० प्रति टन फुटकर मूल्य की अपेक्षा ४८० रु० से घट कर ४१० रु० प्रति टन हो गया था । १ जून १९५३ से निर्माणशाला को समूहन में ले लिया गया है । मैसूर राज्य का समूहन-मूल्य मैसर्स मैसूर कैमीकल्स एण्ड फर्टीलाईज़र्स लि०, मैसूर के कारखाने से निकास के मूल्य के साथ तुलनात्मक था क्योंकि संक्षिप्त में मैसूर कैमीकल्स एण्ड फर्टीलाइजर्स के कारखाने से निकास के मूल्य ४०० रु० प्रति टन, की अपेक्षा राज्य सरकार का फट कर मूल्य ४०२ रु० था (रखने उठाने तथा यातायात के व्यय के अतिरिक्त) । मैसूर सरकार का वर्तमान मूल्य, मैसूर कैमीकल्स एण्ड फर्टीलाइज़र्स के ३५० रु० प्रति टन के मूल्य की अपेक्षा, ३१० रु० अन्न की फसलों के लिए और ३३५ रु० अन्य फसलों के लिए हैं ।

(ख) कारण हैं :—

(१) अपने संचित स्टाकों को निकालने के लिए एफ० ए० सी० टी० द्वारा दिये गये मूल्य में कमी होना;

(२) मानसून न आने के कारण मांग में कमी होना ।

(३) मालगोदामों में अधिक समय तक रखने के व्यय के कारण मद्रास के मूल्य में वृद्धि होना । उसके पश्चात् केन्द्रीय सरकार के समूहन मूल्य में कमी होने तथा पुराने स्टाकों पर केन्द्रीय सरकार का राज्य सरकारों को छूट देने के फलस्वरूप मैसूर सरकार द्वारा लिये जाने वाले मूल्य में कमी हो गई है ।

(ग) राज्य सरकारों को भारत सरकार केवल अमोनिया-सल्फेट देती है । कृषकों में वास्तविक वितरण करना पूर्णतः राज्य सरकारों का काम है । फिर भी, एक विवरण जिस में विभिन्न राज्यों में रखे अनुपात दिये गये हैं, सदन पटल पर रखा जाता है ।

रेल कर्मचारी-कैन्टीन

५५. श्री ए० एन० विद्यालंकार : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न स्थानों पर कर्मचारी-कैन्टीनों को स्वास्थ्यानुकूल स्थितियों में रखने के लिये क्या पूर्वविधान किये गये हैं;

(ख) क्या शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि कुछ स्थानों पर इन कैन्टीनों में मिलने वाली भोज्य वस्तुयें अच्छी किस्म की नहीं होतीं;

(ग) क्या कैन्टीनों का प्रबन्ध मजदूर समितियों के हाथ में है अथवा रेलों के; तथा

(घ) ऐसे कैन्टीनों की पूर्ण संख्या जिनका प्रबन्ध पूर्णतः मज़दूर समितियों के हाथ में है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) समस्त सम्भव उपाय, जैसे कैन्टीन की परिसीमाओं में रंग आदि कराना व साफ़ कराना और इस के सामान को कीट-शोधक, साफ़ करने की सामग्री, आदि से धोना, किये गये हैं । इसका विश्वास करने के लिये कैन्टीनों को स्वास्थानुकूल स्थितियों में रखा जाता है, चिकित्सा, सफ़ाई, तथा अन्य कर्मचारी प्रायः कैन्टीन का निरीक्षण करते रहते हैं ।

(ख) कैन्टीनों में दी जाने वाली भोज्य सामग्री के बारे में कोई सामान्य शिकायत नहीं है । जब कभी कोई शिकायत प्राप्त होती है तो उचित शिकायत के कारण को दूर करने के लिए तुरन्त कार्यवाही की जाती है ।

(ग) प्राय रेलवे कैन्टीन या तो विभाग द्वारा चलाये जाते हैं या स्वयं मज़दूरों द्वारा। विभाग द्वारा चलाये जाने वाले कैन्टीनों के बारे में कैन्टीन के प्रबन्ध में प्राय कर्मचारियों के प्रतिनिधियों का सहयोग लिया जाता है।

(घ) चालीस।

भारतीय रेलवे शताब्दी प्रदर्शनी

५६. पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय रेलवे शताब्दी प्रदर्शनी नई दिल्ली में जन साधारण के लिए कितने दिन खुली रही;

(ख) कुल कितने व्यक्ति प्रदर्शनी देखने गये;

(ग) कितने टिकटों का विक्रय हुआ;

(घ) प्रवेश-टिकटों से कितना धन प्राप्त हुआ; तथा

(ङ) प्रदर्शनी में बनी दुकानें आदि को गिराने में कुल कितना धन व्यय हुआ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन): (क) ७१ दिन--४९९ घंटे।

(ख) १६ तथा १७ मई १९५३ को बिना टिकट के देखने वाले विद्यार्थियों, प्रतिरक्षा कर्मचारियों तथा रेल कर्मचारियों के अतिरिक्त ८,११,४४०। इस संख्या में उद्घाटन दिवस पर शताब्दी दिवस तथा विशेष दिवसों पर प्रदर्शनी देखने के लिए आमन्त्रित किये गये अतिथियों तथा संसत्सदस्यों की संख्या सम्मिलित नहीं है।

(ग) ८,११,४४०।

(घ) २,०२,८६० रुपये।

(ङ) रेल मन्त्रालय द्वारा बनाई गई दुकानें आदि अभी नहीं गिराई गई हैं, क्योंकि जनवरी १९५४ में होने वाली थोड़ी लागत के मकानों की अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी के लिये निर्माण, गृह व्यवस्था तथा रसद मन्त्रालय ने उन्हें प्रयोग करने का विचार प्रकट किया है।

भारतीय रेलवे शताब्दी प्रदर्शनी
(प्रदर्शित वस्तुयें)

५७. पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय: (क) क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि रेलवे शताब्दी प्रदर्शनी की कौन सी मुख्य प्रदर्शित वस्तुयें स्थाई किस्म की हैं?

(ख) उन्हें प्रदर्शित वस्तुओं के रूप में बनाये रखने के लिये क्या प्रबन्ध किये गये हैं?

(ग) मलवा का कैसे उपयोग किया जा रहा है और मंडपों को कैसे प्रयोग किया जायेगा?

(घ) वैयक्तिक निर्माणकर्ताओं के स्टाल्स आदि से कितनी आय हुई?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन): (क) व्यवहारिक रूप से सारे नमूने तथा प्रदर्शित वस्तुयें, जो भारतीय रेलों के मंडपों तथा अन्य रेलों के स्टालों में प्रदर्शित की गई थीं, स्थाई किस्म की हैं।

(ख) अधिकतर नमूनों को छोटी तथा बड़ी लाइन की प्रदर्शनी-रेल गाड़ियों में प्रदर्शन के लिये छांट लिया गया है जो अब देश का चक्कर लगा रही हैं। शेष सारे नमूने सम्बन्धित रेलों को लौटा दिये गये हैं और उन्हें आदेश दे दिये गये हैं कि वे उन्हें ठीक स्थिति में रखें।

(ग) मंडपों को नहीं गिराया गया है। निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद मन्त्रालय इन मंडपों को थोड़ी लागत के मकानों की अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी के लिए प्रयोग करना चाहता है जो जनवरी १९५४ में होगी। इमारतों और मंडपों में जो सामग्री प्रयोग हुई थी वह साधारण प्लेटफार्म-मंडप की सामग्री है और पूर्णतः पुनः प्रयोग के योग्य है।

(घ) वैयक्तिक स्टाल वालों, आमोद प्रमोद पार्कों तथा उप-आहार के ठेकेदारों,

गोदामों आदि से किराये के रूप में लगभग ४.५ लाख रुपये की आय हुई।

डी० टी० एस०

५८. पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय : क्या **यातायात** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारतीय रेलवे शताब्दी प्रदर्शनी से डी० टी० एस० की बसों को क्या आय हुई ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : क्योंकि केवल प्रदर्शनी के लिये ही कोई बस नहीं चलाई गई थी, दिल्ली यातायात विभाग की बसों को प्रदर्शनी के फलस्वरूप कितनी आय हुई का अनुमान नहीं लगाया जा सकता ।

जिखम (मनीपुर) में खाद्यान्न की कमी

५९. श्री एल० जे० सिंह : (क) क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि यह सत्य है कि मनीपुर के एक उपक्षेत्र, जिखम में खाद्यान्न की कमी है ।

(ख) क्या यह सत्य है कि कथित क्षेत्र से भुखमरी की अनेकों घटनाओं की सूचना मिली है?

(ग) उस क्षेत्र की सीमा क्या है जहां कमी की स्थितियां प्रचलित हैं ?

(घ) प्रभावित व्यक्तियों की संख्या क्या है ?

(ङ) मनीपुर में कमी को पूरा करने के लिए क्या सहायता कार्यवाहियां की हैं अथवा करने की सम्भावना है ?

(च) क्या सरकार ने कमी से प्रभावित क्षेत्रों में कोई सहायता कार्यवाही करने पर विचार किया है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) हां।

(ख) न।

(ग) लगभग ७० वर्ग मील।

(घ) लगभग ८,००० ।

(ङ) सहायता-कार्यवाही जो की गई हैं वे निम्नलिखित हैं :—

(१) कृषि-ऋण के रूप में २५,००० रु० का वितरण।

(२) १,००० मन चावल, जिसके लिए आर्थिक सहायता दी गई थी, १५ रु० प्रति मन के भाव पर बेचा गया।

(३) सुयोग्य व्यक्तियों में और १,००० मन चावल तथा ५०० मन धान का वितरण।

(४) भूमि-कर में ३,२१० रु० २ आने की छूट।

(५) इण्डियन रेड क्रास सोसाइटी की ओर से दान में दिये गये १,३०० रुपये का सुयोग्य व्यक्तियों में वितरण।

(च) नहीं।

सीतामशी के लिए टैलीफोन ऐक्सचज

६०. श्री डी० एन० सिंह : संचरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सीतामशी (बिहार) में एक टैलीफोन ऐक्सचेंज खोलने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : योजना विचाराधीन है और यदि हानि की कोई सम्भावना न हुई तो योजना पर कार्यवाही की जायेगी।

सोनवर्न में तारघर

६१. श्री डी० एन० सिंह : संचरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मुज़फ्फरपुर (बिहार) में सोनवर्न स्थान पर एक तारघर खोलने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : प्रस्ताव विचाराधीन है ।

पूर्वी रेलवे पर कैन्टीन

६२. श्री संगण्णा : (क) क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वाल्टायर-रायपुर रेलवे तथा परलकिमेदी लिशे रेलवे लाइनों पर (पूर्वी रेलवे) यात्रियों की सुविधा के लिये कितने रेस्टोरेन्ट्स तथा कन्टीन अब तक खोले गये हैं ?

(ख) यदि नहीं खोले गये हैं तो इन दो रेलवे लाइनों पर इस सम्बन्ध में क्या वैकल्पिक प्रबन्ध किया गया है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) तथा (ख). मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य स्टेशनों पर उप-आहार गृहों तथा/या भोजन स्टालों की व्यवस्था का निर्देश कर रहे हैं। यात्रियों की सुविधा के लिये वाल्टायर-रायपुर क्षेत्र में इस सम्बन्ध में निम्नलिखित प्रबन्ध हैं :—

स्टेशन	शाकाहारी उप-आहार ग्रह	मासाहारी उप-आहार ग्रह	शाकाहारी चाय स्टाल	मासाहारी चाय स्टाल
रायपुर	१	१	१	१
महासमन्द	—	—	१	१
खरियर रोड	—	—	१	—
कन्तारंजी	१	—	१	१
तितलागढ़	—	—	१	—
केसिंगा	—	—	१	—
रायघदा	१	—	१	—
बोबली	—	—	१	—
सीतावागरम	—	—	१	—
विज़ियानगरम	१	१	१	१
वाल्टायर	१	१	१	१

इसके अतिरिक्त १९५४-५५ के लिये रेल कार्यों के कार्यक्रम में कोटावल्सा तथा पेनदूरती स्थानों पर चाय के स्टाल बनाना भी सम्मिलित है ।

परलकिमेदी लाइट रेलवे क्षेत्र में आज कल भोजन का कोई प्रबन्ध नहीं है पर १९५४-५५ के लिए रेल कार्यों के कार्यक्रम में टेकली तथा गुनुपुर पर चाय स्टालों का बनना सम्मिलित कर लिया गया है। इस क्षेत्र में आज कल भोजन सुविधा की और कोई वैकल्पिक प्रबन्ध नहीं है । १ जुलाई १९५१ से पहिले अनुभव की कार्यवाही के रूप में रेलों में बेचने की प्रणाली लागू की गई थी परन्तु यह असफल रहीं । टेकली, गंगूवादा, परलकिमेदी, वरनसी तथा गुनुपुर के स्टेशनों पर बेचना आरम्भ करने के लिए प्रयत्न किये गये थे । आरम्भ में तो कोई ठेकेदार ये ठेके लेने को तैयार न था । परिणामस्वरूप एक ठेकेदार को इन स्टेशनों पर बेचने का प्रबन्ध करने के लिए तैयार किया गया। परन्तु उसका प्रबन्ध अत्यन्त असन्तोषजनक था, ऐसी सूचनायें प्राप्त हुई, अतः वह प्रबन्ध समाप्त कर दिया गया ।

इस सम्बन्ध में केवल १४ जुलाई १९५३ को एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था जिसमें परलकिमेदी स्टेशन पर एक चाय स्टाल की मांग की गई थी जो रेलवे के विचाराधीन है ।

डाक कर्मचारियों की छटनी

६३. श्री जेठालाल जोशी : (क) क्या **संचरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जून १९५३ में सौराष्ट्र तथा कुच के डाक तथा तार विभाग से कितने अस्थाई क्लर्कों को नौकरी से हटाया गया ?

(ख) क्या यह सत्य है कि सौराष्ट्र में इन खाली स्थानों को भरने के लिए महाराष्ट्र तथा कर्नाटक के क्लर्कों को आदेश दिये गये हैं ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) ६१, जिनमें १२ पुरुष आपरेटर भी सम्मिलित हैं ।

(ख) महाराष्ट्र तथा कर्नाटक के ३० उम्मीदवार नियुक्त किये गये हैं । सौराष्ट्र से बाहर के उम्मीदवारों को केवल इस कारण नियुक्त किया गया कि सौराष्ट्र के केवल ८ उम्मीदवार थे । क्षेत्र के लिये नियुक्ति सम्पूर्ण रूप में विशेषता के आधार पर होती है ।

पूसा इन्स्टीट्यूट क्षेत्र के पास टिड्डी दल

६४. श्री के० जी० देशमुख : (क) क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि मई १९५३ में पूसा इन्स्टीट्यूट क्षेत्र की ओर से दिल्ली में टिड्डी का एक तीन मील लम्बा और लगभग आधा मील चौड़ा दल गया था ?

(ख) क्या यह सत्य है कि देखी गई टिड्डियां पूर्ण-वयस्क थीं और अन्डे देने के प्रकार की थीं ?

(ग) इन टिड्डियों के आक्रमण के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) हां ।

(ख) नहीं ।

(ग) हम भारत के बाहर से टिड्डियों के आक्रमण को नहीं रोक सकते । हमारे पश्चिम में कुछ देशों ने जहां टिड्डी दल जन्म लेता है, कुछ टिड्डी विरोधी संघ बनाये हैं । हम ने हाल में ही ईरान में टिड्डियों को नष्ट करने में सहायता देने के लिए एक दल भेजा था । एक विवरण, जिसमें टिड्डियों तथा उछलने वाले कीड़ों के नाश सम्बन्धी हमारे प्रबन्धों का वर्णन है, सदन पटल पर रखा गया है माननीय सदस्य का ध्यान श्री एल० जे० सिंह के तारांकित प्रश्न १३७५ का १६ अप्रैल १९५३ को मेरे उत्तर की ओर भी आकर्षित किया जाता है ।

ग्रामीण डाक घर

६५. श्री के० जी० देशमुख : (क) क्या **संचरण** मंत्री केन्द्रीय क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों में १९५२-५३ में खोले गये नये डाक घरों की संख्या बताने की कृपा करेंगे ?

(ख) कथित क्षेत्र के लिए १९५२-५३ में क्या लक्ष्य-बिन्दु निश्चित किया गया था ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) केन्द्रीय क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों में ही समस्त डाक घर खोले गये हैं ।

(ख) डाक घर खोलने का लक्ष्य था कि २,००० या अधिक की जन-संख्या वाले समस्त गांवों में डाक घर खोले जायें ।

आकस्मिक श्रम

६६. श्री विट्ठल राव : (क) क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १ अप्रैल १९५३ को कितने आकस्मिक मज़दूर रेलों पर काम कर रहे थे ?

(ख) १९५२-५३ के वित्तीय वर्ष में कितने आकस्मिक मज़दूरों को नियमानुकूल मज़दूरों के रूप में ले लिया गया है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) ५६,६०२।

(ख) ७,८१५।

रेल का विलम्ब से चलना

६७. **श्री तुषार चटर्जी :** क्या **रेल** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि हावड़ा और सीलदा पर ग्रामगामी रेलों के विलम्ब तथा अनियमित रूप में चलने की कुछ घटनायें घटित हुई हैं;

(ख) यदि ऐसा है तो ऐसी कितनी घटनाओं की सूचना दी गई ;

(ग) क्या यात्रियों तथा कर्मचारियों के बीच कोई झगड़े रेलों के विलम्ब तथा अनियमित रूप में चलने के फलस्वरूप हुए थे ;

(घ) यदि हुए थे तो ऐसी कितनी घटनायें हुईं;

(ङ) क्या सरकार ने विलम्ब तथा अनियमित रूप में रेलों के चलन के मामलों की छानबीन की है ; तथा

(च) यदि की है तो सरकार ने इस मामले में क्या पग उठाये हैं ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) हां।

(ख) पिछले छः मासों में लगभग ४० शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(ग) हां।

(घ) पिछले छः मासों में १२ घटनायें।

(ङ) हां।

(च) हावड़ा तथा सीलदा क्षेत्र में रेलों के चलने को सुधारने के लिए निम्नलिखित कार्यवाहियां की गई हैं :—

(१) विलम्ब को रोकने की दृष्टि से रेलों के चलने की गहरी तथा निरन्तर निगरानी।

(२) समस्त ग्राम गामी रेलों से, स्त्री डिब्बों के अतिरिक्त, गाड़ी रोकने की जंजीर हटा दी गई है।

(३) रेलों में अत्यधिक भीड़ और फलस्वरूप विलम्ब से चलने को रोकने के लिए रेलों में बैठने के स्थानों में वृद्धि की व्यवस्था।

(४) रेलों के समयों में समायोजन।

(५) जहां कहीं आवश्यक है वहां रेलों के चलने तथा पहुंचने के स्टेशनों पर उनके आने तथा जाने के समय में पर्याप्त समय की व्यवस्था करने की दृष्टि से रेल लिंक्स का समायोजन ताकि रेलों के चलने में विलम्ब को रोका जा सके।

(६) इंजनों की शक्ति में वृद्धि करना।

(७) लगे हुये बल्बों, पंखों, शीशों आदि की चोरी के विरुद्ध कार्यवाही की गई जो यात्रियों तथा कर्मचारियों के बीच झगड़े तथा रेलों को रोकने का कारण बना।

परिणामतः ग्रामगामी रेलों के समय पर चलने में सुधार हो गया है, नाम्ना हावड़ा क्षेत्र में जुलाई १९५३ के प्रथम २० दिनों में उन रेलों के समय का प्रतिशत जिनके समय में विलम्ब नहीं हुई ८० थी जबकि जून १९५३ में यह प्रति शत ६७ थी, और सील्दा क्षेत्र में जुलाई में यह ८८ प्रतिशत थी जबकि जून में ८६ थी।

चीनी

६८. **श्री लक्ष्मण सिंह चरक : क्या खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि भारत सरकार जम्मू तथा काश्मीर सरकार को किस दर पर चीनी देती है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : काश्मीर सरकार को, चीनी के कारखान

के पास १९५२-५३ के मौसम में तैयार की गई चीनी के रक्षित स्टाक में से अभी तक चीनी नहीं दी गई है। कारखाने यह चीनी भारत सरकार के निर्देशानुसार २७) प्रतिमन के हिसाब से बेचेंगे, परन्तु जम्मू तथा काश्मीर सरकार कारखानों से सीधे ही चीनी खरीदती रही है और कारखाने चीनी की उस मात्रा में से बेचते रहे हैं जिसे बेचने पर कोई नियन्त्रण नहीं। इस चीनी का मूल्य उपरोक्त सरकार तथा कारखाने परस्पर तय करते रहे हैं।

सामुद्रिक मत्स्य पालन ट्रेनिंग स्कूल

६९. श्री बर्मन: (क) क्या **खाद्य तथा कृषि मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि भारत में कोई सामुद्रिक मत्स्य पालन ट्रेनिंग स्कूल है ?

(ख) यदि नहीं, तो इस विषय के जानकार कहां से भरती किये जाते हैं ?

(ग) भारत के मत्स्य पालन विभाग के अधीन सामुद्रिक मत्स्य पालन केन्द्रों में कुल कितने टेकनीकल जानकारी रखने वाले कर्मचारी रखे गये हैं।

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई): (क) जी, नहीं।

(ख) १९५० तक उन छात्रों में से जिन्होंने विश्वविद्यालय तथा भारत की अनुसंधान संस्थाओं में इस विषय का अध्ययन किया है; उन में से जिन्होंने मण्डपम सामुद्रिक मत्स्य पालन की ट्रेनिंग ली ह और उन लोगों में से जिन्होंने विदेशों के विश्वविद्यालयों तथा संस्थाओं में इस सम्बन्ध में ट्रेनिंग ली है।

(ग) ४६।

भूमिगत जल

७०. श्री आर० एन० सिंह : (क) **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार की ऐसी कोई योजना है जिसके अनुसार भूमि के अन्दर पानी की सतह का पता लगा कर यह बताया जा सके कि अमुक स्थान पर पानी प्राप्त हो सकता है और अमुक पर नहीं ?

(ख) यदि हां, तो वह योजना क्या है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई): (क) जी, हां।

(ख) टेकनीकल सहयोग सहायता कार्यक्रम के अधीन, १५ राज्यों के ऐसे क्षेत्रों में जहां पहले भूमिगत पानी का पता नहीं लगाया गया ३५० नलकुएं प्रयोगार्थ खोदे जायेंगे जिससे कि यह पता चल सके कि सिंचाई के लिये पानी मिल सकता है या नहीं और यदि हां, तो कितनी गहराई पर। वे स्थान जहां पर कुएं खोदे जायेंगे उनका निर्णय, राज्य सरकारों के साथ, भारत की भूतत्वीय परिमाप संस्था तथा इस मंत्रालय के पास उपलब्ध भूतत्वीय तथा अन्य आंकड़ों के आधार पर परामर्श करने के बाद किया जायगा।

केन्द्रीय गोसंवर्धन परिषद्

७१. सेठ गोविन्द दास: (क) **खाद्य तथा कृषि** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि वर्ष १९५२-५३ में केन्द्रीय गोसंवर्धन परिषद् की कितनी बैठकें हुई ?

(ख) इन बैठकों में क्या क्या प्रस्थापनाएं स्वीकृत हुई ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई): (क) दो बार।

(ख) एक विवरण साथ है जिसमें स्वीकार की गई प्रस्थापनाएं दी हुई हैं। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ४५]**

राजस्थान के दुधारू पशु

७२. सेठ गोविन्द दास: खाद्य तथा कृषि मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय गोसंवर्धन परिषद् द्वारा हाल ही में राजस्थान के कमी वाले

क्षेत्रों म दुधारू पशुओं के संरक्षण से सम्बन्धित किसी प्रस्ताव पर विचार किया गया था; तथा

(ख) यदि हां, तो क्या वह स्वीकृत कर लिया गया था ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

रेलवे स्टेशनों पर पीने का पानी

७३. ज्ञानी जी० एस० मुसाफिर : (क) क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का विचार है कि सारे बड़े बड़े रेलवे स्टेशनों पर गर्मी के मौसम में ठंडा पानी एक पैसा प्रति गिलास के हिसाब से देने की प्रणाली लागू की जाय ?

(ख) अब तक यह प्रणाली कितने स्टेशनों पर चालू की गई है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) तथा (ख). बड़े बड़े रेलवे स्टेशनों पर बिजली से ठंडा किये हुए पानी का प्रबन्ध पहले से ही है। जहां यह पानी गिलासों में दिया जाता है और इस के लिए कर्मचारी रखे गए हैं, वहां एक पैसा प्रति गिलास लिया जाता है। परन्तु जहां यात्री स्वयं नलकों से या काउंटर पर यह पानी ले सकते हैं, वहां ऐसे पानी के दाम नहीं लिये जाते। इस समय भारतीय रेलों के ५८ स्टेशनों पर ऐसा पानी मुफ्त मिलता है और २५ अन्य स्टेशनों पर पानी एक पैसा प्रति गिलास के हिसाब से दिया जाता है। धीरे-धीरे ज्यों ज्यों यह सुविधा देना आवश्यक तथा सम्भव हो रहा है, यह सुविधा दी जा रही है।

पट्टाह तथा वेली के बीच रेल का पटरी से उतर जाना

७४. श्री नवल प्रभाकर : क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि त्रिवेन्द्रम में पट्टाह तथा वेली के बीच हाल ही में एक मालगाड़ी पटरी से उतर गई थी;

(ख) इस में कितने डिब्बों को नुकसान पहुंचा; तथा

(ग) कुल हानि का अनुमान कितना है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी हां। २६–५–१९५३ को लगभग दोपहर के बाद ३ बज कर २७ मिनट पर, दक्षिण रेलवे की छोटी लाइन पर वेली तथा त्रिवेन्द्रम पट्टाह स्टेशन के बीच चलने वाली २५९५ मालगाड़ी के कुछ डिब्बे पटरी से उतर गए।

(ख) ६ डिब्बे।

(ग) अनुमान है डिब्बों को लगभग १,०००) तथा रेल की पटड़ी को ६,०००) की हानि पहुंची।

कुड्डलोर एन० टी० रेलवे स्टेशन

७५. श्री मुनिस्वामी : क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या कुड्डलोर एन० टी० (मद्रास राज्य) रेलवे स्टेशन को नए ढंग का बनाने का काम पूरा हो चुका है;

(ख) यदि नहीं, तो इस के कब तक पूरा हो जाने की आशा है; तथा

(ग) क्या कुड्डलोर एन० टी० रेलवे स्टेशन में आर० एम० एस० के कार्यालय का भवन बनाने की प्रस्थापना स्वीकार कर ली गई है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) कुड्डलोर एन० टी० रेलवे स्टेशन को नए ढंग का बनाने का काम पूरा हो चुका है; केवल निम्नलिखित काम बाकी हैं :

(१) स्टेशन के वर्तमान भवन तथा प्लेटफार्म को मिलाने वाला छत वाला पुल ।

(२) भूमिगत नालियों का निर्माण ये काम किए जा रहे हैं ।

(ख) आशा है कि उपरोक्त दो काम चालू वित्तीय वर्ष के अन्त से पहले पहले पूरे हो जायेंगे ।

(ग) आर० एम० एस० के लिए भवन बनाने की प्रस्थापना स्वीकार की जा चुकी है, और उस का नकशा बना कर आर० एम० एस० के अधिकारियों की स्वीकृति के लिए भेजा जा चुका है ।

केन्द्रीय ट्रेक्टर संस्था

७६. डा० राम सुभग सिंह : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय ट्रेक्टर संस्था १९५३–५४ में किन क्षेत्रों में भूमि को फिर से खेती योग्य बना रही है ?

(ख) इसी कालावधि में इस संस्था का कितनी भूमि खेती योग्य बनाने या उस में ट्रेक्टर चलाने का लक्ष्य है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) १९५२-५३ के मौसम में भूमि को खेती योग्य बनाने का काम जून, १९५३ के प्रारम्भ में समाप्त हुआ था । इस लिए इस समय भूमि को खेती योग्य बनाने का काम नहीं हो रहा है । १९५३-५४ के मौसम (अक्तूबर, १९५३ से मई १९५४) में केन्द्रीय ट्रेक्टर संस्था का विचार है कि निम्नलिखित क्षेत्रों में भूमि को खेती योग्य बनाया जाय ;

उत्तर प्रदेश : नैनीताल तथा झांसी के ज़िले ।

मध्य प्रदेश : ज़िला सागर और ज़िला होशंगाबाद ।

मध्य भारत : भेलसा तथा ईसागढ़ के ज़िले ।

भोपाल : रायसेन और सेहारे के ज़िले ।

(ख) १९५३-५४ के मौसम में भूमि को खेती योग्य बनाने के लक्ष्य ये हैं :—

कांस की सफ़ाई	२,५५,००० एकड़
जंगलों की सफ़ाई	५,००० एकड़

कलकत्ता की उपनगरीय रेलों की बिजली द्वारा चलाने की व्यवस्था

७७. श्री एम० एल० द्विवेदी : (क) क्या **रेल** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या कलकत्ते की उपनगरीय रेलों तथा कलकत्ता और कोयले की खानों के बीच चलने वाली पूर्व रेलवे की मुख्य लाइनों पर, जिसके साथ प्रस्तावित सरकूलर रेलवे को मिलाने की प्रस्थापना है, बिजली द्वारा रेलें चलाने की व्यवस्था करने का कार्य शुरू करने का अन्तिम निर्णय कर लिया गया है ?

(ख) यदि हां, तो इसकी व्यवस्था करने पर कितना खर्च होगा और कितने समय में यह काम पूरा होगा ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) कलकत्ते की उपनगरीय रेलों, जिन की चर्चाएं कोयले की खानों और खड़गपुर या टाटानगर तक चलेंगी, को बिजली द्वारा चलाने की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में एक व्यापक योजना तैयार करने के लिए एक पड़ताल करने वाली टुकड़ी नियुक्त की गई है । इस की रिपोर्ट के अध्ययन के बाद ही इस काम को शुरू करने का निश्चय किया जायगा ।

(ख) अभी तो यह प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता ।

नेपाल से अनाज

७८. श्री एस० एन० दास : (क) क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि नेपाल से आने वाला अनाज इस साल बन्द कर दिया गया है ?

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता ।

डाक के टिकट देने वाली स्वयं-चालित मशीन

७९. श्री एम० एल० द्विवेदी : क्या **संचरण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में सरकारी या असरकारी तौर पर, डाक के टिकट देने वाली स्वयं-चालित मशीनों के निर्माण या पुर्जे जोड़ कर उन्हें बनाने के सम्बन्ध में कोई प्रयत्न किए गए हैं;

(ख) क्या ऐसी विदेशी मशीनें, प्रयोगार्थ लगाई जायंगी;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में हुए अनुभव के फलस्वरूप विदेश में बनी ऐसी मशीनों में कोई सुधार किया गया है ; और

(घ) क्या इस सम्बन्ध में सरकार के सामने कोई प्रस्थापना है, यदि हां, तो क्या ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) अभी नहीं। परन्तु हमारा विचार यह है कि पहले कुछ विदेशी मशीनों को चलता देखते और एक ऐसी मशीन का पता लगा लें जो हमारी आवश्यकताओं के अनुकूल हो फिर हम ऐसा करें ।

(ख) जी, हां । अब तक पोस्ट कार्ड देने वाली एक नमूने की मशीन परीक्षणार्थ प्राप्त की गई है ।

(ग) पोस्ट कार्ड देने वाली, नमूने की जो वर्तमान मशीन है उस में इकन्नी डाली जाती है । यह देखा गया है कि उस में अधन्ना भी डाला जाय तब भी एक पोस्ट कार्ड मिल जाता है और एक पैसा वापिस मिल जाता है । इस मशीन के निर्माताओं को इस का यह दोष बताया गया है और उन्होंने इस दोष को दूर करने का वचन दिया है ।

(घ) यह प्रस्ताव है कि पोस्ट कार्ड देने वाली १०० मशीनें, पोस्ट कार्ड तथा लिफाफे देने वाली नमूने की एक मशीन और एक लिफाफे देने वाली नमूने की मशीन बाहर से मंगाई जाय ।

मिट्टी का कटाव

८०. श्री एम० एल० द्विवेदी : (क) क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि मिट्टी के कटाव की पड़ताल करने इसे रोकने की योजनायें तैयार करने और उन योजनाओं को लागू करने के सम्बन्ध में केन्द्र तथा राज्यों में एक संस्था स्थापित करने की प्रस्थापना किस अवस्था में है ?

(ख) क्या इस सम्बन्ध में विधान का मसौदा तैयार कर लिया गया है ?

(ग) यदि हां, तो इस के कब पुरः-स्थापित किए जाने की सम्भावना है ?

(घ) क्या इस विषय पर किसी विदेशी विशेषज्ञ ने कोई सुझाव दिया है, यदि हां, तो क्या ?

(ङ) उन्हें लागू करने के लिए क्या कार्यवाही की जायगी ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) माननीय सदस्य सम्भवतः पंचवर्षीय योजना के अध्याय २२ में दी गई प्रस्थापनाओं की ओर संकेत कर रहे हैं । इस समय उन प्रस्थापनाओं पर विचार किया जा रहा है। एक टिप्पणी जिसमें वर्तमान अवस्था बताई गई है, सदन पटल पर रखी जाती है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ४६]**

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) इस योजना पर अभी तक किसी विदेशी विशेषज्ञ को नहीं लगाया गया।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

मंगलवार,
४ अगस्त, १९५३

सत्यमेव जयते

संसदीय वाद विवाद

1st

लोक सभा

चौथा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

Preservation Unit
Fumigated
Parliament Library

भाग २—प्रश्न और उत्तर से पृथक् कार्यवाही

संसदीय वाद विवाद

(भाग २—प्रश्न और उत्तर से पृथक् कार्यवाही)

शासकीय वृत्तान्त

लोक सभा

मंगलवार, ४ अगस्त, १९५३

सदन की बैठक सवा आठ बजे समवेत हुई

[**उपाध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

प्रश्न और उत्तर

(देखिये भाग १)

श्री पी० टी० चाको का त्याग-पत्र

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि श्री पी० टी० चाको ने ३ जुलाई, १९५३ से सदन में अपने स्थान का त्याग-पत्र दे दिया है।

अनुपस्थिति की अनुमति

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे माननीय अध्यक्ष महोदय से निम्नलिखित संदेश प्राप्त हुआ है :

> "माननीय सदस्यों को विदित है कि मैं भारत से इंग्लैण्ड स्वास्थ्य-लाभ के लिए गया था। मैं ने अगस्त के अंतिम सप्ताह में भारत के लिए प्रस्थान करने की व्यवस्था की है। इन परिस्थितियों में मेरे लिए चालू सत्र में सदन की सेवा में उपस्थित रहना सम्भव नहीं होगा। इसलिए मुझे आप से निवेदन करना है कि सदन से मुझे अनुपस्थिति की अनुमति देने को कह दें।"

क्या सदन उन्हें अनुपस्थिति की अनुमति देता है ?

अनुपस्थिति की अनुमति दी गई।

298 PSD

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि श्री नवेटिया से मुझे निम्नलिखित पत्र प्राप्त हुआ है :—

> "मुझे अपनी भारत से बाहर की यात्रा की अवधि बढ़ाने के लिए विवश होना पड़ा है, इसलिए मैं सदन से ३ अगस्त से २९ अगस्त, १९५३ तक की अनुपस्थिति की अर्जी स्वीकृत करने की प्रार्थना करता हूं।"

अनुपस्थिति की अनुमति दी गई।

लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन

श्री बी० दास (जाजपुर-क्योंझर) : मैं 'टायरों तथा ट्यूबों के डिस्पोज़ल' पर लोक लेखा समिति का आठवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए समिति की अनुमति मांगता हूं।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

तृतीय सत्र में पास किए विधेयकों को दर्शाने वाला विवरण

श्री आर० के० चौधरी (गौहाटी) : श्रीमान्, क्या इस समय मैं एक बात कह सकता हूं ?

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, मैं कार्यवाही के बीच में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं दूंगा।

सचिव : श्रीमान्, मैं सदन पटल पर एक विवरण रखता हूं जिस में कि संसद् के सदनों द्वारा तृतीय सत्र, १९५३, के दौरान में

[सचिव]

पास किए गए तथा राष्ट्रपति की स्वीकृति-प्राप्त विधेयकों का वर्णन है [**देखिये परिशिष्ट १, अनबन्ध संख्या १**]

संविधान (द्वितीय संशोधन) विधेयक

सचिव : मुझे सदन को यह भी सूचना देनी है कि संविधान (द्वितीय संशोधन) विधेयक पर, जो कि संसद् के सदनों द्वारा द्वितीय सत्र के दौरान में पास किया गया था, १ मई, १९५३ को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल गई है।

(१) तटकर आयोग का प्रतिवेदन

(२) वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय : संकल्प तथा अधिसूचनाएं।

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री० टी० टी० कृष्णमाचारी) : तटकर आयोग अधिनियम १९५१ की धारा १६ की उपधारा (२) के अन्तर्गत, मैं सदन पटल पर निम्नलिखित प्रत्यक पत्र की एक प्रतिलिपि रखता हूं: —

(१) पावर तथा डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफारमर उद्योग पर तटकर आयोग का प्रतिवेदन (१९५२)। [**पुस्तकालय में रख दिया गया। दखिये संख्या ४ आर ३९ (४)**]

(२) पावर तथा डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफारमर उद्योग पर तटकर आयोग के प्रतिवदन (१९५२) में किए गए कुछ संशोधनों सहित शुद्धि-पत्र, दिनांक ३ मार्च, १९५३। [**पुस्तकालय में रख दिया गया। देखिये संख्या ४ आर ३९ (४)**].

(३) वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय संकल्प संख्या .११ (१)–टी० बी०/५१, दिनांक ३० मई, १९५३.

(४) वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय अधिसूचना संख्या ११ (१) टी० बी०/५१, दिनांक ३० मई, १९५३ [**पुस्तकालय में रख दी गई। देखिये संख्या एस–८०,५३**]

(५) तटकर आयोग का मोटर उद्योग पर प्रतिवेदन (१९५३).

(६) तटकर आयोग के मोटर उद्योग पर प्रतिवेदन (१९५३) का शुद्धि-पत्र [**पुस्तकालय में रख दिया गया। देखिये संख्या ४ एन० ५ (७)**]

(७) वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय संकल्प संख्या २१ (१) टी० बी०/५२, दिनांक ३१ मई, १९५३ [**पुस्तकालय में रख दिया गया। देखिए संख्या एस–८१/५३**].

(८) वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय अधिसूचना संख्या २१ (१) टी० बी०/५२ दिनांक ३१ मई, १९५३ [**पुस्तकालय में रख दिया गया। देखिए संख्या एस–८१/५३**]

(९) ग्लूकोज़ उद्योग को संरक्षण जारी रखने पर तटकर आयोग का प्रतिवेदन (१९५३). [**पुस्तकालय में रख दिया गया। देखिये संख्या ४ आर० ५४ (क) (२)**]

(१०) वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय संकल्प संख्या १२ (२) टी० बी०/५३, दिनांक, २७ जून, १९५३.

(११) वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय अधिसूचना संख्या १२ (२) टी० बी०/५३, दिनांक २७ जून, १९५३ [**पुस्तकालय में रख दिया गया। देखिये संख्या एस–८२/५३**].

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय का आदेश

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं सदन पटल पर वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के आदेश संख्या ऐस० आर० ओ० ९८७, दिनांक २६ मई, १९५३ [**पुस्तकालय में रख दिया गया। देखिये संख्या एस–८३/५३.**]

निर्माण, गृह व्यवस्था तथा रसद मंत्रालय की अधिसूचनाएं

निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : मैं सदन पटल पर

निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद मंत्रालय द्वारा जारी की गई निम्नलिखित प्रत्येक अधिसूचना की एक प्रतिलिपि सदन पटल पर रखता हूं, नामतः

(१) अधिसूचना संख्या १६०८–ई २/५३, दिनांक ८ मई, १९५३.

(२) अधिसूचना संख्या ३१६६–ई २/५३, दिनांक २९ जून, १९५३.

(३) अधिसूचना संख्या ३१६७–ई २/५३, दिनांक, २९ जून, १९५३.

[**पुस्तकालय में रख दी गई। देखिये संख्या एस–८४/५३**]

सरदार स्वर्ण सिंह : मैं सदन पटल पर निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद विभाग की अधिसूचना संख्या १६५४–ई २/५३ की भी एक प्रतिलिपि रखता हूं [**पुस्तकालय में रख दी गई। देखिये एस०–८५/५३**]

निर्वाचन आयोग का प्रतिवेदन

विधि तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री बिस्वास) : गत सामान्य निर्वाचनों से उठने वाली निर्वाचन याचनाओं के निर्णयन सम्बन्धी निर्वाचन आयोग के प्रतिवेदन की एक प्रतिलिपि सदन पटल पर रखता हूं [**देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या २**].

भारतीय एकस्व तथा रूपांकन (संशोधन) विधेयक

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : मैं भारतीय एकस्व तथा रूपांकन अधिनियम में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने का प्रस्ताव करता हूं।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

जन प्रतिनिधान (संशोधन) विधेयक

विधि तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री बिस्वास) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि जन प्रतिनिधान अधिनियम, १९५० तथा जन-प्रतिनिधान अधिनियम, १९५१ में अग्रेतर संशोधन तथा भाग 'ग' राज्य प्रशासन अधिनियम, १९५१ में कुछेक आनुषंगिक संशोधन करने वाला विधेयक

श्री मुकुन्द लाल अग्रवाल, श्री राम शंकर लाल, श्री प्यारेलाल कुरील 'तालिब', श्री वेंकटेश नारायण तिवारी, श्री हरी विनायक पाटस्कर, श्री भवान जी ए० खीम जी, श्रीमती जयश्री रायजी, श्रीमती अनुसूइया बाई काले, सरदार अमर सिंह सहगल, श्री कृष्णमाचाय जोशी, श्री नन्दलाल जोशी, श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा, श्री ललित नारायण मिश्र, श्री नगेश्वर प्रसाद सिन्हा, श्री ऐन० राचिया, श्री लोकनाथ मिश्र, श्री के० टी० अच्युतन, श्री एस० वी० रामास्वामी, श्री पेंडी लक्ष्मैया, श्री टेक चन्द, श्री राधा रमण, श्री भाखा भाई, श्री मुहम्मद खुदा बक्श, पंडित ठाकुर दास भार्गव, श्री उपेन्द्र नाथ बर्मन, श्री बेली राम दास, सरदार हुक्म सिंह, श्री एन० सी० चटर्जी, श्री कमल कुमार बसु, श्री के० एस० राघवाचार्य, श्री वी० पी० नायर, डा० ए० कृष्णास्वामी, पंडित सुरेश चन्द्र मिश्र, श्री फ्रेंक एन्थनी, डा० लंका सुन्दरम्, श्री देवकान्त बरुआ, श्री शंकर शांताराम मोरे, श्री यू० एम० त्रिवेदी, और प्रस्तावक की एक प्रवर समिति को सौंपा जाए तथा उसे २२ अगस्त, १९५३ तक अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करन का निदेश दिया जाए।

जैसा कि माननीय सदस्यों को विदित है, हमारा निर्वाचन कानून दो अधिनियमों में सम्मिलित है, जन प्रतिनिधान अधिनियम, १९५० और जन प्रतिनिधान अधिनियम

[श्री बिस्वास]

१९५१। ये दोनों अधिनियम देश के १८ करोड़ मतदाताओं की बृहत् नामावलियों को तैयार करने के कठिन कार्य की व्यवस्था करने तथा देश-पर्यन्त वयस्क मताधिकार के आधार पर सफल निर्वाचन करने में पर्याप्त रूप से खरे उतरे हैं। स्वभावतः ही इन कानूनों की कुछ कमियां इस निर्वाचन में दृष्टिगोचर हुई हैं। इस विधेयक का उद्देश्य इन दोषों को दूर करना है।

मैं यह नहीं कहता कि दो अधिनियमों के जो संशोधन प्रस्तावित किये गये हैं वे पूरे तथा व्यापक हैं। विधेयक के प्रारूप को जिस समय अन्तिम रूप दिया गया था उस समय तक निर्वाचन अधिकरण कोई बहुत अधिक याचिकाएं नहीं निपटा चुके थे। अतः इस विधेयक में केवल वे ही संशोधन रखे गये जो गत निर्वाचन में प्राप्त अनुभव के अनुसार अत्यावश्यक समझे गये। हां, सरकार का इरादा निर्वाचन अधिकरणों के विनिश्चयों की जांच करन तथा यह पता लगाने का है कि किन किन और संशोधनों की आवश्यकता है ताकि बाद में एक और संशोधक विधेयक पुरःस्थापित किया जा सके। अतः मैं चाहता हूं कि माननीय सदस्य इस विधेयक को निर्वाचन विधि के संशोधनों की प्रथम कड़ी समझें। फिर भी यह एक अविलम्बनीय तथा अत्यावश्यक विधान है और मैं चाहता हूं कि यह इसी सत्र में पारित हो जाये।

आज मैं ने सदन पटल पर उस प्रतिवेदन की प्रतिलिपि रखी है जो निर्वाचन अधिकरण ने गत साधारण निर्वाचन के बाद दायर की गई निर्वाचन याचिकाओं के सम्बन्ध में भेजी है। उस प्रतिवेदन की प्रतिलिपियां कल माननीय सदस्यों को मिल जायेंगी। परन्तु उस समय मैं कुछ आंकड़े देकर यह बतलाऊंगा कि प्रस्तुत विधेयक कितना आवश्यक है क्योंकि यह स्वीकार किया जाता है कि देश के कुछ भागों में साधारण निर्वाचन शीघ्र ही किया जाना होगा। विशेष रूप से पैप्सू में निर्वाचन अगले कुछ मासों में ही किये जाने होंगे। यदि ये निर्वाचन वर्तमान विधि के अन्तर्गत ही किये गये तो ठीक नहीं होगा। गत निर्वाचन के सम्बन्ध में पैप्सू में ३३ याचिकायें दायर की गईं जिन में विधान सभा के २७ निर्वाचन-क्षेत्रों से हुए निर्वाचनों पर आपत्ति की गई थी, जब कि समूचे राज्य में कुल ५० निर्वाचन-क्षेत्र थे।

सरदार हुक्म सिंह (कपूरथला-भटिंडा): ६० ?

श्री बिस्वास: ६० तो निर्वाचित सदस्यों की संख्या है; वैसे निर्वाचन-क्षेत्रों की संख्या ५० ही है। अतः राज्य विधान सभा के ६० निर्वाचत सदस्यों में से ३६ इन निर्वाचन याचिकाओं में अन्तर्ग्रस्त थे। इसलिय यह स्पष्ट है कि अगला निर्वाचन उस नई विधि के अनुसार होना चाहिये जो अब प्रस्तावित की गई है।

अब मैं संक्षेप में संशोधक विधेयक की मुख्य मुख्य बातों का उल्लेख करूंगा। इस विधेयक द्वारा जो एक महत्वपूर्ण परिवर्तन हो रहा है वह नामनिर्देशन पत्रों के स्वीकृत या अस्वीकृत किये जाने के विरुद्ध अपील करने से सम्बन्ध रखता है। मैं सदन को यह बतला दूं कि गत साधारण निर्वाचन के बाद जो निर्वाचन याचिकायें दायर की गई थीं उन में से बहुत अधिक नामनिर्देशन पत्रों की मान्यता सम्बन्धी प्रश्नों से सम्बन्ध रखती थीं। वर्तमान विधि के अनुसार ये प्रश्न निर्वाचन याचिकाओं द्वारा उठाये जाते हैं जो निर्वाचन समाप्त हो जाने तथा निर्वाचन के परिणाम घोषित किये जाने के बाद दायर की जाती हैं। यदि किसी नामनिर्देशन पत्र के बारे में यह पता लगता है कि वह ग़लती से अस्वीकृत कर दिया

गया है तो फिर से निर्वाचन किय जाने का आदेश दिया जाता है। कुछ मामलों में तो इन कारणों से सारा निर्वाचन रद्द कर दिया जाता है। गत साधारण निर्वाचन में लोक-सभा तथा राज्य विधान सभाओं के ५४ निर्वाचन इस कारण रद्द कर दिये गये थे जिस के फलस्वरूप ७१ निर्वाचित अभ्यर्थी अपदस्थ कर दि गय ये। इन्हीं कारणों से बिहार तथा मद्रास की विधान-परिषदों के २४ सदस्यों के निर्वाचन भी रद्द कर दिये गये थे। १० निर्वाचन, जिन में १४ सदस्य अन्तर्ग्रस्त थे, नामनिर्देशन पत्रों के अनुचित रूप स्वीकृत कर लिये जाने के फलस्वरूप रद्द घोषित कर दिये गये। इस प्रकार अन्तिम परिणाम घोषित किये जाने तथा याचिकायें निपटाये जाने के बाद नये सिरे से निर्वाचन सम्पन्न करने में कितने समय तथा धन की बर्बादी होती है यह स्पष्ट है।

अब यह प्रस्थापना है कि विधेयक में एक नई धारा ३६-क होनी चाहिये जो कि आप को विधेयक के खंड १५ में मिलेगी। इस में निर्वाचक पदाधिकारी के आदेश के विरुद्ध जिस में उन्हों ने किसी नामनिर्देशन पत्र को स्वीकार या अस्वीकार किया हो दायर की गई समस्त आपत्तियों के तेज़ी के साथ निपटाये जाने का उपबन्ध है। यह प्रस्थापना है कि जो अभ्यर्थी निर्वाचक पदाधिकारी के ऐसे निर्णय के सम्बन्ध में अपील करना चाहता है वह निर्वाचक पदाधिकारी को इस की सूचना अगले दिन तीसरे पहर ३ बजे तक दे दे और आदेश की तिथि से सात दिन के अन्दर अन्दर अपील दायर कर दे। निर्वाचक पदाधिकारी अपील की इन सूचनाओं को तुरन्त प्रकाशित कर देगा। इस के साथ एक सूचना यह भी प्रकाशित की जायेगी कि अपील की सुनवाई उक्त प्रकाशन की तिथि के बाद दसवें दिन प्रारम्भ होगी

अधिनियम की धारा १०० (१) के एक संशोधन द्वारा यह बात स्पष्ट रूप से उपबन्धित कर दी जायेगी कि मतदान प्रारम्भ होने के पूर्व दायर की गयी तथा निपटायी गयी ऐसी किसी अपील को निर्वाचन याचिका समझा जाये या नहीं अर्थात् उस के पश्चात् निर्वाचन अधिकरण किसी निर्वाचन को इस आधार पर रद्द नहीं कर सकेगा। धारा १०० (१) में वे बातें उल्लिखित हैं जिन के आधार पर निर्वाचन अधिकरण द्वारा कोई निर्वाचन रद्द किया जा सकता है। धारा १०० (१) (ग) में एक आधार यह भी उल्लिखित है कि "किसी नामनिर्देशन पत्र के अनुचित रूप से स्वीकार या अस्वीकार किये जाने का प्रभाव निर्वाचन के परिणाम पर पड़ा हो"।

प्रत्येक राज्य में निर्वाचक पदाधिकारियों के विनिश्चयों के सम्बन्ध में दायर की गई अपीलों की सुनवाई के लिये जो अधिकरण स्थापित किये जायेंगे उन में सम्बन्धित राज्य के उच्चन्यायालय का एक या एक से अधिक न्यायाधीश होंगे। वैसे तो प्रत्येक अपील की सुनवाई एक ही न्यायाधीश द्वारा की जायेगी परन्तु यदि किसी राज्य में निर्वाचन-क्षेत्रों की संख्या अधिक हो तो वहां एक से अधिक न्यायाधीश नियुक्त करना तथा प्रत्येक को एक निश्चित संख्या में निर्वाचन-क्षेत्र दे देना वांछनीय होगा। अपील के निपटाये जान के लिये कोई समयावधि तो निश्चित नहीं की गई है परन्तु हम ने विधेयक में इस बात का पर्याप्त संकेत दे दिया है कि न्यायाधीश उसे यथासम्भव शीघ्र निपटाने का प्रयत्न करे।

यह भी उपबन्धित है कि न्यायाधीश का निर्णय और उस के अधीन रहते हुए निर्वाचक पदाधिकारी का निर्णय अन्तिम होगा और बाद में उस के विरुद्ध कसी

[श्री बिस्वास]

न्यायालय या अधिकरण या निर्वाचन अधिकरण में आपत्ति नहीं की जा सकेगी। मैं इसे सब से अधिक महत्वपूर्ण संशोधन समझता हूं।

विधेयक में कुछ और विशेष बातें भी हैं जिन की ओर मैं आप का ध्यान दिलाना चाहता हूं। ये बातें निर्वाचन अभिकर्ताओं की नियक्ति; निर्वाचन व्यय सम्बन्धी आंकड़ों के दाखिल किये जाने तथा दाखिल न किये जाने; निर्वाचन याचिकाओं के पक्षकारों; नामनिर्देशन की अथवा निर्वाचन की तिथि को अर्हता या अनर्हता सम्बन्धी प्रश्नों तथा गलत घोषणा करने के दंड से सम्बन्ध रखती हैं। मैं अब इन पांचों बातों को एक एक कर के लेता हूं।

जहां तक निर्वाचन अभिकर्ताओं की नियुक्ति का प्रश्न है वर्तमान नियम यह है कि अभ्यर्थी को अपने नामनिर्देशन पत्र में यह घोषणा करनी होती है कि उस ने या तो अपने आप को या किसी अन्य व्यक्ति को अपना निर्वाचन अभिकर्ता नियुक्त किया है। केवल एक निर्वाचन अभिकर्ता नियुक्त किया जा सकता है। यदि एक से अधिक नामनिर्देशन पत्र दाखिल किये जाते हैं तो प्रत्येक नामनिदशन पत्र में निर्वाचन अभिकर्ता का नाम उल्लिखित रहता है चाहे वह स्वयं अभ्यर्थी हो या कोई अन्य व्यक्ति। यह देखा गया है कि प्रायः अभ्यर्थी अपने आप को ही निर्वाचन अभिकर्ता नियुक्त करते हैं। अतएव यह सोचा गया कि यह नियम स्थापित करना अधिक सुविधाजनक होगा कि यदि कोई अभ्यर्थी अपने नामनिदशन पत्र में किसी व्यक्ति का विशेष रूप से उल्लेख नहीं करता तो उस दशा में वह स्वयं ही अभिकर्ता समझा जायेगा। अब तो ऐसा होता है कि यदि किसी कारणवश नामनिर्देशन पत्र में निर्वाचन अभिकर्ता का नाम दिया जाना रह जाता है तो वह नामनिर्देशन पत्र रद्द हो जाता है। इस नये उपबन्ध से यह कठिनाई तथा असुविधा दूर हो जायेगी।

अब मैं दूसरी बात को लेता हूं अर्थात् निर्वाचन व्यय के आंकड़ों को देने या न देने का परिणाम राज्य परिषद् के निर्वाचनों के सम्बन्ध में इस समय निर्वाचन व्यय के आंकड़े देने पड़ते हैं। परन्तु ऐसा करने में कोई तुक नहीं है क्यों कि साधारणतः ये निर्वाचन विधान सभाओं द्वारा किये जाते हैं तथा उन में कुछ भी व्यय नहीं होता। अतएव अब ऐसी व्यवस्था की जायेगी जिस में राज्य विधान सभाओं के सदस्य या निर्वाचकगण राज्य परिषद् के सम्बन्ध में होने वाले निर्वाचनों या राज्य विधान सभा के सदस्यों द्वारा राज्य विधान परिषद् के लिये किये गये निर्वाचनों के सम्बन्ध में निर्वाचन व्यय के आंकड़े देने की आवश्यकता न होगी। जहां तक ग्रेजुएटों, शिक्षकों तथा स्थानीय बोर्ड निर्वाचन क्षेत्रों का सम्बन्ध है ऐसे निर्वाचनों के लिये अब भी निर्वाचन व्यय के आंकड़े देने पड़ेंगे। परन्तु जहां तक राज्य परिषद के लिये होने वाले निर्वाचनों का सम्बन्ध है निर्वाचन व्यय के आंकड़ों को देने की आवश्यकता न होगी। यदि आप अब अधिनियम और नियमों की तुलना करें तो आप को कुछ असंगति प्रतीत होगी। एक जगह तो दिया हुआ है कि व्यय के आंकड़े देने की आवश्यकता नहीं है और दूसरी जगह लिखा हुआ है कि देने की आवश्यकता है। अब हम ऐसी व्यवस्था करने जा रहे हैं जिससे व्यय के आंकड़े देने की आवश्यकता ही न होगी।

हम इसका भी प्रबन्ध कर रहे हैं कि जब उम्मीदवार सीट के लिये नहीं लड़ता है—

या तो उसने नाम-निर्देशन पत्र दे कर वापस ले लिया है या उसका नाम-निर्देशन पत्र अमान्य हो जाता है और वह मतदान स्थान तक नहीं जाता है तो व्यय के आंकड़े देने की आवश्यकता नहीं है। अतएव यह व्यवस्था की जा रही है कि व्यय के आंकड़े केवल उन्हीं लोगों को देने पड़ेंगे जो निर्वाचन में भाग लेते हैं न कि उन लोगों को जिनके नाम निर्देशन पत्र जांच के समय अस्वीकार कर दिये जाते हैं या जो अपना नाम समय के अन्दर वा स ले लेते हैं।

वर्तमान कानून के अन्तर्गत निर्वाचन व्यय के आंकड़े न देने पर संसद् या राज्य विधान सभा का सदस्य अनर्ह हो जाता है। परन्तु यह अनर्हता व्यय के आंकड़े देने की अन्तिम तिथि से दो महीने व्यतीत हो जाने या इससे भी अधिक समय बीत जाने के पश्चात् जैसा भी निर्वाचन आयोग तय कर दे, आरम्भ होती है। वास्तविक अनुभव से यह पता लगा है कि दो महीने का समय बहुत थोड़ा होता है क्योंकि निर्वाचन आयोग को व्यय आंकड़े सम्बन्धी हज़ारों विवरणों की जांच करनी पड़ती है। अतएव यह प्रस्ताव रखा गया है कि अनर्हता उस समय तक आरम्भ न होगी जब तक निर्वाचन आयोग यह निर्णय नहीं कर देता है कि व्यय के आंकड़े निर्धारित समय के भीतर दिये गये हैं अथवा नहीं तथा क़ानून द्वारा निर्धारित प्रणाली के अनुसार दिये गये हैं अथवा नहीं। अधिनियम के अन्तर्गत निर्वाचन व्यय के आंकड़े न देने पर उसे भी अवैध व्यवहार समझा जायेगा तथा पांच वर्ष तक किसी भी निर्वाचन में मत दान देने के सम्बन्ध में उसे अनर्ह ही समझा जायेगा। यह नियम तो है पर इस प्रकार का सन्देह उत्पन्न हो गया है कि क्या वह भ्रष्ट या अवैध व्यवहार हुए बिना ही अनर्हता हो सकती है।

अब मैं तीसरी बात को लेता हूं—निर्वाचन याचिका के पक्षकार वर्तमान कानून के अन्तर्गत समस्त यथाविधि नाम-निर्देशित उम्मीदवारों को प्रतिवादियों के रूप में रखने की आवश्यकता होती है। अर्थात्, इन समस्त व्यक्तियों को सूचना देनी पड़ती है और इसमें काफ़ी समय लग जाता है, और जिस का फल यह होता है कि सुनवाई में बहुत देर लग जाती है। हमारा सुझाव है कि केवल उन्हीं व्यक्तियों को उत्तरदायी बनाया जाये जो वास्तव में ऐसी याचिका के परिणाम में दिलचस्पी रखते हैं। इसीलिये हम ने बतलाया है कि केवल उन्हीं व्यक्तियों को प्रतिवादियों के रूप में रखा जाये जो प्रत्यक्षतः याचिका के परिणाम में दिलचस्पी रखते हैं। हम ने यह भी व्यवस्था की है कि जिस मामले में निर्वाचक पदाधिकारी के ख़िलाफ़ आरोप लगाया जाता है, तो उसे भी प्रतिवादी के रूप में शामिल कर लिया जायेगा।

अब मैं चौथी बात को लेता हूं— नाम-निर्देशन या निर्वाचन की तारीख़ को उम्मीदवार की अर्हता या अनर्हता का प्रश्न। धारा १०० (१) में उन आधारों का उल्लेख किया गया है जिन के अनुसार निर्वाचन याचिका द्वारा निर्वाचन को रद्द किया जा सकता है। इस में तीन खंड हैं। खण्ड ३ (ग) में बताया गया है कि निर्वाचन अधिकरण सारे के सारे निर्वाचन को रद्द कर सकता है यदि नाम-निर्देशन पत्रों को अनुचित रूप से स्वीकार या अस्वीकार कर दिया जाता है और उसका निर्वाचन पर काफी प्रभाव पड़ता है। अब इस खंड को निकाल देने का प्रस्ताव है क्योंकि निर्वाचक पदाधिकारी द्वारा नामनिर्देशन पत्र को स्वीकार या अस्वीकार करने वाले आदेश के विरुद्ध अपील करने की व्यवस्था बहुत ही पहले कर दी गई है। उस अपील में इस बात का प्रश्न

[श्री बिस्वास]

उठाया जा सकता है कि कोई उम्मीदवार नामनिर्देशन की तारीख़ को निर्वाचन के लिये अनर्ह था अथवा नहीं किन्तु निर्वाचन की तारीख़ को अनर्हता या अर्हता की कमी के बारे में क्या होगा यह ऐसा प्रश्न है जिस की जांच होनी ही चाहिये। इसीलिये हम ने एक अतिरिक्त असंदिग्ध खण्ड की व्यवस्था कर दी है कि यदि निर्वाचन की तारीख़ को कोई उम्मीदवार अर्ह नहीं पाया जाता या अनर्ह पाया जाता है तो निर्वाचन याचिका के दिये जाने पर निर्वाचन अधिकरण को उस निर्वाचन को शून्य घोषित करने की क्षमता होगी। हम ने "निर्वाचन की तारीख़ को" शब्दों का प्रयोग किया है। अतएव यदि वह नाम निर्देशन की तारीख़ को अनर्ह था या अर्ह नहीं था तो यह भी इस खण्ड की पकड़ में आ सकता है। "निर्वाचन की तारीख़ को" शब्दों में पहली तारीख़ को भी शामिल किया जा सकता है जब कि उम्मीदवार को नामनिर्देशित किया गया था या जांच की गई थी, किन्तु अनर्हता या अर्हता को निर्वाचन की तारीख तक जारी रहना चाहिये। धारा १०० (१) के खण्ड (ग) को निकाल देने के परिणामस्वरूप धारा १०० (२) में इस विशिष्ट खण्ड को जोड़ना पड़ा है। क्या इसका यह अर्थ हुआ कि पहली अपील में उम्मीदवार की अनर्हता के सम्बन्ध में किया गया निर्णय अन्तिम नहीं है? जहां तक इस मामले का सम्बन्ध है कि निर्वाचन की तारीख को उम्मीदवार अर्ह या अनर्ह था या नहीं इसे आरम्भिक अवस्था पर उठाया या निबटाया नहीं जा सकता है।

एक माननीय सदस्य : क्यों नहीं?

उपाध्यक्ष महोदय : नाम निर्देशन इस आधार पर निबटाये गये थे कि उम्मीदवार किसी न किसी अनर्हता का भागी था। मान लीजिये नाम निर्देशन पत्र इस आधार पर अस्वीकार किया जाता है कि वह उम्मीदवार लाभ-पद ग्रहण किये हुए था। हो सकता यह अनर्हताएं स्वीकार करने के पश्चात् भी उत्पन्न हो जायें।

श्री बिस्वास : श्रीमान्, निर्वाचक पदाधिकारी के लिये यह बात ध्यान में रखना सम्भव है कि नामनिर्देशन की तारीख़ को कोई आपत्ति उठाई गई थी किन्तु उसके पश्चात् उत्पन्न होने वाली के सम्बन्ध में नहीं। इसीलिये हम यह व्यवस्था करने जा रहे हैं कि यदि निर्वाचन की तारीख़ को अनर्ह होने का प्रश्न है तो उसे निर्वाचन याचिका द्वारा निर्वाचन अधिकरण के सामने निबटाने के लिये छोड़ दिया जाये। निस्सन्देह आरम्भिक अवस्था पर अपील को केवल नाम-निर्देशन पत्र की मान्यता तक सीमित रखा जा सकता है तथा स्वयं उम्मीदवार की अनर्हता या अर्हता को शामिल नहीं किया जा सकता है। परन्तु ऐसा नहीं किया गया है: यदि नाम-निर्देशन की तारीख़ को अनर्हता मौजूद है तो उस पर आरम्भिक अपील में विचार किया जा सकता है तथा यह अन्तिम होगी। परन्तु यदि जांच के पश्चात् कोई अनर्हता उत्पन्न हो जाती है तो उसे निर्वाचन अधिकरण के सामने लाया जा सकता है।

एक माननीयय सदस्य : क्या उनका अभिप्राय अन्तिम अपील तथा निर्वाचन की तारीख के बीच उत्पन्न होने वाली अनर्हता से है?

श्री बिस्वास : हमें अनर्हता या अर्हता की कमी से सम्बन्ध रखने वाले विवादों का निर्णय करने की व्यवस्था करनी पड़ेगी जो कि नाम-निर्देशन की तारीख़ या नाम-निर्देशनों की जांच के पश्चात् उठ सकते हैं। हो

सकता है ऐसी अनर्हता या अर्हता की कमी नाम निर्देशन की तारीख को भी हो तथा वह निर्वाचन की तारीख तक जारी रहे। जहां तक इस बात का नाम-निर्देशन की तारीख से सम्बन्ध है उसे नये न्यायिक अधिकरण को सौंपा जा सकता है जिसे हम स्थापित करने का विचार कर रहे हैं। यदि आप इस प्रकार के प्रश्न उठाते हैं तो उन्हें निबटाने में देर लग ही जायेगी।

एक माननीय सदस्य : अधिकतर निर्वाचन याचिकाओं में इस प्रकार के प्रश्न नहीं उठाये जाते।

श्री बिस्वास : यदि ऐसे प्रश्न उठाये जाते हैं तो आरम्भिक अपीलों के निबटाने में देर हो ही जायेगी। कुछ भी हो यह एक ऐसी बात है जिस पर आप विचार कर सकते हैं।

अब मैं अन्तिम बात पर आता हूं— एक नई धारा जोड़ने का प्रस्ताव है जिस के द्वारा झूठा विवरण देना दंडनीय अपराध समझा जायेगा। अब तक मैं ने जिन संशोधनों का उल्लेख किया है उनका सम्बन्ध १९५१ के अधिनियम से था। अब मैं १९५० के अधिनियम के सम्बन्ध में कुछ संशोधनों का उल्लेख करना चाहूंगा। जैसा कि आप को ज्ञात ही है कि उस अधिनियम में मुख्यतः निर्वाचक-नामावलियों का उल्लेख है। एक महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया है। वर्तमान उपबन्ध के अनुसार संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों तथा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिये अलग अलग नामावलियां तैयार की जाती हैं। इसमें दोहरा दोहरा काम होता है और धन भी व्यय होता है। सुझाव यह रखा गया है कि विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की नामावली एक यूनिट होनी चाहिये तथा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की नामावली में विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की उचित नामावलियां शामिल होनी चाहिये जिन को मिला कर के वह संसदीय निर्वाचन क्षेत्र बनता हो। एक दूसरा परिवर्तन यह है कि छट गये नामों को निर्वाचन-नामावलियों में शामिल किया जाये। निस्सन्देह निर्वाचन नियमों में इस समय भी प्रावधान है—आपको निर्वाचन आयोग को लिखना पड़ता है पचास रुपये देने होते हैं आदि। अब स्वयं अधिनियम में ऐसा प्रावधान करने का प्रस्ताव है। यदि निर्वाचन की घोषणा से पूर्व प्रार्थना-पत्र दिया जाता है तो वह राज्य निर्वाचन पंजीयन अधिकारी को दिया जायेगा तथा फ़ीस भी मामूली होगी। यह नियमों द्वारा निर्धारित की जायेगी। यदि निर्वाचन की घोषणा कर दी गई है तो आप को निर्वाचन आयोग के पास प्रार्थना पत्र भेजना पड़ेगा।

कुछ माननीय सदस्य : क्यों ?

श्री सी० डी० पांडे (ज़िला नैनीताल व ज़िला अलमोड़ा—दक्षिण पश्चिम व ज़िला बरेली—उत्तर) : इस में अधिक समय लगेगा।

श्री बिस्वास: समय तो लगेगा ही। परन्तु ऐसा तभी होगा जब आप उस समय प्रार्थना-पत्र देते हैं जब निर्वाचन की घोषणा की जा चुकी है। तब आप को निर्वाचन आयोग को प्रार्थना-पत्र भेजना होगा। यदि राज्य निर्वाचन पंजीयन अधिकारी आप के प्रार्थना-पत्र को अस्वीकार कर देता है तो आप निर्वाचन आयोग को अपील कर सकते हैं।

मेरे विचार में मुझे अब किसी और ब्योरे में में जान की आवश्यकता नहीं है। जैसा कि मैं पहले ही कह चुका हूं खण्डों पर दी गई टिप्पणियां काफी स्पष्ट हैं तथा विवरण के उद्देश्य तथा कारणों को मैं ने पूर्णतः समझा दिया है।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"जनप्रतिनिधान अधिनियम, १९५० तथा जनप्रतिनिधान अधिनियम, १९५१ में अग्रतर संशोधन तथा भाग 'ग' राज्य प्रशासन अधिनियम, १९५१ में कुछेक

[उपाध्यक्ष महोदय]

आनुषंगिक संशोधन करने वाला एक विधेयक श्री मुकन्दलाल अग्रवाल, श्री राम शंकर लाल, श्री प्यारे लाल कुरील 'तालिब,' श्री वेंकटेश नारायण तिवारी, श्री हरि विनायक पाटसकर, श्री भवान जी ए० खीम जी, श्रीमती जयश्री रायजी, श्रीमती अनसुयाबाई काले, सरदार अमर सिंह सहगल, श्री कृष्णचार्य जोशी, श्री नन्द लाल जोशी, श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा, श्री ललित नारायण मिश्र, श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा, श्री एन० राचिया, श्री लोक नाथ मिश्र, श्री के० टी० अच्युतन, श्री एस० पी० रामास्वामी, श्री पैंदी लक्ष्मय्या, श्री टेक चन्द श्री राधा रमण, श्री भीखा भाई, श्री मुहम्मद खुदा बख्श, पंडित ठाकुर दास भार्गव, श्री उपेन्द्र नाथ बर्मन, श्री बेली राम दास, सरदार हुक्म सिंह, श्री एन० सी० चटर्जी, श्री कमल कुमार बसु, श्री के० एस० राघवाचारी, श्री वी० पी० नायर, डा० ए० कृष्णस्वामी, पंडित सुरेश चन्द्र मिश्र, श्री फ्रैंक एन्थनी, डा० लंका सुन्दरम्, श्री देव कान्त बुरुआ, श्री शंकर शान्ताराम मोरे, श्री यू० एम० त्रिवेदी तथा प्रस्तावक की एक प्रवर समिति को सौंपा जाये तथा उसे २२ अगस्त, १९५३ तक अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का निदेश दिया जाये ।"

मेरे विचार से प्रवर समिति में इस पर भली भांति विचार किया जायगा। साधारणतया जो माननीय सदस्य इस मामले में रुची रखते हैं वह प्रवर समिति को अपनी टिप्पणियां या ज्ञापन नहीं भेजते हैं। अतः मेरी इच्छा है कि प्रवर समिति की बैठक केन्द्रीय हाल म हो और समस्त सदन यदि चाहे तो उस में उपस्थित हो सकता है । वह सुझाव भी दे सकते, हैं केवल वह मतदान में भाग नहीं ले सकेंगे ।

श्री एस० एस० मोरे (शोलापुर): साधारणतया जब कोई विधेयक प्रवर समिति को सौंपा जाता है तो प्रवर समिति विधेयक में निर्दिष्ट धाराओं में कुछ परिवर्तन इत्यादि किये जाने का सुझाव देने के लिय बाध्य होती है । यह एक आवश्यक विधेयक है । हमारी निर्वाचन प्रणाली को दृढ़ तथा न्यायोचित आधार पर स्थापित किया जाना चाहिये । इंगलैण्ड में जब जन प्रतिनिधान अधिनियम, १९४९ में संशोधन करने की चेष्टा की गई थी तो पहले निर्वाचन विधि में सुधार करन के हेतु एक समिति नियुक्त की गई थी । समिति ने कुछ सुझाव दिये थे और उन सुझावों को दृष्टि में रख कर ही विधयक को पारित किया गया था । परन्तु हमारी सरकार ने ऐसी कोई समिति नियुक्त नहीं की है ।

मेरा सुझाव है क यह सदन प्रवर समिति को उन उपबन्धों में भी, जिनको संशोधक विधेयक में निर्दिष्ट नहीं किया गया है, संशोधनों का सुझाव देने का अधिकार प्रदान करे । नहीं तो निर्वाचन सम्बन्धी मामलों में इधर उधर थोड़ा थोड़ा परिवर्तन कर देने से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों तथा उनके समर्थकों को बहुत कठिनाई का समाना करना पड़ेगा । यह प्रश्न किसी दल विशेष का नहीं है । यह तो समस्त निर्वाचन प्रणाली में सुधार करने के प्रश्न है । अतः सदन हम को इतना अधिकार दे अन्यथा हम लोग संशोधनों के नाग पाश में फंस जायगे ।

सरदार हुकम सिंह : मैं अपने माननीय मित्र के दृष्टिकोण का समर्थन करता हूं ।

कहा गया है कि इस के अनुपूरण के लिये एक दूसरा संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया जा रहा है। कारण यह बताया जाता है कि कुछ क्षेत्रों में जल्दी ही चुनाव करने हैं। यह अनुभव करने के बाद कि न्यायाधिकरणों के निर्णयों में कुछ सिफारिशें की गई हैं क्या हमारे लिए इस विधान को पहले पास करना और उन संशोधनों को, जिनको हम आवश्यक समझते अथवा जिन को सरकार लाना चाहती है, किये बिना ही कुछ क्षेत्रों में चुनाव होने देना ठीक होगा ? हम इस विधेयक को प्रवर समिति को निर्दिष्ट कर रहे हैं और २२ तक अपनी सिफारिशें भेज देने का अनुदेश दे रहे हैं। क्या सरकार दो दिन में एक विस्तृत विधेयक--ऐसा विधेयक जिसमें वह सभी संशोधन आ जायें जिन का सुझाव विभिन्न निर्णयों में दिया गया है--तैयार नहीं कर सकती है। जहां इस कानून के संशोधित किये जाने का सम्बन्ध है केवल मात्र छै या सात निर्णय ही महत्वपूर्ण हैं। उन में इस क़ानून की त्रुटियां प्रभावशाली रीति से दिखाई गई हैं। दो तीन दिन में यह काम किया जा सकता है। अतः अग्रेतर विधान को खंड खंड कर के प्रस्तुत किये जाने से उन क्षेत्रों को कोई लाभ नहीं पहुंचेगा जहां चुनाव अभी होने को हैं।

श्री बिस्वास : जैसा कि मैं ने निवेदन किया था, इस विधेयक को गत मार्च में ही तैयार कर लिया गया था, उस समय तक अधिकांश चुनाव याचनाओं का निर्णय नहीं हुआ था। दायर की गई चुनाव याचिकाओं की संख्या ३३८ थी, उन में से ५९ अब भी अनिर्णीत हैं। प्रत्येक याचिका की सुनवाई में औसतन १० महीने और ८ दिन लगे हैं। यदि हमें सभी याचिकाओं के निर्णय हो जाने की प्रतीक्षा करनी पड़ी तो बहुत समय लग जायेगा। अतः इस विधेयक को केवल मात्र उन्हीं संशोधनों तक सीमित रखा गया है जिन को कि अत्यावश्यक समझा गया था। यद्यपि इसे गत मार्च में पुरःस्थापित कर दिया गया था, परन्तु दुर्भाग्य से इस पर अभी तक चर्चा नहीं हो सकी हैं। देर होने का यही एक कारण है। यदि हम किसी विस्तृत विधेयक की प्रतीक्षा करेंगे तो बहुत समय लग जायेगा। समस्त निर्वाचन विधि को पुनरीक्षित करने के लिये एक समिति नियुक्त की जा सकती है। दोनों अधिनियमों के पारित किये जाते समय ऐसा नहीं किया गया था। संविधान सभा में क्या हुआ था यह तो मुझे ज्ञात नहीं। और यदि तब ऐसा नहीं किया गया था तो क्या यह आवश्यक है कि हम कुछ आवश्यक संशोधनों को विधि में जोड़ने के लिये उस समय तक प्रतीक्षा करते रहें जब तक कि सारी चुनाव याचिकाओं का निर्णयन हो जाये ? अगला चुनाव पांच वर्ष बाद होगा, उस के लिये अभी काफ़ी समय है। पैप्सू की भांति कुछ अन्य राज्य भी हो सकते हैं जहां हमें जल्दी ही चुनाव करने पड़ें। हम ऐसी ही संभावनाओं के लिये विधान बनाना चाहते हैं। सब से आवश्यक संशोधन नामनिर्देशन पत्रों की वैधता के सम्बन्ध में उठाई गई आपत्तियों का जल्दी से जल्दी निर्णय कर दिये जाने के सम्बन्ध में है।

श्री एस० एस० मोरे : मैं विधेयक के उद्देश्यों और कारणों के विवरण का निर्देश करता हूं। उस में कहा गया है कि इन अधिनियमों के प्रस्तावित संशोधन गत सामान्य चुनाव के अवसर पर चुनाव आयोग तथा सरकार को हुए अनुभवों को दृष्टि में रखते हुए रखे गये हैं। यह तो हुए सत्तारूढ़ दल की सरकार के अनुभव, परन्तु अन्य दलों के अनुभवों का क्या होगा ? इसी लिये मैं ने यह सुझाव दिया था कि इन सभी मामलों पर चर्चा करने के लिय एक समिति नियुक्त की जाये। मेरी सदन से यही प्रार्थना है

[श्री एस० एस० मोरे]

कि वह इस प्रवर समिति को इतने अधिकार दे जिस से कि वह सदन द्वारा निर्धारित अवधि में ही एक आयोग का कार्य भी कर सके।

पंडित ठाकुर दास भार्गव (गुडगांव): मैं किसी आयोग के नियुक्त किये जाने की कोई आवश्यकता नहीं समझता हूं परन्तु मेरा विचार है कि चुनाव याचिकाओं से हमें जो अनुभव हुए हैं उन के आधार पर उक्त अधिनियम का संशोधित किया जाना आवश्यक है। इन मामलों में हम को चुनाव न्यायाधिकरणों के निर्णयों तक ही अपने आप को सीमित रखने की आवश्यकता नहीं है। हमें चुनाव याचिकाओं का पर्याप्त अनुभव हो चुका है, अतः मेरी प्रार्थना है कि किसी स्थायी समिति को उन मामलों पर भी चर्चा करने की अनुमति दी जाये जो कि किन्हीं माननीय सदस्यों के ध्यान में आई हैं। सारभूत परिवर्तन किये जाने के लिये संशोधनों के प्रस्तुत किये जाने की अनुमति दी जाये। इस विधेयक को केवल उन्हीं अनुभवों तक सीमित नहीं कर दिया जाना चाहिये जो हम को चुनाव याचिकाओं से प्राप्त हुए हैं अपितु अन्य धाराओं में भी संशोधन किया जाये। अतः प्रवर समिति को उन अनुभवों पर भी विचार करने की अनुमति दी जानी चाहिये जो कि गत चुनाव के सम्बन्ध में प्रस्तुत की गई चुनाव याचिकाओं से प्राप्त हुए हैं। इसी कारण मूल विधेयक के प्रस्तुत किये जाने समय भी मैं ने यह संशोधन किया था कि जहां तक नामनिर्देशन का प्रश्न था, उसे चुनाव से पूर्व ही तै कर दिया जाना चाहिये। अतः मेरी प्रार्थना है कि प्रवर समिति के कार्य क्षेत्र को विस्तृत किया जाये और उसे सभी मामलों पर चर्चा करने की अनुमति प्रदान की जाये।

श्री ए० क० गोपालन (कन्नानूर): विधेयक के उद्देश्यों तथा कारणों के विवरण से तथा गत चनाव में प्राप्त हुए अनुभवों के आधार पर यह संशोधन प्रस्तुत किया गया है। मेरा निवेदन यह है कि सदस्यों को स्थिति का सिंहावलोकन करने का अवसर दिया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय: यह एक संशोधन विशेधक है। माननीय सदस्य यह जानते हैं कि केवल वही सम्बद्ध भाग, जो विधेयक के खंडों के अन्तर्गत है, लिये जा सकते हैं अन्य नहीं। इस संशोधन विधेयक में कुछ खंड विशेष का ही निर्देश किया गया है। अन्य ऐसे खंड भी हो सकते हैं, परन्तु उन के सम्बन्ध में चर्चा किये जाने का अधिकार प्रदान करना संसद् का कार्य है। यदि यह कहा जाये कि समस्त अधिनियम का पुनरीक्षण किया जाये तो इस के लिये संसद् की अनुमति ली जा सकती है परन्तु यह बात विधेयक की सीमा से परे की बात है। इस सम्बन्ध में हमारी परम्परा यह रही है कि यदि कोई माननीय सदस्य यह अनुभव करता है कि मूल अधिनियम के किसी आवश्यक तथा महत्वपूर्ण भाग को नहीं लिया गया है तो कोई भी माननीय सदस्य उस सम्बन्ध में सदन की सम्मति ज्ञात कर सकता है। यदि कोई माननीय सदस्य कोई ज्ञापन पेश करना चाहता है और उस में कही गई बातों पर चर्चा कराना चाहता है, तो उन को निश्चय ही प्रवर समिति को भेज दिया जायगा। ऐसी अवस्था में सरकार का विचार यही होगा कि जिन धाराओं को इस विधेयक में छुआ नहीं गया है या जिन पर चर्चा नहीं हुई है वह भी विचार किये जाने योग्य हैं।

श्री टंडन (ज़िला इलाहाबाद—पश्चिम): उपसभापति महोदय, यह जो पेप्सू का चुनाव सामने है केवल उसी को ध्यान में रखकर हमें परिवर्तन इस ऐक्ट में करना है ऐसा तो मंशा हमारे मंत्री महोदय का नहीं जान पड़ता है। वह इस प्रकार के भी परि-

वर्तन चाहते हैं कि जो अपने अनुभव से आवश्यक हो गये हैं, और उन्होंने जो कहा उससे यह जान पड़ता है कि इस परिवर्तन का लाभ वह नये पेप्सू सम्बन्धी चुनावों में उठाना चाहते हैं। मुझ को यह ठीक जान पड़ता है। साथ ही मुझ को जो बात श्री ठाकुर दास जी भार्गव ने कही थी वह भी ठीक जान पड़ती है कि जब हम इस ऐक्ट में परिवर्तन करने की बात सोच रहे हैं तब यह अच्छा होगा कि हम अपने अनुभव से जो जो भी आवश्यक समझें उन परिवर्तनों को हम ला सकें।

मुझे बहुत ब्यौरे में इस समय जाना नहीं है। आप ने अभी जो छोटा सा भाषण किया उस में मैं ने एक सुझाव यह समझा कि यह अच्छा होगा कि हम में से कुछ अपने अनुभवों को मंत्री महोदय के सामने रख दें जिस में वह जहां आवश्यक परिवेर्तन समझें अभी कर के तब सिलेक्ट कमेटी में जाये। मुझको बहुत बड़ा अनुभव, ब्यौरे का तो है, इन चुनावों का नहीं है। कुछ ऐसा हुआ कि जब मैं चुना गया तब बहुत आसानी से आ गया। परन्तु अपने साथियों के सम्बन्ध में मुझ को कुछ अनुभव हुआ है। मेरा ध्यान सदा शासन के कामों में अथवा वयक्तिक जीवन के कामों में नैतिकता के ऊपर रहा है। मेरा ध्यान इस बात पर रहता है कि हमारा शासन नैतिकता में सहायक है, और उस की प्रवृत्ति दैविक है अथवा उसकी प्रवृत्ति आसुरिक है और वह अनैतिकता की ओर जा रहा है। यह चुनावों का जो आज क्रम है उस में मुझ को यह दिखाई पड़ रहा है कि शासन के आरम्भ होन के पहले ही जब हम इस इच्छा से सामने आते हैं कि चुने जायं तभी नैतिकता के बरतने में महा कठिनता सामने आती है। मैं चुनाव के सम्बन्ध में आप के अनुभव का और जितने यहां बैठे हैं उन सब के अनुभव का उद्बोधन करना चाहता हूं।

* * * * *

मैं बहुत नम्रता से अपील करता हूं। मेरा निवेदन है कि हम को जो जो अनुभव हुए हैं उन अनुभवों से लाभ उठाकर हम इस ऐक्ट को ऐसा बनावें कि जिस से देश में अधिक नैतिकता उत्पन्न हो।

मैं ने पहले ही कहा कि मुझ को बहुत गहरा अनुभव नहीं है। हमारे इस ऐक्ट के जो नियम हैं उन में से एक ही विषय पर मैं कुछ कहना चाहता हूं। वह विषय है 'ऐलैक्शन 'ऐलैक्सपेंसिज' (चुनाव के व्यय) का। जो इलैक्शन ऐक्सपैंसेज दाखिल होते हैं, केवल मैं उस की चर्चा कर रहा हूं। जैसा मैं ने पहले ही कहा मैं हर एक मैम्बर के अनुभव से लाभ उठाना चाहूंगा। जो मैम्बर मेरे साथी रहे हैं, चाहे वह कांग्रेस दल के हों, चाहे ग़ैर कांग्रैस दल के हों, उन के अनुभव का मेरे ऊपर यह असर है कि यह जो इलैक्शन ऐक्सपैंसेज़ दाखिल होते हैं यह सही नहीं होते हैं। इन के सही रखने में बड़ी कठिनता है।

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे गलत न समझा जाये। हम ने अभी सामान्य चर्चा प्रारम्भ नहीं की है उस के प्रारम्भ किये जाने पर अपने स्वयं के अनुभवों तथा प्रवर समिति तथा सदन में किस प्रकार इस विधेयक में सुधार किये जा सकते हैं इन बातों पर चर्चा की जा सकती है। इस समय हम श्री मोरे के सुझाव पर विचार कर रहे हैं कि क्या इस सदन द्वारा प्रवर समिति को यह सुझाव दिया जाये कि वह अपनी चर्चा को इस विधेयक में वर्णित उपबन्धों तक ही सीमित न रखे अपितु वह मूल अधिनियम के उन उपबन्धों पर भी विचार करे जिन को माननीय सदस्यों को हुए अनुभव के आधार पर परिवर्तित करना अथवा निरसित करना अपेक्षित हो। यह एक सामान्य बात है।

---

*सभापति के आदेशानुसार अपमार्जित।

श्री टंडन : मेरा यह विचार था श्रीमान् कि आप ने यह सुझाव दिया था कि विधि मंत्री उन प्रावधानों के सम्बन्ध में . . . .

उपाध्यक्ष महोदय : विधि मंत्री को नहीं। मैं ने केवल यही सुझाव दिया था सभी आवश्यक बातों के सम्बन्ध में सदन के समक्ष एक ज्ञापन प्रस्तुत किया जाय। वह विधेयक के साथ साथ प्रवर समिति को भेज दिया जायगा। हम इस बात के विस्तार में नहीं जायेंगे कि क्या सदन प्रवर समिति को ऐसे निर्देश दे कि वह अन्य बातों पर भी चर्चा करे। यदि सदन कोई निर्णय करेगा तब हम इस मामले के विस्तार में जायेंगे कि क्या प्रवर समिति को उन मामलों पर जो यहां उठाये गये हैं या जो आज या कल की चर्चा में उठाये जायेंगे, चर्चा करने का अधिकार दिया जाये।

श्री टंडन : तो क्या इस का आशय यह है कि विधि मंत्री के उत्तर के बाद हमें समस्त विधेयक पर चर्चा करने का अवसर दिया जायगा।

उपाध्यक्ष महोदय : निस्सन्देह।

श्री टंडन : उस के प्रवर समिति को भेजे जाने से पहले ?

उपाध्यक्ष महोदय : निस्सन्देह।

श्री तुलसीदास : श्री मोरे ने अपने भाषण में कहा है कि निर्वाचन विधि पूर्ण रूप से संशोधित करनी चाहिये। मेरा निवेदन है कि ऐसा करने में हमें बहुत समय लगेगा क्योंकि हमें न केवल विभिन्न सदस्यों के बल्कि जनता के दृष्टिकोणों और उन की कठिनाइयों को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। अतः यदि सारी निर्वाचन विधि को संशोधित करने का निश्चय नहीं किया गया तो हमें अपनी कार्यवाही केवल अत्यावश्यक संशोधनों तक ही सीमित रखनी चाहिये। मेरे विचार में इस समय केवल नाम निर्देशन पत्रों के सम्बन्ध में ही ऐसी आवश्यकता है। यदि हम अन्य विषयों की चर्चा करने लगें तो हमारे लिये अपना काम समाप्त करना बहुत कठिन हो जायेगा।

श्री बिस्वास : अनेक अवसरों पर मैं सदन को बतला चुका हूं कि इस विधेयक का कार्यक्षेत्र सीमित है और इस के विरुद्ध अब तक किसी ने आपत्ति नहीं उठाई। गत निर्वाचनों में हम ने अनुभव किया है कि नाम निर्देशन पत्रों की मान्यता के विरुद्ध आपत्तियों को निपटाने के समय के सम्बन्ध में निर्णय होना चाहिये। अतः इस विधेयक में हम ने अपील की पूर्व सूचना देने के लिये और अपील दायर करने के लिये अवधि निश्चित कर दी है। किन्तु हम न्यायाधिकरण के सामने सुनवाई के समय को सीमित नहीं कर सकते। हम ने ऐसा तरीका निकालने का प्रयत्न किया है जिस से कि आपत्तियों को जल्दी निपटाया जा सके और निर्वाचनों में भी असाधारण विलम्ब न हो। यह केवल प्रयोग मात्र है और देखना चाहिये कि यह किस हद तक सफल होता है।

अतः अब यदि यह कहा जाता है कि प्रवर समिति का क्षेत्राधिकार बढ़ा दिया जाये ताकि वह अन्य संशोधनों पर भी, जिन का इस विधेयक के विषयों से कोई सम्बन्ध नहीं है, विचार करे, तो हमारा काम कभी समाप्त नहीं हो सकेगा क्योंकि निर्वाचन विधि एक बहुत व्यापक विषय है। यदि कार्य क्षेत्र असीमित रूप से बढ़ा दिया गया तो न जाने इस में कितना समय लग जायेगा। पिछले निर्वाचनों के अनुभवों को ध्यान में रखते हुए निर्वाचन आयोग ने कुछ प्रस्ताव किये हैं। सरकार समझती है कि इन विषयों के सम्बन्ध में तुरन्त उपबन्ध करने की आवश्यकता है। इसीलिये

यह पग उठाया गया है । हम जानते हैं कि अन्य प्रश्न अवश्य उत्पन्न होंगे किन्तु इन के सम्बन्ध में बाद में एक विधेयक लाया जा सकता है ।

यह विधेयक मार्च १९५३ से माननीय सदस्यों के हाथों में है किन्तु मुझे एक भी सदस्य से इस सम्बन्ध में कोई सुझाव प्राप्त नहीं हुआ कि अमुक उपबन्ध को या अमुक संशोधन को विधेयक में सम्मिलित किया जाये । किन्तु अब इतने समय के बाद जब मैं यह विधेयक सदन के समक्ष प्रस्तुत करता हूं तो एकाएक यह मांग की जाती है कि अन्य संशोधनों को भी अवश्य सम्मिलित करना चाहिये । मैं पूछता हूं कि क्या व्यावहारिक दृष्टिकोण से यह ठीक है ?

श्रीमान्, मैं आप का सुझाव सादर स्वीकार करता हूं ।

श्री एस० एस० मोरे: माननीय मंत्री ने कहा है कि विधेयक के पुरःस्थापित होने के बाद किसी ने आज तक इस के सम्बन्ध में कोई सुझाव नहीं दिया । मैं उन्हें याद दिलाना चाहूंगा कि मैं ने उन्हें एक पत्र भेजा था जिस में मैं ने लिखा था कि न्यायाधिकरण अपनी इच्छानुसार भिन्न भिन्न व्यक्तियों के साथ भिन्न भिन्न व्यवहार करते हैं जो कि संविधान के विरुद्ध है । मैं ने यह सुझाव दिया था कि वे इस विधेयक में कोई ऐसा उपबन्ध रखें जिस से कि न्यायाधिकरणों के निर्णयों में एकरूपता लाई जा सके । मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री अपने भाषण में इस बात का उल्लेख करें ।

श्री बिस्वास : मैं अपने वक्तव्य में सुधार नहीं करता और जो कुछ मैं ने कहा है मैं उसे मानता हूं । मेरे माननीय मित्र ने मुझ से कुछ बातें कहीं जिन के सम्बन्ध में दो भिन्न भिन्न अधिकरणों की भिन्न भिन्न सम्मति थी । मेरे लिये इस में किसी ऐसी एक बात को सम्मिलित करना सम्भव नहीं। हम निर्वाचन याचिकाओं के मामले निबटाये जाने का इंतजार कर रहे हैं जिस से कि उन सब प्रश्नों पर जिन पर कि निर्वाचन अधिकरणों में मतभेद था विस्तृत रूप से विचार किया जा सके । इस बात के कहने से कोई लाभ नहीं कि चुनाव सम्बन्धी एक ऐसा मामला है जिस में माननीय सदस्य रुचि रखते हैं और जिस के सम्बन्ध में अधिकरणों में मतभेद था, इसलिये उसे इस विधेयक में रखा जाय । हमें सभी बातों पर विचार करना पड़ता है । ऐसी बात नहीं कि एक अधिकरण की राय पर विचार किया जायगा तथा अन्य अधिकरणों के विचारों को इस में नहीं रखा जायगा ।

श्री एस० एस० मोरे : माननीय मंत्री ने कहा कि मैं एक विशेष निर्वाचन याचिका के मामले में रुचि रखता था इस कारण मैं ने उस का उल्लेख किया .....

श्री बिस्वास : मैं ने तो यह नहीं कहा । और यदि ऐसी बात है तो मेरे लिये उस पर ध्यान देना उचित नहीं ।

श्री एस० एस० मोरे उठे —

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य बैठ जायें । मैं तो यह समझ पाया हूं कि किसी माननीय सदस्य को अपने मामले में जो अनुभव प्राप्त हुआ है उसे माननीय विधि मंत्री समझते हैं । यही उन्हों ने कहा था ।

श्री एस० एस० मोरे : जी नहीं श्रीमान् ।

उपाध्यक्ष महोदय : यह मामला खत्म हुआ । सामान्य रूप से नियमों के अन्तर्गत मैं ऐसे मामलों पर चर्चा किये जाने की अनुमति नहीं दे सकता जो प्रसंगानुकूल न हों । माननीय विधि मंत्री ने कहा कि यदि इस बात का सम्बन्ध वर्तमान उपबन्धों से होगा जिन पर कि प्रवर समिति में विचार किया जायगा तो वह उसे भी लेंगे । जिन धाराओं को सम्मिलित नहीं किया गया है उन पर फिर किसी दिन चर्चा की जायेगी, उन पर प्रवर समिति

[उपाध्यक्ष महोदय]

अभी विचार नहीं करेगी । अब इस विधेयक पर सामान्य चर्चा होगी ।

श्री दामोदर मेनन (कोजिकोडे) : श्रीमान् जी, उन्हों ने कहा कि 'मैं आप का सुझाव स्वीकार करता हूं' ।

उपाध्यक्ष महोदय : उन्हों ने कहा था कि यदि कोई ऐसी विशेष बात हो जो कि प्रसंगानुकूल हो अथवा इस से उत्पन्न होती हो तो वह इस पर विचार करेंगे ।

श्री एस० एस० मोरे : उन्हों ने 'सम्बन्धित' कहा था ।

श्री बिस्वास : मैं ने कहा था कि "सम्बन्धित अथवा जिस का थोड़ा सा भी सम्बन्ध हो' ।

उपाध्यक्ष महोदय : जहां तक इस मामले का सम्बन्ध है इस को स्वीकार या अस्वीकार करना सदन पर निर्भर है । वह अवस्था अभी नहीं आई है । अब सदन प्रवर समिति को निर्दिष्ट किये जाने वाले प्रस्ताव पर चर्चा करेगा ।

श्री टंडन : सभापति महोदय मैं जो कुछ माननीय मंत्री जी के पहले कह रहा था उसी को समाप्त करूंगा । में उन को यह सुझाव देता हूं कि वह इस एलेक्शन एक्सपेन्सेज के विषय में ध्यान दें । चुनाव अदालतों ने भी इधर ध्यान दिया है । उन का ध्यान इस ओर जाना ही पड़ता है क्योंकि प्राय: इस प्रकार की आपत्तियां चुनावों में की जाती हैं कि जो ब्यौरा खर्चे का दाखिल हुआ है वह ठीक नहीं है । प्राय: अधिक चुनावों में इस प्रकार की आपत्तियां की जाती हैं । मेरा निवेदन है कि हमारे सदस्यगण अनुभव से जानते हैं कि कितनी कठिनता होती है ठीक ठीक हिसाब रखने में । जब तक कि स्वयं जो मताभिलाषी है, कैन्डिडेट है, वह बहुत अधिक चौकन्ना न हो, एक एक ब्यौरे के बारे में तब तक बहुत सम्भावना होती है कि उस में भूल हो जाये और पीछे होता यह है कि अनुमान से और अन्दाज से तमाम एलेक्शन एक्स पेन्सेज के ब्यौरे भरे जाते हैं । स्वभावत: जब अनुमान चलता है तब सत्य से हटना पड़ता है । मैं यह भी जानता हूं कि बहुत से लोग बताये हुए खर्च से बहुत अधिक खर्च करते हैं और उस का पता पाना बहुत कठिन होता है । मैं ने पहले ही निवेदन किया कि जिन लोगों को शासन का भार लेना है या जो इस सभा में या राज्य की सभाओं में आते हैं उन के ऊपर बड़ा दायित्व है वे देश का नेतृत्व करते हैं । चुनावों में जितने ही स्वच्छ रहेंगे उतने ही वे अधिक आदर के पात्र होंगे । मेरा तो यह सुझाव है कि यह जो एलेक्शन एक्सपेन्सेज के दाखिल करने का नियम है उस के अनुसार वास्तव में आज की स्थिति में एलेक्शन एक्पेन्सेज का कागज तो आ जाता है लेकिन वास्तविक व्यय का पता उस से नहीं लगता । मुझे इस विषय में दूसरे देशों से सीखना नहीं है । मेरा निवेदन यह है कि यह जो एलेक्शन एक्सपेन्सेज दाखिल करने का नियम है यह बिल्कुल उड़ा दिया जाय तो स्थिति कहीं अच्छी होगी । जिस का जो मन चाहे खर्च करे । हां यह अवश्य ऐक्ट अथवा नियमों में रहे कि किन किन प्रयोजनों में रुपया नहीं खर्च हो सकता । जैसे गाड़ी घोड़ा देना आदि क्योंकि जिस के पास रुपया अधिक नहीं है वह इस का प्रबन्ध नहीं कर सकता । परन्तु एलैक्शन एक्सपेन्सेज के उपस्थित करने की प्रथा न रहे । आप एक सूची दे सकते हैं कि मताभिलाषी गण यह यह काम न करें और अगर नियम का भंग होता है तो उन के विरुद्ध मुकद्दमा चल सके और गवाही आ सके परन्तु एलेक्शन एक्सपेन्सेज मांगने का क्रम उठा दिया जाय । मैं जानता हूं कि यह क्रान्तिकारी परिवर्तन होगा ।

श्री अलगू राय शास्त्री (ज़िला आज़मगढ़—पूर्व व ज़िला बलिया—पश्चिम) : यह जरूर होना चाहिये ।

श्री टंडन : सम्भव है हमारे मंत्री महोदय हवाला देंगे इंग्लैंड का और दूसरे देशों का, लेकिन मैं ने पहले ही निवेदन किया कि मैं अनुभवों को, अपने साथियों के अपने अनुभवों को अधिक महत्व देता हूं दूसरों के क्रम की अपेक्षा । दूसरी जगहों में भी भूलें हो रही हैं, अमेरीका में चुनावों के बारे में क्या होता है? मैं ने भी इस सम्बन्ध में कुछ पढ़ा है । मैं ने सुना है कि वहां के चुनावों में सत्य का आदर होता हो, ऐसा नहीं है । इंग्लैंड शायद अच्छा है यह मेरा ध्यान है परन्तु कुल बातों को समझ बूझ कर मैं यह चाहता हूं कि हमारी गवर्नमेंट और हमारे मंत्री जिन के सामने आज परिवर्तन का विषय उपस्थित है गहरी दृष्टि से यह सोचें कि एलेक्शन एक्सपेन्सेज के सम्बन्ध का जो नियम है बिल्कुल हटा दिया जाय । किसने क्या खर्च किया, बीस हजार या एक लाख इस के जानने की आवश्यकता न हो । यह तो हो कि चुनावों में अमुक काम कोई आदमी नहीं कर सकेगा । जो काम वर्जित है यदि उस के करने की शहादत आती है तो उस का चुनाव गलत समझा जाये, परन्तु हर आदमी अपने चुनाव का खर्चा दाखिल करे, यह नियम इस ऐक्ट के भीतर से हटा दिया जाय यह मेरा निवेदन है ।

बस इस समय मुझे यही कहना है ।

इस के पश्चात् श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी ने अपने संशोधन की बात उठाई । उपाध्यक्ष महोदय ने कहा कि सब संशोधन व्यपगत हो गये हैं ।

श्री वी० जी० देशपांडे : उप-सभापति महोदय, रिप्रेजेंटेशन आफ पीपिल एक्ट

एक माननीय सदस्य : कृपया अंग्रेजी में बोलिये ।

श्री वी० जी० देशपांडे : हमारे अलगू राय जी शास्त्री कहते हैं कि हिन्दी में बोलना चाहिये इसलिये मैं हिन्दी में ही बोलूंगा । रिप्रेजेंटेशन आफ पीपिल ऐक्ट वह नींव है जिस पर लोक सत्ता की जनतन्त्र की और पार्लियामेंटरी गवर्नमेंट की स्कीम रखी गई है और इसी के लिये मैं चाहता हूं कि रिप्रेजेंटेशन आफ पीपिल ऐक्ट का संशोधन करते हुए हम अपने अनुभवों का फायदा उठाते हुए पूरे बिल का संशोधन करें । स्टेटमेंट आफ आबजैक्ट्स एंड रीजन्स में भी यह दिया हुआ है और अभी हमारे मंत्री जी ने भी यह बतलाया ह कि अभी वह उन्हीं विधेयकों को ले रहे हैं जो बहुत जरूरी हैं और जल्दी ही काम में आने वाले हैं । मैं समझता हूं कि बहुत सी ऐसी बातें हैं कि जिन को करना आवश्यक है जिस प्रकार से कि पैप्सू में इलैक्शन हो रहा है या कांउसिल आफ स्टेट के इलैक्शन आने वाले १९५४ में आयेंगे उन के बारे में भी आप को विचार करना चाहिये । यह विषय आ सकता है या नहीं यह मैं नहीं बतला सकता । लेकिन दो दो वर्ष के पश्चात् एक तृतियांश संख्या काउंसिल आफ स्टेट की चली जाने वाली है और जिस प्रकार के नियम आज बने हुए हैं उन के अनुसार अल्पसंख्यक पक्ष के प्रति इन निर्वाचनों में अन्याय होने वाला है । मध्य भारत में से ६ सीटें थीं जिन में से एक जगह हम ने ली थी । अब जनवरी में वह हमारी सीट जाने वाली है । फिर जब सीटों का निर्वाचन होगा तो यह सीट कांग्रेस को मिल जायेगी । हमारे प्रोपोरशनल रिप्रेजेंटशन का तत्व मानने के पश्चात् आज देश में सब जगह अल्प संख्यकों का पक्ष विधान सभाओं में काम कर रहा है और एक समय आ सकता है कि चार पांच साल के पश्चात् काउंसिल आफ स्टेट का जो आज कम्पोजीशन है वह बदल कर के कांग्रेस

[श्री वी० जी० देशपांडे]

दल का हो सकता है। इसलिये पैप्सू की जितनी जल्दी है उतनी ही जल्दी कांउसिल आफ स्टेट के प्रतिनिधित्व के लिये भी करनी चाहिये। मैं समझता हूं कि इस प्रकार की बहुत सी बातें हैं जो कि सम्बद्ध हैं। तो जो और इस तरह की बातें हैं उन को भी आप को जल्दी करना पड़ेगा। मैं और भी बहुत सी बातें देखता हूं जिन के बारे में आप को सोचना पड़ेगा। आब्जैक्ट में जो बताया गया है और बाकी पूरे इलैक्शन को देखने के पश्चात् जैसा कि इस हाउस के माननीय सदस्य श्री टंडन जी ने बताया है कि इलैक्शन एक्सपेंसेज की जो बात है उस को निकाल दिया जाय तो यह अच्छा रहेगा। इसी प्रकार से इलैक्शन के बारे में सब से पहली बड़ी बात यह है कि हम देखते हैं कि हमारे कांग्रेस सरकार के प्रतिनिधि आत्म अभिनन्दन करते थकते नहीं हैं। वह कहते हैं कि हमारा कानून बहुत अच्छा है। उन्होंने यह बताया कि यह जो रिप्रजेंटेशन आफ पीपिल ऐक्ट था यह बहुत अच्छा रहा। इतने बड़े भारी निर्वाचन हो गये और उन के पश्चात् भी कुछ अधिक बुरा नहीं हुआ। मैं विरोधी दल का होते हुए भी यह मानता हूं कि बहुत हद तक उन का कहना ठीक है लेकिन कुछ स्फिअर्स (क्षेत्र) ऐसे हैं जहां यह रिप्रेजेंटेशन आफ पीपिल ऐक्ट जिस प्रकार के निर्वाचन हम चाहते हैं वह करने में समर्थ नहीं हो रहा है। पहली बात यह है कि सब निर्वाचन अबाध और न्याय्य होने चाहियें तथा सरकार का हस्तक्षेप न होना चाहिये। यह जो निर्वाचन है इस में सरकार का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिये। यह पहला तत्व है और मैं यह कहना चाहता हूं कि ये जो पिछले निर्वाचन हुए ये आफिशियल इंटरफरेंस से फ्री एंड फेयर रहे यह मैं मानने के लिये तैयार नहीं हूं।

एक माननीय सदस्य : यह गलत है।

श्री वी० जी० देशपांडे : गलत होगा। लेकिन ऐसी बातें हुई हैं, अनुभव आये हैं। मैं आप को बतलाऊंगा कि गवर्नमेंट सरवेंट (सरकारी नौकर) काम करते रहे। आप के रिप्रेजेंटेशन आफ पीपिल ऐक्ट में कोई ऐसी धारा नहीं है कि जिस से हम उन को रोक सकते हैं। ग्वालियर में एक म्युनिसिपल इंजीनियर खुल्लमखुल्ला काम कर रहा था। मैं ने रिटर्निंग आफिसर को तीन पत्र लिखे पर उन्हों ने कहा कि आप इलैक्शन पिटीशन कीजिये। मेरा अनुभव यह है कि सरकारी अफसरों के पास जाने पर उन्हों ने कहा कि यह बात ठीक हो सकती है लेकिन आज हम उन को रोक नहीं सकते हैं। आप इलैक्शन पिटीशन कर सकते हैं। लेकिन मेरी कठिनाई यह थी कि मैं जीतने वाला था, इसलिये मैं इलैक्शन पिटीशन कैसे करता। और मैं उस अफसर का कुछ नहीं कर सका और मेरी यह कम्पलेंट करने के बाद भी उन का कुछ नहीं हुआ। इस प्रकार से काम होता है और उस को हम रोक नहीं सकते हैं। जब डिप्टी कमिश्नर का दौरा होता है उसी वक्त कांग्रेस का कैंडीडेट (उम्मीदवार) वहां जाता है। वहां तकावी बांटी जाती है। इलैक्शन के दिनों में यह बातें होती हैं। हम यह नहीं कह सकते कि तकावी न बांटी जाय। हम यह भी नहीं कह सकते कि कांग्रेस का कैंडीडेट उस समय वहां न जाय। इलैक्शन के दिनों में मिनिस्टर के दौरे होते हैं। वह सरकारी खर्च से आते हैं और काम करते हैं। रिप्रेजेंटेशन आफ पीपिल ऐक्ट में कोई प्रावीजन इस सम्बन्ध में नहीं है कि इस समय में मिनिस्टर सरकार के खर्चे से संचार न करें। इस प्रकार का कोई भी प्रावीजन इस में नहीं रखा गया है। आगे चल कर दिया जाता है कि पटेल काम न करें, पटवारी काम न करें। इस प्रकार से छोटी छोटी बातें

ली जाती हैं। मध्य प्रदेश में पटेल खास कर इलैक्टड होते हैं। वह जनता में रहने वाले हैं। उन को इलेक्शन में नहीं आने दिया जाता लेकिन मिनिस्टर लोग हस्तक्षेप करें इस के विरुद्ध कुछ नहीं है आप के लिय मैं यह बताना चाहता हूं जैसा कि मेरे मित्र श्री मोरे जी ने बताया और उन को यह कहना नहीं था कि इलैक्शन पिटीशन में उन को जो अनुभव हुआ उसी अनुभव पर काम किया जाय, लेकिन हम देखते हैं कि हिन्दुस्तान में आज तक जितने इलैक्शन पिटीशन हुए हैं उन में परस्पर कितना विरोध हुआ है। जब तक इन इलैक्शन ट्राइबुनल्स (निर्वाचन अधिकरणों) को कोआरडिनेट (एक सूत्र) करने के लिये आप कोई सत्ता का निर्माण नहीं करते हैं तब तक यह जो इलैक्शन पिटीशन होते हैं इन से कोई खास फायदा नहीं होने वाला है। मैं किसी पक्ष के बारे नहीं बोलना चाहता हूं। मैं ट्राइबुनल्स के खिलाफ भी कुछ नहीं कहना चाहता हूं। न मेरे हृदय में उन के प्रति विरोध की भावना है। लेकिन मैं देखता हूं कि एक जगह एक कांग्रेस मिनिस्टर के खिलाफ इलैक्शन पिटीशन होता है। वहां वह इसलिये डिसमिस कर दिया जाता है कि सारे कैंडीडेट को प्रतिवादी नहीं बनाया गया। उस के बाद जब कोई कांग्रेस का कैंडीडेट जो पहले स्पीकर रह चुका इलैक्शन पिटीशन करता है तो ट्राइबुनल कहता है कि इस प्रावीजन की कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरे रेसपांडेंट बाद में बनाये जा सकते हैं। मैं ने देखा है कि एक ही प्रान्त में दो ट्राइबुनल्स ला पाइंट्स (विधि विषयक प्रश्नों) पर परस्पर विरोधी डिसीशन (निर्णय) दे देते हैं। मध्य भारत में मैं ने एक जगह देखा कि रिटर्निंग आफिसर की गलती की वजह से ट्राइबुनल ने यह डिसीशन दिया कि रिप्रेजेंटेशन आफ पीपिल एक्ट के रूल्स जो हैं वह रिप्रेजेंटेशन आफ पीपिल ऐक्ट के समान बन्धनकारक नहीं हैं। और ऐजेन्ट के लिये यह गुनाह था। अगर कैंडिडेट अपने को छोड़ कर दूसरे को एजेंट नियुक्त करता है दैन हिज कंसेंट शुड बी टेकिन इन दी प्रैस्क्राइब्ड फार्म (तो उस की सहमति निहित रूप में ली जानी चाहिये)। यह आप के रूल ११ए और ५ए हैं। फिर ट्रिब्युनल ने जजमेंट दिया कि यह ऐक्ट का पार्ट नहीं है, इसलिये कम्पलसरी (बन्धनकारक) नहीं है। इस तरह से रिटर्निंग अफसरों ने बहुत से केसेज गलत रिजैक्ट किये थे और जो कैंडीडेट चुन कर आये थे उन का इलेक्शन कहीं रद्द कर दिया और कहीं नहीं। लेकिन इस के खिलाफ अपील करने की कोई पावर नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है। देश में जो इस प्रकार के ट्रिब्यूनल्स हैं उन पर हाई कोर्ट की सत्ता नहीं है। एक ट्रिब्युनल पर दूसरे ट्रिब्यनल का प्रभाव नहीं है। ऐसी हालत में मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से यह काम चल रहा है यह ठीक नहीं है। गवर्नमेंट के जो रिटर्निंग आफिसर हैं यह ऐडमिनिस्ट्रेटिव मैशीनरी के डिप्टी कलैक्टर होते हैं। जो लोग ट्रिब्युनल में नियुक्त किये जाते हैं, मैं उन के बारे में कोई अनादर की भावना नहीं रखता, लेकिन इस प्रकार के लोगों की नियुक्ति से उन के वैयक्तिक प्रेडीलैक्शन के कारण हम आज इस प्रकार के परस्पर विरोधी निर्णय देख रहे हैं। इसलिय जब तक आप कोई एक अपीलैट अथारिटी नियुक्त नहीं करते, इन सब के ऊपर, तब तक इस तरह से इलैक्शन का काम अच्छी तरह से नहीं चल सकता।

आगे चल कर जैसा कि श्री पुरुषोत्तम दास जी टंडन ने बताया, मैं भी इलक्शन ऐक्सपैंसेज के बारे में कहना चाहता हूं। इस को पूरा पूरा निकाल दिया जाय ऐसा क्रान्तिकारी सजैशन करने वाला तो में नहीं था। लेकिन मेरा खुद का यह अनुभव है, जैसा कि टंडन साहब का है। जैसे उन्होंने

[श्री वी० जी० देशपांडे]

खर्चा नहीं किया, उसी तरह मुझे भी ज्यादा खर्चा नहीं करना पड़ा, क्योंकि मेरे पास पैसा ज्यादा है नहीं। लेकिन बाकी मित्रों की बात देखता हूं तो बात इस तरह से होती है कि हजारों लाखों रुपयों का खर्चा वही कर सकता है जिस के पास कि इतना रुपया खर्च करने के लिये हो। बड़े बड़े पूंजीवादी जो कि दो तीन लाख खर्च करते हैं, उन को तो इनकम टैक्स के कारण अनुभव होता है कि कैसे हिसाब किया जाय, कैसे उस को दिखाया जाय। लेकिन जब कोई सीधा सादा आदमी दो चार हजार का भी खर्चा कर जाता है तो उन दो चार हजार रुपये के खर्चे को दिखाने के लिये कहता है कि खर्चा ग्रोनोरेरियम (मान धन) में हुआ, वह दिखा देता है कि आनोरेरियम दिया है। तो वह तो कानून में पकड़ा जाता है और हम देखते हैं कि जो लाखों रुपये खर्च करते हैं वे कभी नहीं पकड़े जाते। कोई भी आदमी ज्यादा खर्चा करने के कारण पकड़ा नहीं गया है। इस लिये यह प्रोसीज्योर (प्रक्रिया) बिल्कुल बेकार है, इस की कोई जरूरत नहीं है।

इसी तरह से करप्ट प्रक्टिसैज (भ्रष्टाचार) के बारे में कहा गया है कि यह न की जायें। आप ने कानून इस तरह का बनाया है कि कनवेएन्स (वाहन) से मतदाता को नहीं लाना चाहिये। हम ने एक जगह कनवेएन्स को पुलिस के सामने पकड़ा और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पास ले गये। पुलिस ने उन का स्टेटमैंट लिया जिन्हों ने कहा कि मोटर हम लाये थे। मोटर स्टट ट्रांसपोर्ट की किराये से ली हुई थी। एक बड़े मिनिस्टर साहब ने ली थी। तो इतना होने पर भी रिटर्निंग आफिसर न बताया कि कोई कानून ऐसा नहीं है कि जिस के अनुसार हम अरैस्ट (गिरफ्तार) कर सकते हैं। आप ने देखा है कि इट इज नाट ए काग्निजेबुल आफन्स (यह हस्तक्षेप अपराध नहीं है)। इलैक्शन के रिजल्ट को जो मैटीरियली अफैक्ट (ठोस रूप से प्रभावित) करे वह करप्ट प्रैक्टिस है लेकिन आप के ऐक्ट में इस चीज को भी आप ने नहीं रखा है। तो इस प्रकार से जो करप्ट प्रैक्टिसैज हैं, भ्रष्टाचार है, रिश्वतखोरी है, इन सब बातों को आप इस ऐक्ट से नहीं रोक सकते। और खर्चा वगैरह की जो बात है उस में जो खर्चा करने वाला है उस को तो आप रोक नहीं सकते लेकिन जो बेचारे गरीब हैं उन के रास्ते में आप इस तरह के कानूनी रोड़े अटकाते हैं। यहां के जो लोग बड़े प्रामाणिक और चरित्रशील हैं उन के रास्ते में आप इस तरह से मोह का निर्माण करते हैं। यह मोह की अप्सरा उन की तपश्चर्या को भंग न करे ऐसा प्रावीजन आप को इस कानून में रखना चाहिये। इस में आप को ऐसा सीधा सादा प्रावीजन रखना चाहिये जिस से किसी को इस प्रकार का मोह न हो।

११ म० प०

आगे चल कर मुझे एक विषय पर और बोलना है। पैप्सू के निर्वाचन बहुत नजदीक आ रहे हैं। आप ने जो रिप्रैजेंटेशन आफ पीपुल ऐक्ट बनाया है उस के लिये इंगलैंड का आदर्श आप ने सामने रखा था। लेकिन इंग्लैंड से भी एक कदम आगे जाने का दावा आप लोग करते हैं और दुनिया को आदर्श दिखाने की आप की प्रतिक्रिया है। इसी लिये आप ने अनड्यू इनफ्लूएँस की बात और अनड्यू प्रैशर की बात रखी है कि नाजायज तरीके से कोई किसी को न दबाये, नाजायज इनफ्लूएँस किसी पर न आये। यह कानून वहां पर था। आप ने अपने यहां भी १२३ सैक्शन में यह बात रखी है। लेकिन आप इस से और एक कदम आगे गये हैं। आप की सैक्युलैरिज्म की महत्वाकांक्षा होने के कारण आप ने धारा १२४ (५) में एक और प्रावीजन

रखा है । वह आप का प्रावीजन यह है कि किसी जाति के नाम पर, किसी धर्म के नाम पर किसी सम्प्रदाय के नाम पर या किसी नैशनल सिम्बल के नाम पर, कोई आवाहन न कर सके, किसी को अपील न कर सके, इस के बारे में मैं चाहता हूं कि पैप्सू के निर्वाचन होने के पहले ही यह तय हो जाय, क्योंकि वहां के बहुत से इलैक्शन पिटीशन इसी विषय पर हुए थे । मैं आप को बताना चाहता हूं कि आप का विधान, आप के जिस कांस्टीट्यूशन को आप ने सामने रख कर शपथ ग्रहण की है उस के भी यह १२४ (५) खिलाफ है ।

[पंडित ठाकुर दास भार्गव अध्यक्ष-पद पर]

आप ने पढ़ा होगा कि एक कम्युनिस्ट सदस्य के विपक्ष में रोमन कैथालिक पादरियों ने एक बार फतवा निकाला था कि किसी को भी कम्युनिस्ट पार्टी के मेम्बर को वोट नहीं देना चाहिये । लेकिन इस पर ट्रिब्यूनल ने जो निर्णय दिया उस में यह कहा कि इट इज दी राइटफुल ड्यूटी आफ दी पादरीज़, इट इज बैनीवोलैंट इन्फल्युएन्स आफ दी पादरीज टु ईश्यू सच फतवा (ऐसा फतवा निकालना पादरियों का न्याय कर्त्तव्य है, उचित प्रभाव है), क्योंकि वह बुरी बात नहीं करते हैं ।वह यह नहीं कहते ह कि तुम्हारा बुरा होगा, इसलिये धर्म की प्रतिष्ठा में लोगों की मदद करनी चाहिये । तो यह जो अनड्यू की बात है तो १२३ में और १२४ (५) में यह इस तरह से है कि धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, जो भी अपील करते हैं, योग्य आवाहन भी करते हैं, तो भी वह कानून में गुनाह होता है और इस लिये इफ इट मैटीरियली अफक्ट्स दी रिजल्ट्स आफ दी इलैक्शन और फिर आप उस इलैक्शन को वायड (रद्द) कर सकते हैं । आप ने अपने कांस्टीट्यूशन में भी अस्पृश्यता को अलग रखा है । कास्ट, रिलीजियन एंड काम्युनिटीज यू हैव एकनालैज्ड बाई यूअर कांस्टीट्यूशन (आप ने आपके संविधान में जाति, धर्म तथा जमातों को स्वीकार किया है) एंड दी रिप्रैजेंटेशन आफ दी पीपुल ऐक्ट । आप ने अछूतों के लिये अलग जगहें रखी हैं, जहां केवल एक अछूत खड़ा हो सकता है । वह उस जगह से खड़ा होता है और कहता है कि अछूतों पर अत्याचार हो रहा है, चमारों पर अत्याचार हो रहा है, तो इन अत्याचारों को हटाने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं, तो मैं समझता हूं कि कोई भी अस्पृश्य लीडर जब तक यह नहीं कहेगा तो उस का अछूतों की रक्षा के लिये खड़ा होना बेकार है । लेकिन उस के यह कहने पर आप का इलैक्शन ट्रिब्यूनल आ कर उस का गला पकड़ेगा कि तुम ने अछूतों को उभारा है, तुम ने करप्ट प्रैक्टिस की है, १२४(५) में, इस तरह वह दबाया जा सकता है ।

पैप्सू में ही आप लीजिये । मुझे इस पर विश्वास नहीं है, लेकिन समझिये कि सिक्खों पर हिन्दू अत्याचार करते हैं या सिक्खों द्वारा अछूतों पर अत्याचार होता है । तो अगर कोई इस की चर्चा करता है तो यह अनड्यू इनफ्लूएंस और करप्ट प्रैक्टिस में आ जाता है । इसी तरह अगर कोई कहता है कि गो रक्षा करेंगे तो इस के बारे में पिटीशन्स हुई हैं, वह चल भी रही हैं और कहीं कहीं निर्णय भी हुए हैं कि गोरक्षा करनी चाहिये यह हिन्दू धर्म के नाम पर अपील करना है और इस लिये करप्ट प्रैक्टिस है । आप कहेंगे वी आर कमिटैड टु सैक्युलर आईडियाज (हम धर्म निरपेक्ष विचारों के समर्थक हैं) । यह सैक्युलर आईडिया कहां है ? हमारे कांस्टीट्यूशन में कहीं सैक्युलर शब्द नहीं है, हम कमिटड नहीं हैं । फिर इस के नाम पर आप क्यों इस तरह की रुकावटें डाल रहे हैं । तो जो १२४(५) सैक्शन है यह एकदम चला जाना चाहिये ।

[श्री वी० जी० देशपांडे]

अब थोड़ी कंट्रोवरसी (चर्चा) इम्प्रापर रिजैक्शन (अनुचित अस्वीकार) आफ नामिनेशन पेपर के बारे में भी है। अगर इम्प्रापर एक्सेप्टैंस आफ नामिनेशन पेपर हो तो भी इलैक्शन वाइड हो जाता है। यह बड़ी निर्दयता वाली चीज इस कानून में है। इस इम्प्रापर एक्सैप्टस या इम्प्रापर रिजैक्शन आफ नामिनेशन पेपर की जो चीज है इस में बहुत सी बातें मध्य भारत में हुई हैं कि जहां कांग्रेस वालों को डर था तो उन्हों ने अपने ही कैंडिडेट को रख कर उस का नामिनशन पेपर रिजैक्ट करवा लिया और बाद में इलैक्शन वायड करवा लिया। इस प्रकार की बहुत सी बातें मैं आप को बता सकता हूं, लेकिन सब बातों को बताना ठीक नहीं है। मन्दसौर के इलैक्शन में इस प्रकार की बातें हुई हैं और और बहुत जगह हुई हैं। इस लिये के मैं ला मिनिस्टर को बधाई देता हूं कि यह बड़ा आवश्यक इस प्रकार का संशोधन आप ने किया। मैं ने जब पुरानी अपना कांस्टीट्यूएंट असेम्बली और पालियामेंट की प्रोसीडिंग्ज देखी तो मैं नें देखा कि इस प्रकार का संशोधन डाक्टर अम्बेडकर साहब ने भी रखा था।

मैं आशा करता था कि बहुत जल्दी ही यहां इस प्रकार का एक बिल आयेगा, लेकिन मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है, कि उस प्रकार का बिल आज हमारे सामने नहीं है और हमारे ला मिनिस्टर साहब ने जो आज बिल पेश किया है उस में काफी सुधार और संशोधन करने की गुंजाइश है। श्री अल्गू राय शास्त्री मुझे क्षमा करेंगे अगर मैं यह कहूं कि विधि मंत्री ने बहुत भ्रांति बढ़ा दी है। वैसे एक आध संशोधन में जो क्वालिफिकेशन और डिस्क्वालिफिकेशन के सम्बन्ध में इलैक्शन ट्रिब्युनल को अधिकार दिया है, यह चीज अभिनन्दनीय नहीं है। नामिनेशन पेपर रिजैक्ट या एक्सेप्ट करने के लिये धारा ३६ में जो पांच चीजें दी हुई हैं उन में पहली दो तो यह हैं कि वह वाकई उस के लिये क्वालिफाइड है या डिस्क्वालीफाइड है, इस के बारे में बहुत सी इलैक्शन पिटीशन्स हुई हैं और मैं इस समय यह तो नहीं बतला सकता चूंकि समय की तंगी है कि कितने निर्णय इलैक्शन पिटीशन्स पर पक्ष में हुए और कितने विपक्ष में, लेकिन मेरी आंखों के सामने इलैक्शन पिटीशन्स हैं जिन में आप क्वालिफाइड हैं अथवा नहीं यह बात थी। कितने कंट्रैक्ट्स थे, और कितने सर्विस में थे या नहीं यह तो मैं आप को नहीं बतला सकूंगा। लेकिन मैं आप को इलैक्शन ट्रिब्यनल द्वारा दस इलैक्शन पिटीशन्स पर दिये जजमेंट बता सकता हूं जिन में क्वालिफिकेशन या डिस्क्वालिफिकेशन के ऊपर ही नामिनेशन पेपर्स रिजैक्ट हुए हैं और मेरी मान्यता है कि अगर इलैक्शन ट्रिब्यूनल क्वालिफाइड और डिस्क्वालीफाइड के विषय को लेकर ही बैठ जायगा तो मैं समझता हूं कि यह जो आप का बिल लाने का उद्देश्य है वह ही मारा जायगा और जिस कार्य के लिये आप यह बिल जल्दी ला रहे हैं, वह पूर्ण न हो सकेगा और मैं कहने पर बाध्य हूं कि उन के संशोधन से एक प्रकार का कनफ्यूजन पैदा हो गया है और मेरे हृदय में जो एक कनफ्यूजन हो गया है, वह सब से पहले मंत्री महोदय को साफ करना चाहिए। उन के अनुसार "चुनाव की तारीख को" का अर्थ "नामनिर्देशन पत्र देन की तारीख" से है। इस सिलसिले में में कहना चाहता हूं कि जितने इलैक्शन्स में के लाज़ मैं न पढ़ हैं उन में कहा गया है कि जिस दिन से आप नामिनेशन पेपर फिल (भरते) करते हैं उस दिन से आप की इलैक्शन की डेट मानी जाती है, कहीं कहीं इसके बारे में झगड़ पैदा किए गए हैं और हमारे ला मिनिस्टर भी बीच बीच में स्क्रूटिनी का दिन कहतेथ

इलैक्शन का दिन कहते थे, उन की समझ में शायद स्क्रूटिनी का दिन और इलैक्शन का दिन है, तो यह कनफ्यूजन (भ्रम) आज इस सम्बन्ध में यहां पर दीखता है और डेट आफ इलैक्शन क्या है इस को आप को साफ तौर से डिफाइन (निश्चित) कर देना चाहिये, क्योंकि यह ला बहुत गड़बड़ी पैदा करने वाली चीज है और मेरे जैसे सीधे सादे आदमी को इस कारण समझ में नहीं आता। स्क्रूटिनी करते वक्त यह देखना चाहिए कि वह चुनाव में खड़े होने के लिये अर्हित है अथवा नहीं। एक वकील ने इस कानून का यह अर्थ लगाया कि डिस्क्वालीफिकेशन नामिनेशन की डेट में है, इस लिये आप को संशोधन कर के इस को साफ कर देना चाहिए कि नामनिर्देशन की तारीख को वह अर्हित होना चाहिये अनर्हित नहीं यह दो शब्द आप को वहां पर रखने चाहिय और जब तक आप इस कानून को अच्छी तरह आगे नहीं रखते, तब तक से मैं समझता कि इस के बारे में बहुत झगड़े होंगे। आगे चल कर मैं एक बड़ी भारी बात देखता जो इस इलैक्शन में आ गई है और जो बहुत जरूरी है। अभी एक प्रान्त में जनरल इलैक्शन होने वाला है और उस के सम्बन्ध में आप को देखना पड़ेगा कि "आफिस आफ प्राफिट" (लाभ का पद) ये जो शब्द हैं और ये "आफिस आफ प्राफिट" के शब्द हमारे कांस्टीट्यूशन में भी हैं, लेकिन "आफिस आफ प्राफिट" की व्याख्या और डैफीनीशन कहीं भी नहीं दी है, कहीं कहीं तो हाथी तक चले जाते हैं और कहीं चींटी भी नहीं जा पाती। एक जगह तो यह होता है कि एक शख्स जिस को पच्चीस रुपया साल की माफी मिलती है, उस के लिये कहा जाता है कि उस को चुनाव के लिये खड़ा नहीं होना चाहिए क्योंकि उस ने लाभ पद ग्रहण किया है, उस बेचारे पुजारी को हजारों साल पहले जब यहां के राजा लोग आज की सेकुलरिज्म जानते नहीं थे, उस मन्दिर के पुजारी को उन्होंने पच्चीस रुपये साल की माफी दे दी, वह पुजारी इलैक्शन के लिए खड़ा नहीं हो सका, लेकिन कहीं कहीं बड़े बड़े लोग भी चुनाव में खड़े होने दिये जाते हैं। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि "आफिस आफ प्राफिट" को साफ तौर से डिफाइन करना चाहिए। मैं आप को बताऊं यहीं इस पालियामेंट में महाराष्ट्र के एक मेरे मित्र हैं और वह एक जगह के पाटिल हैं, उन्होंने ४५ रुपये पर अपना एवजीदार नियुक्त किया है। इस की ओर आप का ध्यान मुझे आकर्षित करना पड़ रहा है। इस तरह से छोटी छोटी बातें भी "आफिस आफ प्राफिट" में आती हैं, पंजाब की गवर्नमेंट ने यह कानून लागू कर दिया कि वहां पर जो नम्बरदार है वह इस कानून में नहीं आ सकता, आगे चल कर एक बड़ी एनामली (विसंगति) सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अन्दर यहां पदा हो गई है। मद्रास असेम्बली के एक मेम्बर की डिस्क्वालीफिकेशन का मामला था और वह डिस्क्वालीफिकेशन जब इलैक्शन कमीशन के सामने गई तब यह निर्णय किया गया कि किसी की डिस्क्वालिफिकेशन होती है और वह डिस्क्वालीफिकेशन पेटीशन में या रिटरनिंग अफसर के सामने नहीं लाया, तो वह इलैक्शन कमीशन के सामने नहीं ला सकता। कोई आदमी "आफिस आफ प्राफिट" होल्ड करता है तो होल्ड करने के बाद यदि जांच के पहले अनर्हता थी तो आगे चलकर वह पालियामेंट में या प्रेसीडेंट को अपील करे, इलैक्शन कमीशन के पास रेफर (निर्देश) नहीं कर सकता इस तरह की एक बड़ी असंगतता इस में पैदा हो रही है और इस कारण मैं समझता हूं कि इस आफिस आफ प्राफिट की अच्छी तरह से व्याख्या करनी चाहिय और आगे चल कर कोई भी आदमी डिस्क्वालिफाइड हो तो वह पहले की डिस्क्वालिफिकेशन हो या आज की हो इस हाउस के पास उस के लिय

[श्री वी० जी० देशपांडे]

कोई रेमिडी (उपाय) नहीं है, वह चाहे तो उस के लिये इलैक्शन पिटीशन कर सकता है लेकिन मैं आप को बतलाऊं कि उस को ठीक करने का राइट (अधिकार) बाहर की पार्लियामेंट को है, इंग्लैंड की पार्लियामेंट को यह हक हासिल है। इंग्लैंड की पार्लियामेंट को अपना कम्पोजीशन डिसाइड करने का अधिकार है लेकिन हममें वैसा करने का सामर्थ नहीं है।

आप को रिप्रेजेंटेशन आफ दी पीपिल एक्ट में संशोधन करना पड़ेगा। आगे चलकर दो बातें मैं आप के सम्मुख रखना चाहता हूं, एक तो यह है कि यहां एक संशोधन किया गया है कि किसी भी इलैक्शन में जितने डयूली नामिनेटेड कैंडीडेट्स (उचित रूप से नामज़द उम्मीदवार) हैं उन को सब को आप को प्रतिवादी करना चाहिये। मैं चाहता हूं कि इलैक्शन पैटीशन को आप इतना आसान करने की फिक्र मत कीजिये। मतलब यह है कि आपके निर्वाचन क्षेत्र के इलेक्टोरेट ने जो निर्णय दिया है उस का आपको आदर करना चाहिये, इंग्लैंड में इतनी बड़ी संख्या में इलैक्शन पेटीशन्स नहीं की जाती हैं, लेकिन यहां हम देखते हैं कि आप दिन प्रति दिन उस को आसान कर रहे हैं, इलैक्शन कमीशन को देर न हो, इस के लिये कमीशन को अधिकार दिया था कि टाइम के अन्दर वह नहीं आये तो डिसमिस कर दे, इलैक्शन ट्रिब्यूनल के हाथ में ऐसी पावर देना जिस से पेटीशन बेकार में न हो और बिला जरूरत पेटीशन की तादाद न बढ़े, आवश्यक है।

आगे चल कर एलेक्शन के अन्दर जितने कैन्डिडेट खड़े थे, उन्हों ने विदड्रा किया (नाम वापिस लिया) हो या कन्टेस्ट किया हो, सब को अधिकार होना चाहिये। मैं समझता हूं कि इस की शब्द रचना बहुत संदिग्ध हैं। चेअरमैन ऐप्वाइंट होने के बाद कोई भी रेस्पांडेन्ट हो सकता है। चेअरमैन पहले से ऐप्वाइंट (नियुक्त) होता है, पेटीशन्स बाद में भी की जाती हैं, बाई एलेक्शन की पेटीशन हुई और उन का निर्णय होता है, तो इस प्रकार की बात मेरी समझ में अच्छी नहीं है।

आगे एक आध प्वाइंट बता कर मैं अपने भाषण को समाप्त करने वाला हूं। सेक्शन १२३ के अन्दर जो भ्रष्टाचार किया जाता है उस के बारे में ट्राइब्यूनल को यह अधिकार दिया गया है कि यदि ट्राइब्यूनल यह देखती है कि जो कैन्डिडेट है या उस का ऐजेन्ट है, उस ने जान बूझ कर भ्रष्टाचार किया नहीं है, और उस की इन्फार्मेशन (ख्याल) से वह भ्रष्टाचार नहीं हुआ है और कैन्डिडेट ने प्रापर केअर (उचित सावधानी) ली है कि इस प्रकार का भ्रष्टाचार न हो तो उस को वह कन्डोन (माफ) कर सकती है। इस प्रकार की जो इर्रेगुलैरिटीज (अनियमिततायें) हों, जैसी प्रिंटिंग इत्यादि की उन के लिये ट्राइब्यूनल को यह अधिकार होना चाहिये कि यदि उन के लिये प्रापर केअर ली गई है तो वह उस को माफ कर दे।

इतना ही कह कर मैं बैठना चाहता हूं कि यह जो इलैक्शन ला है उस के बारे में हमारे जो कानून मंत्री हैं वह एक बात की तरफ कृपा कर के ध्यान दें कि उन्होंने जो सेक्शन्स रक्खे हैं उन के सिवा जिन सेक्शन्स या धाराओं की अर्जेंसी (शीघ्र आवश्यकता) है उन के बारे में भी संशोधन करने के हमारे रास्ते में रुकावट न डालें।

श्री दाभी (कैरा उत्तर) : यह संतोष की बात है कि इस विधेयक के द्वारा १९५० और १९५१ के दो अधिनियमों की त्रुटियों

को दूर करने की चेष्टा की गई है । किन्तु मेरे विचार में यदि सब संशोधन भी पारित कर दिये जायें फिर भी कुछ त्रुटियां और अस्पष्टताएं रह जायेंगी । मैं इन में से कुछ का उल्लेख करूंगा ताकि प्रवर समिति उपयुक्त संशोधनों के सुझाव दे सके ।

जन प्रतिनिधान अधिनियम, १९५१ की धारा ३६ की उपधारा ५ के अन्तर्गत जिसे इस विधेयक के द्वारा संशोधित किया जा रहा है, केवल उस व्यक्ति को जिस के विरुद्ध आपत्ति उठाई गई है, आपत्ति का प्रत्युत्तर देने का समय दिया गया है । आपत्ति उठाने वाले को भी समय दिया जायेगा, इस का कोई उल्लेख नहीं है । मुझे एक ऐसे मामले का अनुभव है जिस में यदि आपत्ति उठाने वाले को कुछ आवश्यक पत्र प्रस्तुत करने के लिए समय दिया जाता, तो उस की आपत्ति को उचित ठहराया गया होता । अतः मैं प्रवर समिति को यह सुझाव दूंगा कि न केवल उस व्यक्ति को जिस के विरुद्ध आपत्ति उठाई गई है, कुछ समय दिया जाये, बल्कि यदि निर्वाचन अधिकारी स्वविवेकानुसार उचित समझे, तो आपत्ति उठाने वाले को भी उम्मेदवार द्वारा प्रस्तुत सफ़ाई का प्रत्युत्तर देने के लिये समय दिया जाये । इस सम्बन्ध में, मैं यह भी चाहता हूं कि इस वाक्य "जांच की नियत तिथि से एक दिन बाद तक किन्तु उस के बाद नहीं" को भी अधिक सरल बनाया जाये ।

अब मैं खण्ड २५ को लेता हूं, जिस के द्वारा धारा ८१ को आदिष्ट करने की अपेक्षा की गई है । धारा ८१ में कहा गया है कि किसी निर्वाचन पर आपत्ति करने वाली निर्वाचन याचिका को निर्धारित समय के अन्दर अन्दर प्रस्तुत करना पड़ेगा । मेरी समझ में नहीं आता कि यदि धारा ८१ में दिनों की संख्या ठीक ठीक निश्चित कर दी गई है, तो १९५१ की धारा ७६ में ऐसा क्यों नहीं किया गया ।

मेरा सुझाव यह है कि इस में भी **'निश्चित** समय के अन्दर अन्दर' इन शब्दों के स्थान पर "४५ दिन के अन्दर अन्दर" ये शब्द आदिष्ट कर दिये जायें । यह अवधि नियमों द्वारा निश्चित नहीं की जानी चाहिये ।

खंड १७ की ओर निर्देश करते हुए, निर्वाचनों में वास्तविक कठिनाई यह पेश आती है कि अक्षरक्रम किस तरह निश्चित किया जाये ? क्या इसे अंग्रेज़ी भाषा के अनुसार निश्चित किया जाये या प्रादेशिक भाषा के अनुसार ? कुछ मामलों में नामावली अंग्रेज़ी अक्षरक्रम के अनुसार तैयार की गई है और कुछ में प्रादेशिक भाषा के अनुसार । इस बात को स्पष्ट करना चाहिये । साथ ही इस बात का भी निर्णय होना चाहिये कि नामावली उपनामों के अनुसार या नामों के अनुसार तैयार की जाये ।

एक और महत्वपूर्ण विषय निर्वाचन व्यय का है । हम जानते हैं कि निर्वाचन व्यय की अधिकतम राशि नियमों की अनुसूची ५ में निर्धारित की गई है । किन्तु जैसा कि अभी मेरे एक माननीय मित्र ने कहा है 'निर्वाचन व्यय' की कहीं परिभाषा नहीं दी गई । इस आधार पर कि उम्मेदवार ने कुछ चीज़ें निर्वाचन व्यय के लेखे में सम्मिलित नहीं कीं निर्वाचन याचिकाएं प्रस्तुत की गई हैं । निर्वाचन व्यय के अर्थ या अभिप्राय के बारे में मतभेद है । इसलिए यह आवश्यक है कि 'निर्वाचन व्यय' इन शब्दों की व्याख्या की जाये और बतलाया जाये कि इस में कौन सी चीज़ें सम्मिलित की जानी हैं और कौन सी नहीं की जानी ।

अन्त में, मैं 'लाभ-पद' के शब्द की ओर निर्देश करना चाहता हूं । इस शब्द की व्याख्या न संविधान में की गई है और न १९५१ के जन प्रतिनिधान अधिनियम में । इस शब्द के अर्थ के बारे में भी मतभेद है और इस मतभेद

[श्री दाभी]

के कारण बहुत सी याचिकाएं प्राप्त हुई हैं। यह शब्द हम ने अंग्रेजी निर्वाचन विधि से लिया है। मैं सदन का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि निर्वाचन आयुक्त ने इस शब्द का जो अर्थ निकाला है, वह अंग्रेज़ी निर्वाचन विधि में दिये गये अर्थ से बहुत भिन्न है। साधारणतया हमें अंग्रेज़ी विधि का अनुसरण करना चाहिये, क्योंकि यह शब्द इस विधि में से लिया गया है। इस शब्द की व्याख्या करना भी नितान्त आवश्यक है, ताकि इस के अर्थ के बारे में कोई सन्देह न रहे और अनावश्यक निर्वाचन याचिकाएं प्रस्तुत न की जायें। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि प्रवर समिति मेरे सुझावों पर विचार करेगी।

श्री पुन्नूस (आलप्पी) : माननीय मंत्री ने अपने भाषण में यह कहा कि वे इन संशोधनों को व्यापक नहीं समझते और इन के द्वारा संशोधित अधिनियम को अन्तिम अधिनियम नहीं समझते। हमारे वर्तमान विधि मंत्री ही पहिली बार ऐसी बात नहीं कर रहे हैं। १९५१ में उस समय के विधि मंत्री ने कहा था कि उन के विचार में यह विधेयक अन्तिम नहीं था और इस में अगले चुनाव के बाद आवश्यक संशोधन किये जा सकेंगे। सामान्य चुनाव के बाद सरकार के लिये यह उचित था कि जिन को इस विषय पर कुछ कहना था उन को कहने का अवसर देती। इस मामले में पूरा दृष्टिकोण प्रशासन सम्बन्धी कठिनाइयों का पता लगाने तथा उन्हें दूर करने का रहा है। निस्सन्देह उन्हें तो दूर करना ही है। उद्देश्यों तथा कारणों के विवरण में यह कहा गया है कि सरकार तथा निर्वाचन आयोग को कुछ त्रुटियां मालूम हुईं। किन्तु इस मामले में जनता का भी स्थान है और जनता ने अपने प्रतिनिधियों द्वारा अपनी राय व्यक्त की है। इस मामले में सरकार कम से कम यह तो कर सकती है कि वह सभी दलों का एक सम्मेलन बुलाये और उस में इस मामले पर विचार किया जाय। जैसा कि मैं ने कहा है इस मामले में पर्याप्त प्रयत्न नहीं किया गया। आखिरकार, वयस्क मताधिकार तथा शलाका द्वारा मत दान प्रथा ये हमारे लक्ष्य तो नहीं हैं। ये तो लक्ष्य प्राप्त करने के साधन हैं जिस के विषय में इन दोनों दलों में मतभेद नहीं है। हमारा यह विश्वास है कि हमारा समाज ऐसा है कि इस में ऐसे प्रभावशाली व्यक्ति हैं कि यदि अच्छे से अच्छे नियम बनाये जायें तो भी उन से पूरी तरह से अभिप्राय सिद्ध नहीं हो सकता। इस का यह अर्थ नहीं कि जनता को अपनी इच्छानुसार सरकार चुनने की यथासम्भव अधिकतम सुविधायें न दी जायें। इस विधेयक में सरकार ने प्रशासन सम्बन्धी प्रश्नों पर ही विचार किया है और अन्य सब बातों को छोड़ दिया है। आप सशस्त्र सेनाओं का मामला लीजिये। एक प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री ने यह बताया था कि सशस्त्र सेनाओं के केवल ४० प्रतिशत व्यक्तियों के नाम मतदान करने के लिये सूची में रखे गये जिन में से केवल आधे व्यक्तियों ने मतदान किया। क्या इस का यह मतलब है कि सैनिक जनता की अपेक्षा राजनैतिक रूप से कम जागृत हैं या उन्हें उन बातों के जानने का अवसर नहीं दिया जाता जिन के आधार पर चुनाव लड़ा गया? इन सभी बातों पर विचार किया जाना चाहिये। किन्तु इस में तो एक छोटी सी त्रुटि पर ही विचार किया जा रहा है। केवल इतना प्रयत्न पर्याप्त नहीं है।

फिर अवैध व्यवहार के सम्बन्ध में भी नियम है। यदि कोई व्यक्ति लोगों से अपना

मत किसी विशेष व्यक्ति को देने के लिये कहे या किसी विशेष व्यक्ति को मत देने के लिये मना करे तो इस अधिनियम के अन्तर्गत यह अवैध व्यवहार है । मैं नहीं जानता कि यहां क्या हुआ किन्तु दक्षिण भारत में पादरियों ने गत चुनाव में ऐसे कार्य किये जो आपत्तिजनक थे । इन पादरियों में से एक ने मतदाताओं को ऐसे दलों की एक सूची दी जिस के लिये उस ने कहा कि इन्हें मत न दिया जाय । चुनाव के अन्तिम दिनों में गिरजा घरों में प्रार्थना सभायें चुनाव सभाओं में परिणत हो गईं ।

वहां ऐसी बातें हुईं । क्या इस सम्बन्ध में हमारे नियम निरर्थक हो गये हैं ? मुझे विश्वास है कि हमारे आपस में मतभेद होते हुए भी बहुत से कांग्रेसी यह नहीं चाहते कि चुनाव में धार्मिक हस्तक्षेप हो । तो क्या हम इस बात को रोकने के लिये नियम नहीं बना सकते ? बहुत से समाचार पत्रों ने इस सम्बन्ध में लेख छापे हैं । किन्तु क्या निर्वाचन आयोग या सरकार ने उन पर विचार किया है और क्या इस सम्बन्ध में कोई उपबन्ध किया गया है ?

एक और छोटा सा मामला है । इस बात की शिकायतें हुई हैं कि मंत्रियों ने चुनाव में भाग लिया । वे राजनैतिक दलों के नेता हैं, वे चुनाव में भाग ले सकते हैं, मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं । किन्तु वे सरकारी कारों पर राष्ट्रीय झण्डा फहराते हैं और सरकारी कार में सफ़र करते हैं । इस से लोगों में निष्पक्ष चुनाव किये जाने के सम्बन्ध में सन्देह होता है । मंत्रिगण चुनाव में भाग लें किन्तु वे अपनी कारों में सफ़र करें, सरकारी पैट्रोल का इस्तेमाल न करें और कम से कम उन पर राष्ट्रीय झण्डा न फहरायें ।

एक और उदाहरण । हम निर्वाचन याचिकाओं के बारे में बातें करते हैं । एक निर्वाचन याचिका के लिये किसी व्यक्ति को १,००० रुपये देने पड़ते हैं । मैं ऐसे उम्मीदवारों को जानता हूं कि उन्होंने निर्वाचन याचिकायें इस लिये नहीं दीं क्योंकि उन के पास १,००० रुपये नहीं थे । क्या सरकार तथा निर्वाचन आयोग ने इस राशि को कम करने की आवश्यकता पर विचार किया है ? फिर, चुनाव में मत लेने के लिये हिंसात्मक कार्यवाहियों का सहारा लेना चुनाव की दृष्टि से एक अनुचित कार्य है । किन्तु समाचार पत्रों में इस प्रकार के आरोप लगाये गये हैं कि कुछ कांग्रेसी नेताओं ने गुण्डों को संगठित कर के मतदाताओं पर प्रभाव डालने के प्रयत्न किये । क्या हम इस बात का विश्वास रखें कि इस संशोधन के पारित कर दिये जाने के बाद इस प्रकार की बातें नहीं होंगी ?

अतः मैं जिस बात पर जोर देना चाहता हूं वह यह है कि निर्वाचन आयोग तथा सरकार ने इस समस्या पर संकुचित दृष्टिकोण से कार्य किया और उन्होंने इस सम्बन्ध में प्रभावोत्पादक तथा अपर्याप्त प्रयत्न नहीं किया अतः मुझे आशा है कि प्रवर समिति इन संशोधनों से सम्बन्धित सभी बातों पर विचार करेगी और सरकार भी इन सब मामलों पर पूरी तरह से विचार करेगी । फिर भी यह बात पूरी नहीं होगी । हमें इस प्रश्न की फिर जांच करनी पड़ेगी जिस से कि इस में आवश्यक संशोधन किये जा सकें । मैं उन त्रुटियों का निर्देश करूंगा जो मुझे इन संशोधनों में मालूम देती हैं ।

मैं ने सशस्त्र सेनाओं के बारे में कहा था । हमें ऐसी स्थिति पैदा करनी चाहिये जिस से इन सेनाओं के कर्मचारियों को मतदान करने में प्रोत्साहन मिले । कम से कम हम इस बात का ध्यान रख सकते हैं कि उन्हें मतदान करने में प्रशासन संबंधी कोई कठिनाई न हो । निर्वाचन नामावली तैयार करने में सरकारी व्यवस्था को देर

[श्री पुन्नस]

क्यों हो ? और यदि सरकार निर्वाचन नामावली बनाने में असफल रहती है तो उस के कारण हम क्यों नुकसान उठायें ? यदि कुछ अधिकारी अपना कर्त्तव्य पालन नहीं कर सकते तो इस के कारण जो व्यक्ति अब वयस्क हो गये हैं उन को मतदान करने से क्यों रोका जाय ? अतः १९५० के अधिनियम की संशोधक धारा २३ के खण्ड ६ के प्रथम परन्तुक को हटा दिया जाय ।

अब निर्वाचन नामावली में नाम सम्मिलित करने की बात को लीजिये । इसी बात से यह पता लग जायगा कि सरकार वास्तविकता से कितनी दूर है । सामान्य समय में आप निर्वाचक पंजीयन कर्त्ता अधिकारी को आवेदन पत्र दे कर अपना नाम नामावली में सम्मिलित करा सकते हैं । किन्तु जब समय बिल्कुल भी न हो और चुनाव समीप हो तो आप को दिल्ली तक आना पड़ेगा । उस समय यह आवेदन पत्र दिल्ली स्थित निर्वाचन आयोग को क्यों दिया जाय ? पिछले निर्वाचन में मेरे तीन या चार मित्र इस लिये नहीं खड़े हो सके क्योंकि निर्वाचन आयोग समय की अवधि में उन के मामले तय नहीं कर सका । मैं नहीं कहता कि यह उन की बड़ी गलती है । अतः पंजीयन कर्त्ता अधिकारी को यह अधिकार देने में क्या हानि है, विशेष कर जब कि उस के बाद निर्वाचन आयोग को अपील करने का अधिकार है । अतः उप-खण्ड (२) को भी हटा दिया जाय । निर्धारित शुल्क ५० रुपये है और यदि आप का नाम उस में सम्मिलित भी नहीं किया जाता तो भी ये रुपये आप को कभी भी लौटाये नहीं जायेंगे । यदि हम यह चाहते हैं कि सभी व्यक्तियों के नाम सूची में आ जायें तो इस राशि को कम कर दिया जाय । यह राशि घटा कर नाम मात्र के लिये रखी जानी चाहिये तथा घटा कर ५ रुपए कर दी जानी चाहिये ।

फीस पांच रुपये तक घट जाय, और विधेयक में विहित रकम के रूप में सम्मिलित की जाय ।

अब मैं खण्ड ८ को लेता हूं जिसमें कहा गया है कि निर्वाचन-सूची तैयार करने अथवा उसमें सुधार करन के लिए राज्यों के सारे स्थानीय प्राधिकारी राज्य के प्रमुख निर्वाचन प्राधिकारी को उसके मांगने पर अपेक्षित कर्मचारी देंगे । परन्तु इसमें कठिनाई यह है कि प्रगणना करने वाले अधिकतम व्यक्ति कम वेतन वाले शिक्षक होते हैं । उनको इस कार्य के लिए कुछ मिलना चाहिए, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा दिया जाय ।

दूसरी बात निर्वाचन के खर्चे का लेखा देने की है, जो केवल लेखा रखने के कौशल से सम्बन्धित है । लेखा प्रवीण व्यक्ति को रख कर लेखा में गड़बड़ी भी तो की जा सकती है । लेखा परीक्षण की अवधि अब तक निर्धारित नहीं हुई । इतने समय के बाद अब साक्षी आदि को ढूंढना कठिन है, और हो सकता है कि मेरे जैसे किसी सदस्य को इसी कारण से सदस्यता से हटना पड़े । जहां तक शिकायतों का सम्बन्ध है, वर्ष डेढ़ वर्ष के पश्चात् साक्षी देना इत्यादि कठिन हो जाता है । अतः निर्वाचन आयुक्त को अपने कर्मचारियों की संख्या बढ़ानी चाहिए और ऐसा प्रबन्ध करना चाहिए कि सब काम थोड़े समय के अन्दर हो जाय । खण्ड १२ मतदान केन्द्र के विषय में परिवर्तन करने से संबंधित है । कहा गया है कि एक स्थान में एक ही मतदान केन्द्र होना चाहिए । इस 'स्थान' से क्या अभिप्रेत है ? 'स्थान' की जगह प्रांगण शब्द होना चाहिए।

खण्ड १३ के सम्बन्ध में यह है कि जब एक साधारण अभ्यर्थी अपना निवेदन पत्र आदि सीधा वकील आदि के द्वारा शपथ पत्र के साथ भेज सकता है, तो अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी को दण्डाधिकारी के पास जाने की आवश्यकता क्यों होनी चाहिए ?

श्री बी० एस० मूर्त्ति : क्योंकि वह भारत में एक अज्ञात वस्तु है।

श्री पुन्नूस : मैं इस के लिये अपने अनुभव से कठिनाइयों का वर्णन करूंगा। मैं भूमिगत था, छुपा हुआ था, और वहां से ही मैं ने अपने पत्र भेजे और चुना गया। परन्तु वहीं से अनुसूचित जाति के एक व्यक्ति ने पत्र भेजे, तो उसको दण्डाधिकारी के सामन प्रस्तुत होना पड़ा, और वह पकड़ा जा कर जेल में डाल दिया गया। अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के पत्र भी शपथ पत्र के साथ ही लिये जाने चाहिएं। बीमार होने की अवस्था में एक व्यक्ति अपने एजेंट द्वारा प्रस्तुत हो सकता है, परन्तु एक अनुसूचित जाति का अभ्यर्थी बीमार होते हुए भी एजेंट द्वारा प्रस्तुत नहीं हो सकता। उन पर से यह असमर्थता शीघ्र ही दूर की जानी चाहिए। प्रस्तावित उपखण्ड (३ ग) में कहा गया है कि वह व्यक्ति जो भ्रष्टाचार अथवा राज्य के साथ अभक्ति के दोष म पदच्युत किया गया हो, संसद् का सदस्य नहीं बन सकता। । 'अभक्ति और विध्वंसकारी कार्यवाहियां' ये ऐसे शब्द हैं, जिनका अर्थ शासक दल अपनी इच्छा के अनुसार लगा लेते हैं। क्या यह निर्णय करना कि अमुक व्यक्ति राज्य का अभक्त है, किसी न्यायालय पर निर्भर है ? नहीं। यह जनता के भरोसे छोड़ दिया जाय कि वे किस भक्त समझती हैं या अभक्त। इस प्रकार इन बातों के आधार पर अभ्यर्थियों को अनर्ह कर देना उचित नहीं। अतः मेरा मत है कि शीघ्र ही इन पाबन्दियों को हटा दिया जाय।

इसके बाद मैं नाम-निर्देशन पत्रों के प्रश्न को लेता हूं। मुझे ऐसा विश्वास था कि सब से पहले नाम-निर्देशन पत्रों का निर्णय न्यायाधीश करेंगे, केवल कुछ एक मामले को छोड़ कर, जिसका प्रभाव समूचे निर्वाचन पर पड़ने वाला हो। परन्तु माननीय मंत्री ने बतलाया कि नाम-निर्देशन पत्रों के सम्बन्ध में केवल पत्रों को भरने और कुछ प्रविधियों के बारे में ही न्यायाधीश पत्रों के देखेंगे।

विधि तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री बिस्वास) : बिल्कुल वैसे नहीं। वास्तव में इस विषय पर वर्तमान विधि में बदल नहीं की गई है। नाम-निर्देशन पत्रों को अस्वीकृत करने के कारण मूल अधिनियम की धारा ३६ में दिये हैं। यदि मैं ने आपको वह प्रभाव दिया है तो, मैं कहता हूं कि मुझे गलत समझा गया है। यदि आप खण्ड ३६ को देखें, तो उसके उप खण्ड २ में वे कारण लिखे हैं जिन के आधार पर नाम-निर्देशन-पत्र अस्वीकृत किये जा सकते हैं। और सब से पहला आधार है कि अभ्यर्थी के पास संविधान के अधीन स्थान-पूर्ति के लिये आवश्यक अर्हता नहीं है और दूसरा आधार यह है कि अभ्यथी संविधान के अधीन स्थान पूर्ति के लिए अनर्ह है आदि। अतः अनर्हता अथवा अर्हता का अभाव ऐसे अधार हैं कि नाम-निर्देशन-पत्र निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा अस्वीकृत किय जा सकते हैं। और यदि निर्वाचन-पदाधिकारी नाम-निर्देशन को अस्वीकृत नहीं करता, तो उस निर्णय के विरुद्ध नये न्यायाधिकारण के पास अपील हो सकती है। परन्तु, मान लो कि उस अनर्हता का प्रतिद्वन्द्वी अभ्यर्थी को पता नहीं, और उस बात पर कोई आपत्ति नहीं उठाई गई ?' परन्तु तो भी निर्वाचन-तिथि

[श्री बिस्वास]

तक वह अनर्हता चलती रहेगी । हम एक स्पष्ट उपबन्ध बना रहे हैं कि यदि निर्वाचन-न्यायाधिकरण निर्वाचन-याचिका को विचार करते हुए यह देखता है कि अभ्यर्थी निर्वाचन की तिथि तक अनर्ह है, अथवा आवश्यक अर्हता नहीं रखता है, तब निर्वाचन-न्यायाधिकरण इस प्रश्न का उस निर्वाचन-याचिका पर निर्णय देने में सक्षम है । यह सब आवश्यक है । मान लो यह अनर्हता प्रारम्भ से ही थी, नाम-निर्देशन की तिथि से ही, परन्तु तब यह अज्ञात थी, और इसीलिए इस बात पर आपत्ति नहीं उठाई गई, परन्तु वह अनर्हता निर्वाचन की तिथि तक चलती रही। ऐसी अवस्था में निर्वाचन-न्यायाधिकरण को इस मामले का निर्वाचन याचिका पर निर्णय करने का अधिकार है ।

श्री आर० के० चौधरी : माना कि उस अनर्हता का प्रतिद्वन्दी अभ्यर्थी को पता नहीं, और वह अनर्हता सरकार और अभ्यर्थी के साथ हुए करार से पैदा होती है, निर्वाचन तिथि से पूर्व वह करार रद्द कर देता है, तो इसका कोई ईलाज नहीं है । निर्वाचन-तिथि को उसे अनर्हित नहीं किया जाता, यद्यपि वह सदा अनर्हता रखता आया है ।

विधि तथा अल्पसंख्यक कार्य-मंत्री (श्री बिस्वास) : नया खण्ड, जो निर्वाचन-न्यायाधिकरण को अनर्हता के इस प्रश्न पर विचार करने की शक्ति प्रदान करता है, यह उपबन्ध रखता है कि निर्वाचन-तिथि को अवश्य ही अनर्हता वर्तमान होनी चाहिए, और इसी लिए आप जो सुझाव देते हैं, वह संभव हो सकता है ।

श्री पुन्नूस : मेरा कहना है कि नाम-निर्देशन का मामला सरल से सरल होना चाहिये । १९५१ में यह सुझाव रखा गया था कि प्रस्ताव रखने वाला और उसकी पुष्टि करने वाले व्यक्ति तथा अभ्यर्थी प्राधिकारी के सामने प्रस्तुत हों । जहां तक संभव हो, सब बातों का निर्णय न्यायाधीश के द्वारा ही किया जाना चाहिए, और केवल कुछ एक मामलों में, जहां संदेह हो, वहां निर्वाचन-आयुक्त के सामने प्रस्तुत हों । और फिर शिकायतों के बारे में यह सम्मिलित करना चाहिए, कि शिकायत करने वाला अभ्यर्थी स्वयं अथवा अपने एजेंट के द्वारा शिकायत कर सके । एक और बात निर्वाचन एजेंटों की नियुक्ति के सम्बन्ध में विचारणीय है । उन की नियुक्ति निर्वाचन प्राधिकारी द्वारा की जाती है, जो बहुत व्यस्त और कार्य-विमग्न होने के कारण सरलता से नहीं मिल सकता । अतः ऐसा उपबन्ध किया जाना चाहिए कि अभ्यर्थी निवेदन पत्र की दो प्रतियां प्रीजाइडिंग अफसर के सामने प्रस्तुत करते हुए अपने एजेंट नियुक्त कर सकें । मुझे विश्वास है यह सरलता से किया जा सकता है । अब खण्ड १९ के उपखण्ड ४७ को लीजिये, जो गिनती करने वाले एजेंटों की नियुक्ति के बारे में है । इनकी नियुक्ति निर्वाचन प्राधीकारी द्वारा की जाती है, परन्तु यह सह-निर्वाचन प्राधिकारी द्वारा भी की जानी चाहिए । फिर गिनती करने वाले एजेंटों की संख्या के विषय में यह निवेदन है कि जितने गिनती करने वाले दल हों, उतने ही एजट होने चाहिएं । कारण एक व्यक्ति के लिए इतने मतों की गिनती की देख भाल करना असंभव है ।

मैं ने कुछ सुझाव रखे हैं, और मुझे विश्वास है कि प्रवर समिति संशोधन करेगी । निर्वाचनों को लोकहित के दृष्टि कोण से लेना चाहिए, और इसे अधिकाधिक सरल बनाया जाय । जब तक इन कठिनाइयों को दूर नहीं किया जाता, निर्वाचन एक मजाक बन कर रह जायेंगे और जनता को उन में

विकास नहीं रहेगा। अतः मेरा सरकार से निवेदन है कि वे समय की अवधि के लिये न घबरायें, और इस सारे प्रश्न का बड़े ध्यानपूर्वक विचार करें। मुझे इतना ही कहना है।

श्री तुलसीदास : मेरा विचार है कि चुनाव विधि में बिना उचित विचार के परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिये। मुझे प्रसन्नता है कि विधि मंत्री महोदय ने इस सम्बन्ध में विभिन्न उच्च न्यायालयों के तथा चुनाव अधिकरणों के निर्णयों के अध्ययन का आश्वासन दिया है।

इस विधेयक में ४१ संशोधन रखे गए हैं तथा मेरे विचार से सारे के सारे संशोधन आवश्यक नहीं हैं। परन्तु माननीय मंत्री के आश्वासन को दृष्टि में रखते हुए मैं इस सम्बन्ध में विवाद में नहीं जाना चाहता। मैं केवल कुछेक खण्डों के सम्बन्ध में ही कुछ कहना चाहता हूं तथा मुझे विश्वास है कि प्रवर समिति भी उन पर विचार करेगी।

हो सकता है कि नई निर्वाचन नामावलियों को तैयार करना आवश्यक न हो, परन्तु जब कभी कोई परिवर्तन किए जायें तो उनका उचित प्रचार होना चाहिये।

यह प्रश्न भी उठाया गया है कि क्या किसी व्यक्ति को दो राज्यों में मत देने का अधिकार होना चाहिये। कोई कारण दिखाई नहीं देता कि व्यक्तियों को दो राज्यों में मत देने का अधिकार क्यों हो। मुझे आशा है कि प्रवर समिति इस प्रश्न की छान बीन करेगी।

खण्ड ९ के बारे में मुझे यह कहना है कि इस बात में निश्चित समय की सीमा रखी जानी चाहिये कि इतने समय के अन्दर अन्दर चुनाव आयोग को यह फैसला करना पड़ेगा कि क्या चुनाव पर किए गए व्यय का विवरण यथानियम तथा यथाविधि दाखिल किया गया है या नहीं।

खण्ड ११ के अनुसार, चुनाव अधिकारी विभिन्न स्थानों पर मत गिन सकता है। इससे बहुत भ्रष्टाचार हो सकता है तथा उम्मीदवार अपने एजेन्टों को देख भाल के लिए नियुक्त नहीं कर सकता।

खण्ड १२ के अनुसार, एक ही व्यक्ति को एक स्थान में एक से अधिक मतदान केन्द्रों का मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया जा सकता है। मैं 'स्थान' शब्द की परिभाषा को नहीं समझता। मेरे मत से परिवर्तन आवश्यक नहीं है। प्रवर समिति को इस पर विचार करना चाहिय।

खण्ड २९ तथा ३० बहुत ही आपत्तिजनक हैं। मेरी राय में जबतक एक सदस्य अनुपस्थित रहता है, चुनाव अधिकरण को अपना काम नहीं करना चाहिये। ऐसा करना उचित नहीं होगा। मेरे मत से यह संशोधन आवश्यक नहीं था।

खण्ड ३० में यह व्यवस्था की गई है कि चुनाव आयोग को एक अधिकरण से मामले को वापस लेकर दूसरे को सौंपने का अधिकार है। मैं यह बात नहीं समझ सका कि आखिर मुकदमे को उस क्रम से फिर क्यों आरम्भ किया जाय, जहां से इसे पहले सुना गया था। या तो इसे नए सिरे से सुना जाय : अथवा उसी अधिकरण को इसे सुनने दिया जाय। इस विधेयक में यह सब से आपत्तिजनक उपबन्ध है।

श्री अलगू राय शास्त्री : सभापतिजी, यह चुनाव सम्बन्धी जो संशोधक विधेयक उपस्थित है मैं इसका स्वागत करता हूं। आज इस बात पर बहुत विवाद हुआ कि सिलैक्ट कमेटी के सामने जब यह बिल जाय तो पूरी जो विधि है चुनाव सम्बन्धी

[श्री अलगू राय शास्त्री]

उसके ऊपर विचार कर के संशोधन उपस्थित करने का अधिकार दिया जाय या नहीं । मैं समझता हूं कि यदि वह सारा मामला खुलता तब तो बहुत विलम्ब होने की संभावना थी और २१ अगस्त तक कदाचित सिलैक्ट कमेटी इस काम को पूरा भी नहीं कर सकती । मैं समझता हूं कि इस में विलम्ब करना बहुत ख़तरनाक है, क्योंकि बहुत से जो उपनिर्वाचन हो रहे हैं उन में इस से जिस रूप में यह उपस्थित किया गया है लाभ नहीं उठाया जा सकेगा । इस में सन्देह नहीं है कि जिस रूप में यह उपस्थित किया गया है उस में जब यह प्रवर समिति के सामने जायगा तो जो भी इस में आवश्यक संशोधन होंगे और जिन की आवश्यकता होगी, वे कर दिये जावेंगे । तो फिर इस से इन उपचुनावों में इसी वक्त लाभ पहुंच सकेगा ।

जो चुनाव सम्बन्धी विधि बनी है, अनुभव ने हमें यह बताया है कि उस में बहुत सी त्रुटियां हैं । जो पिटीशनें दाखिल हुईं और उन के फ़ैसले में जितना विलम्ब हुआ और जिन बुनियादों पर, जिन आधारों पर, वे पिटीशनें दाखिल हुईं उन में ऐसा आधार भी था कि एक परचा खारिज हो गया, चाहे सही खारिज हुआ या ग़लत हुआ, तो दोनों ही हालत में चुनाव पर भारी प्रभाव पड़ता है, इसलिये चुनाव रद्द हो गया । चुनाव कराने में कितना खर्चा होता है, कितनी परेशानी होती है । सरकार का खर्चा होता है वह तो अलग है । एक व्यक्ति जो चुना गया है उस पर इस का क्या प्रभाव पड़ता है । यह जो चुनाव रद्द हुआ तो उस की ग़लती से नहीं हुआ । अगर रिटर्निंग अफ़सर ने ग़लत या सही चुनाव परचा स्वीकार कर लिया तो उस के कारण इलैक्शन रद्द होता है, इस कारण जो चुनाव में भाग लेने वाले व्यक्ति हैं उन को कितना कष्ट उठाना पड़ता है । यह परेशानी और कष्ट अलग है । और सरकार का जो खर्चा होता है वह अलग है । उस पर यह चुनाव एक तलवार की सी चीज़ बन गयी है ।

तो इस प्रस्तुत संशोधन विधेयक में मुझे इस बात की झलक दिखाई पड़ी कि जो अनुभव इस बीच में चुनाव कमीशन को हुआ है, उस का प्रमाण दे कर उस ने तुरन्त उस के अन्दर संशोधन करने की बात सरकार के सामने रखी । अनेकों त्रुटियां उस पूरी विधि में हैं, और जैसा कि माननीय ला मिनिस्टर ने बताया वह एक व्यापक विधि इस सम्बन्ध में लाना चाहते हैं । तो वह तो जब आवेगी तब आवेगी । आज इस संशोधन विधेयक के दायरे को बड़ा करना और सारी चीज़ों के स्कोप को बढ़ा देना, जैसे मेरे मित्र श्री तुलसीदास किलाचन्दजी ने कहा था, हानिकारक है, क्योंकि अभी हमारे सामने मार्च से यही चीज़ है और हम ने कुछ इसी के ऊपर विचार किया है । इस के दायरे में रह कर कुछ आवश्यक बातें ऐसी हो सकती हैं कि जिनको हम इस में तुरन्त ला सकते हैं, जैसे हमारे काउन्सिल आफ स्टेट्स के सदस्यों के लिये खर्चे का दाख़िल करना अनावश्यक है, यह बात ला मिनिस्टर ने मानी । उसी दायरे से इसी बात का भी सम्बन्ध है कि चुनाव के खर्चे को ठीक तरीक़े से रखना और उस के सम्बन्ध में जितने प्रतिबन्ध लगाये गये हैं, उन प्रतिबन्धों को दिमाग़ में रख कर चुनाव संघर्ष को चलाना और चुनाव संघर्ष के साथ साथ उस खर्चे की सीमा पर ध्यान रखना कि कहीं हम सीमा से बाहर न जाने पावें, बड़ा कठिन है ।

यह ऐसा ही है कि पानी में खड़े रहे और दामन तर न होने पाये । मुझे यह

तो आसान लगता है कि भगवान कृष्ण युद्ध के मैदान में गीता जैसे शास्त्र का वर्णन किये हों, वह तो संभव हो सकता है, इसमें जितने प्रतिबंध लगाये गये हैं उनके रहते हुए इस खर्चे को आना पाई करके ठीक ठीक रखना और वाउचर्स को पूरा करना यह कठिन मालूम होता है । टंडन जी ने जिस बात की तरफ ध्यान दिलाया है और यह रिटर्न्स दाखिल करने का जो प्रपंच है, उसको किसी न किसी रूप में ऐसा माडीफाई (परिवतन) करना चाहिए, इस ढंग से उसको करना चाहिए, जिससे कम से कम अनैतिकता की गुंजाइश हो । हम यह सब जानते हैं कि हम पूरी तौर पर उस सच्चाई को क़ायम नहीं रख सके हैं कि जो सच्चाई यह विधि चाहती है, लेकिन हमें उस पर हस्ताक्षर करने पड़ते हैं और लिखना पड़ता है। हम अपने पार्लियामेंटरी जीवन को एक ऐसी शपथ लेकर और एक ऐसी कार्यवाही करके प्रारम्भ करते हैं जिसमें हमको यह मालूम है कि भूलें हुई हैं । उदाहरण के लिय मैं कहता हूं कि ७५ हजार वोटर्स वहां हैं, क़ायदे के मुताबिक़ आप उस क्षेत्र में एक इलेक्शन क्लर्क रख सकते हैं, और एक पेड मेसेन्जर रख सकते हैं, अब आप सोच सकते हैं कि इतने बड़े क्षेत्र में एक क्लर्क से किस तरह आप काम चला सकते हैं और उसको भी आप पेड नहीं रख सकते हैं, लेकिन हम तनख्वाहें देते हैं, मगर नाश्ता पानी में करके डालते हैं, क्योंकि हम उसको सिर्फ नाश्ता पानी ही दे सकते हैं, ऐसा न करें तो काम नहीं चलता और हमें एक से अधिक आदमियों को रखना पड़ता है ।

(श्री एस० एस० मोरे द्वारा अन्तर्बाधा)

मोरे साहब शायद ऐसा न करते होंगे, लेकिन हमको तो यह सब करना पड़ता है, इसमें किसी एक पार्टी विशेष का सवाल नहीं है, किसी एक पार्टी के लिए तो यह विधेयक नहीं बना है प्रश्न उठता है सौष्ठव का। हर आदमी को सोचना चाहिए, कोई इस हाउस के सदस्यों के ऊपर लांछन डालने की बात नहीं है, मैं यह लांछन स्वयं अपने ऊपर लगाने को तैयार हूं । मुझे इसमें कठिनाई मालूम होती है कि सिर्फ एक आदमी से मैं अपना काम चला सकूं और मैं जानता हूं कि मुझे उन आदमियों को किन शर्तों पर रखना पड़ता है, मैं जानता हूं कि रिटर्न्स दाखिल करने में कितनी कठिनाइयां आती हैं और क़ायदे के मुताबिक़ उनको दाखिल करना पड़ता है, उसमें सिर्फ बेइमानी और ईमानदारी का प्रश्न नहीं उठता, यह रिटर्न का मामला है ही बड़ा कठिन और जटिल, आप समझते होंगे कि कौंसिल आफ स्टेट की मेम्बरी के लिए तो थोड़ा ही खर्चा होता होगा, लेकिन मैं आपको बतलाऊं कि अगर कोई कौंसिल आफ़ स्टेट का मेम्बर बनना चाहे तो उसे उसके लिए दसियों सदस्यों के यहां दौड़ना पड़ता है, आने जाने का खर्चा होता है, और अगर हम उसको शिथिल करते हैं तो कोई वजह नहीं मालूम होती कि किसी हद तक हम विधान सभा के सदस्यों और पार्लियामेंट के सदस्यों के लिए भी ऐसा कुछ प्रबन्ध कर दें, और मैं चाहता हूं कि इस बिल पर जब प्रवर समिति विचार करने बैठे तो इसको देखे और इस तरह की जो कठिनाइयां हमको अनुभव होती थीं उनका उसमें परिमार्जन होना चाहिए । एक बड़ी भारी बात अब की बार यह देखी गयी कि गोरखपुर ट्रिब्यूनल एक फ़ैसला देता है, इलाहाबाद का ट्रिब्यूनल एक फ़ैसला देता है और लखनऊ का ट्रिब्यूनल एक अलग ही फ़ैसला देता है, ये ट्रिब्यूनल सर्वतंत्र स्वतन्त्र हैं, कोई ऐसी बात करना चाहिए

[श्री अलगू राय शास्त्री]

जिससे उनके फ़ैसले में भिन्नता न हो, यह ठीक है कि कलकत्ता हाईकोर्ट की रूलिंग एक होती है, मद्रास हाइकोर्ट की रूलिंग और होती है और एक दूसरे से डिफ़र करती हैं ....

श्री एस० एस० मोरे : फिर वहां सुप्रीम कोर्ट है।

श्री अलगू राय शास्त्री : मैं मानता हूं कि हाईकोर्टस की रूलिंग्स के ऊपर सुप्रीम कोर्ट अपना फ़तवा देता है, इस तरह का कोई प्रतिबंध इन ट्रिब्यूनल्स के ऊपर नहीं है। एक जगह यह जो पटवारी, चौकीदार, सरपंच और गांव के मुखिया हैं, यह बेकायदा नहीं हैं और काम कर सकते हैं, लेकिन दूसरी जगह यह अनुचित ठहराया जाता है और यह काम नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से जैसे वह हिन्दू ला के बारे में कहते हैं कि उसका कोडीफ़िकेशन आवश्यक है, उसी तरह मेरी राय में इस बारे में एक कोडीफ़िकेशन करना आवश्यक मालूम होता है और इन ट्रिब्यूनल्स के फ़ैसलों को एक धारा में डालकर एक सा उनके द्वारा फ़ैसला दिये जाने की बात होनी चाहिए, कोई न कोई ढंग हमको ऐसा निकालना है और जब यह बिल प्रवर समिति को जाय तो वहां हमें इस बात का प्रयत्न करना पड़ेगा और इसमें ऐसा संशोधन करना पड़ेगा ताकि हम इन ट्रिब्यूनल्स के फ़ैसलों को पढ़कर एक राय क़ायम कर सकें, ऐसा न हो कि गोरखपुर का फ़ैसला पढ़ने पर हम एक राय क़ायम करें और इलाहाबाद का फ़ैसला पढ़ने के बाद हम दूसरी राय क़ायम करें, हमें इस लूपहोल को दूर करना चाहिए। इस संशोधन विधेयक को हमें इसके स्कोप और जो इससे सम्बन्धित प्रश्न हो उनको लेकर प्रवर समिति को शीघ्र से शीघ्र इस मामले में अपना निर्णय देना चाहिए और इस सेशन में इस विधेयक को विधि का रूप दे देना चाहिए और जो चुनाव सम्बन्धी संशोधन है वह भी हो सके और जो चुनाव सम्बन्धी खर्चों के देने में जटिलता ह उसमें कुछ सरलता और आसानी आ सके, इसके हेतु भी प्रवर समिति में विचार करना चाहिए और आवश्यक बदलाव करने चाहिएं, क्या खर्चे के बारे में क्या नामिनेशन पेपर के बारे में, और क्या अपील करने और इलेक्शन पेटीशन्स के दायर करने के ऊपर भी कोई न कोई प्रतिबंध ऐसा होना चाहिए ताकि चुनाव के समाप्त होते ही इलेक्शन पेटीशिन्स का धुंआधार तांता न लग जाये। एक तरफ़ चुनाव का खर्चा सरकार पर पड़ता है और दूसरी तरफ़ फ़ौरन इन पेटीशन्स की बदौलत वक़ीलों और मुख्तारों का काम शुरू हो जाता है और इनसे लिटीगेशन का दरवाज़ा खुल जाता है, मैं चाहता हूं कि इस लिटीगेशन के दरवाज़े को बन्द करने की कोई न कोई तरक़ीब अवश्य सोची जानी चाहिए और प्रवर समिति को ऐसा प्रबन्ध करना चाहिए जिससे मामूली आधारों पर छोटे २ बहानों पर चुनाव पेटीशन्स का दायर होना असम्भव हो जाना चाहिए। लेकिन जहां जो व्यवहार निन्दित बताया गया है वह अगर उसमें पा जायं तो अपराधी के लिए कड़ी सज़ा की व्यवस्था भी होनी चाहिए, इसी तरह एक मिथ्याचारी को आप तभी छै वर्ष या उससे भी ज्यादा की सज़ा दें जब उसका अपराध साबित हो जाय और अगर वह ऐसा व्यवहार करते पकड़ा जाय जो निन्दित और वर्जित है, तो उसको कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, खाली चुनाव का रद्द कर देना कोई चीज़ नहीं है, लेकिन छोटी छोटी ग्राउन्ड्स पर चटपट पेटीशन्स दायर करना और प्रतिवादी और वादी बनकर मुक़दमेबाज़ी करना इस पर ज़रूर कोई न कोई प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। मेरा विश्वास है कि प्रवर समिति

के सामने जब यह विधेयक विचार के लिए जायगा तो वहां से लौटकर हमारे सामने एक ऐसे संशोधित रूप में आयेगा जिसमें इन सब आवश्यक बातों का जिनका सुझाव मैं ने दिया है उसमें समावेश हो जायगा और फलस्वरूप चुनाव में सुगमता आयेगी, सरलता आयेगी ताकि पेटीशनों के दायर करने में मार्ग बिल्कुल सीधा, सुगम और सरल हो, मैं चाहता हूं कि इसमें प्रवर समिति द्वारा ऐसा सुधार किया जाना चाहिए जिससे अपराधी लोगों को सजा मिल सके और चुनाव के खर्चों की जो जटिलता है वह वहां पर परिमार्जित की जा सके। मुझे पूर्ण आशा है कि प्रवर समिति द्वारा मैं ने जो आवश्यक सुझाव दिये हैं इन पर और दूसरे अन्य आवश्यक सुधारों के ऊपर विचार किया जायगा और इस बिल को सुधारने का प्रयत्न किया जायगा, मैं चाहता हूं कि विधेयक विधि के रूप में तुरन्त पारित होकर कार्यान्वित होना चाहिए, यह मेरा अनुरोध है ।

बाबू रामनारायण सिंह (हजारीबाग पश्चिम) : सभापति महोदय, अभी आज की बैठक समाप्त होने को है, इस अवसर पर भी आप ने मुझे बोलन का मौका दिया इस के लिये मैं धन्यवाद देता हूं । मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं । मुझ ऐसे समाज से, ऐसी सरकार से ऐसा विधेयक आवे इस की आशा कम थी । लेकिन आज मुझे प्रसन्नता है । और मैं बड़ी प्रसन्नता से इस विधेयक का स्वागत करता हूं ।

सभापति महोदय, किसी देश में कोई भी नियम बनता है तो नियम का लक्ष्य होता है कि देश में जो अनैतिकता है उस को रोका जाय और नैतिकता की वृद्धि की जाय । लेकिन मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि हमारे देश में, इस लोक सभा में या जो प्रादेशिक विधान सभायें हैं उन में ऐसे ऐसे नियम और कानून बनाये जा रहे हैं कि जिस से दिन ब दिन अनैतिकता की वृद्धि होती जा रही है । अभी चन्द सदस्य बोले हैं । यह आनन्द की बात है कि सभी ने, खास कर टंडन जी, ने कहा चुनाव के खर्च के सम्बन्ध में। अभी हमारे अलगू राय शास्त्री जी ने बहुत दबी ज़बान में कहा कि उस में बेईमानी का कोई सवाल नहीं है, हां कठिनाई ज़रूर है । खैर, कठिनता ही सही । मैं कहता हूं कि जितने एलेक्शन रिटर्न सबमिट होते हैं, आप भी जानते होंगे, मैं भी जानता हूं और शायद सभी जानते होंगे कि उन में शायद एक भी रिटर्न सोलह आना ठीक नहीं होता । इस सम्बन्ध में टंडन जी ने बहुत सुन्दर शब्दों में कहा है । जो कुछ भी उन्होंने कहा है मैं उस का अक्षरशः समर्थन करता हूं । चुनाव के सम्बन्ध में जितना खर्चा हो, यहां के लिए हो या प्रादेशिक विधान सभा के लिए हो उस के लिय हमारे सूबे में आठ हजार से ज्यादा न हो । मैं जानता हूं, सभापति महोदय, कि आठ आठ लाख खर्च हुए हैं और यहां हिसाब दिया जायगा आठ हजार का । खाली हमारे सूबे में ही इस तरह से खर्च नहीं हो रहा है बल्कि सारे देश में इसी तरह से खर्च हो रहा है ?

एक माननीय सदस्य : कौन कर रहे हैं, काला बाजार वाले ?

बाबू रामनारायण सिंह : मैं कैसे कहूं कि कौन करता है, जिस के पास राज्य है, सम्पत्ति है, शक्ति है, वह कर सकते हैं, और कौन कर सकता है । यह बहुत दुःख की बात है ।

श्री अलगू राय शास्त्री : वह लोग राज्य के आकांक्षी होंगे ।

बाबू रामनारायण सिंह : राज्य की आकांक्षी तो होती ही हैं । मैं कहता हूं कि आकांक्षा को नष्ट होना चाहिये क्योंकि यह भ्रामक है । तो मैं हृदय से कहता हूं कि जो प्रवर समिति बन रही है उस को ध्यान में रखना चाहिये कि सारे देश की राय है, सभा की राय है कि खर्चे के सम्बन्ध में कोई नियम नहीं रहना चाहिये । एक दम कोई नियम नहीं रहना चाहिये और अगर प्रवर समिति ने इस पर विचार नहीं किया, या इस लोक सभा, पार्लियामेन्ट न भी पास कर दिया तो हमें दुःख के साथ कहना पड़ेगा कि अब तक भी हम लोग विधान बनाने के योग्य नहीं हैं । अब तक दूसरे देशों का मुंह ताकते हैं और उन के चेले रूप हो कर अपने नियम बनाया करते हैं । तो सीधी बात यह है कि इस सम्बन्ध में जहां तक मैं देख रहा हूं सब की एक राय सी मालूम हो रही है कि इस नियम को निकाल दिया जाय । कठिनता है, यह सब कुछ नहीं । इस सम्बन्ध का नियम रहना ही नहीं चाहिये ।

इस के बाद मैं एक बात और कहता हूं जैसा हमारे बिस्वास जी ने कहा और आश्वासन दिया है कि यह पहला इन्स्टालमेन्ट है और वह बहुत से संशोधन इस सम्बन्ध में लायेंगे और पास करायेंगे । मैं इस आश्वासन के लिये उन को धन्यवाद तो दिये देता हूं, लेकिन इस तरह से टुकड़े टुकड़े कर के कोई चीज़ लाने के लिये मैं आप को बधाई देते हुए और धन्यवाद देते हुए इतना कहना चाहता हूं कि आप इस में कंजूसी क्यों करते हैं । इस की क्या ज़रूरत है । मैं कहता हूं कि चुनाव के सम्बन्ध में जितने नियम हैं सब को तोड़ फोड़ कर फेंक दिया जाय, वह तो हम ने बाहर का नमूना ले कर बना दिया है । लेकिन अब तो आप को अनुभव प्राप्त हो चुका है, वैसे तो २२, २३ साल से हम ने कितने ही कानून और नियम बनाये हैं, उन का अनुभव हमें विशेष रूप से प्राप्त हुआ है, लेकिन उन में ज़रा संशोधन की ज़रूरत है । सब से बड़ी बात जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि यह जो नियम है कि मिनिस्टर भी उम्मीदवार हो सकता है, एक भाई ने कहा कि मिनिस्टरों का गैंग है, कौन उज्र कर सकता है, तो जिस तरह से हमारा कार्य हो रहा है उस के बारे में और अधिक न कह कर इतना ही कहना चाहता हूं कि उन्होंने जो कुछ कहा था, ठीक ही कहा था जो लोग उज्र करते हैं वे ग़लती करते हैं । पहला नियम और सब से पहला नियम यह होना चाहिये कि कोई पदाधिकारी कैसे चुनाव में खड़ा हो सकेगा । यहां नौमिनेशन पेपर्स की स्क्रटिनी हो रही है, जांच हो रहीं है, एक मैजिस्ट्रट है वह जानता है कि मिनिस्टर साहब तो बगल में बैठे हुए हैं उन का भी नामिनेशन पेपर है, वह मजिस्ट्रेट मिनिस्टर के अधीन है, उस का ट्रान्सफर हो सकता है, उस को डिसमिस किया जा सकता है, कोई भी बहाना निकाल कर मिनिस्टर उसे नुकसान पहुंचा सकता है । आज हमारे देश में नैतिकता का ही फल है और उस के साथ साथ सदाचार का फल है कि हम कहां से कहां आगे बढ़ सके हैं । लेकिन अभी आज की परिस्थिति जो है उस में मैं कहता हूं कि इस चुनाव के सम्बन्ध में जितने विधेयक हैं, जितने नियम हैं, उन में सब से पहला यही नियम होना चाहिये कि जितने लोग चुनावों में खड़े हों वह लोग किसी पद के ऊपर न होने चाहियें । कोई मिनिस्टर नहीं होना चाहिये । दो तीन

महीने पहिले ही उन को वहां से हट जाना चाहिये । कुछ लोगों ने कहा कि वे लोग स्टट कार में घूमते हैं, स्टेट का पैट्रोल खर्च करते हैं । अरे, वह तो सारी सरकार की सम्पत्ति खर्च करते हैं । मुझे याद आता है कि मैंने सुना था कि अमरीका में प्रेजिडेन्ट रूज़वेल्ट जब सिनमा जाते थे तो स्टट कार में नहीं जाते थे, उन की अपनी प्राइवेट कार थी । एक ओर तो यह नैतिकता और दूसरी ओर यहां चुनाव होते हैं स्टेट के पैसों से । स्टेट की कार पर लोग चलते हैं, इस से बढ़ कर घृणित और दुःख की बात और क्या हो सकती है ? इस में किसी की शिकायत की बात नहीं है, हम भी अनैतिकता करते हैं, हम क्या उस से बचे हैं ? मैं नहीं कहता कि मैं उस से बरी हूं । सभापति महोदय, महात्मा जी कहते थे कि देश में एक आदमी ऊंचा उठता है तो उसी अनुपात से सारा देश ऊंचा उठता है और एक आदमी नीचे गिरता है तो उसी अनुपात से सारा देश नीचे गिरता है । इस वास्ते यह खुशी की बात नहीं है कि कोई मिनिस्टर हो चाहे कोई दूसरा हो, कोई भी हो, वह अनैतिकता के रास्ते पर चले । यह खुशी की बात नहीं है । हमारे चुनाव के विधान में गड़बड़ी है, ऐसा नियम नहीं होना चाहिये । नियम ऐसा होना चाहिये जिन को उम्मीदवार होना हो किसी चुनाव के लिये तो वह किसी पद पर न रहें, और खास कर मिनिस्टर को तो रहना ही नहीं चाहिये । मिनिस्टर हो कर तो अनाचार होता ही है और चुनाव में भी बहुत गड़बड़ी होती है । इस वास्ते मैं बिस्वास जी से कहता हूं और प्रवर समिति के सदस्यों से कहता हूं कि खर्च के विषय का संशोधन बिल नहीं आया है मगर उसे तुरन्त लाना चाहिये । संशोधन के माने तो यह हैं कि उस में घटा भी सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं । हमें संशोधन के माने उदारता के साथ लगाने चाहिये ।

यह नहीं कि, यह धारा नहीं आयी है । नहीं आयी है तो न आये । हम नयी धारा पेश करेंगे । उसमें क्या लगा हुआ है । हम पार्लियामेंट के सदस्य हैं, देश के हित के लिए काम करते हैं । तो इस तरह से दायरे में कमी करना हितकर नहीं होता है । इस वास्ते मैं कहता हूं कि सब से पहले इस विषय पर विचार करना चाहिए नहीं तो इसके ज़रिये बहुत गड़बड़ी होगी ।

नौमिनेशन पेपर के बारे में अपील नहीं थी । अब अपील हो गयी । खैर यह खुशी की बात है । यह तो मैं चाहता हूं । इसी तरह और भी बहुत सी बातें हैं जिनका मैं समर्थन करता हूं, लेकिन ऐसा होना चाहिए जिसमें कि हमारा यह लक्ष्य पूरा हो कि जितने नियम बनें उनके ज़रिये अनैतिकता रुके और नैतिकता का प्रचार हो । इस बारे में मैं सबसे बड़ी बात यह भी कहे देता हूं कि जब तक दलबन्दी है और हमारे देश में और संसद् में दलबन्दी से काम होता रहेगा तो सारा अनर्थ होता ही रहेगा । मैं कहता हूं कि जो नियम बनेंगे वे हम पर और आप पर सब पर लागू होंगे । इस दलबन्दी को दूर करके लोकहित में ऐसे नियम पास करने चाहिए जिसमें सबका भला हो । एक दफा मैं ने पहले भी कहा था और दुःख के साथ आज भी याद कराये देता हूं कि जब तक दलबन्दी रहेगी तब तक ईमानदारी से काम नहीं हो सकता क्योंकि दलबन्दी और ईमानदारी से कोई सम्बन्ध नहीं है । यदि हम चाहते हैं कि देश में ईमानदारी का शासन हो, ईमानदारी का काम हो तो दलबन्दी छोड़नी होगी, चाहे लोग आज छोड़ें या पचास बरस बाद छोड़ें ।

[बाबू रामनारायण सिंह]

मैं इस विषय पर आपका और अधिक समय नहीं लूंगा लेकिन मैं फिर भी इतना निवेदन करता हूं कि ऐसा काम हो जिसमें हमारे देश में शासन का स्तर ऊंचा हो, जितने कार्य हों ईमानदारी से हों। भूल तो होती रहेगी। कोई नहीं कह सकता कि हम से भूल नहीं होगी। लेकिन ऐसा यत्न रहे, ऐसा लक्ष्य रहे और ऐसा तरीका रहे जिसमें हमारा देश नतिकता की ओर बढ़े और अनैतिकता खत्म हो।

श्री आर० के० चौधरी : माननीय मंत्री ने आश्वासन दिया है कि यदि इस विधेयक की अल्पावश्यकता न हो तो वे इसे वापस लेने को तैयार हैं।

[**उपाध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन हुए]

मैं समझता हूं कि बहुत से अधिकरणों ने इस विधेयक के तैयार किये जाने के समय तक अपने निर्णय नहीं दिये थे। इससे इस विधेयक की तुरन्त आवश्यकता समझ नहीं आती, विशेषतः जब माननीय मंत्री के अनुसार वह एक और विस्तुत विधेयक को प्रस्तुत करना चाहते हैं।

इस क्रम पर तो मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। मैं ने अपने समय में देखा कि कई एक उम्मीदवारों के नामनिर्देशन-पत्र केवल इस लिये रद्द कर दिए गए कि उन्हों ने स्वयं को लिखित रूप में अपना निर्वाचन अभिकर्त्ता घोषित नहीं किया था। एक निर्वाचन अधिकारी को ऐसी घोषणा न किए जाने की अवस्था में नामनिर्देशन-पत्र के रद्द करने का अधिकार तो है। परन्तु खण्ड १५ के सम्बन्ध में मैं माननीय मंत्री से सहमत नहीं हो सकता।

अन्तिम चुनाव से पहले अन्तरिम अपील के मामले पर बहस काफ़ी हो चुकी है। संविधान सभा (विधायिनी) में हम ने इस पर बहुत आपत्ति की थी। हम ने तब कहा था कि पत्रों के रद्द करने के सम्बन्ध में केवल अपील करने के कारण मात्र किसी सदस्य के निर्वाचन को स्थगित करने से बहुत विलम्ब हो जायगा। हम ने अन्तरिम अपील के विचार को छोड़ दिया था। संभवतः मंत्री महोदय यह कहेंगे कि निर्णय के शीघ्र देने का काम तो न्यायाधीश का है। न्यायालय में समय का कभी विचार नहीं किया जाता है। इस कारण इस खण्ड को इस विधेयक में सम्मिलित करना ख़तरे से ख़ाली नहीं है क्योंकि इस का अर्थ अनावश्यक विलम्ब होगा।

एक और आपत्ति मुझे इस उपबन्ध पर है कि पहले चुनाव के झगड़ों का फैसला तीन व्यक्तियों का निर्वाचन अधिकरण किया करता है अब उस के स्थान पर ये अधिकार अकेले न्यायाधीश को दिए जा रहे हैं। अकेले न्यायाधीश के निर्णय उतने संतोषजनक नहीं हो सकते, जितने कि तीन न्यायाधीशों के बेंच के निर्णय। मैं दो या तीन न्यायाधीशों के निर्णय के अधिकार से वंचित नहीं होना चाहता हूं।

जहां तक इन चुनावों का सम्बन्ध है, निर्वाचन अधिकारी को आरोपित अभियोगों की जांच करनी पड़ती है। उसे निर्वाचन को अवैध घोषित करने में समय लगता है। उसे भी गवाहियां लेनी पड़ती हैं तथा व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अनुसार कार्य करना पड़ता है। इस का मतलब अनिवार्य विलम्ब है। अतएव माननीय मंत्री से मेरी प्रार्थना है कि वह इस बात पर फिर से विचार करें तथा इस खण्ड को निकाल दें। एक और बात है। हो सकता है कि उस व्यक्ति में

कोई अनर्हता हो । विरोधी उम्मीदवार उस अनर्हता के बारे में उस तिथि पर अनभिज्ञ हो सकता है । इस कारण वह न्यायाधीश के सामने इस बात पर जोर दे कर नहीं कह सकता । इस में ऐसा कोई उपबन्ध नहीं है जिस से ऐसे किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई कार्यवाही की जा सके जो सरकार के विश्वास का पात्र होने के नाते अनुचित प्रभाव से काम लेता है । इस से प्रशासन पर कोई अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता ।

अब चुनाव के व्यय विवरण के बारे में यदि नए संशोधन के अनुसार चुनाव आयोग की घोषणा में कुछ विलम्ब हो जाय तथा चुनाव अधिकरण भी यह निर्णय कर दे कि किसी भ्रष्ट व्यवहार को नहीं चलने दिया जायगा परन्तु चुनाव आयोग कुछ जांच के बाद चुनाव के व्यय में कोई भ्रष्ट व्यवहार देखे तो क्या इस कारण उस चुनाव को अवैध घोषित किया जायगा कि व्यय में भ्रष्ट व्यवहार देखा गया है । क्या यह निर्णय इसी बीच में चुनाव अधिकरण द्वारा किए गए निर्णय पर प्रभावी रहेगा ?

श्री बिस्वास : चुनाव अभियाचिका को उचित तिथि पर दाखिल करना पड़ता है । अतएव आप के द्वारा बतलाई गई कठिनाई उपस्थित नहीं हो सकती ।

श्री आर० के० चौधरी : इस बारे में सभी के मन में भ्रम सा है तथा स्थिति स्पष्ट नहीं है । चुनाव के व्यय के विवरण के बाद चुनाव अभियाचिका को ३५ दिन या १५ दिन के बाद दाखिल करना पड़ता है । परन्तु वर्तमान संशोधन से चुनाव आयोग किसी भ्रष्ट व्यवहार का पता लगाने के लिए विभिन्न तिथियां निश्चित कर सकता है तथा इस बारे में चुनाव अधिकरण के निष्कर्ष के कुछ समय बाद कोई फैसला करता है तो उस समय स्थिति क्या होगी ?

यह ठीक है कि भ्रष्ट व्यवहारों को दूर करने के सम्बन्ध में बहुत कुछ करना बाकी है, परन्तु उन सब बातों की व्यवस्था हम इस विधेयक में नहीं कर सकते । इस में तो केवल कुछ उपबन्धों को संशोधित करने की व्यवस्था की गई है । जब तक हम अपने राष्ट्र के नैतिक स्तर को ऊंचा नहीं करते तब तक भ्रष्ट व्यवहार दूर नहीं हो सकते । श्री रामनारायण सिंह ने सरकार को भ्रष्ट बतलाया है यह दोष सभी पर आता है तथा किसी व्यक्ति अथवा संस्था विशेष को दोष देने से कोई लाभ नहीं । आप सुधार का प्रयास करें । आप मुझे एक भी ऐसा उदाहरण बताएं जिस में अल्पसंख्यक दल के काफ़ी सदस्य किसी बात के विरोध में खड़े हुए हों, परन्तु जहां सरकार उसी के करने पर आग्रह करती रही हो । आप निराधार आलोचना के स्थान पर यदि उचित आलोचना करें तथा अच्छे सुझाव दें तो मैं बाबू रामनारायण सिंह का साथ दूंगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : कई माननीय सदस्य अभी बोलना चाहते हैं । वे अपने विचार प्रवर समिति को लिख कर भेज दें । इस पर अब काफ़ी चर्चा हो चुकी है ।

श्री सारंगधर दास : मुझे नैतिकता और अनैतिकता के सम्बन्ध में केवल एक बात कहनी है । मुझे यह देख कर आश्चर्य होता है उस ओर के कुछ सदस्य इन चुनावों में विशेषतः पिछले आम चुनावों में किये गये अवैध व्यवहार को यों ही टालने की कोशिश कर रहे हैं । केवल यह कह देना कि कुछ ऐसी अनियमिततायें रहेंगी ही जिन्हें दूर करना कठिन है, ठीक नहीं है । इन बातों से हम अपने समाज को सुधार नहीं सकते । मैं प्रवर समिति से इस विषय पर विचार करने के लिये कहना चाहता हूं और इसी लिये मैं चाहता हूं कि प्रवर समिति के क्षेत्रा-

[श्री सारंगधर दास]

धिकार को और अधिक बढ़ाया जाये ताकि मूल अधिनियम पर भी विचार हो सके ।

हम ने देखा है कि मंत्रिगण चुनाव संबंधी आन्दोलन में सारे राज्य का दौरा करते हैं और लोगों को विभिन्न योजनाओं पर, जैसे कुएं खुदवाने, मन्दिर बनवाने आदि पर पैसा लगाने का विश्वास दिलाते हैं । ऐसा अब भी हो रहा है । मंत्रिगण अपने पद का लाभ उठा कर जनता को तरह तरह की बातों का वचन दे आते हैं । यह चीज़ गलत है । इसे रोकने के लिए एक सुझाव यह दिया गया था कि मंत्रिगण चुनावों से पहले त्याग-पत्र दे दें । मेरी राय में यह ठीक नहीं है । मेरा सुझाव तो यह है कि उन पर यह पाबन्दी लगा दी जाये कि वे केवल अपने चुनाव-क्षेत्रों में ही प्रचार करें । यदि वे चुनाव में उम्मीदवार हों तो अन्य चुनाव-क्षेत्रों में न जायें; केवल अपने क्षेत्र में ही प्रचार करें । प्रधान मंत्री तक पर यह पाबन्दी लागू हो । हम ने देखा है कि पिछले चुनावों में सरकारी रुपये का, सरकारी सवारी का और सरकारी पदाधिकारियों की सेवाओं का काफ़ी प्रयोग किया गया है । ऐसे बहुत से मामले तो हमारे सामने आ चुके हैं और बहुत से अभी ऐसे हैं जिन पर चुनाव अदालतें विचार कर रही हैं । मैं उन के बारे में अभी कुछ नहीं कहना चाहता । हमें इस भ्रष्ट व्यवहार को रोकना होगा । मैं बाबू रामनारायण सिंह की इस बात से सहमत नहीं कि इन सब बातों की जड़ दल-प्रणाली है । प्रजातंत्र की इस प्रणाली पर पश्चिमी देशों में, विशेषतः इंग्लैंड और अमरीका में शताब्दियों से कार्य चल रहा है । इस प्रणाली के बिना प्रजातंत्रात्मक शासन नहीं चल सकता । इन देशों ने व्यवहार संबंधी अपने कुछ नियम बना लिये हैं जिन्हें वे कभी नहीं तोड़ते । इंग्लैण्ड में गत दो चुनावों में हम ने भ्रष्ट व्यवहार के एक मामले की भी शिकायत नहीं सुनी । वहां का प्रधान मंत्री बहुत साधारण ढंग से अपने चुनाव का प्रचार करता है और अपने दल के हित के लिये सरकारी प्रभाव से काम नहीं लेता । अभी हमारा देश इस स्तर पर तो नहीं पहुंचा है परन्तु हमें यह भी नहीं सोचना चाहिये, जैसा कि पंडित अलगूराय शास्त्री सोचते हैं कि इस में कोई विशेष बात नहीं है । मैं कहता हूं इस में सब कुछ है और इस भ्रष्ट व्यवहार को रोकने के लिये हमें भरसक प्रयत्न करना चाहिये । यह कार्य केवल सरकार के करने का ही नहीं है, इस में विधान सभाओं और संसद् के समस्त सदस्यों का भी सहयोग होना आवश्यक है ।

मेरा सुझाव है कि अधिनियम में एक बात का उपबन्ध किया जाये; वह यह कि मंत्रिगण केवल उन्हीं चुनाव क्षेत्रों में जायें, जहां से वे उम्मीदवार के रूप में खड़े हुए हों; उन्हें अन्य क्षेत्रों में न जाने दिया जाये ।

श्री बिस्वास : मुझे उत्तर में कोई विशेष बात नहीं कहनी है । व्यावहारिक प्रकार के सुझावों पर प्रवर समिति में विचार किया जायेगा । इन सुझावों को ध्यान में रख लिया गया है । इन सब बातों का विस्तार-पूर्वक उत्तर देना मेरे लिये आवश्यक नहीं ।

प्रवर समिति के लिये चार नामों के और सुझाव आये हैं । मैं उन्हें मंजूर करता हूं । वे नाम यह हैं :

श्री जसवन्त राय महता ;

श्री भवानी सिंह ;

श्री आर० वैलायुधन ; तथा

श्री एम० आर० कृष्ण ।

सदन की अनमति से इन नामों को प्रवर समिति के सदस्यों की सूची में सम्मिलित कर लिया जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न है :

"कि जन प्रतिनिधान अधिनियम, १९५० तथा जन प्रतिनिधान अधिनियम, १९५१ में अग्रेतर संशोधन तथा भाग ग राज्य प्रशासनअधिनियम, १९५१ में कुछेक आनुषंगिक संशोधन करने वाले विधेयक को श्री मुकुन्द लाल अग्रवाल, श्री राम शंकर लाल, श्री प्यारे लाल कुरील 'तालिब', श्री वैंकटेश नारायण तिवारी, श्री हरि विनायक पाटस्कर, श्री बलवन्त जी० ए० खीमजी, श्रीमती जयश्री रायजी, श्रीमती अनुसुइय्या बाई काले, सरदार अमरसिंह सहगल, श्री कृष्णाचार्य जोशी, श्री नन्दलाल जोशी, श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा, श्री ललित नारायण मिश्र, श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा, श्री एन० राचिया, श्री लोकनाथ मिश्र, श्री के० टी० अच्युतन, श्री एस० वी० रामास्वामी, श्री पैडी लक्ष्मय्या, श्री टेक चन्द, श्री राधा रमण, श्री भीखा भाई, श्री मुहम्मद खुदा बख्श, पंडित ठाकुरदास भार्गव, श्री उपेन्द्रनाथ बर्मन, श्री बेली राम दास, सरदार हुक्म सिंह, श्री एन० सी० चटर्जी, श्री कमल कुमार बसु, श्री के० एस० राघवाचारी, श्री वी० पी० नायर, डा० ए० कृष्णास्वामी, पंडित सुरेश चन्द्र मिश्र, श्री फ्रैंक एन्थनी, डा० लंका सुन्दरम्, श्री देव कान्त बरुआ, श्री शंकर शान्ताराम मोरे, श्री यू० एम० त्रिवेदी, श्री जसवन्त राय मेहता, श्री भवानी सिंह, श्री आर० वैलायुधन, श्री एम० आर० कृष्ण तथा प्रस्तावक की एक प्रवर समिति को सौंपा जाये तथा उसे २२ अगस्त १९५३ तक अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब सदन की बैठक कल सवेरे के सवा आठ बजे तक के लिये स्थगित की जाती है ।

इस के पश्चात् सदन की बैठक बुधवार ५ अगस्त, १९५३ के सवा आठ बजे तक के लिये स्थगित हो गई ।